लोकसभा वादविवाद

हिन्दी संस्करण

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण
बुधवार, 7 अप्रैल, 1982/17 चैत्र, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

विषय-सूची, पंक्ति 7,-

"और 7046 से 7091, 7093 से 7107, 7109 से 7174"
के स्थान पर और 7046 से "7174" पढ़िए ।

विषय-सूची, पंक्ति 33,-
"अर्थसहायता" के स्थान पर "राजसहायता" पढ़िए ।

पृष्ठ 96, पंक्ति 5,- "श्रीमती सुशीला दंडवते" के स्थान पर "श्रीमती प्रमिला दंडवते" पढ़िए ।

पृष्ठ 137, पंक्ति 19 के बाद पृष्ठ 177 से 173 में छपा प्रश्न संख्या 7092 और उसका उत्तर पढ़िए ।

पृष्ठ 147, पंक्ति 18, "श्री भीकू राम जैन" से पहले "7108" पढ़िए ।

पृष्ठ 171-173 में छपे प्रश्न संख्या 7092 तथा उसके उत्तर का लोप कीजिए ।

पृष्ठ 207, पंक्ति 8, "इमारत" का लोप किजिए ।

पृष्ठ 232, पंक्ति 3, "अर्थसहायता" के स्थान पर "राजसहायता" पढ़िए ।

पृष्ठ 245, पंक्ति 18, "श्री एस0टी0पाटिल" के स्थान पर
"श्री ए0टी0पाटिल" पढ़िए ।

विषय-सूची

अंक 33, बुधवार, 7 अप्रैल, 1982/17 चैत्र, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या 626 से 629 और 632	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—200
*तारांकित प्रश्न संख्या 625, 630, 631, 633 से 639, 642 से 648 अतारांकित प्रश्न संख्या 6939 से 6944, 6946 से 6985, 6987 से 7044, और 7046 से 7091, 7093 से 7107, 7109 से 7174	709
अतारांकित प्रश्न संख्या 1667 दिनांक 3-2-82 को शुद्ध करने वाला विवरण	199—200
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	200—204
सदस्य की गिरफ्तारी	204—205
(श्री धर्मवीर सिंह)	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति चालीसवां प्रतिवेदन	205—207
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	207—229
दिल्ली में अवैध इमारत निर्माण कार्य का समाचार	
श्री रतन सिंह राजदा	
श्री बृजमोहन मोहन्ती	
श्री हरीश रावत	
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	
श्रीमती किशोरी सिन्हा	
श्री भीष्म नारायण सिंह	
श्री टी० आर० शमन्ना	
समिति के लिए निर्वाचित	229—230
राजभाषा समिति	
नियम 377 के अधीन मामले	230—235
(एक) महानगरी-वाराणसी एक्सप्रेस का बुरहानपुर में हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता	
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर	
(दो) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के उचित रखरखाव की आवश्यकता	
श्री भोखा सिंह	
(तीन) हल्दिया में एक जलपोत मरम्मत यार्ड की स्थापना	
श्री नीरेन घोष	
(चार) अर्धसहायता प्राप्त दर पर गेहूं की आपूर्ति के कारण आटा मिलों को अनुचित लाभ	
श्री हरीश कुमार गंगवार	

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय **पृष्ठ**

(पांच) बम्बई में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के लिए प्रयत्न

श्रीमती प्रमिला दण्डवते

(छः) सलेम जिले में डाक-तार सेवाओं का असन्तोषजनक कार्यकरण

श्री सी० पलानिअप्पन

(सात) उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए आलू का निर्यात करने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार यादव

(आठ) 2-4-1982 को इण्डियन एयरलाइन्स के विमान को भूमि पर ही रोके रखना

श्रीमती कृष्णा साही

(नौ) पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों को जेल में रखे जाने का समाचार

श्री सत्यनारायण जटिया

अनुदानों की मांगें, 1982-83 235—308

श्रम मंत्रालय

श्री बिन्देश्वरी दुबे

श्री मोहम्मद इस्माइल

श्री ए० टी० पाटिल

श्री सी० पलानिअप्पन

श्री एच० के० एल० भगत

श्री के० ए० राजन

श्री धर्मवीर

श्री हरिकेश बहादुर

श्री रामविलास पासवान

श्री कुंवर राम

श्री गिरधारी लाल व्यास

श्री सत्यनारायण जटिया

श्रीमती प्रमिला दण्डवते

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

श्री कमलनाथ झा

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी

श्री महेन्द्र प्रसाद

श्री चित्त बसु

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी

श्री एन० ई० होरो

श्री ए० के० राय

श्री पीयूष तिरकी

लोक-सभा

बुधवार, 7 अप्रैल 1982/17 चैत्र 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, गढ़वाल का चुनाव कराने···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इजाजत नहीं देता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है और मैंने आपको सूचित कर दिया है। दूसरी बात यह है कि मैंने इस पर दो सवाल एडमिट कर रखे हैं। इलैक्शन कमीशन के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में पुलिस द्वारा अपराधों के मामलों को दर्ज किया जाना

*626 **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें राजधानी में पुलिस ने अपराध, चोरी आदि के मामलों को दर्ज करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने में जनता की सहायता करने से इनकार किया है अथवा ढिलाई दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसी कोई सरकारी एजेन्सी है जिसमें पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किए जाने की स्थिति में संपर्क स्थापित किया जा सकता है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1-9-81 से 28-2-82 तक छः महीने की अवधि के दौरान दिल्ली में थानों द्वारा मामले दर्ज न करने की चार घटनाएं ध्यान में आई हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(1) 5 दिसम्बर, 1981 को शाम के लगभग 8.10 बजे नारायणा औद्योगिक क्षेत्र के

मैसर्स गैसज एन्ड इक्यूपमेंट इंडिया लि० के दो सेल्स एक्जिक्यूटिव दो व्यक्तियों द्वारा अपने ब्रीफ केस के लूटे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने पटेल नगर थाने में आये। ड्यूटी अधिकारी ने उनका केस दर्ज नहीं किया और ब्रीफ केस खो जाने के बारे में साधारण दैनिक डायरी में प्रवृष्टि की। इस घटना के बारे में पुलिस मुख्यालय को शिकायत की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा सतर्कता शाखा से जांच करवाई गई और थाना पटेल नगर के कर्मचारियों द्वारा प्रथम दृष्ट्या कर्त्तव्यत्याग साबित हुआ। सम्बन्धित उप-निरीक्षक और सहायक उप-निरीक्षक को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

(2) 13-9-81 को पंजाबी बाग के निवासी विक्रम रतन पाल नामक व्यक्ति से राजवती नामक महिला द्वारा उसकी घड़ी संदिग्ध चोरी के बारे में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई। थाना मंगोलपुरी से सम्बन्धित उप-निरीक्षक ने न तो मामला दर्ज किया और न दैनिक डायरी में प्रवृष्टि की। उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

(3) 11-9-1981 को सुभाष पार्क की श्रीमती सीता देवी नामक एक महिला थाना शाहदरा में आई और उसने अपने चार वर्षीय पुत्र बारे में रिपोर्ट लिखाने के लिए ड्यूटी अधिकारी से सम्पर्क किया। ड्यूटी अधिकारी ने मामला दर्ज नहीं किया। 29-9-81 को उसने थाना अधिकारी शाहदरा से सम्पर्क किया। उसके बयान पर 29-9-81 को भा० द० सं० की धारा 363 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। अपहृत बच्चा बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूटी अधिकारी की लापरवाही करने के लिए निन्दा की गई है।

(4) थाना तुगलक रोड के सहायक उप-निरीक्षक ने 8-10-1981 को अतिक्रमण की शिकायत के बारे में मामला दर्ज करने में ढील दिखाई। उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

मामले दर्ज न करने की 21 अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुईं। परन्तु, जांच करने पर यह पाया गया कि न तो कोई अपराध बनता था और न संज्ञेय था। शिकायतकर्ताओं की स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी और प्रतितोष के लिए उन्हें सिविल न्यायालय में जाने की सलाह दी गई थी।

रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने की स्थिति में उच्च पुलिस प्राधिकारियों अर्थात पुलिस मुख्यालय के पुलिस सहायक आयुक्त, पुलिस उप-आयुक्त और सतर्कता शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है। संबंधित पुलिस उप-आयुक्त को डाक द्वारा लिखित शिकायत भी भेजी जा सकती है।

श्री एन० ई० होरो : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि ऐसे चार उदाहरण हैं जहां पुलिस ने या तो मामलों को दर्ज करने से इन्कार किया अथवा ढील दिखाई। यह अति गम्भीर मामला है कि पुलिस शासकीय मामलों में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है अथवा रुचि नहीं ले रही है। मैं इसके कारण जानना चाहूंगा। क्या इसका कारण यह है कि वे चरित्रहीन हैं अथवा भ्रष्ट हैं अथवा लालची हैं अथवा वे अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं ? यदि ऐसी बात है तो सरकार इसके बारे में क्या करने जा रही है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : जिन मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनके सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं कि जांच के दौरान क्या पाया गया ? क्या

वह लापरवाही थी अथवा भ्रष्टाचार, आदि-आदि। जिन चार मामलों का मैंने उल्लेख किया है उनमें जांच चल रही है। जब मंत्रालय को जांच की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी तभी हम यह जान सकेंगे कि इसका कारण लापरवाही अथवा भ्रष्टाचार, अथवा चरित्रहीनता अथवा लालच क्या था, जो भी हो। मामलों के यही तथ्य हैं जिन्हें सभा के सम्मुख रख दिया गया है। इन मामलों में जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : निदान जारी है।

श्री के० मायातेवर : निस्संदेह, दिल्ली शहर भारत की राजधानी है। दुर्भाग्यवश, आजकल दिल्ली शहर अपराधों का एक शहर, अथवा अन्य शब्दों में, अधिकाधिक अपराधियों का शहर बनता जा रहा है। मैं स्वयं ही हाल भी में इससे प्रभावित हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली के भी लोग यहां बैठे हुए हैं।

श्री के० मायातेवर : मैं इन लोगों अथवा आम जनता से सम्बन्धित नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात है !

श्री के० मायातेवर : दिल्ली की और राज्यों की सड़कों पर अब तो दिन में भी बहुत अपराधी घूमते हैं।

उदाहरण के लिए, 13 मार्च को मैं यहां नहीं था। मैं शहर से बाहर था। मैं मद्रास में था।

13 मार्च को, दिन के समय·····

(व्यवधान)

13 मार्च को दोपहर 2.00 बजे से 3.30 बजे के बीच·····।

अध्यक्ष महोदय : मेरी ओर देखने का आपका क्या अभिप्राय है !

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : माननीय गृह मंत्री कृपया मेरे मकान संख्या 26, गुरद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-1 के बारे में नोट करें।

यह संसद भवन के बहुत निकट है···।

(व्यवधान)

दोपहर 2.00 बजे से 3.30 बजे के बीच, कुछ अपराधी मेरे घर आए तथा मुख्य द्वार का ताला तोड़ा—बहुत धीरे से—तथा घर में घुस गए।

अध्यक्ष महोद्रय : धीरे से !

श्री के० मायातेवर : बहुत धीरे से ! और बहुत निडरता से तथा बहुत शालीनता से भी।

वे घर में घुस गए और अलमारी को देखा। अलमारी का भी ताला तोड़ा, बहुत धीरे से ! बिना किसी डर के ! दिन के समय !

हम राजधानी में हैं। हम यहां बैठे हैं तथा पुलिस भी यहां बैठी है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न क्या है ?

श्री के० मायातेवर : मैं एक अथवा दो वाक्यों में कहूंगा। उन्होंने घर के भीतर अलमारी का भी ताला तोड़।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हैं।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : उन्हें 3-4 तोले (सावरन्स) की एक सोने की जंजीर···

एक माननीय सदस्य : मंगल सूत्र।

श्री के० मायातेवर : और एक रेडियो तथा कई और चीजें ले गये जिनका मूल्य लगभग 10,000 रुपये था मेरे घर में यह चोरी 13 मार्च को हुई।

उस समय, उस घर में रह रहा मेरा चचेरा भाई, श्री सिल्वाराज, जो अपने कार्यालय गया था, चोरी के तत्काल बाद सायं 4.30 बजे कार्यालय से वापस आ गया।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : मैं निस्सहाय हूं। पुलिस इस सम्बन्ध में कोई अपना काम नहीं कर रही है। कार्यवाही नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने इस मामले को दर्ज किया ?

श्री के० मायातेवर : जी, हां। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। शिकायत नार्थ एवेन्यू पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है।

प्रातः मैंने पुलिस आयुक्त से सम्पर्क करने का प्रयत्न किया। पुलिस आयुक्त अनुपस्थित बताया गया।

मैंने कार्यालय से सम्पर्क किया। कार्यालय से भी कोई उत्तर नहीं मिला।

माननीय मंत्री के अतिरिक्त हम कहां जाकर शिकायत करें ?

(व्यवधान)

मेरे मामले में भी पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ? यदि सांसदों के मामलों में भी ऐसा होता है, पुलिस कार्यवाही नहीं करती, तो आम जनता के मामले में स्थिति क्या होगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके कहने का अभिप्राय यह है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया ?

श्री के० मायातेवर : उन्होंने इसे दर्ज कर लिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की।

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मुझे वास्तव में खेद है कि माननीय सदस्य को इस बात पर रोष है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन उसके सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है।

निस्सदेह, यह प्रश्न मामला दर्ज न करने से सम्बन्धित है।

तथापि, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि माननीय गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी हैं कि वे अधिक सतर्क रहें। इसके अलावा उड़न दस्ता भी है।

गृह मंत्रालय एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि ऐसी शिकायतों को प्राप्त करने तथा इस मामले में यथा आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एक प्रकार की स्वीकृत एजेंसी बनाई जाए।

यदि कर्तव्य की अवहेलना की जाती है तो वे भले ही अधिकारी ही क्यों न हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

मैं श्री मायातेवर को बता दूं कि यद्यपि सोने की जंजीर तथा एक रेडियो भद्रता से चुराए गए हैं, तथापि मैं पुलिस को अनुदेश दूंगा कि वह भद्रता नहीं बल्कि सख्ती बरते तथा उनकी कार्यवाही से माननीय सदस्य संतुष्ट हों।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य संतुष्ट हैं।

श्री आर० एन० राकेश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है। यह असंगत है। कोई संगत प्रश्न पूछें। मैं अनुमति दे दूंगा।

श्री आर० एन० राकेश : मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। आज के इंडियन एक्सप्रेस की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की हत्या···

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री आर० एन० राकेश : डकैतों की बात की गई है। क्या मंत्री जी का ध्यान उस ओर गया है···(**व्यवधान**)*···

अध्यक्ष महोदय : मैं समाचार-पत्रों की खबरों में विश्वास नहीं करता। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 36 साउथ एवेन्यू पर रहता हूं। वहां भी चोरी हो गई। घर के तीनों ताले तोड़ दिए गए। सामान निकाल ले गए और कुछ नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : कीजिए, साहब कीजिए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रशासन लेखा संख्या 2 में फालतू धन

*627. **श्री के० लकप्पा** :

श्री एस० टी० कादरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रशासन खाता सं० 2 में

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लगभग 57 करोड़ रुपया जो भविष्य निधि के कर्मचारियों द्वारा की जा रही सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ है, फालतू पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इतनी मात्रा में धन इसलिए बचा है कि कर्मचारियों की भरती के लिए वर्षों से स्वीकृति नहीं दी गई है, कर्मचारियों को समुचित कार्यालय और रिहायशी आवास सुलभ नहीं कराया गया है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं में कटौती की गई है और श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 1968 से 1978 तक स्थापित अनेक समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य निधि के कर्मचारियों के कल्याण हेतु, जिनकी सेवाओं के लिए सरकार यह धन प्राप्त करती है, धन का उपयोग न किए जाने के क्या कारण है, जबकि सरकार गैर-सरकारी प्रबन्धकों के लिए विभिन्न पंचाटों के क्रियान्वयन पर और कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं दिए जाने पर जोर देती है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाए जा रहे लेखा संख्या 2 में ऐसे अधिशेष नहीं दिखाये गए हैं।

(ख) कर्मचारियों की मंजूरी, आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार या मानकों के न होने की स्थिति में, लगाए गए अनुमान के अनुसार की जाती है। 1968 से 1978 की अवधि के दौरान श्रम मंत्रालय द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा स्थापित उप समिति की सिफारिशों पर विधिवत् विचार किया गया हैं और उन सिफारिशों को, जिन्हें स्वीकार किया गया, लागू किया गया है।

(ग) भविष्य निधि कर्मचारियों के कल्याण पर पहले से ही पर्याप्त राशि खर्च की जा रही है।

श्री के० लक्कप्पा : माननीय मंत्री द्वारा दिया गया यह उत्तर टाल-मटोल वाला है। मेरा प्रश्न तथ्यों पर आधारित है। आप उनके द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का भाग (क) यह है कि :

> "क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रशासन खाता संख्या 2 में लगभग 57 करोड़ रुपया फालतू पड़ा है..."

इसका उत्तर माननीय मंत्री ने यह दिया है :

> "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाए जा रहे लेखा संख्या 2 में ऐसे फालतू रकम नहीं दिखाई गई है।"

लेकिन एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार खाता संख्या 2 में लगभग 57 करोड़ रुपये संचित हो गये हैं। वह राशि कर्मचारियों के हितार्थ, कर्मचारियों की पैंशन योजनाओं तथा अन्य कल्याण योजनाओं के लिए एकत्र की गई है। साथ ही, 1967 से

1978 तक की अवधि के दौरान तीन समितियां गठित की गई थीं, लेकिन अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि कोई समिति गठित नहीं की गई थी। इस प्रश्न को मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न में पूछूंगा। सर्वप्रथम मैं 57 करोड़ रुपये, अथवा जो भी उपलब्ध है, इस संचित अधिशेष राशि के बारे में सही जानकारी चाहता हूं। वह सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 1978-1980 की अवधि के दौरान जब तत्कालीन सरकार द्वारा श्रम-विरोधी नीति का पालन किया जा रहा था तथा अधिकारीगण तत्कालीन सरकार से सांठ-गांठ करके कार्य कर रहे थे तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को उस संगठन में भरा जा रहा था···(व्यवधान)

मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सलाहकार समिति के कार्यक्रमों, योजनाओं तथा रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है तथा कार्यान्वित नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके सुस्पष्ट कारण क्या थे तथा संचित अधिशेष राशि का कितने समय तक कर्मचारियों के हितार्थ उपयोग नहीं किया गया था ?

उन्होंने मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर दिया है। कृपया उत्तर को पढ़ें। प्रश्न यह था :

"क्या यह भी सच है कि इतनी मात्रा में धन कर्मचारियों की भरती के लिए वर्षों से स्वीकृति न दिये जाने के कारण बचा है···।"

अध्यक्ष महोदय : आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने जवाब दे दिया है, "कर्मचारियों के लिए स्वीकृति दे दी गई है और स्थान तथा अन्य सुविधायें निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदान कर दी गई हैं।" मैं जानना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी दूंगा···

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप ऐसा न करें।

श्री के० लकप्पा : संचित आधिक्य का उस उद्देश्य जिसके लिए इसे संचित किया गया था जैसे भवनों के निर्माण के लिये उपयोग नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछने में कितना समय लेंगे ?

श्री के० लकप्पा : मैंने अभी अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना शुरू भी नहीं किया है।

महोदय, हम किराए के रूप में करोड़ों रुपये का भुगतान कर रहे हैं। जब निधियां उपलब्ध हैं, उन्हें भवनों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी गई हैं। मदुरै, सिलीगुड़ी, रांची, गन्टूर, विशाखापत्तनम तथा कालीकट— इन स्थानों में उनके कोई भवन नहीं है। कर्मचारियों के लिए किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर भवनों का निर्माण नहीं किया गया है। अतएव मैं उसके कारणों तथा आप इन स्थानों में कितने किराए का भुगतान कर रहे हैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। सरकार की लागत पर बहुत ज्यादा किराए का भुगतान किया जाता है। वे निधियों को जिस उद्देश्य के लिए इसे इकट्ठा किया गया था उस उद्देश्य के लिए प्रयोग करने की बजाय धन का अपव्यय कर रहे हैं।

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : राजनीतिक अनुपूरक प्रश्नों के लिए वे स्वयं ही राजनीतिक कारणोंवश उत्तर दे रहे हैं। मैं केवल वास्तविक अनुपूरक प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा···।

श्री के० लकप्पा : मैंने पूछा था कि क्या यह सब जनता सरकार द्वारा अपनाई गई श्रमिक विरोधी नीति के कारण था ?

श्री सुनील मैत्रा : राजनीतिक अनुपूरक प्रश्न से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री भागवत झा आजाद : वे कहते हैं कि जनता सरकार द्वारा श्रमिक विरोधी नीति अपनाई गई थी जबकि आप भी उस सरकार में भागीदार थे·····(**व्यवधान**) वे कहते हैं कि जनता पार्टी के शासन में उस समय सरकार द्वारा श्रमिक विरोधी नीति अपनाई जा रही थी। यह राजनीतिक अनुपूरक प्रश्न है।·····(**व्यवधान**) श्री मैत्रा, आप काफी लम्बे समय के बाद ही आए हैं। श्री लकप्पा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी संघ के एक वर्ग के अध्यक्ष होने के नाते उस समय जनता सरकार द्वारा अपनाई गई श्रमिक विरोधी नीति के बारे में भली प्रकार कह सकते हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर सकता हूं क्योंकि वे इस बारे में ज्यादा जानते हैं। यह सच है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान उन वर्षों में सभी दिशाओं में उत्पादन निश्चित रूप से कम हुआ था और सभी दिशाओं में उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण अवश्य ही यह रहा होगा कि श्रमिक खुश नहीं था। उस मुद्दे पर श्री लकप्पा बिल्कुल ठीक हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी वर्ग से सम्बन्धित दूसरे मुद्दे के बारे में हमारे पास कतिपय मानदण्ड हैं। जितने कर्मचारियों की आवश्यकता हुई है हमने उतने कर्मचारी दिए हैं, वहां कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। प्रश्न यह है कि प्रतिदिन इस निधि में वृद्धि की जा रही है। हम अंशदाताओं के घरों तक सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। अतएव हम प्रतिदिन इसके क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो भी वहां है उसे यह सुविधा नहीं दी गई है। वास्तव में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतन मान तथा भत्ते तीसरे वेतन आयोग के अनुसार सरकार की इसी स्तर की श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन मान और भत्तों में बराबर हैं। हमने उन्हें वही वेतन तथा भत्ते दिए हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा हमने उन्हें और अधिक—जो कुछ सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार में प्राप्त कर रहे हैं उससे भी अधिक दिया है। अतएव, कम वेतन का भुगतान किए जाने की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार में सरकारी कर्मचारी 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता लेते हैं। हम उन्हें 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक मकान किराया भत्ता देते हैं। हमने उन्हें वेतन के साथ 5 प्रतिशत और मिलाकर दिया है। क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 प्रतिशत अन्य श्रेणी लिपिक प्रतिमास 35 रु० का विशेष वेतन लेते हैं। उस ओर से कोई शिकायत नहीं है।

जहां तक कर्मचारियों की संख्या का सम्बन्ध है हम इसे एक तरफा ढंग से निर्धारित नहीं करते हैं। एक कर्मचारी निरीक्षण एकक विद्यमान है। इस समय यह एकक मानदण्डों की जांच कर रहा है। जैसे ही वे इनकी सिफारिश करेंगे तत्क्षण हम उस पर विचार करेंगे।

जहां तक कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण का सम्बन्ध है, अब तक हमने लगभग 7.53 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और हमारा प्रस्ताव कर्मचारियों के मकानों तथा भवनों पर और 10 करोड़ रुपए खर्च करने का है। ज्योंही आवश्यकता होगी हम यह धन राशि खर्च कर देंगे। अतएव, इन दो कारणों पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

अब निधियों के धन इकट्ठा होने के बारे में मैंने आंकड़े दिए हैं। उन्होंने खाता संख्या 2 के बारे में पूछा है और मैंने कहा है कि उस खाते में "फालतू धनराशि नहीं" है। यदि उन्होंने खाता संख्या 4 तथा 24 के बारे में पूछा होता तो मैंने "हां" कहा होता। महोदय, मैंने सही आंकड़े दिए हैं। निधियों में जमा की यही स्थिति है। आखिरकार, निधियों में किए जाने वाले अंश-दानों में से हमारा विचार योजना का विस्तार करते समय खर्च करने का है। हमें अधिक मकानों की आवश्यकता है जिनके लिए हमें अधिक निधियों की आवश्यकता है। हमें पेन्शन ग्रेच्युएटी तथा इन सब कामों के लिए निधियों की आवश्यकता है। हमें मरम्मत तथा रख-रखाव पर खर्च करने के लिए भी निधियों की आवश्यकता है। हम उस धनराशि को इन कामों पर खर्च करेंगे।

श्री के० लकप्पा : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने 1978 से उन समितियों की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित क्यों नहीं किया है ?

अध्यक्ष महोदय : कौन-सी समिति ?

श्री के० लकप्पा : क्या मैं उन तीन समितियों की सिफारिशों को पढ़कर सुनाऊं, जिनका गठन किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : पढ़िए मत। आप केवल उन समितियों के नाम बताइए।

श्री के० लकप्पा : एक फकीरचन्द समिति थी ; दूसरी बन्दोपाध्याय समिति थी तथा एक और समिति थी जिसके अध्यक्ष श्री अनन्तकृष्ण थे जो कर्नाटक सरकार में श्रम सचिव थे। उन्होंने कहा था कि किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। आप उत्तर को देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री के० लकप्पा : मैं इस बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। कुछ ऐसे कर्मचारी तथा अधिकारी हैं जिन्हें बाहर से इस संगठन में लाया गया है, जो श्रमिक विरोधी नीति अपना रहे हैं। जब वे कार्यालयों में हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ संयोजक हैं, तो जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के मामले में आप उनसे कैसे प्रगतिवादी दृष्टिकोण की आशा कर सकते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात की जांच करेंगे और गलती करने वाले ऐसे अधिकारियों पर जिम्मेदारी निश्चित करेंगे जो भविष्य निधि संगठन में कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगतिवादी दृष्टिकोण न रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैंने कहा था कि सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी और मैं अभी भी यही कहता हूं। माननीय सदस्य का तात्पर्य ट्रस्टियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा गठित समितियों, उप समितियों, तथा उनमें से अधिक महत्वपूर्ण फकीर समिति है। उन्होंने पूछा था कि उस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ? मैं कहता हूं कि फकीरचन्द समिति की कई सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश धुलाई भत्ते, हैदराबाद में 25 प्रतिशत तक मकान किराया भत्ते के बारे में थी—जो हमने कार्यान्वित कर दी है। हमने क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 प्रतिशत उच्च श्रेणी लिपिकों को 35 रु० का विशेष वेतन देने सम्बन्धी सिफारिश को भी कार्यान्वित कर दिया है।

हमने सी० पी० एफ० आयुक्त तथा वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के पदों

को अपग्रेड करने की सिफारिश को भी कार्यान्वित कर दिया है; हमने सहायक लेखा अधिकारियों के नए संवर्ग का सृजन करने की सिफारिश को भी कार्यान्वित कर दिया है। हमने उत्पादकता से जुड़े बोनस सम्बन्धी सिफारिश को सिद्धान्त रूप में मान लिया है। इसकी जांच की जा रही है। कुछ अन्य सिफारिशें हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार करना ठीक नहीं समझा। हमने अत्यधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : ये जो भविष्य निधि के कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक व्यय जो सरकार को करना पड़ता है, वह एम्पलायर से जाता है और इस का जो रेट है, वह सन् 1952 में 3 परसेन्ट था, 1962 में 2.4 परसेन्ट था और 1964 के बाद यह 0.37 परसेन्ट रहा है। इसका मतलब यह है कि एम्पलायर्स से जो यह पैसा आता है, वह इन कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी सेलरीज़ और उनके अच्छे काम के लिए खर्च होना चाहिए। यह जो सारा पैसा आता है, यह कर्मचारियों के हितों के लिए काम में आना चाहिए। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों का जो पे-स्केल है, उसका रिवीजन कब हुआ और इन लोगों को जो आप 25 परसेन्ट हाउस रेन्ट एलाउन्स के रूप में देते हैं तो क्या वह आज की स्थिति में पर्याप्त है? क्यों नहीं इन कर्मचारियों के आवास के लिए और दूसरी फैसिलिटीज के लिए, जो पैसा आता है, उसको खर्च करते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे तो दिया है।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने इस बात का जवाब दे दिया है। फंड के बारे में आपने ठीक कहा है कि यह हम एम्पलायर से लेते हैं। आपने यह भी ठीक कहा है कि 0.37 परसेन्ट लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज प्रोवीडेंट फंड के लिए। प्वाइन्ट यह है कि आपने जो इनके वेतन और भत्ते के बारे में कहा है, वे हमने थर्ड पे कमीशन की सिफारिशों की रोशनी में दिया है और सिर्फ इतना ही नहीं फकीरचन्द कमेटी ने जो सिफारिश की है, वह भी दिया है अर्थात भविष्य निधि के कर्मचारियों को जितना सेन्ट्रल गवर्नमैंट के उसी केटेगरी के कर्मचारियों को मिलता है, उससे अधिक हमने उनको दिया है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि फंड में जब पैसा है, तो क्यों नहीं उनको वह दे देते, तो यह कोई दान वृत्ति थोड़ी है?

आपको धन्यवाद देना चाहिए कि फण्ड में पैसा इसलिए रखा गया है कि हम जहां-जहां इस स्कीम का विस्तार कर रहे हैं वहां हम अधिक स्टाफ लाएंगे। इनके लिए जो मकान बनायेंगे उन पर भी खर्च करेंगे। साथ ही साथ हमको पेंशन देनी है, ग्रेच्युटी देनी है। इसके लिए भी फण्ड का निर्माण करेंगे। इसके साथ-साथ सिफारिश यह भी है कि मेन्टीनेंस, रिपेअर्स वगैरह पर भी फण्ड लगाएं। अर्थात् इस सबको देने के बाद जो पैसा फण्ड में है वह इन्हीं की सुविधा के लिए आने वाले दिनों में, भविष्य में लगाया जाएगा।

हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स में तालाबन्दी

*628. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री जार्ज फर्नाण्डीज :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल स्थित हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड फैक्ट्री में मई, 1980 से तालाबंदी है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड की एसोसिएशन ने सरकार को दिए अपने अभ्यावेदन में यह कहा था कि यदि 10 मार्च, 1982 तक कारखाना नहीं खोला गया तो इस इकाई को और इसके 1600 कर्मचारियों को बचाया नहीं जा सकेगा ;

(ग) क्या भारत सरकार इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करती रही है; और

(घ) कारखाने को शीघ्र खोले जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड के प्रबन्ध का अधिग्रहण कर लेने के लिए कुछ अभ्यावेदन (जिनमें हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, हैड ऑफिस एम्पलाईज़ यूनियन और हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड आफीसर्स तथा सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन से) प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह राज्य श्रम आयुक्त को श्रमिक-प्रबन्धक विवाद को हल करने की सलाह दे ताकि तालाबन्दी खतम की जा सके तथा उत्पादन पुनः शुरू किया जा सके । चूंकि तालाबन्दी एक श्रमिक-प्रबन्धक समस्या है, अतः इसे राज्य सरकार द्वारा निपटाया जाना है जो पहले से ही इस मामले को देख ही रही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, अगले माह इस कारखाने की तालाबन्दी हुए दो वर्ष पूरे हो जाएंगे । श्रम समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है । यदि यह तालाबन्दी न होकर हड़ताल होती तो हमें मंत्री महोदय से कुछ और ही सुनने को मिलता । नियोक्ता ने कारखाने की तालाबन्दी का मार्ग चुना और अब इसे दो वर्ष होने जा रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि यह श्रमिक विवाद के कारण हुआ है जो राज्य सरकार द्वारा सुलझाया जाना है । यह मानते हुए कि राज्य सरकार इस विवाद के बारे में अब तक कुछ नहीं कर पायी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि यह अधुनातन किस्म की प्रौद्योगिकी वाला कारखाना जो ब्रिटेन के पिल्किंगटन ब्रदर्स के सहयोग से स्थापित किया गया था, इस प्रकार अनिश्चित समय तक बन्द पड़ा रहे और सरकार की जिम्मेदारी यह कहने तक ही सीमित है कि हमने इस श्रमिक विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार से कहा है ?

महोदय, प्रश्न काल के दौरान हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और मंत्री को इसका सम्बन्ध श्रमिक-प्रबन्ध समस्या से बताकर वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए । वे जानते हैं कि यह मामला उससे सम्बन्धित नहीं हैं । वे जानते हैं कि थापर तथा सोमानी का इस समस्त कार्य से बहुत ही निकट संबंध रहा है और आज भी वे लोग अधिक लाभप्रद शर्तों पर इस कारखाने को पुनः चालू करना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में मैं इस कारखाने को एक सक्षम एकक के रूप में पुनः चालू करने के लिए केन्द्र तथा राज्य के बीच हुए पत्राचार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, यह मामला मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा निपटाया जाना है। समझौते की कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है। तीन विभिन्न समयों पर तीन बार चर्चाएं की गई थीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करना राज्य सरकार की इच्छा पर है। उनके क्षेत्राधिकार में पैदा होने वाले किसी भी औद्योगिक विवाद को निपटाने की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हमें 1980 में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें नए प्रबन्धकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक समझौते की कार्यवाही के असफल होने के बारे में बताया गया था। और हमने मुख्य मंत्री से बातचीत जारी रखने के लिए कहा था क्योंकि कोई रास्ता तो निकालना ही होगा लेकिन हमारा इस प्रश्न से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे खेद है कि मंत्री महोदय बार-बार इस बात को दोहराते जा रहे हैं कि इस प्रमुख औद्योगिक एकक के इतने लम्बे समय तक बन्द होने का कारण श्रमिकों और प्रबन्धकों का विवाद है। अगर ऐसा हुआ है तो, क्या यह कल्पनीय नहीं है कि जब मालिक-मजदूर विवाद के कारण कम्पनी बन्द हो गई, तो सोमानी जैसे बड़े औद्योगिक गृह ने अगस्त, 1981 में फैक्टरी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया और पिलिंगटन ब्रदर्स, यू० के० से इसके 70 प्रतिशत नियन्त्रकारी शेयरों से, जिनका मूल्य 64.20 लाख रु० था, मात्र 6.42 लाख रु० में खरीद लिया ?

क्या यह सच नहीं है कि 1981 में निरीक्षणालय, कम्पनी कानून बोर्ड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ? श्रीमन्, कम्पनी कानून बोर्ड के अपने निरीक्षणालय ने यह बताया था कि यह तालाबन्दी मालिक-मजदूर विवाद के कारण नहीं बल्कि यह इसलिए हुआ क्योंकि यह लोग उस समय इस एकक को बरबाद कर रहे थे, और थापरों ने जानबूझकर पैसे को और इस कम्पनी की राशि को दूसरी तरफ लगाया, जिससे कि यह उपक्रम एक रुग्ण उपक्रम हो जाए। क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह आलोचनात्मक टिप्पणियां नहीं दी हैं ? क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करनी है ? क्या केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है ? क्या यह सच नहीं कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थान, बैंक, जीवन बीमा निगम, नेशनल इंशोरेंस क० आदि सब मिलाकर करीब इसके लगभग 22% इक्विटी शेयरों के मालिक हैं और केन्द्रीय सरकार का इससे सरोकार होना चाहिए ? केन्द्रीय सरकार इस सारे मामलों को सिर्फ मालिक-मजदूर विवाद की संज्ञा कैसे दे सकती है ? उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने समझौता वार्ता आरम्भ कर दिया है। क्या यह सच नहीं है कि वित्तीय संस्थान यह सिफारिशें कर रहे हैं कि आप ऐसे कदम उठायें कि फैक्टरी यथा शीघ्र चालू हो जाये और अगर मामले में सही कदम उठाये जायें तो सरकार अधिकतम शेयरों की मालिक भी बन सकती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह सच है, कि श्री एस० के० सोमानी ने 1981 में 5,05,-125 इक्विटी शेयर 10 रु० प्रति शेयर दी दर से और 3,700 अधिमान शेयर 100 रु० प्रति शेयर की दर से खरीद कर इसके 28% शेयर खरीदें। यह सब राज्य सरकार की जानकारी में हुआ। मुश्किल यह थी कि नये प्रबन्धकों ने मजदूर यूनियनों को जो प्रस्ताव भेजे थे वे उन्हें मान्य नहीं थे। नये प्रबन्धक चाहते थे कि मजदूर उनकी तीन शर्तें मान लें। प्रथम शर्त यह थी कि कल-

कत्ता स्थित मुख्यकार्यालय के कर्मियों का तबादला आसनसोल कर दिया जाय जिससे कि बिना अतिरिक्त खर्च किये दोहरे कार्य को खत्म किया जा सके। ऐसे भी प्रस्ताव थे कि अलाभकारी विभाग जैसे बॉक्स शाप टिम्बर यार्डों आदि को बन्द कर दिया जाये और संशोधित कार्यभार और उत्पादन की गारंटी देने जैसे मान्दंडों के आधार पर फालतू मजदूरों को पुनः समायोजित किया जाये। नये प्रबन्धकों ने यह तीन शर्तें रखी थीं, लेकिन मजदूर यूनियनों को ये मान्य नहीं थीं। लेकिन मेरा विचार है कि वार्ता के लिए अभी भी गुन्जाइश है।

अगर माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल सरकार को प्रभावित कर सकें, जिससे कि दोनों पक्ष वार्ता के लिए फिर तैयार हो सकें तो यह एक अच्छी बात होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने मेरे इस प्रश्न का कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के पास कुल मिलाकर 22 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, कोई उत्तर नहीं दिया है। क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। असल में इन संस्थानों ने सरकार को सिफारिशें की हैं कि वे आगे आये और देखे कि सरकार सबसे बड़ी शेयर धारी है। और इस ओर भी ध्यान दिया जाये कि यह एकक ठीक से कार्य करे और इसकी स्थापना यथाशीघ्र की जाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुझे याद नहीं कि ऐसी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। लेकिन मैं इस बारे में जरूर ध्यान दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रोजाना इनको समाचार पत्रों में छापा जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : एशिया की यह सबसे बड़ी ग्लास (कांच) की फैक्टरी है। यह करोड़ों रु० की विदेशी मुद्रा कमा रही है। इसका लम्बा इतिहास है। मैं और इस सदन के कई सदस्य डा० चानना और श्री तिवारी जी से मिले थे। हमने उनको अभ्यावेदन भी दिया था। पिछली दफा हम उनसे 30 मार्च को मिले थे और उन्हें दिनांक 29 मार्च का अभ्यावेदन दिया था। मैं माननीय मंत्री से मिला था उन्हें बताया था कि पश्चिम बंगाल सरकार इस फैक्टरी को खोलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने बातचीत की और सिफारिश की है कि इसको सरकार अपने हाथ में ले ले। लेकिन श्री सोमानी अपनी पहली बात से मुकर गए हैं। उन्होंने अपनी तीन शर्तों का जिक्र किया, जिन्हें मजदूर संगठनों ने नहीं माना। असल में मैंने और श्री हरध्यान राय, पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य, ने कई दफा ज्ञापन भेजे जिसमें बताया गया है कि थोड़े से समय में ही कैसे इस एकक को सक्षम बनाया जा सकता है। कामरेड (साथी) इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि सरकारी संस्थानों के पास 22% शेयर हैं अगर इसमें ग्रिन्डले बैंक के पास जो शेयर हैं उन्हें भी जोड़ दिया जाय तो यह 28% हो जायेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार, सभी मजदूर यूनियनें और मैं सभी एकमत हैं कि केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही इस संस्थान को अपने हाथ में ले ले। प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष को 'उत्पादन वर्ष' घोषित किया गया है। इस लिए उत्पाद और उत्पादकता के हित में और राष्ट्र के हित में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जल्द से जल्द हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास लि०, को अपने हाथों में ले रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस एकक को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने का कोई इरादा नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : 19 मजदूर भूख से मर गए हैं। कई मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है। आज फैक्टरी में यह हालत है। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : रुग्ण एककों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने संबंधी नई नीति के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालय को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि एक निश्चित अवधि के अन्दर ये एकक सक्षम हो जायेंगे और यह कदम जनहित में है और इसके अलावा बैंक व वित्तीय संस्था में यह सिफारिश करें कि उनकी कोशिशों के बावजूद वे औद्योगिक एककों को रुग्ण होने से नहीं बचा सकें और उनकी अपनी कोशिशों के बावजूद इन्हें पुन: चालू करना सम्भव नहीं। उसके बाद ही हम इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। यह सही है कि वित्तीय संस्थाओं के इस उपक्रम में लगभग 22 प्रतिशत शेयर हैं। लेकिन हमें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि उन्होंने ऐसी सिफारिशें की हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी मैं इस बारे में देखूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या निदेशकों के बोर्ड में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य भी है ? आपने यह भी नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दार : उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : श्रीमन्, इसी एकक के बारे में मैंने भी कई दफा अभ्यावेदन दिया है और श्री तिवारी से प्राप्त दिनांक 31 मार्च, 1982 के अन्तिम उत्तर में उन्होंने बताया है, "मैं मामले की जांच करवा रहा हूं।" मैं नहीं जानता कि यह शायद उन्होंने जानबूझकर लिखा है, लेकिन उत्तर पर उनके हस्ताक्षर हैं। 9 जुलाई, 1980 को, तालाबन्दी के बाद, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने डा० चानना को एक पत्र लिखा था। तथापि, उन्होंने इस पत्र में स्पष्टतया लिखा था कि तीनों मजदूर यूनियनों और प्रबन्धकों के बीच समझौता हो गया है। मुख्य मंत्री की मौजूदगी में समझौता हुआ था। अब प्रबन्धक इससे मुकर रहे हैं। मैं यहां मुख्य मंत्री के पत्र का अंश उद्धृत करना चाहता हूं :

"इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 28 मई, 1979 को दोनों पक्षों ने त्रिपक्षीय समझौता किया और मजदूरों की संख्या, ठेके के मजदूरों और आकस्मिक अस्थायी मजदूरों की छटनी या काम पर लगाने सम्बन्धी बातचीत को अगर जरूरी हुई तो, दो माह बाद विपक्षीय बातचीत द्वारा की जायेगी। इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि आपसी फायदे के लिए दोनों पक्ष उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे।"

इसके बाद मुख्य मंत्री ने कहा है कि, "यह जाहिर होता है कि प्रबन्धकों का ध्येय व उद्देश्य कुछ और ही है।" ध्येय फैक्टरी को चलाने का नहीं है, क्योंकि उनका ध्येय कुछ और ही है इसलिए मुख्य मंत्री ने सिफारिश की कि :

"प्रबन्धकों के रवैये और यूनियन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक

है कि सरकार मांग सामने रखते हुए केन्द्रीय सरकार की उद्योग (विकास और नियन्त्रण) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क क के अधीन इस एकक को अपने नियन्त्रण में लेने के बारे में विचार करे। इन परिस्थितियों में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मामले की जल्द जांच करवाकर इस एकक को अपने नियन्त्रण में लेने के बारे में कार्यवाही करें।"

यह पत्र 9 जुलाई, 1980 का था। उसी समय से यह प्रबन्धक, जिनमें श्री सोमानी भी शामिल हैं, एक के बाद एक एकक को बन्द कर रहे हैं। यह स्थिति है ! यह एक अन्य पत्र है जो तीनों यूनियनों ने मिलकर मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु को लिखा था। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। उन्होंने श्री एच० एल० सोमानी के नाम भेजे गये पत्र की एक प्रतिलिपि भी भेजी है। उन्होंने लिखा है कि श्री सोमानी ने फैसला किया है कि बम्बई कार्यालय और दिल्ली के गोदामों को बन्द कर दिया जाय। अनेक कर्मचारियों, जिनमें महिलायें भी शामिल हैं, का तबादला कर दिया गया है···(**व्यवधान**) यह हो रहा है। कलकत्ता कार्यालय के कर्मचारियों का तबादला आसनसोल, जहां तालाबन्दी घोषित कर दी गई है, कर दिया गया है। बम्बई कार्यालय और दिल्ली के गोदाम भी बन्द कर दिये गये हैं। इससे पता चलता है कि प्रबन्धक फैक्टरी को पुनः खोलने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए वे इस बारे में जोर डाल रहे हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे और इसके प्रबन्ध को नियन्त्रण में ले लें, नहीं तो फैक्टरी को चालू करने की कोई आशा नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत वार्ता हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि प्रबन्धकों की फैक्टरी को चालू करने में रुचि नहीं है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार इस बारे में हस्तक्षेप करे। मैं मंत्री महोदय से ठोस जवाब चाहता हूं। मैंने उन्हें इस मामले पर व्यक्तिगत तौर पर अभ्यावेदन किया था। उन्होंने मुझ से कहा था कि वे इस मामले पर वित्त मंत्री से बातचीत कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। उनका जवाब मेरे पास है···(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें जवाब देने दें। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये। आप बिना मेरी अनुमति से कैसे बोल रहे हैं ? माननीय सदस्य ने पहले ही प्रश्न रखा है। उन्होंने सम्बद्ध अंश भी पढ़ दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्य को मुख्य मंत्री के पत्र का अवलोकन करने के लिए बधाई देता हूं। इसके साथ ही उन्हें 21 नवम्बर, 1980 को उद्योग राज्य मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को भेजे गये जवाब का भी अवश्य पता होगा, जिसमें उन्हें स्पष्ट बता दिया गया था कि जहां तक प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी घोषित किये जाने का प्रश्न है, वे मालिक-मजदूर विवाद को निपटाने के लिए श्रमायुक्त से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करें। जिससे तालाबन्दी खत्म की जा सके, उत्पादन शुरू किया जा सके, और आम हालात पैदा किये जा सकें। इससे स्थिति बड़ी स्पष्ट हो जाती है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और इसको सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लेने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हर रोज हम सदन में सुनते हैं कि पश्चिम बंगाल में विभिन्न

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

औद्योगिक एकक रुग्ण होते जा रहे हैं और वे चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इनको अपने नियन्त्रण में ले ले। अगर वहां की सरकार भी रुग्ण है और कारखाने भी रुग्ण होते जा रहे हैं, तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को भी क्यों न अपने नियन्त्रण में ले ले ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप हमें इस मामले पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिखकर दें।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों का कार्यक्रम

*629. **श्री जेवियर अराकल :** क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कार्य कर रहे हैं; ये ट्रिब्यूनल कौन-कौन-से हैं और वे कहां-कहां पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) जहां तक संविधान के भाग XIV क के अन्तर्गत ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव है; और

(ग) यदि तत्सम्बन्धी कोई ब्यौरा है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कार्य कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव अभी रचनात्मक स्थिति में ही है क्योंकि ऐसे ट्रिब्यूनलों को स्थापित करने के विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की जांच की जा रही है।

श्री जेवियर अराकल : मैंने अपने प्रश्न के भाग क में 3 बातों के बारे में पूछा है : कितने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कार्य कर रहे हैं, यह ट्रिब्यूनल कौन-कौन-से हैं और वे कहां-कहां पर कार्य कर रहे हैं ? जैसा कि स्पष्ट है, उत्तर पूरी तरह से अधूरा है। सामान्य न्यायालयों में कार्यवाही पर काफी समय लगता है। उदाहरण के लिए इस समय उच्चतम न्यायालय में ही प्रशासनिक और प्रकीर्ण याचिकाओं को छोड़कर 22,664 मामले निर्णयाधीन पड़े हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों में 6,79,162 मामलों से भी अधिक निर्णयाधीन पड़े हैं। एक लाख से भी ज्यादा लोगों पर मुकदमे चले हुए हैं। यदि आप संविधान के भाग XIV क के अनुच्छेद 323 (क) को देखें तो उसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये भी एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को भर्ती करने और उनकी सेवा की शर्तों से सम्बन्धित अनुच्छेद 323 (क) के सम्बन्ध में सरकार इस प्रकार के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए और क्या कदम उठा रही है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात और आसाम में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। उनकी स्थापना राज्य विधानमण्डलों के एक अधिनियम द्वारा पदोन्नति, वरीयता, स्थायीकरण, वेतननिर्धारण आदि जैसे सेवा सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिए की गई है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों के निष्कर्षों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ये ट्रिब्यूनल सम्बन्धित राज्यों के प्रशासनिक नियन्त्रण में आते हैं और केन्द्र सरकार का इन पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

आंध्र प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल 1975 में संविधान के अनुच्छेद 371 (घ) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। यही एकमात्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है जिस पर सेवा सम्बन्धी मामलों और पदोन्नतियों के बारे में केन्द्र सरकार का नियन्त्रण है और यही माननीय सदस्य ने बताया भी है।

संसद को ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देने हेतु 1976 में एक नया अनुच्छेद 323 (क) जिसे माननीय सदस्य ने उद्धृत किया है, 42वें संशोधन के द्वारा पुरः-स्थापित किया गया था और संसद को शक्तियां दी गई हैं कि वह देश के किसी भाग में ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 323 (क) के उपखंड 2 (घ) में यह व्यवस्था है कि खंड एक में, जिसमें यह व्यवस्था है कि संसद, विधि द्वारा, सेवा की शर्तों आदि से सम्बन्धित मामलों के लिए अधिनिर्णयन या विचारण के लिए व्यवस्था कर सकता है, बतायी गई शिकायतों या विवादों के बारे में अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र समाप्त किया जा सकता है।

दुर्भाग्यवश 1978 में अनुच्छेद 227 को 44वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि कोई भी उच्च न्यायालय उन सभी न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों पर निगरानी रख सकेगा जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अतः, यह व्यवस्था जनता सरकार द्वारा अनुच्छेद 227 का संशोधन करके पुनः लागू कर दी गई है। अब, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए हमारी सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एक निर्णय लिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि पदच्युत करने, नौकरी से हटाने या पद में कमी करने जैसी बड़ी सजा देने वाले आदेशों के बारे में अन्तिम अपीलीय प्राधिकरणों के रूप में कार्य करने के लिए असैनिक सेवा ट्रिब्यूनल स्थापित किये जाने चाहिए। सचिवों की समिति ने 1973 में यह निर्णय लिया कि प्रशासनिक सुधार आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार किया जाये। अतः प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में हमारी सरकार ने 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 323 (क) पुरःस्थापित किया है। इसके अनुसरण में हम ट्रिब्यूनल स्थापित करना चाहते थे जिसमें उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दिया जाता किन्तु पूर्व सरकार ने, जैसा कि मैंने पहले बताया है, अनुच्छेद 227 का संशोधन कर दिया और ट्रिब्यूनलों पर उच्च न्यायालयों का नियन्त्रण लागू कर दिया। यह मामला अब विधायी विभाग के पास पड़ा हुआ है। हम इस पर विचार कर

रहे हैं कि इन ट्रिब्यूनलों का किस प्रकार से गठन किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में हम अनुच्छेद 227 (3) (क) तथा संशोधित अनुच्छेद 227 दोनों को ध्यान में रख रहे हैं।

श्री जेवियर अराकल : मेरे प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में यह बताया गया है कि प्रस्ताव अभी रचनात्मक स्थिति में है। विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की जांच की जा रही है। संविधान का 42वां संशोधन 31 जुलाई, 1977 को प्रभावी हुआ था। अत: यदि आप अनुच्छेद 323 (ख) को देखें तो आप पायेंगे कि ऐसे 7 कार्यों या अपराधों का उल्लेख है जिनके लिए ये ट्रिब्यूनल प्रभावी हो सकते हैं। 1977 से हम इस बारे में विचार कर रहे हैं, सक्रिय रूप से इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और इस मामले पर कार्यवाही करने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा साधारण सवाल यह है कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठायेगी कि ये ट्रिब्यूनल केन्द्र सरकार द्वारा बिना विलम्ब के गठित हो जायें और साथ ही क्या वह राज्य सरकारों को इस बात के लिए सहमत करेगी कि सामान्य और विलम्बकारी न्यायालयों तथा उनकी प्रक्रियाओं के स्थान पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बनायें।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैंने पहले ही कारण बता दिये हैं। अत: माननीय सदस्य के सुझावों को निश्चय ही ध्यान में रखा जायेगा।

'डिसेस्टर प्रिपेयर्डनेस एण्ड मैनेजमैन्ट' सम्बन्धी ग्रुप का प्रतिवेदन

*632. **श्री सूरजभान** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **योजना मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा गठित 'डिसेस्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमैंट' ग्रुप के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उन पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दुर्घटनाओं के कारण लोगों को होने वाले कष्टों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए विपत्ति से निपटने के लिए तैयारी और प्रबन्ध से सम्बन्धित दल की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के सारांश का विवरण-1 सभा पटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3861/82]

(ख) इस रिपोर्ट पर सभी राज्यों की प्रतिक्रियाएं अभी प्राप्त होनी हैं।

(ग) और (घ) प्राकृतिक विपत्तियों के कारण केन्द्र द्वारा राहत व्यय की वित्त व्यवस्था करने के लिए वर्तमान कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विवरण-2 भी सभापटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3861/82]

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन करने से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस पर आध घंटे की चर्चा एलाऊ कर दें। यह बहुत जरूरी सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो हम ऐसा करेंगे।

श्री सूरज भान : इस देश में हर साल तूफान, बाढ़, सूखे, भूचाल वगैरह के कारण बहुत हानि होती है। इस ग्रुप ने 50 सिफारिशें की हैं और कुछ सुझाव दिए हैं। इस वक्त रैडार और दूसरी मशीनरी की मदद से यह इत्तिला मिलती है कि कब तूफान या भूचाल आने वाला है। इस देश में बहुत पुरानी ज्योतिष विद्या है। यह भी बहुत आकुरेट इनफर्मेशन दे सकती है। क्या सरकार ने यह सोचा है कि उसके जरिये कुछ इनफर्मेशन लेकर उसको यूटिलाइज किया जाए? **(व्यवधान)** जवाब में कहा गया है कि बहुत अरसा पहले स्टेट्स को लिखा गया था, ममर स्टेट्स का जवाब नहीं आया है। मिनिस्टर साहब बराय मेहरबानी बताएं कि कितनी स्टेट्स का जवाब नहीं आया है और वह उनसे कब तक जवाब ले लेंगे। रीकमेंडेशन नम्बर 38 में लिखा है :

"आरम्भ में राष्ट्रीय विपत्ति प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने अपना काम कर लिया है? क्या नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया गया है; अगर हां, तो उसने अभी तक क्या काम किया है? मंत्री महोदय ने कहा है कि यह काम स्टेट्स का है। दरअसल इसमें सैंटर का काम ज्यादा जरूरी है और स्टेट्स का काम बाद में आता है।

एक बहुत पुरानी प्रोपोजल थी कि फ्लड्ज को रोकने के लिए हिमालय पहाड़ के नजदीक गारलेंड केनाल बनेगी, जिसमें फ्लड्ज का पानी चला जाएगा और उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

श्री एस० बी० चह्वाण : इस दल द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था और अन्तरिन प्रतिवेदन की कुछ सिफारिशों को छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में ही शामिल कर दिया गया है। अन्तिम प्रतिवेदन अगस्त 1981 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद सितम्बर में इन प्रतिवेदनों की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भेजी गई थीं। तीन राज्यों उड़ीसा, गुजरात और आंध्रप्रदेश को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों ने अपनी टिप्पणियां नहीं भेजी हैं। उन्हें लगभग 3 बार याद दिलाया गया है और आज फिर उन सभी राज्यों को, जिनकी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं, टेलेक्स भेजे गए हैं कि उन्हें इस महीने के अन्त तक अपनी टिप्पणियां भेजनी होंगी और यथासंभव योजना आयोग मई तक अन्तिम निर्णय ले लेगा। यह स्थिति उन्हें बतला दी गई है किन्तु उपदल द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की अन्तिम जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर ही है और यह उचित होगा कि अन्तिम निर्णय लेने से पहले हमें सभी राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हो जायें। जहां तक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का प्रश्न है जब तक हमें सभी राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हो जातीं हमारे लिए इस समय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना कठिन होगा। जहां तक "गारलैंड केनाल" का सम्बन्ध है मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष जी, इसमें जो रेक्मेंडेशन नं० (47) है उसमें कहा गया है कि कुछ वालन्ट्री आर्गेनाईजेशन्स ने काम किया है । उन्होंने नाम लिया है रेडक्रास का, राम कृष्ण मिशन का ऐंड अदर लोकल बाडीज कहा है । मैं जानना चाहता हूं क्या यह असलियत है कि आंध्र, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु में जब तूफान और बाढ़ आई तो आर० एस० एस० ने बहुत बड़ा काम किया । आंध्र के हाउसिंग मिनिस्टर ने उस फंक्शन को प्रेजाइड किया था जब आर० एस० एस० ने मकान बनाकर दिए थे । उड़ीसा में भी चीफ मिनिस्टर ने प्रेजाइड किया था और कमेण्ट किया था । ऐसी पोजीशन थी कि लाशें सड़ी हुई पड़ी थीं जिनको वे उठाकर ले गए थे । फिर आर० एस० एस० का नाम लेने में क्या शर्म आती है ? जब उन्होंने इतना काम किया, फिर उनका नाम क्यों नहीं लिया गया ?

श्री एस० बी० चह्वाण : ग्रुप में इसका नाम क्यों नहीं लिखा गया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपत्ति नियन्त्रण की एक मुख्त बात यह है कि इसका सम्बन्ध मौसम सम्बन्धी जानकारी, विशेषकर समुद्री लहरों, तूफानों आदि से है । क्या माननीय मंत्री सदन को यह बतायेंगे कि क्या इस नये भू-स्थायी उपग्रह के साथ, जिससे हमें मौसम के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, तथा विश्व मौसम घड़ी के साथ समन्वयन से तथा विपत्ति से बचने और ऐसी ही अन्य मौसम सम्बन्धी विपदाओं को रोकने के लिए जो समग्र प्रयत्न किए जा रहे हैं उनमें अद्यतन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग किया रहा है ? यह एक ऐसा मामला है जो राज्यों पर नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि आखिरकार यह संचार उपग्रह बहुत ही खर्चीला है । इसका संचालन भारत सरकार कर रही है । मेरा विचार है कि यदि आप राज्य सरकारों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहे तो आपको कभी भी समुचित उत्तर नहीं मिलेगा । क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि विपत्तियों को रोकने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा और भारत सरकार प्रमुख भूमिका निभायेगी और राज्य सरकारों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा नहीं करेगी ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये इस मुद्दे की कि अद्यतन प्रौद्योगिकी का यथासम्भव अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सकता है प्रशंसा करता हूं किन्तु यह पूरा मामला अनेक अन्य सिफारिशों पर निर्भर करता है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है, और इसलिए जब तक हमें उनकी टिप्पणियां प्राप्त नहीं होतीं योजना आयोग के लिए इस मामले में कोई अन्तिम दृष्टिकोण अपनाना कठिन होगा ।

श्री मूलचन्द डागा : अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि राजस्थान में 3 साल से बराबर अकाल पड़ रहा है, व वहां पर बरसात नहीं हो रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेविन्थ फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कोई परिवर्तन करके राजस्थान को ज्यादा ऐड देने की योजना बनायेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं राजस्थान के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं । जहां तक इस दल द्वारा प्रस्तुत वित्तीय सहायता सम्बन्धी सिफारिश का प्रश्न है वित्त मंत्रालय से इस बारे में

सलाह ली गई थी और इसे आठवें वित्त आयोग, जिसकी शीघ्र ही स्थापना की जायेगी, को भेजने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अन्तर-राज्यीय अपराधों और अपराधियों से निपटने के लिए एक सेल की स्थापना

*625. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी जोनल परिषद् के अन्तर्गत राज्यों में कानून और व्यवस्था पर हुई चर्चा के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह संकेत दिया था कि अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए केन्द्र में अत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित एक सेल की स्थापना की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विधान

*630. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश की बड़ी संख्या में कृषि श्रमिकों के जीवन एवं कार्य की बिगड़ती हालत का पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के कृषि श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए कोई उपयुक्त केन्द्रीय विधान बनाने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कृषि श्रमिक जिन परिस्थितियों में रहते और कार्य करते हैं उनके बारे में सरकार पूर्णतः जागरूक और सचेत है ।

(ख) कृषि श्रमिकों के हित रक्षण के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

क्षमता के उपयोग में गिरावट

*631. **श्री रणजीत सिंह**

श्री राम स्वरूप राम :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के हाल के सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि महत्वपूर्ण उद्योगों में क्षमता का उपयोग जो वर्ष 1970-71 में 85 प्रतिशत था घटकर 1980-81 में 78.6 प्रतिशत हो गया है।

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान महत्वपूर्ण उद्योगों में क्षमता का अनुमानतः कितने प्रतिशत उपयोग हुआ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा छठी योजना में उद्योग की भूमिका पर हुई कार्यशाला के लिए तैयार किए गए पृष्ठभूमि प्रपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि क्षमता का उपयोग वर्ष 1970-71 के 85 प्रतिशत से गिरकर 1980-81 में 78.6 प्रतिशत रह गया है। क्षमता के उपयोग सम्बन्धी 1970-71 में 85.2 प्रतिशत तथा 1980-81 में 78.6 प्रतिशत वाले आकड़े जनवरी, 1982 के सेंटर फार मॉनीटरिंग इंडियन इकानामी द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा के जनवरी, 1982 अंक में दिये गये हैं।

(ख) सरकार को इन आंकड़ों के तैयार करने की विधि नहीं बतलाई गई है।

सरकार द्वारा उच्चतर क्षमता का उपयोग, अतिरिक्त क्षमता को विनियमित करने, चुने हुए उद्योगों में क्षमता विस्तार की अनुमति देने, अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयां दूर करने तथा उत्पादन में होने वाली प्रगति की मॉनीटरिंग का सुनिश्चय करने हेतु पहले ही उनके अभ्युपाय किए गए हैं।

औद्योगिक अवस्थापना पर बनाई गई एक मंत्रिमंडल समिति उद्योगों की अवस्थापना सम्बन्धी समस्याओं की समीक्षा करती है तथा उपर्युक्त सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्देश देती है।

उत्पादन तथा अवस्थापना के प्रमुख क्षेत्रों की केन्द्रीय रूप से मॉनीटरिंग करना शुरू कर दिया गया है। मासिक उत्पादन लक्ष्य तैयार कर लिये गये हैं तथा उनकी मॉनीटरिंग की जा रही है। अवस्थापना सहित अनेक योजनाओं के साथ इसका तालमेल बिठाया गया है।

चुने हुए प्रधान उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन सम्बन्धी कठिनाइयों की मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से उद्योग मंत्रालय में एक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है।

औद्योगिक क्षमता का इष्टतम उत्पादन सरकारी उद्योग नीति का मूलभूत तत्व है। सभी नीतियों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से क्षमता के उपयोग में और भी सुधार किए जा रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के समूचे वर्ष 1981-82 के लिए औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं तथापि, यह देखा गया है कि 1981 के दौरान अनेक मुख्य उद्योगों में क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ है। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि 1980 की अपेक्षा 1981 में चुने हुए 44 उद्योगों में क्षमता का उपयोग करने में सुधार हुआ है।

ट्रैक्टरों की मूल्य नीति

*633. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों में ट्रैक्टरों की मूल्य नीति के बारे में सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जी, हां। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से ट्रैक्टर उद्योग के लागत-ढांचे का अध्ययन करने के लिए कहा गया था। अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य निगरानी और वितरण नियन्त्रण की वर्तमान योजना और देश में ट्रैक्टर उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उपायों के बारे में सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

अवशिष्ट पदार्थों से तेल का उत्पादन

*634. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नई प्रक्रिया के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों से अच्छी क्वालिटी के तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों और वृक्षों पर भी लागू किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों के अनुसार वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने पर एक बैरल तेल की लागत 15 डालर आएगी जो कच्चे तेल के वर्तमान बाजार भाव के आधे से भी कम होगी;

(ग) क्या भारत भी इसी प्रकार के कदम उठा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) तेल और अन्य दहनशील ईंधन कूड़े-करकट से और ऐसी अन्य सामग्री से तैयार किये जा सकते हैं जिनमें पादपों और पेड़ों जैसे कार्बनिक पदार्थ हों। इस बारे में सिद्धान्त के बारे में कुछ समय से जानकारी रही है और अमेरिका में कुछ प्रायोगिक संयंत्रों का निर्माण किया गया। अभी व्यापारिक पैमाने पर रूपांतरण से तेल की अपेक्षित कीमत के बारे में सही आंकड़े नहीं दिये जा सकते हैं। अभी कई तकनीकी कारणों का अध्ययन किया जाना है। भारत में अन्वेषण आरम्भ कर दिए गए हैं और प्रायोगिक संयंत्रों के स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

फोर्ड फाउन्डेशन के अन्तर्राष्ट्रीय आयोजना दल की सिफारिश

*635. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड फाउन्डेशन के अन्तर्राष्ट्रीय आयोजना दल ने भारत में लघु उद्योग सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारत में फोर्ड फाउन्डेशन टीम के नाम से विख्यात लघु लद्योगों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय योजना समिति को भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उस समय की वर्तमान परिस्थितियों और संभावनाओं का विश्लेषण करने तथा नीतियों और कार्यक्रमों की संवीक्षा करने तथा देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए संभव समाधान सुझाने के विचार से आमंत्रित किया गया था। दल द्वारा 31 मार्च, 1954 को प्रस्तुत की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) विभिन्न स्थानों पर भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस प्रकार के कम से कम चार संस्थान स्थापित किए जाएं ताकि व्यापारिक प्रबंध, वित्त और विपणन में आधुनिक उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तत्काल उपयोग करने के लिए लघु उद्योगपतियों को अभिकरणों की शीघ्र सेवा प्रदान कराई जाए।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्थान निम्नलिखित कार्य करे :

(एक) वर्तमान प्रणालियों का सर्वेक्षण करना तथा अन्वेषणों को आरंभ करना तथा उन्हें जारी रखना तथा लघु उद्योग के संवर्धित विकास के लिए परीक्षणात्मक और व्यावहारिक अनुसंधान करना जैसे सम्बद्ध व्यापक तकनीकी क्षेत्र, उन्नत औजार, मशीनरी, प्रणालियां, कच्ची सामग्री, गुणवत्ता उत्पाद,विपणन, ऋण वित्त आदि से सम्बन्धित क्षेत्र।

(दो) इस प्रकार प्राप्त परिणामों और पद्धतियों को उद्योगपतियों, उनके सहायकों अथवा प्रशिक्षित कर्मचारियों में प्रसारित करना, इन सुधारों का संवर्द्धन एवं प्रसार संस्थान तथा शाखा इकाइयों में दिए जाने वाले अल्पकालिक शिक्षण पाठ्यक्रमों तथा सूचना एवं परामर्श सेवाओं के माध्यम से तथा चलती-फिरती प्रदर्शन इकाइयों तथा भ्रमणशील औद्योगिक विस्तारकर्मियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(2) भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, ग्राहक सेवा निगम तथा विदेशों में निर्यात विकास कार्यालयों की स्थापना करना।

(3) वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं को और अधिक शक्तियां प्रदान करके तथा सभी राज्यों आदि में सरकारी वित्तीय निगमों की स्थापना करके लघु उद्योगों को और अधिक ऋण तथा वित्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।

(4) सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली खरीद के क्षेत्र में लघु उद्योगों की सहायता के लिए क्षेत्रों और राज्यों में शाखाओं वाले लघु उद्योग निगम स्थापित करना।

(5) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए संयंत्र स्थापित करना।

(6) लघु उद्योग एककों के लिए एक स्वयंशासी विपणन सेवा निगम की स्थापना।

की गई कार्यवाही

(ख) बाद में उसी वर्ष अर्थात् 1954 में भारत सरकार ने लघु उद्योग विकास संगठन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, की स्थापना की और नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार लघु उद्योग सेवा संस्थानों की स्थापना विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के शीर्षस्थ निकाय के अधीन की। बाद में राज्य सरकारों से उनके राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थान खोले जाने की निरन्तर मांगों पर सरकार ने क्षेत्रीय सेवा संस्थानों को विकेन्द्रीकृत कर राज्य स्तर के एस० आई० एस०आई० बनाया। वर्तमान में 25 लघु उद्योग सेवा संस्थान, 20 शाखा संस्थान और 41 विस्तार सेवा केन्द्र हैं जिनके अन्तर्गत सभी राज्य/केन्द्र-शासित क्षेत्र आ जाते हैं।

अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, ट्रेड डेवलपमेंट अथारिटी, जिसके कार्यालय दिल्ली, लंदन, न्यूयार्क आदि में है, विभिन्न वस्तुओं की निर्यात संवर्धन परिषदें लघु उद्योग एककों को उनके उत्पादों को विपणन योग्य बनाने में सहायता करने के लिए स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त लघुउद्योगों की बेहतर डिजाइन के औजारों और बेहतर डिजाइन के वैद्युत मापक उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने हैदराबाद में सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन और बम्बई में इन्स्टीट्यूट फार डिजाइन एण्ड इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स की स्थापना की है।

वाणिज्यिक बैंकों, खासतौर से जिनका बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया है, द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों से शाखा कार्यालयों को शक्तियों और प्राधिकार प्रत्यायोजित करके लघु उद्योगों को ऋण देने और वित्तीयन के कार्य में निरन्तर बढ़ोतरी की गई है। देश के समस्त राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई है।

1954 में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं तथा लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना होने के पश्चात् अगले वर्ष में केन्द्रीय सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम में भाग लेने और उत्पादों के विपणन से लघु एककों की सहायता करने के प्रमुख उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित राष्ट्रीय लघु उद्योग संगठन स्थापित किया गया था। इस निगम द्वारा किए जाने वाला अन्य महत्वपूर्ण कार्य लघु एककों के लिए किराया-खरीद के आधार पर मशीनों का संभरण करना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा यह कार्य उस समय हाथ में लिया गया था जबकि किसी भी वाणिज्यिक बैंक के पास लघु एककों को सर्वाधिक ऋण देने की कोई भी सार्थक योजना विद्यमान नहीं थी। राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम लघु एककों के बीच एक वितरक अभिकरण के रूप में महत्वपूर्ण आयातित तथा देशी कच्चे माल की देखभाल करता रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अधीन राजकोट, ओखला (नई दिल्ली), हावड़ा तथा मद्रास में एक पूर्णरूप और इस प्रकार चार आद्यरूप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास, बम्बई, कलकत्ता तथा नई दिल्ली में हैं। चार आद्यरूप केन्द्र एत्तामान्नूर, अंतिगल, मुक्तापुशा तथा तिरवेल्ला (सभी केरल में) में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही, रांची में लघु उद्योग विकास संगठन के तत्वावधान में एक परिशोधन एवं उत्पाद विकास केन्द्र की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा एग्रांड मद्रास में दो केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं।

जैसा कि फोर्ड फाउन्डेशन दल ने सिफारिश की है, यद्यपि अलग से किसी स्वायत्तशासी विपणन सेवा निगम की स्थापना नहीं की गई है, किन्तु कुछ हद तक ये कार्य राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ही देखे जा रहे हैं।

सांविधिक न्यूनतम मजूरी में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता

*636. **श्री चित्त बसु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न उद्योगों में सांविधिक न्यूनतम मजूरी में समय-समय पर पुनरीक्षण करने के स्थान पर जो एक समय साध्य प्रक्रिया है, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस चरण में है ; और

(ग) उस मामले में अन्तिम निर्णय कब लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण के लिए पहले ही व्यवस्था है। इसमें मूल मजदूरी दर के साथ जीवन निर्वाह व्यय भत्ता भी हो सकता है और न भी हो सकता है। तथापि अगस्त, 1981 में हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि न्यूनतम मजदूरी दरों को यथा-संभव रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के साथ सम्बद्ध करने के लिये एक फार्मूला तैयार किया जाना चाहिए ताकि इनमें बिना विलम्ब के समय-समय पर संशोधन किया जा सके। यह निर्णय सभी राज्य सरकारों/केन्द्रीय क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में ला दिया गया है। तेरह राज्यों/प्रशासनों ने कुछ अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरियों में परिवर्ती महंगाई भत्ते के तत्व की व्यवस्था कर दी है।

इंजीनियरिंग एककों में मंदी

*637. **श्री भीखू राम जैन :**
श्री एम० बी० सिंदनाल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योगों में मंदी के लक्षण दिखाई दिये हैं ; और अग्रणी इंजीनियरिंग एककों की बिक्री में भारी कमी आ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऋण देना रोके जाने के कारण रेलवे तथा राज्य बिजली बोर्डों ने आर्डर नहीं दिये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विकासशील इन्जीनियरिंग उद्योग की सहायता के लिये वर्तमान ऋण रोक और पूंजी ऋण में ढील देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। केवल ट्रैक्टरों और वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माताओं ने हाल के महीनों में कम मात्रा में कुल खरीद के बारे में जानकारी दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) उपयुक्त सीमाओं के अन्दर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण-प्रसार को रोकने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किए गए विभिन्न अभ्युपायों का संस्था-वार और क्षेत्र-वार प्रभाव का निरन्तर मूल्यांकन किया जा रहा है जिससे और अच्छी तरह योजना बनाई जा सके और इस बात का सुनिश्चय हो सके कि विशेषरूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और 20 सूत्री कार्य-क्रम का लाभ उठाने वालों को ऋण बराबर मिलता रहे। अतः इस समीक्षा के परिणामस्वरूप, जनवरी, 1982 के अंत में, नकद आरक्षित अनुपात को संशोधित करके 7.75 प्रतिशत से बढ़ा-कर 8 प्रतिशत करने का अंतिम चरण रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सामयिक आवश्यकताओं के लिए वित्त देने हेतु बैंकों को विवेकानुसार पुनर्वित्त देने के लिए भी सहमत हो गया है।

मोटरगाड़ियों द्वारा धुआं छोड़ा जाना

*638. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश में बनी मोटर-गाड़ियां अमरीका में बनी मोटरगाड़ियों की तुलना में चार गुणा अधिक धुआं छोड़ती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं कि धुआं छोड़ना रोकने के मामले में मोटरगाड़ियां बनाने वाले स्वदेशी निर्माता पश्चिमी देशों के मानदंडों का पालन करें ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने हमारे देश में विभिन्न मोटरगाड़ियों द्वारा धुआं छोड़े जाने का पता लगाने के लिए कोई योजना-बद्ध सर्वेक्षण कराया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या मान दण्ड निर्धारित किया है और पश्चिमी मानदण्डों की तुलना में, जहां गाड़ियों से बहुत कम धुआं निकलता है, इसकी क्या स्थिति है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अमरीका में बनी मोटरगाड़ियों की तुलना में भारत में बनी मोटरगाड़ियां चौगुना धुआं नहीं छोड़ती हैं।

(ख) तथा (ग) धुआं छोड़ना इन्जन के डिजाइन पर ही निर्भर नहीं करता है बल्कि इसके अन्य कारण भी हैं जैसे पे लोड, स्पीड, ईंधन की क्वालिटी तथा ल्यूब्रीकेटिंग तेल, गाड़ी कितनी पुरानी है, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, रखरखाव इत्यादि। भारतीय मानक संस्था ने इन्जन के धुआं छोड़ने के स्तर के लिए कुछ मानक निश्चित किया है। पश्चिम में अपनाये जाने वाले मानक हर देश में अलग-अलग होते हैं और आमतौर पर ऊंचे होते हैं। भारतीय वाणिज्यिक गाड़ियाँ विदेशी बाजारों में भी स्वीकार की जाती हैं जहां प्रदूषण विरोधक कानून लागू हैं। आटोमोटिव

रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया ने कुछ शहरों में वर्तमान प्रदूषण स्तर की स्थिति का सर्वेक्षण करना शुरू किया है और सड़क पर परीक्षणों के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटा रहा है।

समुद्र पार बाजार के लिए तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु द्रुत कार्यक्रम

*639. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्र पार बाजार के लिए तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु किसी द्रुत कार्यक्रम पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमानत: कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन पर कितना खर्च होगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केवल कुछ दक्ष वर्गों में श्रमिकों की दक्षता के स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार त्वरित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

नई इकाइयों के लिये प्रोत्साहन

*642. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मंत्री यह जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र के लिए अपने नये आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधान मंत्री द्वारा प्रतिज्ञापित उत्पादकता वर्ष की भावना की पूर्ति के लिये बड़े, मध्यम, और लघु क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या-क्या नये प्रोत्साहन देने के बारे में विचार किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : नये प्रोत्साहन जिन पर सरकार विचार कर रही है वे उत्पादन प्राथमिकताओं को दूर करने, उनको पुनर्परिभाषित करने और वर्गीय रूप से आपस में संबंधित उत्पादों को प्रोत्साहित करने से सम्बन्धित हैं। अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर इनकी उचित रूप से घोषणा कर दी जाएगी।

केन्द्रीभूत (न्यूक्लियस) उद्योग के लिए चित्तूर का चयन

*643. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीभूत उद्योग योजना के अंतर्गत वर्ष 1982-83 में जिलों का चयन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत चित्तूर जिले का चयन करने के लिये कोई अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका चयन कब किया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा नवम्बर, 1980 में भेजे गए एक पत्र के उत्तर में राज्य सरकारों द्वारा पता लगाए गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मेडक, अनन्तपुर तथा श्रीकाकुलम जिलों का पता लगाया था।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चित्तूर जिले को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, माननीय संसद सदस्य से इस बारे में एक अभ्यावेदन मिला है, जिन्हें चित्तूर जिले को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

खोई सुखाने के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता

*644. **श्री एस० बी० सिंदनाल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार का विचार खोई की तापीय दक्षता को सुधारने हेतु उसको सुखाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता देने का है ; और

(ख) अनुसंधान प्रकृति क्या है और उससे कितनी ऊर्जा की बचत होगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क)और(ख) सरकार सूखती खोई के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को हाथ में ले रही है ताकि इसकी तापीय कुशलता में सुधार किया जा सके और उसके इष्टतम उपयोगीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। खोई को सुखाने से इसकी तापीय कुशलता में बहुत अधिक सुधार हो जाता है। अधिशेष खोई को कागज बनाने के लिये या अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

महिलाओं के लिए ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

*645. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या **श्रम मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की वित्तीय सहायता से देश के किसी भाग में महिलाओं के लिए ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मांगें या तो सरकार से या जनता के प्रतिनिधियों से राज्यवार किन स्थानों के लिए प्राप्त हुई हैं तथा वे किन-किन तीरीखों की हैं ; और

(ग) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या किस संभावित तारीख तक निर्णय किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तथा (ख) जी, हां।

दिसम्बर, 1981 में एक मांग प्राप्त हुई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश विशेषकर हमीरपुर, ऊना, विलासपुर तथा कांगड़ा के पहाड़ी जिलों में ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया था।

(ग) सीडा तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से कार्यान्वित किये जा रहे महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में परियोजना में की गई परिकल्पना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं का प्राक्कलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के एक जिले सहित चुने गए प्रतिनिधि जिलों में व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने संबंधी पायलट कार्यक्रम के ब्यौरों को दिसम्बर, 1982 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, जिसे संभवतः अगले वर्ष से प्रारम्भ होने वाले इस परियोजन के दूसरे चरण में कार्यान्वित किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का प्रतिवेदन

*646. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण भारत से गरीबी हटाने का एक मात्र उपाय और अधिक मात्रा में फसलें उगाना और अधिक रोजगार बनाना है ;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। किन्तु गरीबी दूर करने के लिए इस प्रकार के अन्य उपायों के महत्व पर भी जोर दिया गया है जैसे आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण, मूल मानव आवश्यकताओं की व्यवस्था और आधारिक संरचना का विकास।

(ग) और (घ) रिपोर्ट में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे सरकार को सुविदित हैं और देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए काफी अरसे से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ग्रामीण गरीब लोगों की दशाओं में सुधार करने के लिए इन सभी कार्यक्रमों पर परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम में फिर से बल दिया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना को दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू करना

*647. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, जो 1 जनवरी, 1982 से लागू हुई है, दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर भी लागू होती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर भी इस योजना को लागू किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार के तथा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के बीच इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन समेत प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 की रूप रेखाओं पर एक पृथक सामूहिक बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव है ।

कर्मचारी राज्य बीमा सेवा में सुधार के लिए कार्यवाही

*648. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा सेवा में सुधार करने के लिए हाल ही में कुछ कदम उठाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तार अंशदान एकत्र करने तथा सुविधा लाभों के सिपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को क्या मार्ग निर्देश भेजे गए हैं ; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं की सफलता के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किए गए कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(एक) 1982-83 के दौरान इस योजना को रोजगार के नए इलाकों/नये क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए एक संशोधित क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया गया है और कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों में परिचालित किया गया है ।

(दो) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि अंशदानों की बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिये विशेष वसूली सेल स्थापित करें ;

(तीन) डाक्टरी लाभों की व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं ;

(चार) निगम के प्राधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे नकद लाभ के दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें।

(घ) निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए अपने भवन निर्मित करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत अब तक 79 अस्पताल तथा 37 उपभवन चालू हो गए हैं जिनमें 17,304 पलंगों की व्यवस्था है। चार अस्पतालों, जिनमें 400 पलंगों की व्यवस्था है, का निर्माण पूर्ण हो गया है और वे चालू किए जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त, 12 अस्पतालों और 6 उपभवनों का निर्माण कार्य विभिन्न अवस्थाओं पर है। इनमें 1344 पलंगों की व्यवस्था होगी।

उत्तर एवं दक्षिण में पवित्र नदियों का प्रदूषण

6939. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में कुछ नदियों को उत्तर तथा दक्षिण में बहुत पवित्र माना जाता है और प्रतिवर्ष बहुत-से लोग पवित्र स्नान के लिए इन नदियों की यात्रा करने जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार इन नदियों के नाम बतायेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उनको प्रदूषण से मुक्त रखा जाये ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई केन्द्रीय योजना आरम्भ की जायेंगी और यदि हां, तो कब तक ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महा सागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां

(ख) उत्तर और दक्षिण दोनों में बहुत-सी नदियां तथा सरिताएं पवित्र मानी जाती हैं। इनमें प्राय: लोग, विशेषकर धार्मिक अवसरों पर, स्नान करने के लिए जाते हैं। कुछ पवित्र नदियां ये हैं :

गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, कावेरी, साबरमती, गोदावरी, तथा कृष्णा।

पवित्र स्नान के लिये नदियों के महत्वपूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित सीमाओं (स्ट्रेचेज) का अपने-अपने राज्य बोर्डों के परामर्श से, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट उत्तम उपयोग वर्गीकरण की श्रेणी "ख" के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया है। ऐसे वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इन सीमाओं में जल गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए राज्य बोर्डों द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) चूंकि राज्य बोर्ड समस्या के प्रति सजग हैं और आवश्यक उपाय कर रहे हैं इसलिए इस सम्बन्ध में केन्द्रीय योजना प्रारम्भ करने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

6940. **श्री जी० बाई० कृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु राज्यों को प्रतिवर्ष दी गई सहायता के ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन विशेष रूप से परिणामों के बारे में स्वयं सन्तुष्ट है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने सहायता का उपयोग नहीं किया ; और

(ङ) यदि हां तो किस सीमा तक और सहायता का उपयोग न कर पाने के लिए क्या कारण बताये गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) राज्यों को केन्द्रीय सहायता, राज्य की प्लान स्कीमों के लिए ब्लाक ऋणों के रूप में और राज्य योजना के लिए अनुदान समग्र रूप में दिए जाते हैं। ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकासार्थ राज्य क्षेत्र के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 13650.85 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। यह परिव्यय 1981-82 में बढ़ा कर 15320.70 लाख रुपये कर दिया गया था। वर्ष 1980-81 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित वास्तविक व्यय स्वीकृत परिव्यय का लगभग 96 प्रतिशत था जबकि ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के विकासार्थ अनुमानित व्यय, 1981-82 में उस वर्ष के लिए स्वीकृत परिव्यय से अधिक है। सरकार देश में ग्रामीण उद्योगों के विकास की ओर उचित ध्यान दे रही है।

छठी योजना में उद्योग की भूमिका का अध्ययन

6941. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों के महासंघ द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में उद्योग की भूमिका के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) योजना के शेष वर्षों में प्राप्त की जाने वाली प्रगति के लिए क्या नए सुझाव दिए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ (फिक्की) के अनुसार संघ द्वारा छठी योजना में उद्योग की भूमिका पर किया अध्ययन दिसम्बर 1981 में आयोजित कार्यशाला का पृष्ठभूमि पोषक बना। फिक्की ने बताया है कि पिछली योजनाओं के दौरान उद्योग की रूपरेखा का अध्ययन तथा पिछले दिनों उद्योगों के विकास में आई मन्दी के कारणों से कुछ अड़चनों का पता चला है जिससे चुने

हुए उद्योगों के लिए पर्याप्त वित्त तथा छठी योजना के लक्ष्यों की संभाव्यता का विश्लेषण करने की आवश्यकता ज्ञात हुई है। अध्ययन में दिए गए सुझावों में अवस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सरकारी अनुमति मिलने में होने वाली देरी को दूर करना, मूल्य नीति में संशोधन करना तथा कुछ वित्तीय व अन्य अभ्युपाय शामिल हैं।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय, बिहार में प्रवर श्रेणी लिपिकों को विशेष वेतन

6942. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, बिहार में वर्तमान प्रवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति तथा उन्हें 35 रु० के विशेष वेतन के सम्बन्ध में उक्त कार्यालय के अनेक कर्मचारियों के अभ्यावेदन लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने लम्बित मामलों के बारे में कोई जांच की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सभी राज्यों में सीमेन्ट की समानता के आधार पर बिक्री

6943. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट निर्माताओं ने सरकार को आश्वासन दिया है कि सीमेंट की सभी राज्यों में समानता के आधार पर बिक्री की जायेगी ताकि उसके आंशिक कण्ट्रोल को प्रवृत्त करने के कारण किसी राज्य अथवा क्षेत्र को सीमेंट की कमी का सामना न करना पड़े ;

(ख) क्या सीमेंट निर्माताओं द्वारा मंत्री को आश्वासन दिये जाने के बावजूद राज्यों को और विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा कमी वाले राज्यों को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की सप्लाई नहीं की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार के इस निर्णय के कारण सीमेंट के मूल्य में वृद्धि हो गई है और सीमेंट बहुत ऊंची दर पर मिलता है और वह भी बहुत कम मात्रा में ;

(घ) 1981 में कुल उत्पादन कितना था और कितनी मात्रा का आयात किया गया ; और

(ङ) 1982 में कुल कितना सीमेंट उपलब्ध होगा तथा उसकी मांग कितनी होगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेन्ट उत्पादकों के एसोसियेशन ने सीमेन्ट मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन के सभापति की अध्यक्षता में एक शीर्षक मोनीटीयरिंग समिति का गठन किया है। जिसकी सहायक क्षेत्रीय समितियां हैं। शीर्षक समिति सभी क्षेत्रों को, जिनमें दूर स्थित क्षेत्र व कमी वाले क्षेत्र भी सम्मिलित हैं,

किए जाने वाले संभरण को मोनीटर करेगी और क्षेत्रीय समितियां सम्बन्धित क्षेत्रों के अन्तिम उपभोक्ता से लिए जाने वाले खुदरा मूल्य का निर्धारण करेंगी ।

(ग) लेवी सीमेन्ट के लिए उत्पादन कर पैकेजिंग प्रभार तथा अन्य प्रभारों के बिना गणना किए उपभोक्ता मूल्य सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेंट/पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेन्ट के लिए 440.00 रुपये प्रति टन रखा गया है जब कि 28-2-1982 से पूर्व पोर्टलैण्ड सीमेंट का प्रति टन मूल्य 400.85 रुपये था । गैर लेवी सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । सीमेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसियेशन ने बताया है कि उत्पादन कर और स्थानीय कर, आक्ट्राय कर आदि सहित उपभोक्ता मूल्य विभिन्न राज्यों के लिए निम्न प्रकार से निश्चित किए गये हैं :

50 किलो ग्राम की बोरी के लिए रुपये	राज्य/संघ शासित प्रदेश
70	महाराष्ट्र
65	गुजरात, कर्णाटक, केरल, जम्मू और काश्मीर, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य ।
62	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश

(घ) 1980-81 में सीमेन्ट का उत्पादन 208.70 लाख मी० टन था । 1981 में 13.90 लाख मी० टन सीमेंट आयात किया गया ।

(ङ) 50 वर्ष 1980-85 के लिए सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्यदल ने 1982-83 की सीमेन्ट की आवश्यकता 326.40 लाख मी० टन आंकी है । वर्ष 1982-83 में सीमेंट का उत्पादन 260 लाख मी० टन अनुमानित है । इस वर्ष में 20 लाख मी० टन सीमेन्ट के आयात करने की भी संभावना है ।

समस्तीपुर में ग्रेफाइट कारखाने का निर्माण

6944. **श्री राजेन्द्रप्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर में ग्रेफाइट कारखाने के निर्माण से सम्बद्ध कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कारखाने के निर्माण की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) यदि नहीं, तो कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) प्रस्तावित कारखाने की स्थापना कब से की जायेगी और उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) समस्तीपुर में ग्रेफाइट फैक्टरी लगाने के लिए सरकार ने अभी कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

संयुक्त क्षेत्र में इस्पात संयंत्र

6946. **श्री पियूष तिरकी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त क्षेत्र में एक अन्य इस्पात संयंत्र की स्थापना की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता के शक्तिशाली व्यापार समूह तथा सिंगापुर के वित्तीय हितों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की जाएगी ; और

(घ) क्या सरकार ऐसे समय में जब सरकारी क्षेत्र के वर्तमान इस्पात संयंत्रों में सुधार की जरूरत है, संयुक्त क्षेत्र में इस्पात संयंत्र के लिए स्वीकृति देगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

मारुति में शेयर पूंजी का लौटाया जाना

6947. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारुति लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने के बाद सभी शेयरधारियों की शेयर पूंजी लौटा दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन शेयरधारियों के नाम क्या हैं जिनकी शेयर पूंजी अभी लौटाई जानी है और प्रत्येक मामले में कितनी राशि लौटाई जानी है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ शेयरधारियों ने ब्याज के साथ अपनी शेयरपूंजी के लौटाए जाने की मांग की है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 में व्यवस्था है कि कम्पनी के विरुद्ध दावे भुगतान आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे । अधिनियम की अनुसूची में शेयरधारियों को मुआवजे के भुगतान के लिए विशिष्ट व्यवस्था नहीं है । भुगतान आयुक्त के समक्ष दावे प्रस्तुत करने की तारीख अभी निर्दिष्ट नहीं की गई है ।

आसूचना ब्यूरो संगठन में कर्मचारी परिषदों की नियुक्ति

6948. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों के मामलों की जांच के लिए आसूचना ब्यूरो संगठन में कर्मचारी परिषदों की स्थाना की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारी परिषदों की स्थाना कब की गई थी ;

(ग) कर्मचारी परिषदों की पिछले दो वर्षों में कितनी बैठकें हुईं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) कर्मचारियों के मामलों की जांच करने के लिए आसूचना ब्यूरो में 1979 में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी परिषदें गठित की गई थीं।

(ग) और (घ) 1980 और 1981 के दौरान कुल 83 बैठकें हुईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

	1980	1981
शिखर समिति की बैठकों की संख्या	—	1
स्थानीय कर्मचारी परिषदों की बैठकों की संख्या	47	35

थुम्बा ईक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन से सेन्टोर राकेट का छोड़ा जाना

6949. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमध्यरेखा पर मध्य वायुमण्डल क्षेत्र के रसायन का अध्ययन करने के लिए थुम्बा ईक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन से हाल ही में एक सेन्टोर राकेट छोड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रगति के बारे में ब्यौरे क्या हैं और प्रतिदिन आंकड़ों की दृष्टि से यह कहां तक उपयोगी होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चुम्बकीय भूमध्यरेखा पर मध्य वायुमण्डल क्षेत्र अर्थात् लगभग 10 से 100 किलोमीटर के बीच—ऊंचाई सहित वायुमण्डलीय विद्युत क्षेत्र की विभिन्नताओं के मापन के लिए यह राकेट उपकरणों को ले गया था। ऐसे मापनों से वायुमण्डल के रसायन को समझने में सहायता मिलेगी।

सूरज कुंड, हरियाणा में बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय का आदेश

6950. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में सूरज कुंड काम्पलैक्स के लिए पत्थर की खदान

से बंधुआ मजदूरों को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 मार्च, 1982 के अन्तरिम आदेश के द्वारा उनकी दासता से मुक्त किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मुक्त किए गए इन बन्धुआ मजदूरों को उनके नियोजकों द्वारा धमकी दी गई तथा परेशान किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या मुक्त किए गए मजदूरों को अपने-अपने राज्यों में वापस लौटने के लिए पुलिस का संरक्षण दिया गया और क्या उनके पुनर्वास का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV के पदों पर काम करने वाले तदर्थ फीडर पदधारी

6951. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा बोर्ड ने हाल में निर्णय किया था कि इन सेवाओं की श्रेणी I में की गई तदर्थ सेवा की अवधि के आधार पर भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में विनियमित किए जाने के पात्र व्यक्तियों की दो सूचियां तैयार की जायें जिनमें से एक सूची ऐसे लोगों की हो जो पांच वर्ष तथा अधिक अवधि की सेवा पूरी कर चुके हैं और दूसरी ऐसे लोगों की हो जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरे क्या हैं और बोर्ड ने भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड पदों पर तदर्थ आधार पर फीडर पदधारियों को विनियमित करने के लिए विच्छेद की किस तारीख की सिफारिश की थी; और

(ग) इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा बोर्डों ने यह सिफारिश की थी कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न वेतनमानों में काम कर रहे पात्र अधिकारियों की भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु एकीकृत सूचियां तैयार करने में, फीडर पदधारियों को, जो ग्रेड—IV पदों पर 5 वर्षों अथवा इससे अधिक अवधि से तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे, एक समूह में रखा जाएगा और शेष पदधारियों को दूसरे समूह में रखा जाएगा ।

इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया था, परन्तु आयोग बोर्डों के सुझाव से सहमत नहीं हुआ क्योंकि वरिष्ठता, अर्हक सेवा आदि के प्रयोजनों के लिए तदर्थ सेवा को कोई महत्व (वेटेज) नहीं दिया जा सकता है ।

बदरपुर में कागज मिल के बारे में प्रगति

6952. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हिन्दुस्तान पेपर मिल लिमिटेड द्वारा बदरपुर में बनाई जा रही कछार कागज मिल का दौरा किया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष कार्य की प्रगति समय-सूची से बहुत पीछे है;

(ग) उसे तेज करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि वहां पर रोजगार में कदाचारों के कारण स्थानीय युवकों में रोष उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) परियोजना की प्रगति की भलीभांति मानिटरिंग की जा रही है और परियोजना के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कार्यवाही की गई है।

(घ) निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार विज्ञापन द्वारा अथवा स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से, भर्ती की जा रही है। चयन समितियों में राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि हैं, और अन्य बातें समान रहने पर स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार में वरीयता दी जाती है।

जिला नालन्दा को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाना

6953. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुछ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को चुना है और यदि हां, तो बिहार में ऐसे जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या बिहार में जिला नालन्दा को भी इस चयन सूची में रखा गया है और यदि हां, तो इस जिले के औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जानी है; और

(ग) क्या औद्योगिक संस्थान की स्थापना करने के अतिरिक्त सरकार का विचार इसके विकास के लिए कोई अन्य उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) बिहार में औद्योगिक दृष्टि से निम्नलिखित जिले अखिल भारतीय ऋणदायी संस्थानों के रियायती वित्त की पात्रता के लिए हैं : भागलपुर, चम्पारन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पालामऊ, पूर्णिया, नालन्दा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगूसराय तथा मुंगेर।

रेखांकित जिले केन्द्रीय निवेश राजसहायता के भी पात्र हैं।

इसके अलावा, हाल ही में केन्द्र सरकार ने औद्योगिकीकरण योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने के लिए बड़े या मझोले उद्योग रहित जिलों का पता लगाया है। नालन्दा जिला इस सूची में शामिल है और सम्बन्धित आर्थिक मंत्रालयों तथा राज्य सरकार से यह अनुरोध किया

गया है कि वे ऐसी दिशाओं का पता लगाएं जिनसे जिले के औद्योगिकीकरण में सहायता मिल सके ।

(ग) नालन्दा जिले के औद्योगिक विकास के लिए, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और सुविधाओं के अलावा, केन्द्र सरकार रियायती वित्त, कर सम्बन्धी रियायतें, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज, राज सहायता, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं, जिला उद्योग केन्द्र तथा मूल/सीमान्त धनराशि सहायता जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

तमिलनाडु में साम्प्रदायिक दंगों से दुष्प्रभावित हरिजन

6954. **श्री थाभाई एम० करुणानिधि :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो कलैन्डर वर्षों में तमिलनाडु में कितने हरिजन साम्प्रदायिक दंगों से दुष्प्रभावित हुए;

(ख) अलग-अलग कितने हरिजनों को जान तथा माल की हानि हुई और कितने आहत हुए तथा कितनी हानि हुई;

(ग) सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई; और

(घ) पीड़ित व्यक्तियों को यदि कोई मुआवजा दिया गया तो क्या और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) तक अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों में संसाधनों की कमी

6955. **श्री अनन्तरामुलु मल्लु :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जुटाये गये कुछ संसाधन आवश्यकता पूरी करने में कम पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है और कितनी कमी पाई गई है और किस कारण से;

(ग) क्या संसाधनों की कमी के कारण प्रभावित हुई समाज कल्याण योजनाओं के बारे में केन्द्र सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय छठी योजना के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा आवश्यक कुल संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में अध्ययन से है। इस प्रकार का अध्ययन अभी किया जाना है ।

(ग) अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार यह सम्भावना है कि केन्द्र और राज्यों की योजनाओं को मिलाकर उनके अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं पर छठी योजना के पहले दो वर्ष में व्यय अनुमोदित योजना आवंटनों से अधिक होगा ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सीमेन्ट के रुग्ण एकक

6956. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंशिक नियन्त्रण हटाने की नई नीति के अधीन सीमेंट के रुग्ण एककों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड का ब्यौरा क्या है:

(ख) उन सीमेंट एककों के नाम क्या है जिनको पिछले तीन वर्षों से निरन्तर नकद हानि हो रही है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में उनका वार्षिक उत्पादन क्या था;

(घ) सांविधिक एवं अन्य देयताओं के संदर्भ में उनकी बकाया राशियां क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने उन एककों के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) लेवी सीमेंट कोटा नियम करने के प्रयोजन से सीमेंट एककों के "रुग्ण" घोषित करने का मापदण्ड इस प्रकार है :

(एक) लगातार तीन वर्षों तक नकद हानियों का होना अथवा शुद्ध आय का निरन्तर क्षरण जो 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो :

अथवा

(दो) सीमेंट विनियमन लेखे की देयताओं को छोड़कर 1 से 3 वर्षों की अवधि के लिए कानूनी देयताओं सम्बन्धी बकाया रकम ।

(ख) से (ङ) कुछ सीमेंट कारखानों ने अनुरोध किया है कि उन्हें उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार रुग्ण के रूप में मान्यता प्रदान की जाये । ऐसे सीमेंट कारखानों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे संवीक्षाधीन हैं । इस प्रकार इस स्तर पर अपेक्षित जानकारी देना कठिन है ।

बिहार में विभिन्न एककों तथा फांउड्रियों को कच्चे लोहे की सप्लाई करने में बोकारो इस्पात संयंत्र की असमर्थता

6957. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :**
प्रो० अजित कुमार मेहता

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र बिहार राज्य में उन विभिन्न एककों अथवा फाउंड्रियों को, जो 200 मीटरी टन से 300 मीटरी टन मासिक कच्चे लोहे की सप्लाई के लिए संयंत्र के पास दर्ज हैं, कच्चे लोहे की सप्लाई करने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र पिछले एक वर्ष से कच्चे लोहे के उत्पादन के स्तर को बढ़ा रहा है:

(ग) संयंत्र में कुल मासिक उत्पादन के तथ्य क्या हैं, बिहार के उन एककों की संख्या एवं नाम क्या हैं जिन्होंने कच्चे लोहे की सप्लाई के लिए संयंत्र में नाम दर्ज करा रखा है, बिहार में वे कहां स्थित हैं; और

(घ) ऐसे एककों अथवा फाउंड्रियों को मासिक आधार पर सप्लाई सुनिश्चित करने तथा माल देने में विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) कच्चे लोहे की आपूर्ति संयुक्त संयंत्र समिति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है। इन सिद्धान्तों में यह व्यवस्था नहीं है कि किसी विशेष कारखाने द्वारा किसी विशेष राज्य को ही कच्चा लोहा सप्लाई किया जाएगा। रक्षा, डाक तथा तार, रेलवे, लघु उद्योग निगम आदि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों की आवश्यकताएं संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा किए गए सीधे आवंटनों द्वारा पूरी की जाती हैं। अप्रैल से फरवरी, 1982 की अवधि में बिहार की सब श्रेणियों की इकाइयों को 25,300 टन कच्चे लोहे की सप्लाई की गई थी।

बोकारो इस्पात कारखाने में कच्चे लोहे का उत्पादन इस प्रकार रहा है :

(हजार टन)

महीना	उत्पादन
अप्रैल, 1981	46.7
मई, 1981	36.7
जून, 1981	27.0
जुलाई, 1981	21.7
अगस्त, 1981	29.3
सितम्बर, 1981	47.4
अक्टूबर, 1981	60.3
नवम्बर, 1981	39.3
दिसम्बर, 1981	32.5
जनवरी, 1982	41.2
फरवरी, 1982	33.5
मार्च, 1982	44.5
कुल	460.1

(घ) समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कच्चे लोहे का पर्याप्त मात्रा में आयात करने के प्रबन्ध किए गए हैं।

बिहार में सुरंगी जलाशय

6958. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के लिए सुरंगी जलाशय योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम में सुवर्ण रेखा बेसिन में सुरंगी नाले पर एक बांध और उसके साथ इस नदी के दोनों किनारों से दो नहर तंत्रों के निर्माण की परिकल्पना है जिससे सिंहभूम और रांची जिलों में 1529 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। अनुमानित लागत 214.85 लाख रु० है।

गुजरात में हरिजनों तथा आदिवासियों के कल्याण के लिए आवंटन

6959. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान हरिजनों तथा आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग-अलग कितनी राशि मंजूर की गई;

(ख) मंजूर की गई राशि में से कितनी राशि उपयोग में लाई गई है और उपरोक्त अवधि में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात राज्य के लिए 1982-83 वर्ष में हरिजनों तथा आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या व्यवस्था की गई है और क्या योजनायें तैयार की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजनाएं और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाएं तैयार की हैं।

वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान विशेष कम्पोनेंट योजनाओं और जन जातीय उप-योजनाओं में पाए गए राज्य योजना परिव्यय, और उक्त अवधि के दौरान प्रयोग की गई कुल राशि के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। विवरण में 1982-83 के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजाति उप-योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय परिव्यय भी दिये गये हैं। इन परिव्ययों में सम्बन्धित योजना दस्तावेजों के किसी तदनन्तर संशोधन के कारण अन्तर हो सकता है।

विवरण

गुजरात में विशेष कम्पोनेन्ट योजनाओं और जनजातीय उप योजनाओं के वर्ष-वार परिव्यय और खर्च

क्षेत्र	हरिजन						
	1979-80		1980-81		1981-82		1982-83
	अनुमोदित परिव्यय (रुपये लाखों में)	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संभावित व्यय	प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	220.05	44.99	731.25	269.55	411.82	534.52	605.00
क्षेत्र	आदिवासी						
	1979-80		1980-81		1981-82		1982-83
	अनुमोदित परिव्यय (रुपये लाख में)	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संभावित व्यय	प्रस्तावित परिव्यय
	9	10	11	12	13	14	15
कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	1647.95	1647.95	2107.41	1845.48	2573.88	2642.43	2711.47

1	2	3	4	5	6	7	8
सहकारिता	0.50	0.41	59.28	69.64	60.63	60.63	78.50
सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत	115.00	—	400.00	294.36	400.00	250.00	250.00
उद्योग और खनिज	182.00	139.18	252.00	156.82	252.00	252.00	249.00
परिवहन और संचार	—	—	2.00	5.07	10.00	10.00	12.00
सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	388.66	321.85	937.86	556.49	1046.64	1046.82	1054.80
	9	10	11	12	13	14	15
सहकारिता	26.04	26.04	209.00	71.01	210.56	210.56	743.00
सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत	911.31	911.31	939.00	981.57	1347.50	1359.50	1430.00
उद्योग और खनिज	140.96	140.96	242.00	173.15	412.00	416.98	416.00
परिवहन और संचार	413.18	413.18	976.00	927.73	1000.00	1000.00	1100.00
सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	697.27	697.27	1006.32	782.36	1553.00	1592.11	1946.00

1	2	3	4	5	6	7	8
आर्थिक सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—
विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन	—	—	—	—	324.92	324.92	360.00
आणविक बजट	—	—	—	—	—	—	—
कुल जोड़ :	906.21	506.43	2382.39	1351.93	2506.01	2478.89	2609.40

	9	10	11	12	13	14	15
आर्थिक सेवाएं	25.44	25.44	25.00	29.66	27.00	26.65	27.00
विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन	—	—	—	—	500.00	500.00	600.00
आणविक बजट	190.00	190.00	210.00	215.12	263.00	263.00	293.00
कुल जोड़ :	4052.15	4052.15	5714.73	5026.08	7886.94	8011.23	9266.47

और अधिक सीमेन्ट संयंत्रों का निर्माण

6960. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत निकट भविष्य में और अधिक सीमेंट संयंत्रों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान भारतीय सीमेंट निगम लि० द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं/योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

(क) विद्यमान संयंत्रों का विस्तार/आधुनिकीकरण :

(1) मन्धार (म० प्र०) संयंत्र का विस्तार

(2) नीमच (म० प्र०) संयंत्र का विस्तार

(3) येरागुन्तला (अ० प्र०) संयंत्र का विस्तार

(4) कुरकुन्ता (कर्नाटक) संयंत्र का विस्तार

(5) राजबन (हिमाचल प्रदेश) संयंत्र का विस्तार

(6) नीमच (म० प्र०), अकलतारा (म० प्र०) और येरागुन्तला में प्रीकैलसीनेशन की आंशिक शुरुआत

(ख) नई परियोजनाएं :

(1) आदिलाबाद (अ० प्र०)

(2) तंदूर (अ० प्र०)

(3) मधुकुण्डा (पश्चिम बंगाल)

(4) चोपान (उ० प्र०)

सीमेन्ट उद्योग द्वारा एपैक्स मोनीटियरिंग कमेटी का गठन

6961. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग की नयी सीमेंट नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक शक्तिशाली एपेक्स मोनीटियरिंग कमेटी का गठन किया है और इसके विचार से नई सीमेंट नीति वर्ष 1945 से चली आ रही नियन्त्रण प्रणाली को विघटित करने की शुरुआत है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ऐसा भी महसूस करती है कि सीमेंट का उदार आपात दबाव स्तर बनाये रखने तथा नई नीति को संतुलित करने का कार्य करेगी;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सीमेंट मैन्युफक्चर्स एसोसिएशन ने श्री एस० कृष्णस्वामी की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ (एपेक्स) मानिटियरिंग समिति का गठन किया है जिसकी सहायता क्षेत्रीय समितियां करती हैं। शीर्षस्थ समिति तो दूर-दराज के और कमी वाले क्षेत्रों को सीमेंट की आपूर्ति की मानीटियरिंग करेगी और क्षेत्रीय समिति सम्बन्धित क्षेत्र में अन्तिम उपभोक्ता से वसूल किये जाने वाले फुटकर मूल्य का निर्धारण करेगी। ये समितियां स्टाकिस्टों और व्यापारियों को दिये जाने वाले लाभ भी निर्धारित करेंगी।

(ग) कम समय में ही सीमेंट की कमी को अंशतः पूरा करने और जो लोग लेवी कोटे से सीमेंट प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा नामित सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों को वास्तविक उपयोक्ता के लेखे में सीमेंट आयात करने की अनुमति मुक्त रूप से दी जाएगी।

खेतिहर मजदूरों का शोषण

6962. **श्री के० प्रधानी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ राज्यों में खेतिहर मजदूरों को नशे में रखकर उनसे ज्यादा काम लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं;

(ग) उनके मंत्रालय को ऐसे राज्यों से पिछले दो सालों के दौरान कुल कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) सरकार ने ऐसी प्रथाओं को बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में इस मंत्रालय में कहीं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र में एकक

6963. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के नाम क्या हैं और उनमें अध्यक्ष प्रचार कर्मचारियों के एककवार तथा श्रेणीवार नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन एककों द्वारा एककवार प्रचार हेतु खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इन्होंने कौन-कौन से दैनिक समाचार पत्रों और सामयिक पत्रिकाओं को विज्ञापन दिये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन एककों द्वारा एककवार दी गई प्रेस विज्ञप्तियों का ब्यौरा क्या है तथा इन एककों द्वारा एककवार केन्द्रीय सरकार के कौन-कौन-से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को ये भेजी गई हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

ग्राम शिल्प की स्थापना

6964. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग की एक अलग इकाई के रूप में ग्राम शिल्प की स्थापना करने के क्या कारण हैं जबकि पहले से ही नई दिल्ली में खादी ग्रामोद्योग भवन है और उसको खादी ग्रामोद्योग भवन की एक शाखा के तौर पर स्थापित क्यों नहीं किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) ग्राम-शिल्प की स्थापना मुख्य रूप से दिल्ली में ग्रामोद्योग के उत्पादों के लिये प्राथमिक निगम मांग के रूप में की गई है, यद्यपि, खादी ग्रामोद्योग में ग्राहकों की भारी संख्या होने से उसे खादी बेचने के लिए भी प्रोत्साहन मिला है। खादी ग्रामोद्योग भवन तथा ग्रामशिल्प के बीच एक प्रतियोगिता का विद्यमान होना वांछनीय है। ग्रामशिल्प को खादी ग्रामोद्योग भवन, जिसकी बिक्री में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, की एक शाखा बना देने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। दूसरी ओर विलय कर देने से विभिन्न प्रबन्धकीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी।

खादी, गोबर गैस संयंत्रों और मधुमक्खी पालन का प्रचार

6965. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में खादी, गोबर गैस संयंत्रों और मधुमक्खी पालन का प्रचार करने के बारे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का क्या कार्यक्रम है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि मंजूर की गयी है अथवा करने का विचार है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) खादी, गोबर गैस और मधुमक्खी पालन के बारे में उत्पादन का लक्ष्य, रोजगार और 1982-83 के लिए प्रस्तावित बजट का नियतन निम्नलिखित है :

विषय	उत्पादन (करोड़ रुपयों में)	रोजगार (व्यक्ति लाखों में)	बजट अनुदान	आवंटन ऋण
खादी	148.00	13.35	24.40	20.0
गोबर गैस	31.42	तत्काल उपलब्ध नहीं	3.50	0.50
मधुमक्खी पालन	9.30	1.86	0.30	0.40

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मजदूरों को मजदूरी के तौर पर केसरी दाल देना

6966. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग में खेतिहर मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान केवल केसरी दाल, जो होठों के क्रीपिंग पेरेलेसिस का कारण होती है, में किया जाता है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क), (ख) और (ग) : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नवीनतम अधिसूचना के अनुसार उक्त राज्य में खेतिहर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दरें नकदी के रूप में देय हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि खेतिहर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान केवल या अधिकांशत: केसरी दाल के रूप में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कृषि में नियोजित कर्मचारियों को नकदी के रूप में या जहां कर्मचारी सहमत हों, जिन्स के रूप में या अंशत: नकदी के रूप में तथा अंशत: जिन्स के रूप में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। तथापि राज्य सरकार के पास खेतिहर श्रमिकों को जबरी रूप से जिन्स के रूप में मजदूरी का भुगतान या केवल केसरी दाल के रूप में मजदूरी का भुगतान किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले की शीघ्र जांच करें और केसरी दाल के प्रयोग के कारण पेरेलेसिस रोग फैलने की रोकथाम करने के लिए समुचित कार्यवाही करें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में पुस्तिका का प्रकाशन

6967. **श्री के० बी० एस० मणि** :
श्री आर० आर० भोले :
श्री आर० एन० राकेश :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में सरकारी आदेशों वाली पुस्तिका स्टाक में नहीं है और पिछले तीन सालों से इस बारे में कोई पुस्तिका उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह अन्तिम बार कब प्रकाशित हुई थी और कितनी;

(घ) यह पुस्तिका बिक्री के लिए बाजार में कब आयेगी; और

(ङ) सरकार ने उपर्युक्त पुस्तिका का प्रकाशन करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका के पंचम संस्करण का स्टाक समाप्त हो गया था क्योंकि बिक्री के लिए रखी गई प्रतियां बेची जा चुकी थीं। विवरणिका की 10,000 प्रतियां सन् 1978 में प्रकाशित की गई थी।

(घ) तथा (ङ) : अगले संस्करण की पांडुलिपि, जिसमें पंचम संस्करण के प्रकाशन के बाद जारी किए गए सभी आदेश शामिल किए गए हैं, प्रकाशन नियंत्रक को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई है कि उक्त विवरणिका शीघ्र प्रकाशित की जाए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा विद्युत वेहिकल का विकास

6968. **डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के वेहिकल रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट (वी० आर० डी० ई०) ने एक विद्युत वेहिकल का विकास किया है;

(ख) क्या इस वेहिकल की परीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस वेहिकल का विशिष्ट विवरण क्षमता, रोड के लिए सार्थकता और आर्थिक पहलू का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस वेहिकल के वाणिज्यिक उत्पादन के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बी० एच० ई० एल० में कोई वी० आर० डी० ई० संगठन नहीं है। किन्तु बी० एच० ई० एल० ने अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रोटोटाइप बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिकल वेहिकल का विकास किया है। बी० एच० ई० एल० ने रक्षा मंत्रालय के वाहन अनुसन्धान तथा विकास प्रतिष्ठान को उनके द्वारा विकसित किए जा रहे आधा मी० टन भार की 3 गाड़ियों के लिए एक चीपर कन्ट्रोल यूनिट का विकास और सम्भरण भी किया है।

(ख) बैटरी से चलने वाली विद्युत गाड़ियों का प्रति चार्ज कार्य संचालन रेंज, अधिकतर गति और ऊर्जा के खपत की दर के सम्बन्ध में व्यापक रूप से परीक्षण किया गया है।

(ग) इन गाड़ियों की क्षमता 12 यात्रियों तथा चालक को ले जाने की है। पहली आद्यरूप गाड़ी पिछले दो वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। जब वाणिज्यिक उत्पादन किया जायेगा तभी आर्थिक पहलू सुसंगत होगा।

(घ) तथा (ङ) जी, नहीं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के उच्च इक्जीक्यूटिव द्वारा निजी फर्म को गारन्टी देना

6669. **श्री रुद्र प्रताप सारंगी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के उच्च इक्जीक्यूटिव ने स्टेट बैंक आफ इंडिया, राउरकेला की इन्डस्ट्रियल इस्टेट ब्रांच में एक निजी फर्म मैसर्स इंडिया इंजीनियरिंग एण्ड फाऊन्ड्री वर्क्स के गारन्टी देने वाले के बतौर हस्ताक्षर किए थे; और

(ख) यदि हां. तो उसने अपनी गारन्टी कब वापस ली ?

उद्योग और इस्पात तथा खान मंत्रालयों में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हां राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्ध निदेशक डा० एस० एस० दातार ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से मैसर्स इंडिया इंजीनियरिंग एण्ड फाऊंड्री वर्क्स, राउरकेला के लिए बैंक गारन्टी दी थी। यह फर्म उनके भाई श्री ए० एस० दातार द्वारा चलाई जा रही है। डा० दातार अब भी इस फर्म के गारंटर हैं।

"टीरचर्ड फार नाट ब्राईविंग पुलिस" शीर्षक से समाचार

6970. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री त्रिलोक चन्द :
श्री छोटे सिंह यादव :
श्री अमर राय प्रधान :
प्रो० मधु दण्डवते :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में "टीरचर्ड फार नाट ब्राईविंग पुलिस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 17 फरवरी, 1982 को सायं को एक व्यक्ति मदनलाल और ढाबे के मालिक रामलाल के बीच मदनलाल द्वारा खाई गई चपातियों के लिए 75 पैसे की अदायगी पर झगड़ा हुआ था। इसके परिणामस्वरूप रामलाल के नौकर एक व्यक्ति शत्रुघ्न द्वारा सिविल लाइन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जब मदनलाल से चपातियों के पैसे मांगे गये तो मदनलाल ने उसे और ढाबे के मालिक को पीटा। इस रिपोर्ट को थानेदार द्वारा आगे कार्रवाई के लिए एक उप-निरीक्षक को दे दिया गया।

उसी सायं को पुलिस नियन्त्रण कक्ष को मजनूं के टीले के दो निवासियों के बीच झगड़े की सूचना मिली। पुलिस नियंत्रण कक्ष ने इस सूचना को सिविल लाइन थाने को भेज दिया और एक उप-निरीक्षक एच० पी० सिंह कुछ सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर गये और अन्य व्यक्तियों के साथ मदनलाल को थाने में ले आये तथा उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार मदनलाल को डाक्टरी जांच के लिए ले जाया गया, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उसकी 18-2-1982 को 12.30 बजे (पूर्वाह्न) पुलिस अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई।

19-2-1982 को पुलिस आयुक्त को यह शिकायत की गई थी कि सिविल लाइन थाने के कुछ अधिकारियों द्वारा मदनलाल को निर्दयतापूर्वक पीटा गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति ओमप्रकाश, जिसको मदनलाल के साथ थाने में ले जाया गया था, को रिहा करवाने के लिये पुलिस को 450 रुपए दिए गए थे। उसी तारीख को तत्काल जांच करने का आदेश दिया गया था और मदनलाल को उपचार के लिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भेजा गया था।

(ग) दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा जांच की गई थी। जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शस्त्र अधिनियम के अधीन मदनलाल के खिलाफ दर्ज किया गया मामला प्रथमदृष्ट्या झूठा मालूम होता है। जांच से यह भी मालूम हुआ कि मदनलाल को यातना दी गई थी। परन्तु ओम-प्रकाश की रिहाई के लिये 450 रुपए देने का आरोप साबित नहीं हुआ।

उप-निरीक्षक एच० पी० सिंह को मुअत्तल कर दिया गया है। इस मामले में अन्तर्ग्रस्त तीन कांस्टेबलों को पुलिस लाइन उत्तरी जिला में स्थानान्तरित कर दिया गया है। पुलिस के इन सभी चार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया है। थानेदार को जिले से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मैसर्स तोबु इन्टर प्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि नियमों का उल्लंघन

6971. **श्री आर० एन० राकेश : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स तोबू इन्टर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि नियमों का उल्लंघन कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों को इस प्रतिष्ठान द्वारा की गई निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला है :

(i) भविष्य निधि धन राशियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश नहीं किया जा रहा है;

(ii) अस्थाई कर्मचारियों को निधि का सदस्य बनने के लिए पात्रता की निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने से पहले उनकी सेवाओं को समाप्त करके लाभों से वंचित किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठान ऐसे कर्मचारियों के बारे में सेवा रिकार्ड भी नहीं रख रहा है; और

(iii) ठेकेदारों के अधीन कर्मचारियों को निधि का सदस्य नहीं बनाया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध इसके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

हलपाटी सेवा संघ बारडोली विहार द्वारा अनुदान का दुरुपयोग करना

6972. **श्री छीतू भाई गामिनत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1978 से 1980 के दौरान अनुदान दिया और प्रत्येक संगठन को कितना अनुदान किस वास्ते दिया ;

(ख) जून 1980 तक हलपाटी सेवा संघ बारडोली को मिले अनुदान में से उसने कितनी धनराशि का उपयोग किया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयोग द्वारा दी गई अनुदान राशि के एक बड़े भाग का दुरुपयोग करने के बारे में एक शिकायत मिली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या मामले में दंडित कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग गुजरात में अपने कार्यक्रमों को गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा बहुत थोड़े रूप में राधापुर स्थित अपने क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है। राज्य में 127 पंजीकृत संस्थाएं तथा 853 सहकारी समितियां हैं तथा उनके नाम तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। आयोग द्वारा इन एककों को सहायता राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से दी जाती है तथा विगत तीन वर्षों में राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान के रूप में दी गई राशि निम्नलिखित है :

(लाख रुपयों में)

	खादी	ग्रामोद्योग
1978-79	91.70	20.69
1979-80	118.16	29.34
1980-81	95.36	48.57

और ये अनुदान खादी पर बिक्री छूट की अदायगी तथा पूंजी प्रबन्ध के उद्देश्य हेतु दिए जाते हैं। अनुदान उद्योगवार, कार्यवार तथा उद्देश्यवार अलग-अलग होता है।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हलपाटी सेवा संघ, बारदोली को कोई भी सीधी सहायता नहीं दी है। हलपाटी सेवा संघ बारदोली को अनुदान के रूप में दी जाने वाली सहायता के रूप में राज्य के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को 4,84,000.00 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इस बारे में सरकारी तोर से कोई भी शिकायत प्रात नहीं हुई ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदों को न भरने के बारे में शिकायतें

6973. **श्री रामलाल राही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा अनुभाग 2 के विरुद्ध उनके लिए आरक्षित कोटे को न भरे जाने के बारे में मिली शिकायतों को वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) इस मंत्रालय ने अब तक संसद के दोनों सदनों के पटल पर वर्ष 1978-79 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों सम्बन्धी आयोग की प्रथम रिपोर्ट रखी है। इस रिपोर्ट में ऐसी कोई शिकायतें शामिल नहीं की गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"फ्लाई ओवर टु दि फ्लैश मार्केट" शीर्षक से लेख

6974. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्च 1982 के "प्रोल" में प्रकाशित "फ्लाई ओवर टु दि फ्लैश मार्केट" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें दिल्ली में गेस्ट हाउस और लाजेज बहुत अधिक संख्या में बनने, जी० बी० रोड, दिल्ली के रेड लाइन एरिया की सजावट तथा वहां ऐशियाई खेलों इत्यादि के लिए नये चेहरों की भर्ती की बात पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस स्थिति से अवगत है और महिलाओं में अनैतिक व्यापार रोकने सम्बन्धी अधिनियम समेत कानून को लागू करने के लिए सतर्क है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना डिस्पेन्सरियों/अस्पतालों के विरुद्ध शिकायतों को दूर करना

6975. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कार्यरत अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों के कार्यकरण विरुद्ध कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं;

(ख) ऐसी शिकायतों की जांच निपटाने के लिए क्षेत्रीय समितियां कब नियुक्त की गई थीं और इन समितियों के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नामांकित कब किया गया था;

(ग) क्षेत्रीय समितियों को वर्ष 1981 में कितनी शिकायतें मिलीं और उन शिकायतों को किस प्रकार निपटाया गया; और

(घ) केन्द्रीय समिति ने गंभीर किस्म की शिकायतों को निपटाने के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं और ऐसी शिकायतों को निपटाने में कितना समय लगता है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) योजना के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर सामान्य प्रशासनिक माध्यम द्वारा विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामान्य उद्देश्य समिति और क्षेत्रीय समितियां बीमाशुदा व्यक्तियों की तकलीफों, शिकायतों और कठिनाइयों की जांच करती है।

(ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बांगला देश से आने वाले लोग

6976. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में बांगलादेश के कितने लोगों ने वर्षवार भारतीय सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया;

(ख) उनमें से कितने लोगों को वापिस भेजा गया;

(ग) क्या सरकार ने बांगलादेशी लोगों के भारत आने के कारणों का पता लगाया; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात को बांगलादेश सरकार से स्पष्ट तौर पर कह दिया है। यदि हां, तो बांगलादेश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

लीबिया से भारतीय मजदूरों का निष्कासन

6977. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लीबिया सरकार ने पिछले कुछ सप्ताहों में 200 भारतीयों को, जिनके पास काम करने के अनुबन्ध और पासपोर्ट तथा वीसा थे, वापस भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सरकार से इस मामले में पूछताछ की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) हमें ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, लीबिया में स्थित भारतीय दूतावास से जांच करने पर पता चला है कि उन्हें मालूम हुआ है कि कुछ भारतीयों को वापस भेजा गया था ।

(ख) और (ग) भारतीय दूतावास ने 8 मार्च, 1982 को "लीबियन फारेन लाइजन ब्यूरो" से इसके ब्यौरों के बारे में पूछा है । लीबिया की सरकार से अभी तक कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, हमारे दूतावास को अनौपचारिक रूप से बताया गया है कि कुछ श्रमिकों को वापस भेजने के सम्बन्ध में, लीबिया सरकार द्वारा की गई कार्यवाही 25 फरवरी, 1982 से उनके द्वारा लागू किए गए नवीनतम "वीजा" विनियमों के अनुसार थी । इसके अतिरिक्त, कुछ हवाई जहाज कम्पनियों को उन श्रमिकों को वापस ले जाने को कहा गया था जो उन्हें पहले दी गई हिदायतों के उल्लंघन में वहां लाए थे ।

निर्यात और देश के लिए उत्पादन करने वाले रुग्ण एकक

6978. **श्री भीखाभाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रुग्ण एकक हमारे देश के लिए सामान का उत्पादन करते हैं; और

(ख) इनमें से कितने एकक निर्यात के लिए सामान तैयार करते हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा एकत्रित किये गए आंकड़ों के अनुसार तथा उसके द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार दिसम्बर, 1980 के अन्त तक 24,550 औद्योगिक एककों के रुग्ण होने का पता चला था । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया रुग्ण एककों के उत्पादों के भेजे जाने के स्थान के बारे में सूचना एकत्र नहीं कर रहा है ।

सीमेंट का राज्यवार उत्पादन और वितरण

6979. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार सीमेंट का उत्पादन और वितरण खपत कितना है और पिछले तीन सालों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या खुली बिक्री के लिए सीमेंट पृथक रूप से रखने का विचार है; जिसे धनी राज्य ही खपा सकेंगे; और

(ग) क्या बिहार सरकार ने सीमेंट की खुली बिक्री का विरोध किया है; यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जनवरी और फरवरी, 1982 के महीनों के सीमेंट के उत्पादन और प्रेषणों तथा वर्ष 1979, 1980 और 1981 के सीमेंट के उत्पादन तथा प्रेषणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) गैर लेवी सीमेंट पर कोई वितरण तथा मूल्य नियन्त्रण नहीं है ।

(ग) बिहार सरकार ने धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ संस्थानों जैसे कुछ संस्थानों को देने के लिए लेवी सीमेंट का आवंटन करने का अनुरोध किया है । सरकार की नीति में समाजोन्मुख योजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले आवंटन की पहले से ही अनुमति दे दी गई है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ-शासित प्रदेश	उत्पादन हजार मी० टन				प्रेषण हजार मी० टन			
		79	80	81	82 (जन० और फर०)	79	80	81	82 (जन०और फर०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1990	2077	2708	490	1858	1859	1875	222
2.	असम	152	129	197	32	283	323	356	22
3.	बिहार	1287	1289	1520	253	1033	1110	1287	144
4.	गुजरात	1947	1807	1739	325	1666	1669	1776	268
5.	हरियाणा	511	385	458	56	722	588	733	52
6.	हिमाचल प्रदेश	20	114	181	32	127	108	135	16
7.	जम्मू और काश्मीर	8	7	7	6	228	218	251	13
8.	कर्नाटक	1538	1484	1625	215	1163	1104	1126	144
9.	केरल	37	38	40	6	877	1058	1037	135
10.	मध्य प्रदेश	3469	3397	4100	662	1133	1059	1357	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	मेघालय	56	61	93	18	47	55	72	8
12.	महाराष्ट्र	410	551	630	127	2213	2368	2506	306
13.	उड़ीसा	851	811	836	141	462	450	536	57
14.	राजस्थान	1896	1642	2305	186	723	617	712	43
15.	तमिलनाडु	3221	3276	3458	641	1590	1713	1771	254
16.	उत्तर प्रदेश	459	485	650	119	2083	1785	2186	296
17.		384	349	365	51	1377	1367	1414	215
18.	पंजाब	—	—	—	—	872	736	1025	85
19.	मणिपुर	—	—	—	—	43	34	63	6
20.	नागालैंड	—	—	—	—	45	48	57	6
21.	त्रिपुरा	—	—	—	—	28	22	43	4
22.	मिजोरम	—	—	—	—	9	17	17	0.3
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	31	23	19	4
24.	सिक्किम	—	—	—	—	25	34	31	8
25.	दिल्ली	—	—	—	—	702	767	1067	63
26.	चंडीगढ़	—	—	—	—	89	100	107	63
27.	गोवा, दमन तथा द्वीव	—	—	—	—	85	125	114	11
28.	पांडिचेरी	—	—	—	—	37	48	37	133
29.	दादरा तथा नागर हवेली	—	—	—	—	9	8	8	0.7
30.	अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	12	23	114	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	3	2	2	—

अनुबन्ध-1

परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने के पात्र राज्यों/संघशासित प्रदेशों के क्षेत्रों की सूची ।

1. जम्मू एवं कश्मीर ।

2. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र जिसमें आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा एवं संघ-शासित अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

3. हिमाचल प्रदेश।

4. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र जिनमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जिले शामिल हैं।

5. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह।

6. लक्षद्वीप।

7. सिक्किम।

अनुबन्ध-2

रियायती वित्त हेतु पात्र बनाने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों का पता लगाने सम्बन्धी प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में अपनाए जाने वाले राज्य तथा संघ-शासित प्रदेशों को सिफारिश किए गए मापदण्ड :

1. प्रति व्यक्ति खाद्यान्न / वाणिज्यिक फसल का उत्पादन जो जिला प्रधानतः खाद्यान्नों / नकद फसलों का उत्पादक है।

(अन्य जिलों से तुलना के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित आधार पर खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के बीच परिवर्तन दरें निश्चित की जा सकती हैं।)

2. जनसंख्या में खेतिहर मजदूरों का अनुपात।

3. प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन।

4. प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या में कारखाने के कर्मचारियों की संख्या अथवा इसके विकल्प में प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या में से द्वितीय और वृतीय क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों की संख्या।

5. बिजली की प्रति व्यक्ति खपत।

6. जनसंख्या को देखते हुए समतल सड़कों की लम्बाई अथवा रेल लाइन की मीलों में लम्बाई।

अनुबन्ध-3

मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिले

राज्य का नाम	जिले का नाम	
1. हरियाणा*	1. हिसार	रि० वि० के० नि० रा०

(*) हिसार (हिसार खण्ड सं०-1 के प्रखण्ड, बखाना) बाहुना, हांसी और तोहाना। भिवानी (भिवानी तथा दादरी उप-प्रभाग)।

रि० वि० : रियायती वित्त।

के० नि० रा० : केन्द्रीय निवेश राजसहायता।

	2. भिवानी	रि० वि०	
2. हिमाचल प्रदेश	1. लाहौल तथा स्पिती	रि० वि०	
3. गुजरात	1. बनासकंठा	रि० वि०	
	2. मेहसाना	रि० वि०	
	3. कच्छ	रि० वि०	
4. जम्मू तथा काश्मीर	1. लेह भूतपूर्व	रि० वि०	
	2. कारगिल, लद्दाख	रि० वि०	
5. राजस्थान	1. गंगा नहर	रि० वि०	
	2. बीकानेर		
	3. जैसलमेर	रि० वि०	
	4. बाडमेर	रि० वि०	
	5. नागौर	रि० वि०	के० नि० रा०
	6. चुरू	रि० वि०	के० नि० रा०
	7. झुंझुनू	रि० वि०	
	8. जोधपुर	रि० वि०	के० नि० रा०
	9. सीकर	रि० वि०	
	10. जालौर	रि० वि०	
	11. पाली	रि० वि०	

तमिलनाडु की सेलम इस्पात परियोजना की प्रगति

6980. **श्री एन० डेनिस** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सेलम इस्पात परियोजना का कम से कम समय में इस्पात का उत्पादन करने के लिए हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने शीघ्र उत्पादन आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सेलम इस्पात कारखाना कार्यक्रम के अनुसार 13 सितम्बर, 1981 से चालू हो गया है। वर्ष 1981-82 के दौरान बेदाग इस्पात की चादरों का उत्पादन 3,214 टन हुआ है जबकि 3,180 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रगति संतोषजनक रही है। आशा है अगले तीन महीनों में उत्पादन की गति और भी तेज हो जायेगी।

आई० ए० एस०/आई० पी० एस०/आई० एफ० एस० की परीक्षाओं के पास होने वाले उम्मीदवारों में पब्लिक स्कूल और गैर पब्लिक स्कूल में पढ़े उम्मीदवारों की प्रतिशतता

6981. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को

छोड़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों में से पब्लिक स्कूल में पढ़े और गैर पब्लिक स्कूल में पढ़े उम्मीदवारों की प्रतिशतता का पता लगाने के बारे में कभी अध्ययन किया;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस बारे में अध्ययन कराने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री : (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया है । किन्तु संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के साक्षात्कार के समय कुछ सूचना एकत्रित करता है और इसका पता लगाया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान लीवर के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

6982. **श्री के० ए० राजन** : क्या **श्रम मंत्री** हिन्दुस्तान लीवर के कर्मचारियों को परेशान करने के बारे में 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3461 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त प्रश्न के अनुबन्ध में उल्लेखित लम्बे समय से चले आ रहे विवादों का लाभ उठाकर यह कम्पनी अपनी दिल्ली शाखा के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को परेशान करके तथा उनसे तथाकथित "इस्तीफा" देने को बाध्य करके एवं अलग-अलग लोगों को भिन्न-भिन्न अनुग्रह राशि देकर जिससे कि वे नौकरी छोड़कर चले जाएं, उन्हें बाध्य कर रहे हैं;

(ख) क्या बाजार अनुसंधान विभाग, जो महिला श्रमिकों के रोजगार का एक माध्यम है, ने इस पद्धति को वास्तव में समाप्त कर दिया है;

(ग) क्या इस ढंग से कम्पनी की दिल्ली शाखा को शीघ्र ही बन्द कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो यूनियन के स्थानीय पदाधिकारी को प्रताड़ना देकर अथवा प्रताड़ना दिए बिना कम्पनी की ऐसी अनुचित श्रम प्रथा के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) सूचना दिल्ली प्रशासन से मांगी गई है। इसे यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

गैर-सरकारी क्षेत्रों को अपनी यूनिटों के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु वित्तीय सहायता

6983. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और विकास निधि गैर-सरकारी क्षेत्रों को अपनी यूनिटों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए धन दे रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस्पात विकास निधि ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० को अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु धन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु उक्त गैर-सरकारी उपक्रमों को कुल कितनी राशि का आश्वासन दिया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इस्पात विकास कोष सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों नामत: सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों और टिस्को को विकास के लिए ऋण देता है । ये कारखाने इस कोष में अंशदान देते हैं ।

(ख), (ग) और (घ) टिस्को को अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये का एक ऋण मंजूर किया गया है । इसमें से अब तक 60 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं । इस ऋण पर ब्याज अदायगी की तारीखों को प्रवर्तमान भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की ब्याज की दरों पर लिया जाता है । सेल को 410 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं जिसमें से फरवरी, 1982 तक 326 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं ।

राज्य योजना बोर्डों का कार्यकरण

6984. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की सलाह पर योजना फार्मूलेशनों की जांच करने, इनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने तथा मूल्यांकन करने, जिससे कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य के लोगों के कल्याण में निर्णयात्मक भूमिका निभा सकें, राज्य योजना बोर्डों की स्थापना की गई थी ;

(ख) क्या सरकार इस बात से कि ये बोर्ड संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं ; संतुष्ट है और क्या वे विविध-स्तरीय आयोजन, लोगों की भागीदारिता और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) ऐसे राज्य योजना बोर्डों के नाम क्या हैं जिनकी पिछले चार वर्षों के दौरान एक बार भी बैठक नहीं हुई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जम्मू और काश्मीर, सिक्किम तथा आध्र प्रदेश को छोड़कर और सभी राज्यों ने राज्य योजना बोर्ड स्थापित किए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्यों से सूचना मंगवाई गई है और अभी प्राप्त होनी है ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए निर्धारित किया गया सीमेंट का कोटा

6985. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए सीमेंट का कितना विशेष कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या यह कोटा इन जिलों की आवश्यकता पूरी करने में पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का विचार इस कोटे को बढ़ाकर प्रति तिमाही 75 हजार मीट्रिक टन करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में सीमेंट की आवश्यकता के संबंध में अलग से कोई निर्धारण नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बताया है कि समस्त राज्य की सीमेंट की तिमाही आवश्यकता लगभग 11 लाख मीट्रिक टन है। 1982 की द्वितीय तिमाही में उत्तर प्रदेश के लिए 2.17 लाख मी० टन सीमेंट का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सीमेंट का आवंटन करेगी। तथापि, राज्य सरकार को 1982 की द्वितीय तिमाही में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 26,000 मीट्रिक टन सीमेंट का तदर्थ आधार पर अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात

6887. **श्री एम० एम० ए० खान :**
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमण्डल की विज्ञान सलाहकार समिति ने विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के बारे में एक नई प्रौद्योगिकी नीति का सुझाव दिया है,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन नई योजना की जांच की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) मंत्रिमण्डल की विज्ञान सलाहकार समिति (एस० ए० सी० सी०) प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य पर कार्य कर रही है जिसके अन्तर्गत विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात सम्बन्धी पहलू भी होंगे। सरकार द्वारा इसका परीक्षण किया जाना होगा।

कलपाक्कम में परमाणु विद्युत परियोजना

6988. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलपाक्कम में ही, जैसा कि मूल रूप से योजना बनाई गई थी, एक और परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना करने का प्रस्ताव है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्कूटरों, ट्रक चैसिसों, जीप तथा कारों की यूनिटें

6989. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्कूटर, ट्रक चैसिस, जीप और कार का निर्माण करने वाली प्रतिस्थापनाओं की कुल संख्या क्या है और वे प्रतिवर्ष कितने स्कूटर, ट्रक चैसिस, जीप और कारों का निर्माण करती हैं ;

(ख) उनमें से ऐसी प्रतिस्थापनाओं की संख्या क्या है जो अग्रिम राशि जमा करने के बाद प्रतीक्षा सूची के अनुसार इन वाहनों की सप्लाई करती है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके पास जमा की गई अग्रिम राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ये प्रतिस्थापनाएं इस जमा राशि का अपने व्यापार में निवेश करती हैं, और यदि हां, तो इन जमा राशियों से उनके द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने जमा कर्ताओं को कितने ब्याज का भुगतान किया ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एककों का विस्तृत ब्यौरा जिन्होंने वर्ष 1981 में वास्तविक उत्पादन के बारे में बताया है, इस प्रकार है :

निर्माण की वस्तु	एककों की संख्या	1981 में उत्पादन (जैसा कि निर्माताओं ने बताया है)
(1) स्कूटर	7	1,81,350
(2) ट्रक (मध्यम व भारी)*	4	63,764
(3) जीप जैसी गाड़ियां	2	19,288
(4) यात्री कारें**	4	42,381

(ख) कम्पनी ने बताया है कि गाड़ियों की बिक्री पंजीकरण तैथिक क्रम के अनुसार की जाती है। कुछ कम्पनियों के विक्रेता इच्छुक ग्राहकों से मामूली राशि डिपाजिट के रूप में लेते हैं। फिर भी मे० टैल्को तथा अशोक लेलैंड अपने विक्रेताओं के पास आवेदकों से चैसिस के लिए 6000 रु० नकद जमा कराते हैं। यह प्रक्रिया लगभग नवम्बर, 1980 से आरम्भ की गई थी और मे० टैल्को व लेलैंड द्वारा 28-2-82 को क्रमशः कुल 50 करोड़ रु० व 17 करोड़ रु० इकट्ठे किये थे। मे० महिंद्रा एण्ड महिन्द्रा फरवरी, 1981 से प्रति गाड़ी 3000 रु० से 4000 रु० तक जमा कराते हैं और फर्म द्वारा अब तक इकट्ठा की गई कुल रकम लगभग 6.23 करोड़ रुपये है।

(ग) मे० टैल्को तथा अशोक लेलैंड जमा राशि पर 12% प्रतिवर्ष ब्याज देते हैं जबकि मे• महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा 13½% ब्याज देते हैं। निर्माताओं ने बताया है कि जमा राशि वित्तीय

* मात्र मध्यम और भारी ट्रक व बसों से संबंधित हैं तथा हल्के वाणिज्यिक वाहन शामिल नहीं हैं।

** इसमें वह एक एकक भी शामिल है जो डी० जी० टी० डी० के साथ पंजीकृत है और तीन पहियों वाली कुछ गाड़ियों का उत्पादन किया है।

निवेश करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है बल्कि कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता माल सूची तैयार करने इत्यादि जैसे सामान्य व्यापारिक कार्यों के एक भाग के रूप में इकट्ठा की जाती है।

"यूनेस्को कनसर्न एट ब्रेन ड्रेन" शीर्षक समाचार

6990. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 1982के टाइम्स आफ इंडिया में "यूनेस्को कनसर्न एट ब्रेन ड्रेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के विकसित देशों के वैज्ञानिकों के बीच तनाव के कारण अनेक वैज्ञानिकों को विशेष रूप से औद्योगिक देशों में नौकरी करने को बाध्य होना पड़ रहा है ;

(ग) क्या इस अध्ययन के अनुसार उच्चतम पदों से लोगों के इस प्रकार चले जाने से उस क्षेत्र के देशों में अनुसंधान और विकास संस्थाओं में काम कर रहे वैज्ञानिक नेतृत्व और विशेषज्ञता से वंचित हो जाते हैं, जो उनके लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का काम कर सकते थे ;

(घ) क्या भारत सहित 31 देशों के विज्ञान तथा अर्थमंत्रियों ने 22 मार्च, 1982 को मनीला में हुए कास्टासिया-II सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) विज्ञान तथा अर्थमंत्रियों के सम्मेलन का क्या प्रभाव रहा और यदि हमारी सरकार के बारे में इसके कोई विचार-विमर्श और निर्णय थे, तो वे क्या थे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने 15 मार्च, 1982 को टाइम्स आफ इण्डिया में "यूनेस्को कनसर्न एट ब्रेन ड्रेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर ध्यान दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के कुछ योग्यता प्राप्त व्यक्ति कार्य करने की बेहतर परिस्थितियों, अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अवसरों तथा बेहतर आर्थिक स्थितियों के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए विश्व के विकसित देशों में चले गए हैं। इस तरह उनके विदेशों में चले जाने से कुछ मामलों में प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले अपेक्षाकृत युवा वैज्ञानिकों को नेतृत्व और विशेषज्ञता से वंचित होना पड़ा है। इसे रोकने के लिए, इन सभी पहलुओं से सम्बन्धित स्थिति को सुधारने, चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान करने और वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी की रहने-सहने की तथा कार्य करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए भी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ), (ङ) और (च) विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जिम्मेवार और एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में आर्थिक आयोजन के लिए जिम्मेवार मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन यूनाइटिड नेशन्ज़ इकनामिक एण्ड सोशल काऊंसिल फार एशिया एण्ड पेसेफिक (एस्केप) के सहयोग से यूनेस्को द्वारा 20-30 मार्च, 1982 के दौरान मनिला में आयोजित किया

गया। एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के 31 सदस्य राज्यों से प्रतिनिधि बुलाए गये जबकि भारत सहित 23 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 14 देशों द्वारा मंत्री स्तर पर प्रतिनिधित्व किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व डा० संजीवी राव, उपमंत्री, इलेक्ट्रानिकी द्वारा किया गया। कास्टासिया-II बैठक के प्रति भारत के दृष्टिकोण का निर्णय, इस प्रयोजन के लिए गठित अन्तर-मंत्रालयी राष्ट्रीय सम्पर्क समिति के विचार-विमर्श के फलस्वरूप किया गया। कास्टासिया-II सम्मेलन ने, विकास लिए के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श हेतु एस्केप क्षेत्र के देशों के लिए बहुत उपयोगी मंच प्रदान किया। इस बैठक में, भारत सरकार द्वारा विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल दिया गया। आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजन के एकीकरण के प्रति हमारे दृष्टिकोण को इस सम्मेलन में खूब सराहा गया। विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग (टी० सी० डी० सी०) से सम्बन्धित हमारे कार्यक्रमों और उन अन्य विकासशील देशों, जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो सकती है, को हमारी सहायता के प्रस्ताव को भी सराहा गया। कास्टासिया-II सम्मेलन के परिणामस्वरूप देशों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। टी० सी० डी० सी० पर हमारी नीति पहले ही इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। सम्भव है कि अन्य देशों को सहायता देने के हमारे प्रस्ताव के फलस्वरूप, भारत द्वारा कई अन्य विकासशील देशों से ठोस कार्यक्रम और प्रस्ताव प्राप्त होंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सेवा से निकाले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु विधान बनाया जाना

6991. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसा कानून बनाने का है जिसके अन्तर्गत किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को सेवा से निकाले जाने से पूर्व सभी विभागों द्वारा गृह मंत्रालय की अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजानियों के आरक्षण के उपबन्धों को अक्षरशः क्रियान्वित करने में समर्थ हो सकेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस कानून के कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) कतिपय परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों के सेवा से निकाले जाने से सम्बन्धित नियम, इस संबंध में निर्धारित क्रियाविधि के अनुपालन की शर्त पर, सरकारी कर्मचारियों के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होते हैं। इन नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध भी नहीं है कि गृह मंत्रालय से पूर्व परामर्श किया जाए। तद्नुसार यह संभव नहीं होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई भिन्न क्रियाविधि निर्धारित की जाए।

फरीदाबाद की पत्थर खानों में काम करने वाले श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएं न दिया जाना

6992. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद की पत्थर खानों में काम कर रहे उत्प्रवासी श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, खानों की खुदाई करते समय मृत्यु के मामले में मुआवजा नहीं दिया गया था, उन्हें पेय जल सुविधाओं, न्यूनतम वेतन तथा मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है,

(ख) उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कितने श्रमिकों की अपनी बंधुआ जिन्दगी से मुक्ति का अवसर दिया गया था, और

(ग) श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

भविष्य निधि की अंशदान राशि जमा कराने में दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध मुकदमों को रोका जाना

6993. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध, जो श्रमिकों के भविष्य निधि अंशदान की राशि जमा नहीं कराते हैं, मुकदमों को वापस लेने का निर्णय किया है : और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में, जहां मुकदमेबाजी सम्बन्धी खर्च और हर्जाने सहित सभी देय राशियों का दोषी नियोजकों द्वारा भुगतान कर दिया गया है, अभियोजन वापिस ले लिए जाएं ।

टिटेनियम स्पोंज संयंत्र के लिए केरल धातु तथा खनिज लि० को लाइसेंस

6994. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिटेनियम स्पोंज संयंत्र की स्थापना के लिए केरल धातु तथा खनिज लि० को लाइसेंस दिए जाने का आवेदन पत्र मंत्रालय में लम्बित पड़ा है ; और

(ख) यह कितने सयम से विचाराधीन है और लाइसेंस दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :

(क) और (ख) टिटेनियम स्पोंज के निर्माण के लिए केरल राज्य के जिला क्विलोन की तहसील संकरामंगलम, चावेरा में 2000 टन वार्षिक क्षमता के एक नए उपक्रम की स्थापना हेतु मै० केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि० को एक आशय पत्र 26-2-82 का जारी किया गया है।

हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कमाया गया लाभ

6995. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा क्रमशः वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितना लाभ कमाया गया और इतना कम लाभ कमाए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : हिन्दुस्तान जिंक लि० को वर्ष 1980-81 के दौरान 1829 लाख रुपए लाभ के मूल लक्ष्य, जो बाद में, वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करते समय 55 लाख रुपए के घाटे के रूप में आंका गया था, की तुलना में 282·75 लाख रुपए का घाटा हुआ। कंपनी के 1981-82 के कार्यचालक परिपाय इस समय तैयार किए जा रहे हैं। आशंका है कि चालू वर्ष में भी कंपनी 25 लाख रुपए के मूल लक्षित लाभ, जो संशोधन करते समय 115 लाख रुपए माना गया था, का घाटा हो सकता है। वास्तविक स्थिति का पता अप्रैल, 1982 के अंत तक ही चल सकेगा।

घाटे का मुख्य कारण 1980-81 में पूरे वर्ष राजस्थान स्थित कंपनी की सभी इकाइयों को तथा कुछ समय तक आन्ध्र प्रदेश स्थित विशाखापत्तनम कम्पलैक्स को भारी बिजली कटौतियों के कारण कम उत्पादन होना है। अन्य कारण हैं—सीसे के बिक्री मूल्य में कमी होना तथा आयातित जस्ता सान्द्रों की खरीद लागत और भंडार सामग्री एवं रसायनों के मूल्य में वृद्धि होना। वर्ष 1981-82 के दौरान घाटे के मुख्य कारण राजस्थान स्थित खानों और प्रद्रावकों को समुचित बिजली उपलब्ध न होने से जस्ता धातु के कम उत्पादन, आयातित सान्द्रों की अधिक खरीद लागत और रायल्टी एवं ऊर्जा दरों में वृद्धि होना हैं।

एकाधिकार गृहों को लाइसेंस जारी किया जाना

6996 : **श्री दौलतराम सारण :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक एकाधिकार गृहों को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे और इन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) उन उद्योगों में जिनके लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, कुल कितना निवेश किया गया है और उनका अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्या है तथा इन उद्योगों में कब उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है तथा इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ;

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त उद्योगों को क्या सुविधायें तथा रियायतें दी गई हैं और;

(घ) वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा इन उद्योगों को कितना ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराया गया है और उनसे ब्याज की कितनी दर वसूल की जाती है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों को वर्ष 1980 और 1981 की अवधि में 163 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे। ये लाइसेंस धातुकर्मी उद्योगों, विद्युत उपकरणों, परिवहन, औद्योगिक मशीनों, मशीनी औजारों, कृषि से संबंधित मशीनों, विविध यांत्रिकी और इंजीनियरी उद्योगों, औद्योगिक उपकरणों, उर्वरकों, रसायनों (उर्वरकों को छोड़कर) रंजक पदार्थ, औषध तथा भेषजों, वस्त्रों (रंगे-छपे हुए अथवा अन्यथा परिष्कृत वस्त्रों सहित), चीनी, कागज उत्पादों सहित कागज तथा लुग्दी, किण्वन उद्योगों, खाद्य परिष्कृत उद्योगों, साबुन, साज- श्रृंगार व टायलेट उत्पादों, रबर की वस्तुओं, चीनी मिट्टी (सिरेमिक्स), सीमेंट, इमारती लकड़ी के उत्पादों से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए स्वीकृत किए गए थे।

(ख) उत्पादन की वस्तु और उसकी क्षमता सहित सभी औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित किए जा रहे "मन्थली न्यूज लैटर्स" में नियमित रूप से छापा जा रहा है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सामान्य रूप से एक औद्योगिक लाइसेंस के फलीभूत होने में लगभग 3से4 वर्ष तक लग जाया करते हैं। स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों में कुल पूंजीगत निवेश तथा परिकल्पित रोजगार संबंधी जानकारी औद्योगिक विकास विभाग के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) उद्योगों की स्थापना के लिए एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के उपक्रमों को कोई विशेष सुविधाए तथा रियायतें नहीं दी जाती हैं। किन्तु, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित रियायतें देने की व्यवस्था की गई है :

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रियायती पुनर्वित्त योजना।

(2) केन्द्रीय निवेश राजसहायता।

(3) आय कर में राहत।

(4) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

(5) ब्याज राजसहायता।

(6) कच्ची सामग्री का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं।

(7) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का संभरण करना।

(8) परिवहन राजसहायता आदि।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने कोई भी ऋण स्वीकृत नहीं किया था।

मिश्रित इस्पात संयंत्र को दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई में कमी

6997. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दामोदर घाटी निगम से बिजली की

सप्लाई में कमी के कारण मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर अपनी बढ़ी हुई क्षमता से उत्पादन करने में समर्थ नहीं हो सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : एक अतिरिक्त चाप भट्टी लगा कर दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने की क्षमता बढ़ा दी गई है। इस भट्टी को चालू करने के लिए बिजली की अतिरिक्त सप्लाई की आवश्यकता है। इस बारे में दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों से लिखा-पढ़ी की गई है और आशा है कि निकट भविष्य में इस कारखाने की बिजली की सप्लाई की अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

मध्य प्रदेश में अनूसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेन्ट योजना

6998. **श्री केयूर भूषण** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेन्ट योजना किस तिथि से लागू की गई है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए विशेष कम्पोनेन्ट योजना हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) स्वीकृत राशि किन-किन मदों पर व्यय की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेन्ट योजना सर्वप्रथम वर्ष 1979-80 के लिए बनाई गई थी। विशेष कम्पोनेन्ट योजना राज्य योजना का एक अंग है और सम्बद्ध राज्य योजना स्कीमों से अनुसूचित जातियों के लिए धनराशि निर्धारित की जाती है।

(ख) विशेष कम्पोनेन्ट योजना के सम्बन्ध में अनुमोदित परिव्यय 1979-80 के लिए 1504.36 लाख रुपए और 1980-81 के लिए 4028.72 लाख रुपए और 1981-82 के लिए 4118.14 लाख रुपए था। 1979-80 और 1980-81 के दौरान विशेष कम्पोनेन्ट योजना पर क्रमशः 1495.44 लाख रुपए और 3124.77 लाख रुपए का वास्तविक खर्च किया गया था, 1981-82 के लिए पूर्वानुमानित खर्च 2775.58 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने 1982-83 की राज्य योजना से 1982-83 के लिए विशेष कम्पोनेन्ट योजना में मात्रा निर्धारित करने के लिए 4801.20 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। क्षेत्रवार आवंटन नीचे दिया गया है :

	(रुपये लाख में)
1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	2047.30
2. सहकारिता	101.69

3. सिंचाई और विद्युत	954.00
4. उद्योग और खान	77.10
5. परिवहन और संचार	82.83
6. सामाजिक और समुदाय सेवाएं	1538.28

योजनाओं में बाद में किसी संशोधन के कारण उपर्युक्त आवंटनों में परिवर्तन हो सकता है ।

देश की जन-शक्ति-निर्यात की क्षमता

6999. **श्री राजेश पाइलट** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जन-शक्ति निर्यात की क्षमता इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी प्रयासों की तुलना में पर्याप्त रूप से संगठित तथा व्यवस्थित है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से व्यवस्थित किए गए कुल लोगों का देश-वार ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त कराने वाले इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से लाभ उठाने तथा देश की बेरोजगार समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जन-शक्ति-निर्यात के प्रबन्ध और संगठन के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए प्रयासों के बीच किसी प्रकार की तुलना करना संभव नहीं है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय विभिन्न देशों में नियोजित भारतीय श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है :

1. बहरिन	30,000
2. इराक	27,000
3. जोर्डन	4,000,-5,000
4. कुवैत	1,15,000
5. लीबिया	40,000
6. ओमन	65,000
7. कतार	30,000
8. साउदी अरब	1,50,000
9. संयुक्त अरब अमीरात	2,50,000
10. यमन अरब रिपब्लिक	7,000
11. यमन पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	1,000

उस अभिकरण का पता लगाना संभव नही है, जिसने उनकी नियुक्ति की है।

(ग) दक्षता के स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से चुने हुए व्यवसायों में त्वरित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा विदेश श्रम बाजार में विशेष रूप से मध्य पूर्वी देशों में नौकरी की मांगों तथा भविष्य में संभाव्य रोजगार के संदर्भ में होने वाली प्रवृत्तियों का समग्र अध्ययन करने के लिए श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया है, ताकि विदेश रोजगार बाजार में भारतीय श्रमिकों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी एस० ई० ए० एल० समिति की सिफारिशें

7000. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी एस० ई० ए० एल० समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को भेजी गई है। उनमें से कुछ से टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है। तब सरकार इस रिपोर्ट पर विचार करेगी और इस मामले में अपना दृष्टिकोण बनायेगी।

केरल में सीमेन्ट के लिए लम्बित आवेदन पत्र

7001. **श्री जार्ज जोजफ मुन्डाकल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में विदेशी मुद्रा के बदले सीमेंट के लिए 28 फरवरी, 1982 को कितने आवेदन पत्र लम्बित थे और कुल कितने सीमेंट के लिए आवेदन किया गया है और कितने सीमेंट का आबंटन किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : केरल राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों के नाम और संख्या

7002. **श्री सुभाष यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में इस समय कार्यरत सीमेंट उद्योगों के नाम और उनकी संख्या क्या है ; और

(ख) प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश स्थित सीमेंट कारखाने

क्र० सं०	एकक का नाम और स्थापना स्थल		वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता (मी० टनों में)	क्षेत्र
1.	भारतीय सीमेंट निगम लि०,	(माढर)	3,80,000	सरकारी
2.	—वही—	(नया गांव)	4,00,000	—वही—
3.	—वही—	(अकलतारा)	4,00,000	—वही—
4.	एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड	(बनमोर)	61,000	निजी
5.	—वही—	(जमूल)	13,80,000	—वही—
6.	—वही—	(काइमोर)	8,07,000	—वही—
7.	सतना सीमेंट वर्क्स	(सतना)	5,81,000	—वही—
8.	सेन्चुरी सीमेंट लिमिटेड	(तिल्दा)	8,00,000	—वही—
9.	मेहर सीमेंट लिमिटेड	(मेहर)	8,00,000	—वही—

नए सीमेन्ट कारखानों द्वारा लेवी की सीमेन्ट के अंशदान में कमी

7003. **श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने नए सीमेन्ट कारखानों द्वारा वाणिज्य स्तर पर उत्पादन शुरू करने के प्रथम दो वर्षों में लेवी के सीमेंट के अंशदान में और कमी करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जो कारखाने एक सीमा से अधिक समय तक बिजली की कमी के शिकार बने रहते हैं उनके मामले में निर्धारित स्थापित क्षमता के स्थान पर चालू उत्पादन के आधार पर लेवी की सीमेंट का अंशदान निर्धारित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो सीमेंट उद्योग को अन्य क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ;

(ङ) क्या इसके प्रत्युत्तर में सीमेंट उद्योग ने देश में कम दर पर सीमेंट का मूल्य स्थिर रखने में सहायता देने का आश्वासन दिया है ; और

(च) यदि हां, तो सीमेंट उद्योग ने अन्य क्या लाभ देने का आश्वासन दिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए सीमेंट एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता के 100 प्रतिशत तक का सीमेंट उत्पादन कर पाने की स्थिति में नहीं हैं और क्षमता का उपयोग लाइसेंसी कृत क्षमता से कम है,

यह निर्णय लिया गया है कि उनके मामले में अधिष्ठापित क्षमता का 50 प्रतिशत लेवी कोटा निर्धारित करने के प्रयोजन से उत्पादन के प्रथम वर्ष में लाइसेंसी कृत क्षमता की 75 प्रतिशत और दूसरे वर्ष लाइसेंसीकृत क्षमता की 85 प्रतिशत अधिष्ठापितक्षमता मानी जाएगी। तीसरे वर्ष और इसके बाद इस प्रयोजन के लिए अधिष्ठापित क्षमता को लाइसेंस क्षमता 100 प्रतिशत के बराबर समझा जाएगा।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि जहां बिजली की कटौती 30 प्रतिशत तक है वहां किसी छूट की आवश्यकता नहीं है। किन्तु जहां बिजली की कटौती 30 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा बिजली कटौती की अवधि किसी भी मास में 10 अथवा इससे अधिक दिन लगातार होती है तो उस माह के लिये लेवी कोटे का हिसाब उस माह के वास्तविक उत्पादन के अनुसार लगाया जायेगा बशर्ते कि उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के 70 प्रतिशत से कम हो। उपरोक्त कारण से उस मास में लेवी सीमेंट की कम आपूर्ति को अगले मास में नहीं ले जाया जाएगा।

(घ) लेवी सीमेंट के साधारण मूल्य में वृद्धि के अलावा गैर लेवी सीमेंट को किसी भी मूल्य अथवा वितरण नियंत्रण से मुक्त रखा गया है।

(ङ) तथा (च) सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि सरकार से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि सीमेंट उद्योग परिवहन लागत पर ध्यान दिये बिना गैर लेवी कोटे में से कम से कम उतना सीमेंट तो कमी वाले भागों सहित देश के सब क्षेत्रों को आपूरित करता रहेगा जितना कि 1981 में दिया गया था। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन ने घोषणा की है कि उपभोक्ता के लिए सीमेंट की अधिकतम कीमत उत्पादन शुल्क और विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लागू होने वाले अन्य करों सहित निम्न प्रकार है :

रु० प्रति 50 कि० ग्राम की बोरी	राज्य/संघ शासित प्रदेश
70 रुपये	महाराष्ट्र
65 रुपये	गुजरात, कर्नाटक, केरल, जम्मू, और काश्मीर, सिक्कम और नोर्द ईस्टन राज्य
62 रुपये	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश।

घरेलू उपयोग की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र

7004. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू उपयोग के सभी बिजली के उपकरण निर्माताओं को 12 नवम्बर, 1981

के हाउस होल्ड इलैक्ट्रिकल एपप्लांसिस (क्वालिटी कन्ट्रोल) आर्डर के अन्तर्गत निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने द्वारा बनाए जा रहे समान की गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निर्माता का प्रमाण पत्र प्राप्त करें ;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश के अन्तर्गत लाई गई 40 वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) निर्माताओं के कितने उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की गई और उसका क्या परिणाम रहा ;

(घ) सभी घरेलू उपयोग की वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की हों यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है क्योंकि यह कच्चे सामान का उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा और लोगों को अच्छी वस्तु उपलब्ध होंगी और उन्हें अपनी खून-पसीने की कमाई नकली माल पर बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि नकली माल की सप्लाई अधिक है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) वस्तुओं की सूची विवरण में दी गई है ।

(ग) किस्म नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों ने प्रारम्भिक कार्यवाही आरम्भ कर दी है । किस्म (क्वालिटी) की जांच, राज्य सरकारों द्वारा विनिर्माता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद शुरू की जाएगी ।

(घ) तथा (ङ) सरकार अच्छी किस्म (क्वालिटी) के उत्पादन के सम्बन्ध में बहुत चिंतित है विशेष कर उन वस्तुओं के बारे जो उपभोक्ता के जीवन के लिये हानिकर हो सकती हैं । अत: प्रथम चरण के रूप में उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले चुने हुए घरेलू विद्युतीय उपकरणों को उक्त किस्म नियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश के अधीन लाया गया है । प्रेशर स्टोव और संश्लिष्ट प्रक्षालकों (सिंथेटिक डिटरजेंट्स) पर ऐसा ही ग्रुप नियंत्रण आदेश लागू करने के प्रस्ताव पर भी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । अन्य घरेलू उपकरणों जिनमें कि जीवन सम्बन्धी खतरे निहित नहीं हैं के संदर्भ में भारतीय मानक संस्थान ने या तो विशिष्टियां तैयार कर ली हैं अथवा विभिन्न विशिष्टियों को अंतिम रूप दिये जा रहे हैं । किस्म नियंत्रण जांच और अधिक अच्छे व संरक्षित घरेलू उपकरणों का विकास करने के लिए वैद्युत मापक उपकरणों के डिजाइन संस्थान का एक केन्द्र के रूप में विकास करने का भी प्रस्ताव है ।

विवरण

घरेलू वैद्युत उपकरण (किस्म नियंत्रण) आदेश, 1981 के अधीन
लाई गई 40 वस्तुओं की सूची

क्र० सं०	घरेलू वैद्युत उपकरण	मानक
1	2	3
1.	बिजली का पानी गर्म करने का इमर्जन हीटर	आई० एस० : 368-1977
2.	पानी गर्म करने का भण्डारण टाइप स्वयं चालित हीटर	आई० एस० : 2082-1978

1	2	3
3.	घरेलू और इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए स्विच	आई० एस० : 3854-1966
4.	रबड़ चढ़ी तारें (ताम्बे के संवाहकों वाली)	आई० एस० : 434 (पार्ट-1) 1964
5.	रबड़ चढ़े तार (अल्यूमिनियम के संवाहकों वाले)	आई० एस० : 434 (पार्ट-2) 1964
6.	पी० वी० सी० चढ़े तार (1100 वोल्ट तक की वोल्टेज के लिये)	आई० एस० : 694-1977
7.	पोलीथिलीन चढ़े और पी० वी० सी० शीथ्ड तार 1100 वोल्ट्स तक के	आई० एस० : 1956-1977
8.	बिजली की इस्तरियां	आई० एस० : 366-1976
9.	बिजली के स्टोव	आई० एस० : 2994-1965
10.	बिजली हौट प्लेटें	आई० एस० : 365-1965
11.	बिजली के घरेलू खाद्य सम्मिश्रक (फूड मिक्सर) (लिक्विडाइजर्स, ब्लेण्डर्स और ग्राइण्डर्स)	आई० एस० : 250-1980
12.	बिजली के टोस्टर्स	आई० एस० : 1287-1965
13.	काफी बनाने की बिजली की मशीनें (बिना रेगुलेटर की)	आई० एस० : 3514-1966
14.	बिजली की केतलियां और जग घरेलू और इसी प्रकार के उपयोग हेतु	आई० एस० : 367-1977
15.	कपड़े धोने की बिजली की घरेलू मशीन (गैर-स्वचालित	आई० एस० : 6390-1971
16.	बिजली के रेडियेटर	आई० एस० : 369-1965
17.	बिजली के जल बायलर्स	आई० एस० : 3412-1965
18.	मेन से चलने वाले बिजली के हेयर ड्रायरर्स	आई० एस० : 5159-1969
19.	मेन से चलने वाले बिजली के शेवर	आई० एस० : 5159-1969
20.	बिजली के घरेलू तंदूर	आई० एस० : 5790-1970
21.	स्टेम आयरन	आई० एस० : 6290-1971
22.	घरेलू इस्तेमाल के लिये बिजली के लोचशील हीटिंग पैड्स	आई० एस० : 5161-1973

1	2	3
23.	पोर्टेबल, हाथ से उठाने योग्य मेन चालित बिजली की मसाजर्स	आई० एस० : 7137-1973
24.	धीमी गति को पोर्टेबल खाद्य पदार्थ पीसने की मशीन	आई० एस० : 7603-1975
25.	अप्लायंस कनेक्टर्स और अप्लायंस इनलेट्स (नोन-रिवर्सिबल थ्री पिन टाइप) अप्लायंस कनेक्टर्स	आई० एस० : 3010 (पार्ट-1) 1965
26.	अप्लायंस-कनेक्टर्स और अप्लायंस इनलेट्स (नोन-रिवर्सिबल थ्री पिन टाइप) अप्लायंस इनलेट्स	आई० एस० : 3010 (पार्ट-2) 1965
27.	बिजली के वाफ़र हीटर के साथ प्रयोग करने के लिये थर्मोस्टैट	आई० एस० : 3017-1965
28.	कार्टरिज प्रकार के हीटिंग एलिमेंट (नोन एम्बडेड किस्म)	आई० एस० : 3724-1966
29.	रेसिस्टेंस तार, टेप और पट्टियां हीटिंग एलिमेंटों के लिए	आई० एस० : 3725-1966
30.	ठोस एम्बेडेड किस्म के बिजली के हीटिंग एलिमेंट	आई० एस० : 4158-1967
31	खनिज से भरे हुए शीथ्ड हीटिंग एलिमेंट	आई० एस० : 4159-1976
32.	सामान्य उपयोग के विद्युतीय तंदूरों के लिए थर्मोस्टैट	आई० एस० : 4165-1967
33.	अभ्रक चढ़े हुए हीटिंग अलिमेंट	जाई० एस० : 6445-1972
34.	घरेलू और ऐसे ही उपयोग के लिए 2 एम्पेयर के स्विच	आई० एस० : 4949-1968
35.	विद्युतीय पोर्टेबल लैम्प स्टैंड और ब्रेकिटें	आई० एस० : 3481-1966
36.	थ्री पिन प्लग्स और सोकेट-आउटलेट्स (प्रथम संशोधन)	आई० एस० : 1293-1967
37.	रेसीलियेंट सामग्री निर्मित थ्री पिन प्लग	आई० एस० : 6538-1971
38.	रेयोनेट लैम्प-होल्डर्स	आई० एस० : 1258-1967

39. तत्काल पानी गर्म करने के लिए बिजली के हीटर्स — आई० एस० : 8978-1978

40. एक दीवार के बेकिंग तंदूर — आई० एस० : 8985-1978

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पदोन्नति में छूट

7005. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आर० पी० एफ० सी०/ए० पी० एफ० सी०/ए० ओ० के संवर्गों में पदोन्नति के लिए पहले छूट दी जाती रही है,

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन व्यक्तियों ने लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन कर्मचारियों को इस प्रकार की छूट नहीं दी गई है,

(ग) यदि हां तो इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और वर्तमान मामले में सौतेला व्यवहार करने के क्या कारण हैं तथा सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा उनके मामलों का निपटान करने में कितना समय लगेगा, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा विदेशी सहयोग के करार

7006. **श्री कुंभा राम आर्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने गत तीन वर्षों में कितने विदेशी सहयोग करार किए हैं ।

(ख) किन उत्पादों के लिए और किन कम्पनियों के साथ ये करार किए गए है; और

(ग) इन करारों के परिणाम स्वरूप देश में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अन्य देशों को जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों में (1979-80 से 1981-82) बी० एच० ई० एल० ने निम्नलिखित 6 नए विदेशी सहयोग करार किये हैं :

सहयोगी का नाम	उत्पाद
1	2	3
1. मै० हितैची लि०, जापान	रिवर्सीबल पम्प टर्बाइन
2. मै० वेट पम्प लि०, यू० के०	अनुकूल बुस्टर पम्प के साथ बायलर फीड, पम्प, कुलिंग वाटर पम्प तथा कंडेनसेट पम्प

1	2	3
3.	मै० क्राफ्ट वर्क्स यूनियन, ए० जी० पश्चिम जर्मनी	स्टीम सर्फेस कंडेंसर्स
4.	—वही—	200 मे० वा० रेटिंग से कम के टी० जी० सैट
5.	मै० सीमैन ए० जी०, पश्चिम जर्मनी	एस० एफ०-6 व वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
6.	—वही—	विद्युत मीटर

(ग) ये सहयोग करार सम्बन्धित कंपनियों के बीच द्विपक्षीय करार के रूप में हैं। इस प्रकार के कारारों के वित्तीय ब्यौरों को बताना कम्पनियों के व्यावसायिक हित में नहीं होगा।

त्रिपुरा पर संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्ध लागू किए जाने के लिये संविधान में संशोधन

7007. **श्री अजय बिश्वास :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि स्वशासी जिला परिषद् के चुनाव हो गए हैं तथा परिषद् का गठन भी हो चुका है परन्तु त्रिपुरा के आदिवासियों की जबरदस्त मांग है कि संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों को त्रिपुरा के आदिवासी लोगों पर भी लागू किया जाए जिससे कि त्रिपुरा के आदिवासियों को और अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो क्या संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों को त्रिपुरा पर लागू करने और राज्य के आदिवासी लोगों की इच्छापूर्ति के लिए सरकार का विचार संविधान में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद अधिनियम, 1979 के अधीन स्वायत्त जिला परिषद् का गठन हाल में किया गया था। उक्त अधिनियम के अधीन जनजाति जनसंख्या के लिए संरक्षण और जिला परिषद की शक्तियां तथा कार्य वही हैं जो संविधान की छठी अनुसूची में बताए गए हैं।

बंगाल इनेमल आफ पाल्ता, पश्चिम बंगाल का बन्द होना

7008. **श्री नीरेन घोष :**
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल इनेमल आफ पाल्ता 31 मार्च, 1981 से लगातार बन्द पड़ा है,

(ख) क्या उक्त फर्म में 2000 से अधिक कर्मचारी हैं,

(ग) यदि हां, तो उक्त फर्म को पुनः खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबन्धतंत्र और श्रमिकों की यूनियनों में 8-3-1982 को कामबन्दी समाप्त करने की सहमति हो गई थी।

पश्चिम बंगाल में 13 उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

7009. **रेणुपद दास : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिली बिस्कुट कम्पनी प्रा० लिमिटेड, जो अब पश्चिम बंगाल सरकार के प्रबन्धाधीन है, सहित 13 उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 मार्च, 1982 को सूचित किया है कि राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि पश्चिम बंगाल के उन सभी 13 औद्योगिक उपक्रमों का जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्ध के अधीन भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है तथा मैसर्स लिली बिस्कुट प्रा० लि० नामक औद्योगिक उपक्रम सहित औद्योगिक उपक्रम जिसकी देखरेख सरकार के नामितों द्वारा की जा रही है, का राज्य द्वारा कानून बनाकर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज की बैंक दर

7010. **श्री सुबोध सेन : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि अंशदान को बैंक ब्याज दर दिया जाना सम्भव है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार श्रमिकों को भी ब्याज की वही दर देने पर विचार कर रही है,

(ग) यदि हां, तो कब तक, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) से (घ) भविष्य निधि अतिशेषों पर ब्याज का भुगतान इन अतिशेषों के निवेश से अर्जित ब्याज से किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में यह अपेक्षित है कि ब्याज की दर निर्धारित करते समय, केन्द्रीय सरकार को अपने को सन्तुष्ट करना चाहिए कि ब्याज लेखे से कोई अधिक राशि नहीं निकाली गई है। दूसरे शब्दों में, अंशदाताओं के खाते में जमा किया गया ब्याज इसके लिए उपलब्ध राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः अतिशेषों पर देय ब्याज की दर अतिशेषों के निवेश पर पूर्वानुमानित आय को देखते हुए निर्धारित की जाती है।

देश में परिवर्तनशील परमाणु विच्छेदक चक्र (साइक्लोट्रान)

7011. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**
श्री अमर राय प्रधान :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में कुल कितने परिवर्तनशील परमाणु विच्छेदक चक्र हैं, इन परमाणु विच्छेदक संयंत्रों के निर्माण पर कितनी लागत आई है और ये कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या यह बात ध्यान में लाई गई है कि इनमें से किसी भी परमाणु विच्छेदक संयंत्रों का लम्बे अर्से से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) हमारे देश में केवल एक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान है, जिसका निर्माण भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने भारतीय उद्योगों की सहायता से किया है तथा जो कलकत्ता में लगा हुआ है। इस साइक्लोट्रान की लागत 12 करोड़ रुपए है।

(ख) कलकत्ता स्थित इस साइक्लोट्रान को लगातार बिजली मिलने पर सन् 1981 में और उससे आगे नियमित रूप से चलाया गया।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नही।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू किए जाने के कारण लाभान्वित हुए तमिलनाडु के कृषि मजदूरों की संख्या

7012. **श्री सी० पलीनीअप्पन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू किए जाने के कारण जिला वार कितने कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचा है,

(ख) क्या इसके उल्लंघन के मामलों का भी पता चला है और यदि हां, तो क्या मुकदमा चलाए जाने की कार्यवाही की गई है, (कृपया जिला-वार ब्यौरा दिया जाए), और

(ग) तमिलनाडु राज्य में इस अधिनियम का प्रवर्तन अधिकारी कौन है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) कृषि में न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करना तमिलनाडु सरकार की जिम्मेवारी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

मास	सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट)				संचयी गुणक (प्रतिशत)			
	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	तारापुर परमाणु बिजलीघर	तारापुर परमाणु बिजलीघर	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	तारापुर परमाणु बिजलीघर	तारापुर परमाणु बिजलीघर
	1	11	1	11	1	11	1	11
मार्च 1981	66.135	77.651	93.880	33.636	40.40	47.44	60.09	21.53
अप्रैल 1981	82.171	58.551	62.376	111.268	51.87	36.96	41.25	73.59
मई 1981	90.283	69.951	90.050	115.416	55.16	42.74	57.63	73.87
जून 1981	35.298	43.708	89.769	94.260	22.28	27.60	59.37	62.34
जुलाई 1981	48.321	63.841	54.932	112.587	29.52	39.00	35.16	72.06
अगस्त 1981	26.992	94.534	—	105.202	16.49	57.75	—	67.33
सितम्बर 1981	48.981	76.421	—	97.129	30.92	48.25	—	64.24
अक्तूबर 1981	...	79.597	45.670	107.431	...	48.63	29.23	68.76
नवम्बर 1981	...	61.461	90.416	93.458	...	38.80	59.80	61.81
दिसम्बर 1981	...	86.822	114.016	95.562	...	53.04	72.97	59.88
जनवरी 1982	3.204	41.823	105.325	48.837	1.96	25.55	67.41	31.26
फरवरी 1982	37.531	...	106.311	78.440	25.39	...	75.33	55.58
मार्च 1982	9.221	...	124.502	32.776	5.63	—	73.29	20.98

मास	सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट)				संचयी गुणक (प्रतिशत)			
	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	तारापुर परमाणु बिजलीघर	तारापुर परमाणु बिजलीघर	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	तारापुर परमाणु बिजलीघर	तारापुर परमाणु बिजलीघर
	1	11	1	11	1	11	1	11
मार्च 1981	66.135	77.651	93.880	33.636	40.40	47.44	60.09	21.53
अप्रैल 1981	82.171	58.551	62.376	111.268	51.87	36.96	41.25	73.59
मई 1981	90.283	69.951	90.050	115.416	55.16	42.74	57.63	73.87
जून 1981	35.298	43.708	89.769	94.260	22.28	27.60	59.37	62.34
जुलाई 1981	48.321	63.841	54.932	112.587	29.52	39.00	35.16	72.06
अगस्त 1981	26.992	94.534	—	105.202	16.49	57.75	—	67.33
सितम्बर 1981	48.981	76.421	—	97.129	30.92	48.25	—	64.24
अक्तूबर 1981	...	79.597	45.670	107.431	...	48.63	29.23	68.76
नवम्बर 1981	...	61.461	90.416	93.458	...	38.80	59.80	61.81
दिसम्बर 1981	...	86.822	114.016	95.562	...	53.04	72.97	59.88
जनवरी 1982	3.204	41.823	105.325	48.837	1.96	25.55	67.41	31.26
फरवरी 1982	37.531	...	106.311	78.440	25.39	...	75.33	55.58
मार्च 1982	9.221	...	124.502	32.776	5.63	—	73.29	20.98

(ग) तीन परमाणु बिजलीघर निर्माणाधीन हैं, जिनके नाम हैं—मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना तथा ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना। इन बिजलीघरों में से प्रत्येक में दो रिएक्टर होंगे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने का वर्तमान अनुमानित समय निम्नलिखित है :

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना—पहला यूनिट	—	1982
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना—दूसरा यूरिट	—	1984
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना—पहला यूनिट	—	1986
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना—दूसरा यूनिट	—	1987
ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना—पहला यूनिट	—	1990
ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना—दूसरा यूनिट	—	1991

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में ईंट के भट्ठे से बन्धक मजदूरों की मुक्ति

7015. **श्री कमल नाथ : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के निकट ईंटों के एक भट्ठे से 13 फरवरी, 1982 को 400 बन्धक मजदूरों को रिहा किया गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है, और

(ग) देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के बन्धक मजदूरों की रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

तमिलनाडु में पचाइयार सिंचाई परियोजना

7016. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा तमिलनाडु में पचाइयार सिंचाई परियोजना कब अनुमोदित की गयी;

(ख) क्या यह परियोजना तैयार हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) योजना आयोग द्वारा तमिलनाडु में पचाइयार सिंचाई स्कीम अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने पारिस्थितिकीय विचारों के कारण यह स्कीम छोड़ दी है।

खानों का आधुनिकीकरण

7017. **श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में खानों के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

"डानी" सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध याचिका दाताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं

7018. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **गृह मंत्री** दिल्ली, अंडमान-निकोबार सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध याचिका दाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बारे में 23 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वश्री चन्द्रगुप्त और सुलतान सिंह II की रिट याचिकाओं पर 21 जनवरी, 1976 को दिए गए दोनों निर्णयों से सरकार को दिनांक 12 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना के अनुसार दोनों याचिका दाताओं की वरिष्ठता पुनः निर्धारित करने के बाद 19 अधिकारियों की स्थाई नियुक्ति की समीक्षा करने का आदेश मिला है;

(ख) क्या इस बीच सरकार अपने पहले के रवैये कि; "1973 का चयन" (1) एस० एस० गौतम तथा अन्य (2) ओ० पी० जेकब तथा अन्य लोगों की रिट याचिकों पर अन्तिम निर्णय होने के बाद ही समीक्षा की जा सकती है, से हट गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अपना आधार बदलने के क्या कारण बताये है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) सर्वश्री चन्द्रगुप्त और सुलतान सिंह द्वारा दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए दो निर्णयों में न्यायालय ने निदेश दिया कि ग्रेड I (कार्यकारी) की गलत वरिष्ठता को दिल्ली प्रशासन द्वारा सेवा अवधि के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए और 1973 में किए गए चयन का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। चूंकि सेवा अवधि पर आधारित वरिष्ठता का सिद्धान्त न केवल दो याचिका दायरकर्ताओं पर लागू होता है बल्कि इसी प्रकार से स्थित अन्य ग्रेड I (कार्यकारी) अधिकारियों पर भी लागू होता है, अतः दिल्ली प्रशासन को अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता का भी संशोधन करना था।

सरकार ने पहले यह निर्णय किया था कि 1973 के चयन का पुनरीक्षण करने से पहले एस० एस० गौतम तथा अन्य और जैकब तथा अन्य द्वारा दायर की गई दो रिट याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जाए क्योंकि यह आशा थी कि इन मामलों में शीघ्रता से निर्णय हो जाएगा। परन्तु चूंकि पिछले दो वर्षों में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और मालूम नहीं कि उनको कब अन्तिम रूप दिया जाएगा, इसलिये सरकार का इन याचि-

काओं पर अंतिम निर्णय होने तक चयन का पुनरीक्षण करने और अस्थाई नियुक्तियां करने का विचार है।

विम्को माचिस बक्सों की मूल्य वृद्धि

7019. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन उपभोक्ताओं की लागत पर विम्को की माचिसों के मूल्य को 15 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे करने के एकाधिकार की सुविधा दी गई है जिसके परिणाम स्वरूप वास्तव में कुटीर उद्योग एककों को कार्ड बोर्ड की माचिसें बनाने से अलग कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कारणों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैमानकीय विज्ञान अनुसंधान में भारत-जर्मन सहयोग

7020. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वैमानकीय विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी तथा भारत के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : वैमानिक विज्ञान के क्षेत्र में केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिक विकास में सहयोग के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) और जर्मन एअरो स्पेस एण्ड एअरोनॉटिकल रिसर्च एजेंसी (डी० एफ० वी० एल० आर०) के बीच एक "विशेष व्यवस्था" पर हस्ताक्षर किए गए। इस "व्यवस्था" में दोनों संगठनों के बीच वैज्ञानिक सूचना और वैज्ञानिकों के विनिमय तथा वायुगतिक संरचनाओं, टर्बो मशीनरी, प्रणाली और पदार्थ व अन्य क्षेत्र जिन पर संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाए, के क्षेत्र में आपसी हित की सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रावधान है।

भारत में आयातित कम्प्यूटरों का रख-रखाव

7021. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत में आयातित कम्प्यूटरों के रख-रखाव की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) भारत में किस प्रकार के कम्प्यूटर लगाए गए है;

(ग) कम्प्यूटर का औसत जीवन काल कितना है; और

(घ) क्या सरकार ने किसी निगम की स्थापना की है यदि हां, तो निगम के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा कितना कार्य हाथ में लिया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम (सी०

एम० सी०) नामक एक उद्यम देश में सभी कम्प्यूटर प्रणालियों को, जिनमें आयातित कम्प्यूटर-प्रणालियों का अनुरक्षण भी शामिल है हर प्रकार की सहायता करता है ।

(ख) देश में न केवल माइक्रो, मिनी, मिडी, कम्प्यूटर अपितु द्वितीय से चतुर्थ उत्थान-सोपानों के कम्प्यूटरों के मुख्य-ढांचों (फ्रेमों) के विविध एवं व्यापक किस्मों के कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित किए गए हैं ।

(ग) किसी कम्प्यूटर-प्रणाली की औसत आयु लगभग 7-8 वर्ष होती है । इसकी वास्तविक आयु इस बात पर निर्भर करती है कि इसका कितना उपयोग किया गया; किस पर्यावरण में काम लिया गया; इसका रख-रखाव कैसा था । तथा अतिरिक्त-पुर्जे उपलब्ध थे या नहीं ?

(घ) जी, हां । कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम की स्थापना दिसम्बर, 1975 में की गयी थी और इसने अक्तूबर, 1976 में कार्य करना आरम्भ किया । कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम ने अनुरक्षण विषयक सहायता देने तथा सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के अलावा, जब कभी विदेशी विनिर्माताओं द्वारा कहा जाता है तो उनकी ओर से कम्प्यूटर संयंत्र प्रतिष्ठापित करने; उन्हें चालू करने तथा उनकी किस्म के बारे में स्वीकृति परीक्षण करने तथा समाश्वासन की अवधि में अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है । कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम निम्नलिखित कार्यकलाप भी करता है :

1. प्रणाली इंजीनियरी
2. प्रणाली तथा यन्त्रेतर सामग्री (साफ्टवेयर) विकास
3. कम्प्यूटर के प्रतिष्ठापन स्थल का निर्माण
4. शिक्षा तथा प्रशिक्षण
5. अनुरक्षण-प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान तथा विकास, अतिरिक्त पुर्जों का स्वदेशीकरण तथा कम्प्यूटर-क्षमता में अभिवृद्धि आदि;
6. यन्त्र सामग्री (हार्डवेयर) तथा यन्त्रेतर सामग्री (साफ्टवेयर) परामर्श सेवा
7. प्रणाली का मूल्यांकन
8. अभिकल्प केन्द्र
9. यन्त्र सामग्री (हार्डवेयर) तथा यन्त्रेतर सामग्री (साफ्टवेयर) इन दोनों सामग्रियों में विदेशी अभिकरणों की तकनीकी सहायता देना ।
10. संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में विद्युत भार प्रेषण, रेलवे वैगनों के आवागमन आदि में अनुप्रयोगों के लिए वास्तविक समय कम्प्यूटर प्रणालियों के विकास के लिए "इंटरऐक्ट" नामक परियोजना में भाग लेना अन्य विकासशील देशों के सह-व्यवसायिविदों और प्रशिक्षणार्थियों को इस परियोजना में सहभागी बनाना ।

बम्बई में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार

7022. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में उद्योगपतियों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि यह नगर देश की वाणिज्यिक राजधानी का दर्जा खोदेगा ;

(ख) क्या सरकार ने इस आशंका के कारणों का पता लगाया है जिस व्यापार और अर्थ-व्यवस्था के अस्त व्यस्त होने की सम्भावना है;

(ग) औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार और

(घ) क्या स्थिति में सुधार के लिए कर्मचारियों, मजदूर संघों के नेताओं तथा प्रमुख राज-नेताओं की एक बैठक बुलाने का भी प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार का ध्यान चैम्बर्स आफ कामर्स और इन्डस्ट्री एसोसिएशन, बम्बई की स्थाई समिति के ज्ञापन की ओर दिलाया गया है। औद्योगिक और श्रम क्षेत्र से सम्बन्धित स्थिति का विश्लेषण करते समय, ज्ञापन में औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए कतिपय सुझाव दिए गए हैं।

(ख) और (ग) औद्योगिक सम्बन्ध में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र और राज्यों दोनों में औद्योगिक सम्बन्धतंत्र इस दिशा में सतत प्रयास करते रहे है। श्रम मंत्रालय औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के मामले में राज्य सरकारों, नियोजकों के संगठनों तथा ट्रेड यूनियनों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रम कानूनों में संशोधन

7023. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार रोजगार केन्द्रों के माध्यम से अनिवार्य भर्ती सुनिश्चित किए जाने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : जी, हां।

आदिम जनजातियों का विकास

7024. **श्री जय नारायण रौट** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिम जन जातियों के विकास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) राज्य सरकारों ने संलग्न विवरण में उल्लिखित 52 आदिम जनजातीय ग्रुपों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। प्रत्येक जनजाति की विशेष आवश्यकताओं, कुशलता, वातावरण और संसाधन सम्पन्नता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्रुप के लिए विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट तैयार की आवश्यकता होती है। इन कार्यक्रमों में कृषि, सामाजिक बन, शिक्षा, डाक्टरी और जन स्वास्थ्य आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

(ख) आदिम जनजातीय ग्रुपों के कार्यक्रमों के लिए गृह मंत्रालय ने छठी योजना (1980-85) के लिये 15 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान निर्धारित किया है। 1980-81 और 1981-82 के लिए क्रमश: 200 लाख रुपये और 306.53 लाख रुपये राज्यों को दिये गये थे। राज्य सरकारों से व्यय के ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

आदिम जातियों की सूची

क्र० सं०	राज्य	पता लगाई गई आदिम जातियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	(1) कोलम् (2) चेन्चू (3) कोन्डारेड्डी।
2.	बिहार	(4) बिरहोर (5) मल पहाड़िया (6) असुर (7) विराजियां (8) परहैया (9) कोरवा (10) हिल खारिया (11) सवार (12) सोरिया पहाड़िया।
3.	गुजरात	(13) कठोदी (14) कोट वालिया
4.	कर्नाटक	(15) जूनू कुंरुवा (16) कोरगा
5.	केरल	(17) कुरुम्बा (18) चोलानायकन (कट्ट नायकन)
6.	मध्य प्रदेश	(19) अभुजमारिया (20) बेगा (21) भारिया (22) हिल कोरबा (23) सहारिया।
7.	महाराष्ट्र	(24) कटारिया (कठोदिया) (25) कोलम् (26) मेरिया गोन्ड
8.	उड़ीसा	(27) बोन्डो (28) सौरा (29) खारिया (30) मांकिड़िया (31) कुरिया कोन्ध (32) पौडी भूयान (33) जुआंग (34) लजिया सौरा (35) डोंगरिया कौंध
9.	राजस्थान	(36) सेहारिया
10.	तमिलनाडु	(37) कोटा (38) पानियां (39) टोडा (40) कट्टू नायकन (41) इरुला (42) कुरुम्बा
11.	त्रिपुरा	(43) रींग
12.	उत्तर प्रदेश	(44) राजी
13.	पश्चिम बंगाल	(45) बीरहोर (46) टोटो (47) लोधा
14.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	(48) ग्रेट अन्डमानी (49) ओंग (50) जार्वा (51) सेन्टेनेलीज (52) शोम्पन्न

वेलूर, केरल में न्यूजप्रिन्ट फैक्टरी के मजदूरों द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही करने की धमकी

7025. **श्री स्कारिया थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेलूर, केरल में न्यूजप्रिन्ट फैक्टरी के निर्माण कार्य में कार्यरत मजदूरों ने प्रत्यक्ष कार्यवाही करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण फैक्टरी के आरम्भ होने के निर्धारित कार्यक्रम में विलम्ब होगा; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केरल न्यूजप्रिन्ट परियोजना में निर्माण कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों ने सीधी कार्यवाही की धमकी दी और भूख हड़ताल की जो समझौता हो जाने पर वापस ले ली गई ।

(ख) और (ग) मिल और कार्यालय के कर्मचारी (स्टाफ) सामान्य रूप से अपने कार्य पर उपस्थित हो रहें हैं इससे निर्धारित कार्यनिष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उड़ीसा में प्रति व्यक्ति व्यय

7026. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में योजनाबद्ध विकास पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया जाना है; और

(ख) क्या उड़ीसा को छठी योजना के दौरान धन आवंटित करते समय, इस राज्य के पिछड़ेपन और अल्प विकास को ध्यान में रखा गया था ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी योजना की अवधि में उड़ीसा में व्यय किए जाने वाला प्रति व्यक्ति परिव्यय 684 रु० होता है ।

(ख) उड़ीसा की छठी योजना राज्य के पिछड़ेपन और अल्प-विकास समेत विभिन्न उपादानों पर विचार करने के बाद निर्धारित की गई है ।

श्रम विधेयकों पर स्वीकृति

7027. **श्री जेवियर अराकल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने श्रम विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जानी है और वे क्या हैं;

(ख) केरल कैस्यू वर्कर्स रिलीफ एण्ड वैल्फेयर फण्ड विधेयक, 1979 को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु कब भेजा गया था और विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े ऐसे 7 विधेयक हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) यह विधेयक जनवरी, 1980 में राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। नीति सम्बन्धी कुछ प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं जिनके सम्बन्ध में अन्तर मंत्रालय विचार-विमर्श के अतिरिक्त, राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श करना है।

विवरण

31-3-1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े श्रम विधेयकों का विवरण

1. मजदूर संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1969
2. केरल आकस्मिक अस्थायी तथा बादली मजदूर (मजदूरी) विधेयक, 1977
3. केरल काजू मजदूर राहत तथा कल्याण निधि, 1979
4. औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक
5. औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981
6. दी कर्नाटक ट्रेड वर्कर्स वैलफेयर फंड बिल, 1981
7. पश्चिम बंगाल मजदूर, टिंडल, लूडर गोडाउनमैन तथा अन्य श्रमिक (रोजगार का विनियमन) विधेयक, 1981।

दिल्ली में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियां

7028. **श्री कुंवर राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कितनी पंजीकृत सोसाइटियां हैं;

(ख) उनमें से कितनी ऐसी सोसाइटियां हैं जिनके विरुद्ध सरकारी अनुदान के दुरुपयोग किये जाने के मामले ध्यान में आये हैं; और

(ग) ऐसी सोसाइटियों के नाम क्या हैं और उनके अध्यक्ष तथा सचिव कौन है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि फर्म तथा सोसाइटियों के पंजीकरण के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 29 मार्च, 1982 तक कुल 11416 सोसायटी पंजीकृत की जा चुकी हैं।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट पर आधारित लघु उद्योगों पर सीमेंट की दोहरी मूल्य नीति का प्रतिकूल प्रभाव

7029. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सीमेन्ट पर आधारित लघु उद्योगों पर सीमेन्ट की दोहरी मूल्य नीति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीमेन्ट पर आधारित लघु उद्योग खुले बाजार की दरों पर, जो कि लेवी सीमेन्ट की कीमत से काफी अधिक है, सीमेन्ट खरीदने में कठिनाई का सामना करेंगे और इन उद्योगों को अपने कार्यों के लिए लेवी सीमेन्ट आवंटित नहीं किया जा रहा है, उन्हें लेवी सीमेन्ट कोटा आवंटित किया जायेगा; और

(ग) उद्योगों/व्यक्तियों की किन श्रेणियों को लेवी सीमेन्ट आवंटित किया जायेगा और क्या छोटे-मोटे कृषि कार्यों के लिए लेवी सीमेन्ट आवंटित किया जायेगा तथा क्या यह जारी रहेगा, यदि हां, तो इसे किस एजेन्सी के माध्यम से सप्लाई किया जायेगा और उसके लिए एजेन्सी किसे आवंटित की जायेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सीमेंट के वितरण तथा मूल्य से सम्बन्धित नई नीति के अन्तर्गत सीमेंट पर आधारित उद्योगों को अपनी आवश्यकताएं खुले बाजार से प्राप्त किए जाने वाले गैर लेवी वाले सीमेंट उत्पादन से पूरी करनी पड़ेगी। सीमेंट पर आधारित लघु उद्योगों से लेवी सीमेंट के आवंटन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा इनकी जांच की जा रही है।

लेवी सीमेंट राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के निगमों, बड़े, मझौले तथा लघु उद्योगों, कारखानों के निर्माण के लिए तथा 80 वर्ग मीटर तक के कुर्सी (प्लिन्थ) क्षेत्र वाले रिहायशी इकाइयां बनाने वाले छोटे-छोटे उपभोक्ताओं व आवासीय गृहों की मरम्मत करने के लिए कम मात्रा में सीमेंट लेने वाले उपभोक्ताओं को दिया जायेगा। राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेश के प्रशासनों को भी यह सलाह दी गई है कि वे नये 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल ग्रामीण मकानों, गंदी बस्तियों के नागरिकों, हरिजनों, आदिवासियों, समाज के अन्य गरीब वर्गों के लिए मकानों, ग्रामीण जल संभरण योजनाओं तथा अन्य मदों जैसी समाजोन्मुख योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सीमेंट प्रदान करें।

सालवेन्ट एक्सट्रेक्शन इण्डस्ट्री में संकट

7030. **श्री गदाधर साहा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालवेंट एक्सट्रेक्शन इण्डस्ट्री संकट का सामना कर रही है;

(ख) संकट के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है। सभापटल पर रख दी जायेगी।

अपराध का पता लगाने के लिए इन्टरपोल की सहायता

7031. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान किसी समय अपराध का पता लगाने के लिए इन्टरपोल की सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या है और अपराध का स्वरूप क्या है, तथा इन्टर-पोल द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

सीमेंट उद्योग की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता

7032. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी सीमेंट उद्योगों की कुल कितनी प्रतिष्ठापित क्षमता है ;

(ख) क्या प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में सीमेंट के उत्पादन में गिरावट आई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) छठी योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान कितने सीमेंट की जरूरत का अनुमान है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1.4.82 को 292.50 लाख मी० टन ।

(ख) और (ग) सीमेंट उद्योग प्रमुख सीमेंट उत्पादन राज्यों में मुख्यत: बिजली की उपलब्धता तथा कुछ हद तक कोयले की उपलब्धता से सम्बन्धित अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूर्णतया उपयोग करने की स्थिति में नहीं रहा है ।

(घ) वर्ष 1980-85 के लिए सीमेन्ट उद्योग सम्बन्धी "कार्यदल" द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार लगभग 380 लाख मी० टन ।

अमरीका से वाणिज्यिक उपग्रह खरीदा जाना

7033. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीका से पहला वाणिज्यिक उपग्रह खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है ;

(ग) इसको कब तक छोड़े जाने की संभावना है और उसे कहां से छोड़ा जाएगा ;

(घ) इसका किन वाणिज्यिक प्रयोगों के लिए उपयोग किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दो इन्सैट-I फ्लाइट अन्तरिक्षयानों और सम्बद्ध उपस्कर (उपग्रह भू-केन्द्र के उपस्करों सहित) तथा सेवा के लिए प्रदान किए गए ठेके के पूर्ण, सन्तोषप्रद तथा समयोचित कार्य-निष्पादन के लिए ठेकेदार को देय पक्की निश्चित कीमत 60.486 मिलियन अमरीकी डालर है । इस राशि के अलावा, ठेकेदार कक्षा में दोनों अन्तरिक्षयानों के कक्षीय कार्य निष्पादन के आधार पर कार्य निष्पादन संदाय के रूप में 8.5 मिलियन अमरीकी डालर तक की अतिरिक्त राशि प्राप्त कर सकता है ।

(ग) प्रथम उपग्रह (इन्सैट-I ए०) के अप्रैल, 1982 के द्वितीय सप्ताह में छोड़े जाने की संभावना है। इन्सैट I बी० नामक द्वितीय उपग्रह को जुलाई, 1983 में छोड़ा जाना है। दोनों उड़ानें केप कैनवेल, संयुक्त राज्य अमरीका से की जायेंगी।

(घ) इन्सैट-I उपग्रह लम्बी-दूरी के दूरसंचार, मौसम विज्ञान तथा रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए बहु-प्रयोजनीय उपग्रह है। इन्सैट-I प्रणाली का राजस्व प्रदान कराने वाला घटक दूर-संचार है।

मानवीय आधार पर विधवाओं को रोजगार देना

7034. **श्री केशव राव पारधी** : क्या गृह मंत्री मानवीय आधार पर विधवाओं को रोजगार देने के बारे में 16 दिसम्बर, 1981 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 4051 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस कर्मियों की विधवाओं को मानवीय आधार पर रोजगार देने का निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध होते ही रोजगार दे दिया जाएगा।

सी० एस० एस० अधिकारियों को उप सचिव के रूप में नियुक्ति

7035. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय (प्रापर) में संयुक्त सचिव (प्रशासन) और उप-सचिव (प्रशासन) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं ;

(ख) 1 फरवरी, 1982 को उप सचिव के पदों की कुल संख्या क्या थी, और इस पद पर क्रमश: श्रेणी I सेवा तथा सी० एस० एस० के अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के कितने अधिकारी हैं ;

(ग) क्या इस समय सी० एस० एस० उप सचिव की संख्या सबसे अधिक है ; और

(घ) क्या मंत्रालय का कुछ और सी० एस० एस० अधिकारियों को उप सचिव के रूप में नियुक्त करने का विचार है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1-2-1982 को गृह मंत्रालय (मुख्य) में उप सचिव/निदेशक के 35 पद थे। 21 अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं, 11 केन्द्रीय सचिवालय सेवा और 1 अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित थे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) उप सचिवों की नियुक्ति, अधिकारियों की उपयुक्तता के आधार के पर की जाती है तथा उनकी नियुक्ति के लिए विभिन्न सेवाओं में कोई कोटा निर्धारित नहीं है ।

"डेकोइट्स कान्फ्रेंस आर्म्स सप्लाई बाई आर्मी आफिसर्स" शीर्षक समाचार

7036. **श्री जगपालसिंह :**

श्रीमती सुशील दण्डवते :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित "डैकोइट्स कान्फ्रेंस आर्म्स सप्लाई बाई आर्मी आफिसर्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) समाचार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गई है । इसके प्राप्त होने पर राज्य सरकार को रिपोर्ट की जांच करने के बाद उपर्युक्त कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा ।

तटीय क्षेत्र विकास योजना के लिए संसाधन

7037. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का तटीय क्षेत्र विकास योजना के लिए वित्तीय संसाधनों का विकास करने और जुटाने का विचार है ;

(ख) क्या राज्य में "साल्ट एण्ड मैरीन कैमिकल्स इंडस्ट्री" के विकास हेतु भी कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या इन उद्योगों के विकास की संभावना के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) नमक उद्योग के विकास का समन्वय नमक आयुक्त द्वारा राज्यों के निकट परामर्श से किया जाता है ताकि संभाव्य/विकासक्षम क्षेत्रों में इसका उत्पादन बढ़ाया जा सके । राष्ट्रीय प्रयोगशाला केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर भी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन नमक और समुद्री रसायनों के विकास के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्यों में लगे हुए हैं ।

(ग) ओर (घ) : विभिन्न रसायनों के विनिर्माण के लिए नमक और समुद्री पानी के उपयोग की संभावना के बारे में विस्तृत अन्वेषण करने के लिए रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा स्थापित अध्ययन दल ने जून, 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नमक/समुद्री रसायनों के विनिर्माण के लिए अनेक लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किए हैं।

इस अध्ययन दल के बाद, उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 1978 में एक उच्च स्तरीय नमक जांच समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में प्रदेश परिषदों के प्रतिनिधियों का चुनाव

7038. **एम० एम० लारेंस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में कितनी पंचायतें हैं और उनका द्वीपवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रदेश परिषदों में प्रधानों में से प्रतिनिधियों के चुनाव का क्या तरीका है ;

(ग) क्या यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है या हाथ दिखाकर होता है ;

(घ) यदि हाथ दिखाकर होता है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन द्वीपों में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए गुप्त मतदान कब शुरू किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ङ) अण्डमान द्वीप समूह में 40 पंचायतों और निकोबार द्वीप समूह में 2 पंचायतों की एक सूची संलग्न है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 240 के अन्तर्गत प्रख्यापित किया गया अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (प्रशासन) विनियम 1979 जिसके अन्तर्गत प्रदेश परिषद गठित की गई है, प्रदेश परिषद में प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र को अनेक क्षेत्रों में विभाजित करता है। पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल बोर्ड के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के प्रतिनिधियों को स्वयं बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। किसी अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि उस क्षेत्र की पंचायतों के प्रधानों में से क्षेत्र की सभी पंचायतों के प्रधानों के एक इलैक्टोरल कालेज द्वारा चुने जाते हैं। निकोबार द्वीप समूह (ग्रेट निकोबार क्षेत्र के अतिरिक्त) के किसी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव, जब तक उस क्षेत्र में पंचायतें गठित नहीं की जाती हैं, उस क्षेत्र के जनजातीय मुखियाओं में से क्षेत्र के जनजातिय मुखियाओं द्वारा दिया जाता है। इस समय ग्रेट निकोबार क्षेत्र, जहां न तो पंचायतें हैं और न जनजाति मुखिया हैं, के प्रतिनिधि उस क्षेत्र में पंचायतों का गठन होने तक केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। चूंकि प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है अत: विनियम में यह व्यवस्था है कि चुनाव हाथ खड़े करके होगा। प्रदेश परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए गुप्त मतदान की प्रणाली प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सूची

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पंचायतों के नाम

अण्डमान द्वीप समूह

(दक्षिण अंडमान)

पोर्ट ब्लेयर तहसील

1. स्कूल लाइन
2. प्रोथेरापुर
3. गाराचरमा
4. बाराटंग
5. हैवलाक
6. नेल आइलैंड
7. रामाकृष्णापुर

फेरारगुज तहसील

(छोटा अण्डमान)

8. बाम्बूफ्लैट
9. विम्बरलीगुंज
10. मन्नारघाट
11. शोल खाड़ी
12. फरोरगुंज
13. मिथा खाड़ी
14. तुसानाबाद
15. हौमफ्रेगंज
16. चोलदाड़ी

रंगाट तहसील

(मध्य अण्डमान)

17. हरिनगर
18. स्वदेशनगर
19. शिवपुरम
20. नीम्बू ताला
21. रानघाट
22. साबरी
23. बाकुलतला
24. कौसल्यानगर
25. कदम ताला
26. उत्तरा
27. रामपुर
28. पहलगांव
29. किशोरीनगर
30. रामनगर
31. नवग्राम
32. वसंतपुर

डिगलीपुर तहसील

(उत्तर अण्डमान)

33. सीतानगर
34. मधूपुर
35. सुभाषग्राम
36. रामाकृष्णाग्राम
37. केरलापुरम
38. शिवपुर
39. लक्ष्मीपुरम
40. राधानगर

निकोबार द्वीपसमूह

ननकोवरी तहसील

(ननकोवरी द्वीप समूह)

1. केम्पबैल खाड़ी
2. लक्षीनगर

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक और बंधुआ मजदूरों की समस्याएं

7039. **श्री राम विलास पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में बंधुआ मजदूरों की समस्या और उसके हल करने के बारे में चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां तो बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने और बंधुआ मजदुरों की दशा सुधारने के लिए क्या सुझाव/निर्देश दिए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद ने बैठक में छठी योजना तथा 20 सूत्री कार्यक्रम में, जिसमें बंधुआ श्रमिकों का कार्यक्रम शामिल है, परिकल्पित निवेशों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित स्रोतों को जुटाने के लिए अपने संकल्प तथा इरादे की पुनः पुष्टि की। परिषद ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर डाला।

रेशम उद्योग में श्रमिक

7040. **श्री ओस्कर फर्नाण्डीज** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में रेशम उद्योग में कितने श्रमिक हैं ;

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रत्येक श्रेणी द्वारा कितनी मजदूरी अर्जित की जाती है ; और

(ग) गरीब श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कल्याणकारी उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) विवरण संलग्न है जिसमें पंजीकृत रेशम कारखानों के बारे में श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा भेजी गई सूचना दी गई है। तथापि अनुमान है कि रेशम-उत्पादन उद्योग में श्रमिकों की कुल संख्या 40 लाख है।

(ख) रेशम कारखानों में प्रत्येक वर्ग के श्रमिकों द्वारा अर्जित मजदूरी दरें प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं। जहां तक रेशम-उत्पादकों का सम्बन्ध है, उनमें से अधिकांश स्वनियोजित हैं।

(ग) चूंकि रेशम उद्योग राज्य क्षेत्राधिकार में आता है, इस लिए, यह काम संबंधित राज्य सरकारों या प्रशासनों का है कि वे इस उद्योग के श्रमिकों के लिए कल्याण-उपाय करें।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित में श्रमिकों की अनुमानित संख्या			
	रेशमी टैक्सटाइल्स की स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग	रेशमी टैक्सटाइल्स की छपाई, रंगाई और विरंजन	रेशमी और संश्लिष्ट फाइबर टैक्स-टाइल्स, जो अन्यत्र वर्गी-कृत नहीं है ।	जोड़
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	3,472	80	43	3,595
असम	258	—	—	258
बिहार	653	61	61	714
गुजरात	2,680	—	93	2,773
हरयाणा	255	—	478	733
हिमाचल प्रदेश	—	—	41	41
जम्मू और काश्मीर	2,167	—	—	2,167
कर्नाटक	11,545	432	450	12,427 (अ)
मध्य प्रदेश	435	95	20	550
महाराष्ट्र	6,236	4,482	4,411	15,229
उड़ीसा	210	—	—	210
पंजाब	73	235	53	361
राजस्थान	44	—	—	44
तमिलनाडू	747	9	172	920
उत्तर प्रदेश	286	—	157	443 (अ)
पश्चिम बंगाल	1,135	159	214	1,508
दिल्ली	924	20	40	984
गोआ, दमन और दीव	121	13	—	134
	31,241	5,586	6,272	43,099

उपर्युक्त आंकड़े अनंतिम हैं ।

(अ) गत वर्ष के आंकड़ों को दोहरा कर अनुमानित आंकड़े ।

पंजाब का औद्योगिक विकास

7041. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास में महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों की अपेक्षा पंजाब काफी पिछड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में कृषि और उद्योगों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार का विचार टेलीफोन, रेल डिब्बों, वैमानकीय आदि जैसे विभिन्न उपयुक्त उद्योगों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की पूंजी लगाने का है जिससे कि पंजाब के न्यायसंगत हितों की रक्षा हो सके और अनाज भण्डार में अपना योगदान देना जारी रखे ; और

(ग) क्या सरकार इस दिशा में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का ठीक-ठीक उचित और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए और राज्य में कमजोर वर्ग के श्रमिको की वास्तविक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों के आवश्यक मार्ग निर्देश जारी करेगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। यद्यपि निरपेक्ष मात्रा में पंजाब में औद्योगिक उत्पादन महाराष्ट्र जैसे कुछ अन्य राज्यों की तुलना में कम है, तथापि वर्ष 1974-75 से 1978-79 तक की अवधि में अखिल भारतीय औसत की तुलना में निवेशित पूंजी की वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब में औद्योगिक विकास की तेजी से संवृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) संतुलित क्षेत्रीय विकास सरकार की स्वीकृत नीति है, तथापि सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय निवेश अधिकांशतः पूजी-प्रधान उद्योगों में किए जाते हैं जिनमें अवस्थिति सम्बन्धी निर्णयों में तकनीकी-आर्थिक विचार सर्वोपरि होते हैं। इस बात के अधीन सरकारी उद्यमों में यथा संभव समान रूप में केन्द्रीय निवेशों को प्रसारित करने के लिए हर प्रयत्न किया जाता है। जिन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बारे में अवस्थिति सम्बन्धी निर्णय अभी किए जाने हैं उनकी अवस्थिति के लिए पंजाब के दावों को उपयुक्त रूप में ध्यान में रखा जाएगा।

बिहार में पत्थर खदानों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

7042. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में ऐसे अनेकों पत्थर खदान हैं जिनकी सिब्बंदियों ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और न ही निरीक्षण के प्रयोजन से वहां कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित शीर्षक "स्टोन क्वारिज" के अन्तर्गत आने वाले 127 प्रतिष्ठानों में से 47 प्रतिष्ठान भविष्य निधि बकाया राशि के भुगतान के दोषी हैं। किए गए निरीक्षणों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा की मेज पर रख दिए जाएंगे।

सीमेंट की वितरण नीति के बारे में अभ्यावेदन

7043. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**
श्री राम प्यारे पनिका :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट विवरण नीति के बारे में फैडरेशन आफ आयरन एण्ड स्टील ट्रेड एसोसिएशन ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को दीर्घकालिक विवरण नीति बनाने की सलाह दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इसे किस तरह से क्रियान्वित करने का है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उ० प्र० के आदिवासी समुदाय को आदिवासियों में मिलाना

7044. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ आदिवासी समुदाय, जो पड़ौसी राज्य में आदिवासी लोग हैं, को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार से समय-समय पर सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें संविधान में अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के रूप में रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन के लिए संसद द्वारा विधान बनाने की आवश्यकता है । विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के संबंध में उपर्युक्त प्रस्ताव और बहुत-सी अन्य सिफारिशों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में संबधित राज्य सरकारों और भारत के महापंजीयक से परामर्श करके और सम्बद्ध मानदण्ड के अनुसार विधिवत विचार किया जा रहा है । कुछ राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों की टिप्पणियां अभी प्रत्याशित हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं ।

दिल्ली की फर्में जिन्होंने कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया है

7046. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी की किन-किन फर्मों ने 1980-81 के दौरान अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान नहीं किया, और

(ख) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) कुल मिलाकर, राजधानी मे विभिन्न प्रतिष्ठानों में अधिकांश नियोजकों द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरों को कार्यान्वित किया जा रहा है । जब कभी मजदूरी दरों को कार्यान्वित न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस मामले को प्रबंध के साथ उठाया जाता है ताकि उनसे मजदूरी की निर्धारित न्यूनतम दरों का भुगतान करवाया जा सके । जिन मामलों में अनुनयी प्रयास असफल हो जाते हैं, उनमें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि श्रमिको के अवैध वर्गीकरण के कारण न्यूनतम मजदूरी की निर्धारित दर से कम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में 138 प्रतिष्ठानों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, इन मामलो में उपयुक्त कार्यवाही की गई और उनमें से अधिकांश में समझौते करवाए गए ।

राजस्थान में कोटा में मंगलम सीमेंट कारखाना, मोडक

7047. **श्री चतुर्भुज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कोटा में मंगलम सीमेंट कारखाना-मोडक में उसकी पूरी क्षमता से सीमेंट का उत्पादन आरंभ हो गया है और यदि हां, तो इस कारखाने में इस समय सीमेंट का उत्पादन कितनी मात्रा में हो रहा है; और

(ख) यह सीमेंट सरकार और विक्रेताओ को किस एजेंसी के माध्यम से सप्लाई किया जाता है और इस समय प्रत्येक विक्रेता को सीमेंट का कितना कोटा दिया जाता है तथा उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं । मार्च, 1981 से फरवरी, 1982 की अवधि में इस कारखाने में सीमेंट उत्पादन केवल 1.88 लाख मी० टन हुआ था ।

(ख) सीमेंट वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो 28-2-82 से पहले लागू थी, सरकारी विभागों सहित पार्टियों को सीमेंट की आपूर्ति क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक द्वारा जारी किये गये रिलीज आर्डर के अनुसार की गई थी । सीमेंट पर आंशिक विनियंत्रण संबंधी नीति की घोषणा के बाद भी जहां तक लेवी सीमेंट का संबंध है, वही व्यवस्था विद्यमान है । जहां तक गैर-लेवी सीमेंट के वितरण का संबंध है, सीमेंट उत्पादक बिना किसी मूल्य और वितरण के अपनी इच्छा अनुसार सीमेंट बेचने के लिये स्वतंत्र है ।

अंटार्कटिका अभियान के सदस्यों को पुरस्कार

7048. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार साहसी 21 सदस्यीय भारतीय अण्टार्कटिका दल का सम्मान करने और प्रोत्साहक पुरस्कार देने का है जिसने अण्टार्कटिका क्षेत्र में मौसम सम्बन्धी जानकारी एकत्र

करने, गहरे समुद्र में खोज करने और हिन्द महासागर तथा अण्टार्कटिका क्षेत्र में संसाधन जुटाने और देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सराहनीय कार्य किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्यमंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) श्रीमान, 21 सदस्यीय टीम के सदस्यों की सेवाओं की समुचित सराहना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

कनिष्ठ और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति के लिए मानदंड

7049. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या **गृहमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में तदर्थ और स्थायी पद के लिए कनिष्ठ तथा वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को नियुक्ति के लिए क्या अर्हता अपेक्षित है ;

(ख) क्या इस मानदंड को ऐसे सभी मंत्रालयों/विभागों में समान रूप से और ठीक-ठीक लागू किया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किन मंत्रालयों/विभागों में उन्हें नहीं लागू किया जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किये जा रहे फैले कदाचार को दूर करने के लिये इस बारे में दृढ़/स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) :(क)से(घ)केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम, 1981 जिनमें दूसरी बातों के साथ सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों में कनिष्ठ तथा वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पदों पर भर्ती के लिए अर्हताओं का प्रावधान किया गया है, भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 (1) में सा० का० नि० 482 के अन्तर्गत 19.9.1981 को अधिसूचित किए गए थे। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के गठन के बाद सभी नियुक्तियां नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जायेंगी और विशेषकर कनिष्ठ तथा वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। तथापि केडर के गठन तक तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती किये जाने तक मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर यह राय दी जाती है कि सेवा में सम्मिलित पदों को तदर्थ आधार पर भरा जाए और इन पदों पर नियुक्तियां ऐसे व्यक्तियों में से की जाएं जो नियमों में निर्धारित अर्हताओं के समान अर्हतायें रखते हों ।

सेवा में भाग न लेने वाले मंत्रालयों/विभागों और अन्य कार्यालयों में कनिष्ठ तथा वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पदों के लिए अपेक्षित अर्हतायें संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित की जाती हैं। इन भर्ती नियमों को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से और, जहां कहीं आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से अन्तिम रूप दिया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में किसी

प्रकार की अनियमितताओं की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है, जिसके कारण अलग से मार्गदर्शी हिदायतें जारी करने की आवश्यकता हो।

राज्यों की जोनल परिषदों की बैठक

7050. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की सभी जोनल परिषदों को 1981-82 के दौरान बैठकें हुई थीं; और

(ख) यदि हां तो उन्होंने क्या मुख्य सिफारिशें कीं तथा क्या निर्णय लिये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) वर्ष 1981-82 (अप्रैल, 1981 से मार्च, 1982) के दौरान तीन क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें इस प्रकार हुई :

क्षेत्रीय परिषद	बैठक की तारीख
पूर्वी	11.4.1981
उत्तरी	9.5.1981
उत्तरी	6.2.1981

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्षेत्रीय परिषद का नाम	बैठक की तारीख	बैठक में की गयी मुख्य सिफारिशें
1	2	3
पूर्वी	21.4.1981	(ख) (I) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ने 11.4.1981 को हुई अपनी बैठक में सुझाव दिए कि : (क) पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास में आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी०, आई० सी० आई० सी० आई० और एल० आई० सी० जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता है। (ख) पूर्वी क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं और सिक्किम राज्य में नई केन्द्रीय जल परियोजनायें शुरू करने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिक ध्यान देना। (ग) क्षेत्र में उत्पादित कोयले और अन्य खनिजों के संबंध में पर्याप्त रायल्टी सुनिश्चित करके, कोयले के लिए रायल्टी के मूल्यांकन के तरीके में परिवर्तन करने और कोयले के अतिरिक्त खनिजों की रायल्टियों को संशोधित करके राज्य स्रोतो को बढ़ाना।

1	2	3
		(घ) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण। (ङ) सामान्य रेलवे पुलिस बल की संख्या को बढ़ाना। (च) पुलिस कार्मिकों को पर्याप्त आवास सुविधाएं। (छ) बेहतर शिक्षा सुविधाएं, इत्यादि प्रदान करने के लिए भी अनुसूचित जाति कम्पोनेंट योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्षेत्र को पुनः अनुकूल बनाना। (ज) बालासोर-जलेश्वर-खडगपुर-कलकत्ता राजमार्ग का सुधार। (झ) सिक्किम सरकार के परामर्श से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीस्ता नदी पर बांध का निर्माण।
		(ख) (II) परिषद ने उसके समक्ष लाए जाने वाले प्रस्तावित मामलों के सम्बन्ध में जहां आवश्यक हो गहन अध्ययन करने के लिए परिषद की स्थाई समिति का गठन करने का निर्णय किया है।
उत्तरी	9.5.1981	(ख) (III) उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसकी बैठक 9.5.1981 को हुई थी, ने सिफारिशें कीं कि : (क) फूट डालने वाले और अलगाववादी तत्वों वाले दलों और संगठनों का पता लगाना। (ख) किसी भी राज्य द्वारा मुख्य नीति संबंधी लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को अन्य सभी राज्यों को परिचालित करना। (ग) इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायपालिका के क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करना। (घ) सेवाओं की ग्रामीण अनुकूलता के संदर्भ में राज्य स्तर पर कार्रवाई को तेज करना। (ङ) उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय अपराध रिकार्ड कार्यालय की स्थापना करना।

1	2	3
		(च) अन्तर्राज्यीय अपराधों पर पुलिस महा-निरीक्षकों की समिति की रिपोर्ट की शीघ्र जांच और कार्रवाई ।
		(छ) चनाब घाटी सड़क का तेजी से निर्माण ।
		(ज) संतोखगढ़-पोलियन-जैजोन सड़क पर पंजाब सरकार द्वारा पुल का निर्माण ।
		(झ) दिल्ली में खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना ।
		(ञ) अशोधित खाद्य पदार्थों के नमूनों से संबंधित नियमों का पुनरीक्षा करना ताकि छोटे व्यापारियों को कोई परेशानी न हो ।
		(ट) जम्मू और कश्मीर, शिमला और अमृतसर में स्थापित रेडियो स्टेशनों का स्तर बढ़ाना और
		(ख) (IV) परिषद ने समस्याओं को क्षेत्रीय परिषद के समक्ष रखने से पहले उनका गहराई से अध्ययन करने के लिए एक स्थायी समिति के गठन का निर्णय भी किया है ।
उत्तरी	6.2.1982	(ख) (V) उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक पुन: 6.2.1982 को हुई । परिषद की बैठक की कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

हरिजनों के लिए विशेष न्यायालय

7051. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजनों के मामलों की जांच करने के लिये किन राज्यों में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) उन न्यायालयों में अब तक कुल कितने मामले निपटाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) ऐसे राज्य, जहां विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु हैं ।

(ख) राजस्थान के 3 न्यायालयों में दिसम्बर, 1980 से फरवरी 1982 तक की अवधि के दौरान 1161 मामलों को निपटाया गया है । आन्ध्र प्रदेश के 5 न्यायालयों में 1980 और 1981 की अवधि में कुल 880 मामलों का निपटान किया गया । तमिलनाडू में 4 न्यायालयों ने

फरवरी और मार्च, 1982 से कार्य करना आरंभ किया है जबकि बिहार में 4 विशेष न्यायालयों द्वारा निकट भविष्य में कार्य आरम्भ किए जाने की आशा है।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये नियतन

7052. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और माहवार कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ख) उन पर्वतीय राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस धनराशि का उचित उपयोग किया है जो उनको आवंटित की गई थी ; और

(ग) क्या उनको जानकारी है कि बहुत-से राज्यों की सीमाओं पर स्थापित किए जा रहे औद्योगिक एककों से उनके लिए वित्तीय तथा सामाजिक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस बारे में क्या विस्तृत कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सम्बन्धित राज्यों के सम्बन्ध में वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकृत कुल राशि से विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

राज्य	(प्रतिशत) वर्ष 1979-80
उत्तर प्रदेश	100.00
असम	100.00
तमिलनाडु	90.56
पश्चिम बंगाल	99.98
पश्चिमी घाट क्षेत्र	
महाराष्ट्र	98.11
केरल	100.00
कर्नाटक	89.35
तमिलनाडु	79.15
गोवा	73.64

वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 के लिए इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) औद्योगिक इकाइयों के सामने ऋण की पर्याप्त पूर्ति, कच्चे माल और विपणन की समस्याएं आती हैं। निर्धारित किए गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में, जिनमें पहाड़ी जिले भी शामिल हैं, आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती वित्त, निवेश राज सहायता की और परिवहन राज सहायता की केन्द्रीय स्कीम के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

विवरण

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता के राज्यवार, वर्षवार और क्षेत्रकवार आंकड़ों का विवरण ।

(करोड़ रु०)

राज्य और वर्ष	कृषि और संबद्ध सेवाएं	सहकारिता	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत	उद्योग और खनन	परिवहन और संचार	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	सामान्य सेवाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. उत्तर प्रदेश									
1981-82	12.75	0.30	3.81	2.15	17.25	18.70	—	—	54.96
1980-81F	18.42	0.44	8.40	2.64	26.33	29.78	—	—	41.20 (वि०के०स०) +44.81 (रा०यो०)
1979-80F	14.60	0.67	5.75	0.93	22.42	25.96	—	—	32.50 (वि०के०स०) + 37.83 (रा०यो०)
2. असम									
1981-82	7.23	—	—	0.27	2.65	2.23	—	0.17	12.55
1980-81	6.20	—	0.50	1.32	0.04	1.09	—	0.46	9.61
1979-80	4.43	—	0.37	2.24	0.31	0.37	—	0.28	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. तमिलनाडु									
1981-82	1.04	—	1.56	0.30	1.13	0.10	—	0.08	4.21 (वि०के०स० की सीमा 3.79 करोड़ रु०)
1980-81	3.10	—	0.10	0.23	0.82	0.30	—	—	4.64 (वि०के०स० की सीमा 2.90 करोड़ रु०)
1979-80	1.69	—	0.25	0.13	0.56	0.19	—	—	2.82 (वि०के०स० की सीमा 2.50 करोड़ रु०)
4. पश्चिमी बंगाल									
1981-82	2.71	0.31	0.40	0.60	0.92	0.93	—	0.13	6.00
1980-81	2.59	0.45	—	0.84	0.61	0.87	—	0.10	5.46 (वि०के०स० की सीमा 5.45 करोड़ रु०)
1979-80	2.04	0.16	—	0.76	0.43	0.61	—	—	4.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिमी घाट राज्य									
महाराष्ट्र									
1981-82	2.62	—	0.62	0.34	0.20	—	—	0.02	3.80
1980-81	2.45	—	0.58	0.05	—	—	—	0.01	3.09
1979-80	1.42	—	0.71	0.03	0.33	0.07	—	0.01	2.57
केरल									
1981-82	3.15	—	—	—	0.05	—	—	0.01	3.21
1980-81	1.88	—	—	—	0.03	—	—	0.01	2.12
1979-80	1.88	—	0.02	—	0.32	—	—	0.01	2.23
कर्नाटक									
1981-82	0.84	—	0.53	0.42	0.52	—	—	0.03	2.34
1980-81	0.82	—	0.36	0.55	0.15	—	—	0.03	1.91
1979-80	0.60	—	0.20	0.66	0.05	—	—	0.03	1.54
तमिलनाडु									
1981-82	2.37	—	—	—	0.35	—	—	—	2.72
1980-81	1.30	—	—	—	0.50	—	—	—	1.80
1979-80	1.46	—	—	—	0.11	—	—	—	1.57
गोवा									
1981-82	0.18	—	0.05	—	0.40	—	—	—	0.66
1980-81	0.15	—	0.12	—	0.18	—	—	—	0.45
1979-80	0.13	—	0.16	—	0.04	—	—	—	0.33

F ये परिव्यय राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता—दोनों के लिए मिलकर हैं।

विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वि० के० स०—विशेष केन्द्रीय सहायता

रा० यो० —राज्य योजना

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की अनुमति

7053. **श्री एच० एम० नन्जे गौडा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा एकाधिकार गृहों को बिना किसी निर्यात देयता के उत्पादन करने की अनुमति दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त योजना को बनाने में सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती है कि लघु तथा मध्यम उद्योगों को नुकसान न हो और उनका विकास किसी भी तरह न रुके, और

(घ) क्या योजना क्रियान्वित करने से पहले सरकार इस मामले में लघु तथा मध्यम उद्योगों को विश्वास में लेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां 2 फरवरी, 1973 के प्रेस टिप्पण के अनुबन्ध 1 में सम्मिलित उद्योगों में भाग ले सकता है । अन्य उद्योग क्षेत्रों में उनका प्रवेश विहित निर्यात दायित्व के अधीन है । इस आधारभूत नीति में कोई परिवर्तन नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

शोर तथा दुर्गन्ध प्रदूषण के विरुद्ध कानून

7054. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि शोर तथा दुर्गन्ध प्रदूषण के विरुद्ध कानून बनाने के लिये भारी चिंता व्यक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे किसी विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) तथा (ख) शोर तथा दुर्गन्ध प्रदूषण से सम्बन्धित विधान पुरःस्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, तिवारी समिति की एक सिफारिश यह है कि पर्यावरण विभाग में एक विधि स्कन्ध होना चाहिए जो वर्तमान पर्यावरणीय विधान को अनुक्रामिक तथा क्रमबद्ध आधार पर समीक्षा करने के लिये इसे सक्षम बनाएगा और उन क्षेत्रों का सुझाव देगा जहां नये विधान की आवश्यकता होगी । सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

राजस्थान वार्षिक योजना 1982-83

7055. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राजस्थान राज्य की उपेक्षा कर दी है और उसकी वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में कोई वृद्धि नहीं की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस राज्य को अन्य राज्यों के समान बनायेगी और यदि हां, तो कैसे तथा इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) यह सही नहीं है कि योजना आयोग ने राजस्थान राज्य की उपेक्षा की थी । राज्य के अपने संसाधनों की अत्यधिक बाध्यकारिताओं के कारण वर्ष 1982-83 के लिए राज्य की वार्षिक योजना के परिव्यय में पिछले वर्ष के स्तर से वृद्धि करना साध्य नहीं था । वर्ष 1982-83 में परिव्यय के इस स्तर को बनाए रखने के लिए भी योजना आयोग ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से विशेष मामले के रूप में यह निर्णय किया था कि (1) वर्ष 1982-83 की योजना के लिए मूल्यांकित संसाधनों के मुकाबले वर्ष 1981-82 के अंत में 340 करोड़ रु० के अनुमानित घाटे को समायोजित नहीं किया जाए ; और (2) 5.82 करोड़ रु० की अग्रिम योजना सहायता आवंटित की जाए ।

(ख) राज्य के लिए वार्षिक योजना के परिव्यय को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित फार्मूले के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के आवंटन तथा राज्य के अपने अंशदान के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण

7056. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी के स्तर पर तथा इससे नीचे जीवन-निर्वाह करने वाले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिये जाति, वर्ग, अथवा लिंग का भेदभाव किये बिना आरक्षण प्रदान करने का है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को समान समझा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के साथ समान बर्ताव करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी वर्गों के साथ समान बर्ताव न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को खुशहाली के लिये विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं । छठी योजना दस्तावेज में इनकी व्याख्या की गई है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र में विस्फोट

7057. **श्री ई० बाला नन्दन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में एक ठेकेदार की फर्म के शामिल होने को ध्यान में रखते हुए इस संयंत्र में 11 मार्च, 1981 को हुए विस्फोट में सरकार को तोड़फोड़ की गतिविधियां अपनाए जाने की आशंका हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त निष्कर्ष के पीछे क्या कारण हैं ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य-मंत्री(श्री चरणजीत चानना) : (क)और (ख) बोकारो इस्पात कारखाने में 11 मार्च, 1981 को हुए विस्फोट की विस्तृत जांच करने के लिए सरकार ने एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति नियुक्त की थी। समिति के सामने दिए गए साक्ष्य तथा समिति द्वारा जांचे गए सम्बन्धित दस्तावेजों के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह विस्फोट न तो किसी तोड़फोड़ की घटना के कारण हुआ है और इसमें तोड़फोड़ की कोई सम्भावना भी नहीं थी।

समयोपरि भत्ते का पुनरीक्षण

7058. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते की दरें पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए समयोपरि भत्ते की निर्धारित अधिकतम सीमा को हटाकर पचास प्रतिशत करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक खर्च में अधिकतम किफायत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की दरों की पुनरीक्षा की जाए।

(ग) जी, नहीं।

नये संस्थानों की स्थापना

7059. **श्री मगन भाई बारोट** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बायो टेक्नोलोजी, इम्यूनोलोजी तथा मोलीक्यूलर बायोलोजी के लिए नए संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही 18 जनवरी, 1982 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड के विचारार्थ विषयों में एक विषय भारत में जैव प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सांस्थानिक संरचना निर्धारित करना है। इसमें जहां आवश्यक हो, अनुसंधान तथा उत्पादन आदि के लिए एक संस्थान स्थापित करना भी शामिल है।

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी की 1-3-1982 को हुई पहली बैठक में सूक्ष्म-जैव प्रौद्योगिकी के नए संस्थान की स्थापना के लिए सी० एस० आई० आर० (वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद) के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया। इसमें निम्न-लिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर बल दिया और मार्गदर्शी सिद्धांतों का निरुपण किया गया :

(1) संस्थान के लक्ष्य प्रतिजैविकी और एल्कोहल उत्पादन पर बल देते हुए सूक्ष्म जैविकी से सम्बद्ध औद्योगिक अनुप्रयोग पर केन्द्रित होने चाहिए।

(2) नए संस्थान को सी०एस०आई०आर० के अन्य संस्थानों (जैसे सी०सी०एम०बी०, सी० डी०आर०आई०, आई०आई०सी०बी० और एन०सी०एल०) में सम्बन्धित क्षेत्रों में पहले से किए जा रहे कार्य को ध्यान में रखना चाहिए ताकि जैव-प्रौद्योगिकी के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जा सके और जहां कहीं भी आवश्यकता हो, अन्य संस्थानों को भी पर्याप्त समर्थन दिया जा सके। इससे जैव-प्रौद्योगिकी में सम्पूर्ण सी० एस० आई० आर० कार्यक्रम की उत्पादकता को इष्टतम करने में सहायता मिलेगी।

(3) संस्थान को उपयुक्त सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ सन्निकट सम्पर्क स्थापित करने चाहिए ताकि औद्योगिक क्रियाकलाप को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा सके; और

(4) संस्थान के लिए स्थान का निर्धारण सी० एस० आई आर० द्वारा स्थापित की जाने वाली स्थान चयन समिति द्वारा किया जा सकता है। यह समिति बिजली, पानी, स्वच्छ पर्यावरण जैसे अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना को ध्यान में रखेगी और इसके साथ-साथ अतिथि वैज्ञानिकों के लिए काम करने की सुविधाओं आदि जैसी कार्यात्मक आवश्यकता को भी ध्यान में रखेगी। प्रस्तावित नए संस्थान के ब्यौरे सी० एस० आई० आर० द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में अनुसंधान के तीव्रीकरण के लिए अपनी छठी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के भाग के रूप में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जून, 1981 में निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ एक 'नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनोलोजी' की स्थापना की थी :

(क) मूल और अनुप्रयुक्त प्रतिरक्षा विज्ञान में उच्च स्तर के अनुसंधान को हाथ में लेना सहायता देना, बढ़ावा देना, मार्गदशन प्रदान करना और उसे समन्वित करना ;

(ख) प्रतिरक्षा विज्ञान, वैक्सीन विकास के क्षेत्र में और सम्बन्धित क्षेत्रों में देश में काम कर रहे विभिन्न वैज्ञानिक और अनुसंधान अभिकरणों/प्रयोगशालाओं और अन्य संगठनों के बीच सतत आधार पर प्रभावी सम्पर्क प्रदान करना और उन्हें बढ़ावा देना ;

(ग) प्रतिरक्षा विज्ञान, वैक्सीन विकास के क्षेत्र में और सम्बन्धित क्षेत्रों में विशेषीकृत स्वरूप के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सम्मेलन, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ;

(घ) प्रतिरक्षा वैज्ञानिक तरीकों और सम्बन्धित तकनीकों में प्रौद्योगिकविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ;

(ङ) प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए राष्ट्रीय संदर्भ केन्द्र (नेशनल रेफ्रेंस सेंटर) के रूप में कार्य करना और देश के चिकित्सा तथा पशुचिकित्सा संस्थानों, लोक स्वास्थ्य अभिकरणों और उद्योगों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना ;

(च) संचारणीय रोगों के लिए नए वैक्सीनों और प्रतिरक्षा वैज्ञानिक अभिकर्मकों के विकास के लिए तथा कम प्रभावी प्रतिरक्षा वैज्ञानिक विशिष्टिताओं वाले इस समय उपलब्ध वैक्सीनों के सुधार के लिए भी अनुसंधान करना ;

(छ) पुरुष तथा स्त्री प्रजनन क्षमता के नियंत्रण तथा वृद्धि के लिए प्रतिरक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करना ;

(ज) वैक्सीनों और प्रतिरक्षा वैज्ञानिक अभिकर्मकों के निर्माण के लिए उद्योग के साथ अन्योन्य क्रिया करना ;

(झ) प्रतिरक्षा विज्ञान, वैक्सीन विकास और सम्बन्धित क्षेत्रों में वैज्ञानिक तथा प्रौद्यो. गिकीय अनुसंधान के कुशलता से निष्पादन के लिए प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, भंडार तथा अन्य सुविधाएं स्थापित करना, उनकी देख-भाल करना तथा उनका प्रबन्ध करना;

(ञ) संस्थान के लक्ष्यों के संगत क्षेत्रों में विदेशी अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना ;

(ट) अनुसंधान के परिणामों से सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित तथा प्रसारित करना ;

(ठ) संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोफेसरशिप, अन्य संकायगत पद, फेलोशिप, अनुसंधान संवर्गगत पद और छात्रवृत्तियां आदि शुरू करना ;

(ड) रिसर्च स्कालरों को स्नातकोत्तर डिग्रियों के लिए अपना नाम दर्ज कराने योग्य बनाने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना ;

(ढ) भारत सरकार/राज्य सरकारों, धर्मार्थ संस्थानों/ट्रस्टों, देश के भीतर व्यक्तियों और उद्योगों से नकद अथवा अन्य रूपों में सहायता अनुदान प्राप्त करना ;

(ण) प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य क्रियाकलापों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों सहित विदेशी स्रोतों से, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, आर्थिक सहायता प्राप्त करना ;

(त) भेंट/क्रय/आदान-प्रदान/पट्टे, किराए अथवा अन्यथा जैसे भी हो, कोई चल और/अथवा अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना और संस्थान के क्रियाकलापों को सम्पन्न करने के लिए

आवश्यक अथवा सुगम, जैसा भी आवश्यक हो, भवनों और संरचनाओं का निर्माण करना, उनमें सुधार करना, परिवर्तन करना, उन्हें गिराना अथवा उनकी मरम्मत करना ;

(थ) संस्थान के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के और अन्य वचन् पत्र, विनिमय पत्र, चैक अथवा अन्य विनिमय प्रपत्र तैयार करना, उन्हें स्वीकार करना, और उन्हें कम मूल्य पर लेना, उनका पृष्ठांकन करना और उनके बारे में बातचीत करना ।

(द) संस्थान की निधियों का अथवा संस्थान को सौंपी गई धनराशि का निवेश करने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों को खोलना अथवा ऐसे तरीके से खोलना जैसा कि संस्थान के शासी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए अथवा ऐसे पूंजी निवेश का क्रय करना अथवा इसका पक्षांतरण करना ;

(ध) ऐसे अन्य सभी कार्य करना, जो संस्थान के सभी लक्ष्यों अथवा उपरोक्त लक्ष्यों में से किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक, आकस्मिक अथवा अनुकूल हों ।

(न) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित वर्तमान आई० सी० एम० आर०, डब्ल्यू० एच० ओ० रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सैंटर इन इम्यूनोलोजी को अधिकार में लेना और इसके साथ-साथ इसके वर्तमान वैज्ञानिक और अनुसंधान क्रियाकलापों, अनुषंगी परियोजना अनुदानों और सम्बन्धित अनुसंधान सुविधाओं को अधिकार में लेना ।

बिना लाइसेंस वाले आग्नेय अस्त्र

7060. **श्री एन० के० शेजवलकर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में, विशेष कर डाकुओं, लुटेरों और समाज-विरोधी तत्वों के पास बिना लाइसेंस के हजारों आग्नेय अस्त्र हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अस्त्रों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) इस खतरे को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या यह सच है कि उत्तरदायी नागरिकों को आत्म-रक्षा तक के लिए आग्नेय अस्त्र प्राप्त करने में भारी कठिनाइयां होती हैं और इसके अलावा इन अस्त्रों के मूल्य इतने अधिक हैं कि आम आदमी उन्हें खरीद नहीं सकता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अस्त्रों का लाइसेंस नीति में भारी ढील देने का है और आग्नेय अस्त्रों को बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क), (ख) और (ग) देश में अवैध शस्त्रों के परिमाण का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है और न ही इस प्रकार का अनुमान लगाना व्यावहारिक है । सरकार को देश में अवैध शस्त्रों की समस्या और इसके गंभीर परिणामों की जानकारी है । राज्य सरकारों को अवैध शस्त्रों की समस्या पर नियन्त्रण करने और अवैध शस्त्रों और गोला बारूद का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देते हुए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं । राज्य सरकारों से हमें इस विषय में अनुकूल उत्तर प्राप्त हुए हैं ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्। वास्तव में शस्त्रों की लाइसेंस नीति को कड़ा करने की आवश्यकता है।

बेरोजगारों की बीमा से सुरक्षा

7061. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेरोजगारों को निकट भविष्य में बीमा से सुरक्षा किए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त निर्णय के क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है, जो बेरोजगारी बीमा की योजना को शुरू करने सम्बन्धी सुझाव की गहराई से जांच करेगा। कार्यकारी दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

ई० पी० एफ० आर्गनाइजेशन में अधिकारियों की नियुक्ति

7062. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ई० पी० एफ० आर्गनाइजेशन में रीजनल प्रोविडेण्ट फण्ड कमिश्नरों/एसिस्टेण्ट प्रोविडेण्ट फण्ड कमिश्नरों/प्रोविडेण्ट फण्ड निरीक्षकों (ग्रेड-I) के बड़ी संख्या में ऐसे नियुक्ति के मामले हैं जो लम्बी अवधि से तदर्थ आधार पर हैं और लगभग सभी नियुक्तियों/पदोन्नतियों को नियमित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आर्गनाइजेशन के अधिकारियों में बहुत असन्तोष व्याप्त है; और

(ख) इन अधिकारियों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रलय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 5 (घ) (4) के अधीन, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किए बिना 500 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस प्रक्रिया में समय लगता है। हाल ही में विभागीय पदोन्नति समिति ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड I) और (ग्रेड-II) के संवर्गों में पदोन्नति को अन्तिम रूप दिया गया और नियमित पदोन्नति के लिए सरकार के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (विशेष ग्रेड), क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-III), सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-I) और भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड-I) की "प्रत्यक्ष भर्ती", कोटा के लिए पदोन्नति के प्रस्तावों को पहले ही संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है और अब चयन की प्रक्रिया चल रही है।

ग्रेनाइट पोलिशिंग कारखाने

7063. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ग्रेनाइट पत्थर के सबसे अधिक निक्षेप हैं, देश में कितने ग्रेनाइट पालिशिंग कारखाने चल रहे हैं तथा उनमें कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है;

(ख) ऐसे कारखानों के नाम और स्थान क्या हैं;

(ग) इन कारखानों द्वारा एक वर्ष में कितने मूल्य का ग्रेनाइट पॉलिश किया जाता है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक कारखाने द्वारा कितना निवल लाभ अर्जित किया गया और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा एक्रिलिक रेशे का आयात

7064. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने एक्रिलिक रेशे की 160 गांठों का आदेश दिया है;

(ख) क्या बम्बई पत्तन न्यास ने फरवरी, 1981 में दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को सूचित किया था कि यदि इन गांठों को रिलीज नहीं किया गया तो नीलाम कर दिया जायेगा;

(ग) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने इन गांठों को रिलीज नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को तीन वर्षों से 49 लाख रुपये की बकाया राशि सप्लायर से वसूल करनी है,

(च) यदि हां, तो इस लम्बे विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(छ) उक्त राशि शीघ्र वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा वर्ष 1977 में 164 गांठों (न कि 160 गांठें) की एक खेप का आयात किया गया था ।

(ख) से (घ) वह लाइसेंसधारी, जिसकी ओर से एक्रिलिक रेशे का आयात किया गया था न तो इस खेप की सुपुर्दगी लेने आगे आया और न दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम या किसी अन्य उपभोक्ता को कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र देने को ही सहमत हुआ । वास्तविक लाइसेंसधारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र न मिलने के कारण सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने कोई कार्यवाही करने से

इंकार कर दिया तथा इसे निपटाने के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से अधिक समय देने से भी इन्कार कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप मार्च, 1981 में उन्होंने अन्ततोगत्वा पूरी की पूरी खेप का नीलाम कर देने का निर्णय लिया।

(ङ) से (छ) यह सही है कि पिछले तीन वर्षों से बहुत सारी राशि बकाया पड़ी हुई है। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने अपनी आयात सहायता योजना के अन्तर्गत आयात लाइसेंसधारी वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कच्चे माल का आयात किया था। कुछ पार्टियों ने माल नहीं उठाया तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने आयात नियन्त्रण आदेश के अधीन कुछ कच्चा माल बेच दिया है। बकाया राशि वसूल करने के लिए व्यक्तिक्रमी पार्टियों के विरुद्ध मुकद्दमें दायर कर दिए गए हैं।

जल प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण

7065. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974 अधिनियम को पारित करने के बाद इसके अन्तर्गत जल प्रदूषण के निवारण और नियन्त्रण के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या उद्योगों की उपयुक्त स्थानों पर स्थापना के रूप में अग्रिम कार्यवाही करने की कोई योजना है ताकि नदियों में फेंकी जा रही अपशिष्ट सामग्री के कारण इस प्रमुख नदियों और छोटी नदियों को प्रदूषित होने से रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी स्वरूप क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जल प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जल प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड और 16 राज्यों में राज्य बोर्डों का गठन किया गया है। ये बोर्ड बहने की अनुज्ञप्तियां जारी करते हुए बिन्दु स्रोतों से जल प्रदूषण का नियन्त्रण करते हैं जिनके अन्तर्गत बहिस्रावों का कतिपय निर्धारितगुणवत्ता मानकों के अनुसार होना पड़ता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जब कभी कोई व्यक्ति किसी उद्योग की स्थापना करना चाहता है तो उसे राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थल के लिए अनाप्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। राज्य बोर्ड पर्यावरण को होने वाले प्रतिकूल प्रभाव की सीमा के आधार पर, उद्योग की स्थापना के लिए स्थान का अनुमोदन या निरनुमोदन कर सकते हैं।

कुद्रेमुख के द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत ईरान पर दंड

7066. **श्री के० मालन्ना** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना से निकाले गये लौह अयस्क के लिए ईरान के

अतिरिक्त दूसरे खरीदारों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत ईरान पर दंड सम्बन्धी खंड लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या ईरान के कुछ समय पूर्व के रवैये के कारण भारत को कोई हानि हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। द्विपक्षीय करार से उत्पन्न हुए विभिन्न मामलों पर इस समय ईरान के साथ बातचीत चल रही है।

(ग) ईरान के साथ चल रही बातचीत का परिणाम प्राप्त हुए बिना वित्तीय प्रभावों के बारे में बताना संभव नहीं है।

नागालैंड के साथ असम सीमा में स्थिति

7067. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के साथ संकट-ग्रस्त असम सीमा में स्थिति अत्यधिक बिगड़ गई है और ग्रुपों के बीच विवादों और पुलिस की गोलाबारी से बहुत-से व्यक्तियों की जानें गई हैं और बहुत-से व्यक्ति घायल हुए हैं;

(ख) क्या 20 फरवरी को नागालैंड के बगावों पर पुलिस की गोलीबारी के बाद स्थिति पर काबू पाने का प्रयास स्पष्ट रूप से असफल हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीच वर्गों के बीच और विवाद होने का समाचार मिला है;

(घ) यदि हां, तो क्या दोनों सरकारों के कड़े रुख से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के कारण केन्द्र का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है; और

(ङ) उस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) असम-नागालैंड सीमा पर 20 फरवरी, 1982 को पुलिस गोलीबारी, जिसके परिणामस्वरूप 2 व्यक्ति मारे गए और 3 जख्मी हुए सहित कुछेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार मामले से अवगत है और दोनों राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। उन्हें सलाह दी गयी है कि दोनों मुख्य मंत्रियों के मध्य हुए पहले समझौतों का पूरी तरह से पालन किया जाए और क्षेत्र में तेजी से शांति बहाल की जाए। केन्द्र सरकार की सलाह पर दोनों राज्य सरकारों के प्राधिकारियों ने विभिन्न मामलों को हल करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर बैठकें की हैं। स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

श्रमिकों को रुग्ण मिलें सौंपना

7068. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण एककों में कितनी धनराशि सम्बद्ध है, और

(ख) क्या सरकार इन रुग्ण मिलों को श्रमिकों को सौंप देगी ताकि इन्हें लाभप्रद तरीके से चलाया जा सकें ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, अपनायी गई रुग्ण एककों सम्बन्धी परिभाषा के अनुसार इसके द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1980 के तक अन्त रुग्ण औद्योगिक एककों पर 1808.66 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया पड़े हुए थे ।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुर्नस्थापना के बारे में सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 में परिचालित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाता है । मार्गदर्शी सिद्धान्तों की खास बातें लोक सभा में दिनांक 24 मार्च, 1982 को पूछे गए अता० प्रश्न सं० 4974 के भाग (ख) के उत्तर में बता दी गई थीं । रुग्ण एककों की पुर्नस्थापना के लिए प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी सरकार द्वारा भी एक विचारणीय विकल्प माना जाता है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में एसिस्टेंट इंस्पेक्टरों, हैड कांस्टेबलों की भर्ती

7069. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में कितने एसिस्टेंट इंस्पेक्टरों, हैड कांस्टेबलों की भर्ती की गई है; और

(ख) इन पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	अर्धसैनिक संगठन का नाम	1-1-1981 से 31-1-1982 तक भर्ती किये गये उम्मीदवारों की कुल संख्या		
		सब-इंस्पेक्टरों न कि एसिस्टेंट इंस्पैक्टरों जैसा कि प्रश्न में उल्लेख है ।	हैड-कांस्टेबल	कांस्टेबल
1	2	3	4	5
1.	सीमा सुरक्षा बल	58	3	3453
2.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	86	115	5601

भर्ती का प्रतिशत

		अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जन जातियां		
		सब इंस्पेक्टर	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल	सब इंस्पैक्टर	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
		6	7	8	9	10	11
1.	सीमा सुरक्षा बल	15.52	शून्य	15.12	5.18	शून्य	7.48
2.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	4.65	6.95	16.44	2.92	1.79	5.62

इन बलों में भर्ती संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार की जाती है, जिनमें केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चूंकि बलों के लिए भर्ती धर्म, निवास-स्थान इत्यादि के आधार पर नहीं की जाती, इसलिए अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों से सम्बन्धित आंकड़ों के अतिरिक्त ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

केन्द्रीय सरकार में राज्यों से आसूचना अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर आना

7070. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में कितने आसूचना अधिकारी हैं जो विभिन्न राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं;

(ख) राज्यवार इनकी संख्या कितनी है और वे कब से कार्यकर रहे हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) आसूचना ब्यूरो में विभिन्न पदों पर राज्य पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति पर आए 1355 अधिकारी हैं। इन व्यक्तियों के ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं है क्योंकि उनको आन्तरिक सुरक्षा के अनुरक्षण के सम्बन्ध में नियोजित किया जाता है।

धनबाद के कोयला क्षेत्र में कार्य कर रहे अपराधियों के गिरोह

7071. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार राज्य से ऐसी रिपोर्ट मिली है कि धनबाद के कोयला क्षेत्र में अपराधियों के नौ प्रमुख गिरोह कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन असामाजिक तत्वों, जिनकी राज्य में वृद्धि हो रही है, के खिलाफ अपना सहयोग दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) बिहार सरकार से कोई विशिष्ट संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है कि कोयला क्षेत्र धनबाद में अपराधियों के 9 बड़े गिरोह सक्रिय हैं। राज्य सरकार के पास इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3 बटालियनें और 3

कम्पनियां हैं। केन्द्रीय बलों को सामान्यतः राज्यों को उनके विशिष्ट अनुरोधों पर उपलब्ध कराया जाता है, जो बल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में नियुक्त करने के लिए विभागीय फीडर पदधारी पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारियों के कोटे में वृद्धि करना

7072. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने हाल ही में भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में नियुक्त करने के लिए विभागीय फीडर पदधारी पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारियों का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य रूपरेखा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या कर्मचारी इस तदर्थ वर्ग में गत दस वर्षों से अधिक अवधि से पड़े हुए हैं और उनकी पदोन्नति के कतई कोई अवसर नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं और ऐसी तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने में कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा नियमों को 1 अगस्त, 1981 से संशोधित किया गया था जिससे कि उक्त सेवा के ग्रेड IV में इससे पहले पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली अधिक से अधिक 25 प्रतिशत रिक्तियों के स्थान पर ग्रेड IV में पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली 40 प्रतिशत रिक्तियों की व्यवस्था की जा सके।

(ग) तथा (घ) भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV के पदों पर इकतालीस व्यक्ति दस वर्ष से अधिक समय से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। इस सेवा के ग्रेड IV के पदोन्नति कोटे में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए प्रवर सूची तैयार करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस प्रवर सूची में शामिल किये गए व्यक्तियों को नियमित कर दिया जाएगा। प्रवर सूची को यथा-सम्भव शीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

असम का उद्योगीकरण

*7073. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की असम में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) छठी पंच-वर्षीय योजनावधि, 1980-85 के दौरान असम में ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये राज्य क्षेत्र के अधीन 30 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। पंचवर्षीय योजना के अधीन ग्रामीण कारीगरों के

लिये निरन्तर रोजगार दिये जाने का सुनिश्चय करने तथा वर्तमान योजनाओं का विस्तार एवं विविधीकरण करके रोजगार के अवसरों को व्यापक बनाने की दृष्टि से विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं जैसे माल की प्राप्ति, भंडारण, सुधरे हुए औजारों का निर्माण तथा वितरण, विपणन सुविधाएं, प्रशिक्षण आदि को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कुछ महत्व की योजनाओं का उद्देश्य बुनकरों की सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना, ऐरी रेशम उद्योग, मंगा रेशम उद्योग तथा शहतूत उद्योग का विकास करना, सामान्य सुविधा केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा दस्तकारी का विकास करने हेतु सुधरे हुए औजारों का संभरण करना एवं कारीगरों को प्रशिक्षित करना है।

कुद्रेमुख लौह-अयस्क का प्रयोग करके एकीकृत इस्पात संयंत्र का निर्माण करने के लिए रूमानिया की पेशकश

7074. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क का प्रयोग करके एकीकृत इस्पात संयंत्र का निर्माण करने के लिए रूमानिया द्वारा कोई पेशकश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के जरिए कुटीर उद्योग

7075. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिक निर्मित वस्तुओं के जरिए स्थापित की गई घरेलू अथवा कुटीर उद्योगों की सही संख्या का ब्यौरा क्या है और इसमें उद्योगवार कितने व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू अथवा कुटीर रोजगार के विकास के लिए विशिष्ट दृष्टि से इस क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं, और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित किए जाने वाले अनुमानों का ब्यौरा क्या है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) घरेलू और कुटीर क्षेत्र के एकक आमतौर पर गैर पंजीकृत एककों के रूप में चलाये जाते हैं, अतः ऐसे उद्योगों तथा उनमें नियुक्त व्यक्तियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में, यहां तक कि निम्न प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों के लिए भी बाजार की स्वीकार्यता के लिए उत्पादन सम्बन्धी क्रिया कलापों का विकास करने हेतु कुछ निपुणता एवं कारीगरी की आवश्यकता होती है इसे दृष्टिगत रखते हुए अन्य उद्योगों के विपरीत इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का इस क्षेत्र में अधिक विकास नहीं हुआ है किन्तु निम्न प्रौद्योगिकी से विहित कुछ में उत्पाद हैं जहां घरेलू अथवा कुटीर उद्योगों में इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं का विकास करना संभव हो सकेगा। सरकार प्रौद्योगिकीय निविष्टियों, विपणन आदि के सन्दर्भ में कुछ केन्द्रीय अभिकरणों के समुचित सहयोग से घरेलू एवं कुटीर क्षेत्र में उस प्रकार के विकास की संभाव्यता का पता लगा रही है।

राउरकेला में हिन्दी माध्यम के हाईस्कूल की स्थापना करना

7076. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें राउरकेला के इस्पात नगर में हिन्दी माध्यम के हाई स्कूल की स्थापना करने के लिए राउरकेला मित्र संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धक राउरकेला इस्पात बस्ती में स्कूल चलाने के लिए केवल सुस्थापित शैक्षणिक संस्थाओं को ही सुविधाएं प्रदान करते हैं। मित्र संघ एक सांस्कृतिक संस्था है। यह सुस्थापित शैक्षणिक संस्था नहीं है, अत: उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना उचित नहीं समझा गया।

दिल्ली में पुलिस में तृतीय श्रेणी के पदों में भर्ती

7077. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पुलिस में तृतीय श्रेणी के पदों में भर्ती संघ क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ौसी रांज्यों से की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक राज्य में किन-किन तारीखों को भर्ती की गई थी और चालू वित्तीय वर्ष सहित, वर्षवार, कितने उम्मीदवार भर्ती किये गये थे;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस बारे में सभी पड़ौसी राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये क्या कार्यवाही की गई है और करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) दिल्ली राष्ट्र की राजधानी होने के कारण कांस्टेबलों (कार्यकारी) की भर्ती दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों से की जाती है। श्रेणी-3 के अन्य पदों अर्थात् उप निरीक्षक (कार्यकारी), सांख्यिकीविद, पुस्तकालय-अध्यक्ष, संवाददाता, सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक), रेडियो तकनीशियन, महिला सहायक उप निरीक्षक और वरिष्ठ दुर्घटना सेवा तकनीशियन, हैड कांस्टेबल (लिपिकीय) और कनिष्ठ आर्टिस्ट और कांस्टेबल (वाहन चालक और घुड़ सवार), पर सीधी भर्ती भारत के सभी भागों के उम्मीदवारों से दिल्ली में की जाती है और किसी विशेष राज्य के उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रहती है।

(ख) विभिन्न राज्यों से की गई कांस्टेबल (कार्यकारी) की भर्ती के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कोई राज्य-वार आरक्षण नहीं है और जो निर्धारित योग्यता रखते हैं, उन्हें भर्ती किया जाता है।

विवरण

भर्ती किए गए कांस्टेबल (कार्यकारी) की संख्या

वित्तीय वर्ष	हरियाणा से	पंजाब से	राजस्थान से	उत्तर प्रदेश से	बिहार से	मध्य प्रदेश से	केरल से	महाराष्ट्र से
1979-80	—	—	—	—	20	13	—	—
1980-81	333	286	—	164	—	—	—	—
1981-82	—	—	350	351	—	123	201	114

गुजरात का औद्योगीकरण

7078. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में निर्धारित किए गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) गुजरात के दस जिलों अर्थात् अमरेली, बनासकंठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, साबरकंठा तथा सुरेन्द्र नगर को अखिल भारतीय सावधि ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त के लिए पात्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है। रेखांकित जिले केन्द्रीय निवेश राजसहायता भी प्राप्त करने के पात्र हैं।

उपर्युक्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों और सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार भी करों में रियायत, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्ची सामग्री का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं, ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्र तथा मूल (सीड)/सीमांत (मार्जिन) धनराशि सहायता जैसी रियायतें प्रदान करती है।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा उपकरणों की सप्लाई न किया जाना

7079. **नवीन रवाणी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा उपकरणों की सप्लाई न किए जाने के कारण तापीय संयंत्र के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और

(ख) यदि हां, तो इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा समय पर उपकरणों की सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं और सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम में उपकरणों के उत्पादन को तेज करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) तापीय थर्मल संयंत्रों की स्थापना में विलम्ब का एकमात्र कारण इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा द्वारा विभिन्न तापीय विद्युत परियोजनाओं के उपकरणों की विलम्ब से पूर्ति किया जाना ही नहीं है। तथापि कुछ तापीय विद्युत केन्द्रों को इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा उपकरणों की सप्लाई करने में निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ है :

(1) ग्राहकों/परामर्शदाताओं द्वारा डिजाइन तथा इन्जीनियरिंग विशिष्टियों को अन्तिम रूप दिए जाने में हुआ विलम्ब,

(2) राजस्थान में समय-समय पर बिजली की की गई कटौती,

(3) डिजाइन विशिष्टियों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद उनमें परिवर्तन किया जाना,

(4) पूरक वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने में देरी,

(5) उप-संविदा-कर्त्ताओं द्वारा निश्चित अवधि में भी सुपुर्दगी न करवाना,

इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा जो तेजी से अपना उत्पादन प्रति वर्ष 25 प्रतिशत बढ़ा रहा है, की उत्पादन क्षमता के सम्बन्ध में कहीं किसी प्रकार की अड़चन नहीं है।

वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान अनुमोदित की गई पावर ट्रांसमिशन की योजनायें

7080. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में विभिन्न राज्यों के लिए योजना आयोग द्वारा पावर ट्रांसमिशन की कितनी योजनाएं अनुमोदित की गई थीं ;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में योजना आयोग द्वारा उड़ीसा की पावर ट्रांसमिशन की कोई योजना अनुमोदित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं का नाम क्या है ; और

(घ) आगे की जाने वाली संभावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) वर्ष 1981-82 और वर्ष 1982-83 में विभिन्न राज्यों के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित संचरण स्कीमों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	अन्तर्राज्यीय / क्षेत्रीय
1981-82	8	1	6
1982-83	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(घ) उड़ीसा राज्य के लिए कोई भी संचरण स्कीम अनिर्णीत नहीं है ।

प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक की सेवाओं में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा

7081. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित), तृतीय क्षेणी और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में भर्ती के लिए वर्तमान ऊपरी आयु सीमा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का सेवाओं के कुछ वर्गों की भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, सरकारी कर्मचारियों आदि जैसे कतिपय विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में, किसी सेवा/पद के संगत भर्ती नियमों में पहले ही दी गई आयु में छूट के अतिरिक्त सेवाओं के किसी भी वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

1. विभिन्न सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए विद्यमान आयु सीमाएं इस प्रकार हैं ,

सेवा	विद्यमान ऊपरी आयु सीमाएं
उच्चतर सेवाएं	
1. (क) अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय (श्रेणी-I समूह क) सेवाएं	28 वर्ष (सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए)

(ख) इन्जीनियरी सेवा परीक्षा (समूह क)	27 वर्ष
(ग) भू-वैज्ञानिक तथा चिकित्सा सेवा परीक्षा (समूह क)	30 वर्ष
मध्य समूह की सेवाएँ	
2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भाग न लेने वाले कार्यालयों में केन्द्रीय श्रेणी II समूह ख (अराजपत्रित) तथा सहायक	25 वर्ष
3. भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के एस० ए० एस० लेखाकारों तथा प्रभागीय लेखाकारों के अतिरिक्त केन्द्रीय श्रेणी II समूह ग (गैर-लिपिकीय)	25 वर्ष
लिपिकीय सेवाएं (श्रेणी-III समूह ग)	
4. भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में उ० श्रे० लि० ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए लोगों को छोड़कर अन्य उच्च श्रेणी लिपिक	25 वर्ष
5. अवर श्रेणी लिपिक	25 वर्ष
6. श्रेणी II समूह-घ पद	25 वर्ष

2. ये आयु-सीमाएं सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की निम्नतम सीढ़ी पर ही लागू होती हैं और तकनीकी, व्यावसायिक और विशेष सेवाओं पर लागू नहीं होगी। दूसरे मामलों में सीधी भर्ती द्वारा प्रविष्टि की न्यूनतम आयु सेवा/पद के भर्ती नियमों में निर्धारित की जाती है जो पद के लिए अपेक्षित वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और प्रविष्टि पूर्व अनुभव पर निर्भर करती है।

इसके अतिरिक्त प्रविष्टि की अधिकतम आयु में कतिपय रियायतें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, सरकारी कर्मचारियों, विधवाओं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों आदि जैसे विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों को दी जानी हैं।

दक्षिणी राज्यों में बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना

7082. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी राज्यों में उपलब्ध कच्चे माल से दक्षिण में सरकारी क्षेत्र में एक बड़े इस्पात संयंत्र की स्थापना उचित है ;

(ख) दक्षिण में स्थित कारखानों में उत्पादित इस्पात के जरिए समस्त दक्षिणी राज्यों की वर्तमान आवश्यकताएं कहां तक पूरी हो रही हैं ; और

(ग) क्या एक बड़े इस्पात संयंत्र के आवश्यक आदानों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए किसी समय कोई तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि अब तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो क्या सरकार इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण करायेगी ; और यदि हां, तो कब ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) दक्षिणी राज्यों में एक बड़ा इस्पात कारखाना लगाने के लिए कोककर कोयले को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की कच्ची सामग्री उपलब्ध है ।

(ख) लोहे तथा इस्पात का राज्यवार आवंटन करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) जी, हां । इस प्रकार के अध्ययन किए गए हैं ; आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के स्थान पर एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य चल रहा है तथा कर्नाटक राज्य में विजयनगर के स्थान पर एक कारखाना लगाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आवेदनपत्र

7083. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के पास छह महीने से अधिक की अवधि के कितने आवेदनपत्र विचाराधीन हैं,

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के उद्योगों के लिए ये आवेदनपत्र दिए गए हैं और नए संयंत्रों के परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन प्राप्त किया जायेगा, ओर

(ग) उन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ओर ऐसा कब तक किया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के छह महीनों से अधिक अविध के 26 आवेदन पत्र अनिर्णित हैं । इनमें से 12 आवेदन पत्र वनस्पति का उत्पादन करने के लिए हैं। चूंकि वनस्पति का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का प्रश्न न्याय निर्णयाधीन है, अत: इन आवेदनों पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया जा सका । अन्य उद्योग विविध रसायन, वस्त्र, कागज, सीमेंट, अलौह सेमिस तथा वाणिज्यिक गाड़ियां आदि हैं । प्रस्तावित औद्योगिक एककों के फलस्वरूप संभावित अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन का पता तभी चल सकेगा जब इन आवेदन पत्रों पर अंतिम रूप से निर्णय कर लिया जाएगा । अनिर्णीत आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

मारुति के लिए बातचीत

7084. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटी कार का निर्माण करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस बारे में किसी कम्पनी के साथ कोई बातचीत की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर मारुति उद्योग लिमिटेड ने परियोजना स्थापित करने के लिए सहयोग करने के सम्बन्ध में जापान की मे० सुजुकी मोटर कम्पनी के साथ और आगे बातचीत करने का प्रस्ताव किया है ।

एकाधिकार गृहों और बहुराष्ट्रिक कंपनियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना किया जाना

7085. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए एकाधिकार औद्योगिक एककों और बहु-राष्ट्रिक कंपनियों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो दिए गए प्रोत्साहन क्या है और क्या किसी बहु-राष्ट्रीय कंपनी अथवा एकाधिकार गृह ने इसका प्रत्युत्तर दिया है, और

(ग) यदि हां, यो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है पर, एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन के अन्तर्गत आने वाली कंपनियां 2 फरवरी, 1973 के प्रेस नोट के परिशिष्ट-I में सम्मिलित उद्योगों की स्थापना करने की पात्र हैं । इस आदेश के अनुसार देश के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में और उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी ।

(ख) और (ग) एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले एककों सहित सभी को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत-सी रियायतें और सुविधाएं दी जाती हैं । इन रियायतों में केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन, राजसहायता, रियायती वित्त, आयकर में राहत आदि शामिल है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए रोजगार आरक्षण

7086. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वतन्त्रा सेनानी समिति ने सरकार से विभिन्न विभागों और

उपक्रमों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रोजगार आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके लिए किसी पद को आरक्षित करने तथा उनकी कठिनाइयो की जांच करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

तमिलनाडु में स्थानों के संस्कृत नाम

7087. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1982 के पेट्रियट की ओर दिलाया गया है कि तमिलनाडु राज्य में स्थानों में संस्कृत नामों को तमिल में बदला जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार से भी परामर्श किया गया है ?

(ग) क्या सरकार समझती है कि कुछ ऐतिहासिक नाम भी हैं और इन नामों के पीछे समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक भवनाएं भी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में मर्यादा, स्तर या भावना को बनाये रखने के लिए सरकार को सलाह देने हेतु कोई निकाय गठित करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राम "मयूरम" का नाम बदल कर "मायिलाडुथुरई" करने का अनुमोदन कर दिया गया था ।

(ग) और (घ) ग्रामों आदि के नामों में परिवर्तन करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सुस्पष्ट परिभाषित प्रक्रिया और विस्तृत मार्गदर्शी निदेश निर्धारित किए गए हैं । मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार ऐतिहासिक सम्बन्ध वाले नामों को, जहां तक संभव हो, और जब तक कोई बहुत विशेष कारण न हो, बदलना नहीं चाहिए । जिस नाम का प्रयोग करने के लोग अभ्यस्त हो गए हों उनको बदलना वांछनीय नहीं है । अत: इस मामले में सरकार को सलाह देने के लिए पृथक निकाय गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अनुभव के आधार पर भर्ती

7088. **श्री तारिक अनवर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी उपक्रमों में विभिन्न पदों में चयन के लिए मुख्य मानदंड "अनुभव" है ;

(ख) क्या सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया है कि हाल ही में परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को "अनुभव" कहां से प्राप्त होगा ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे उम्मीदवारों को "अनुभव" प्राप्त कराने के लिए अवसर देने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) भारत सरकार के पदों/सेवाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित की जा सकती है, अर्थात् (i) प्रारम्भिक भर्ती जो प्राय: किसी सेवा या संवर्ग के सबसे निचले रैंक पर की जाती है तथा (ii) संबन्धित निम्नतर पद धारण करने वाले अधिकारियों की उच्चतर पद पर पदोन्नति। जहां तक सेवा में प्रारम्भिक प्रवेश का सम्बन्ध है, यह सर्वाधिक रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है जहां प्रवेश के लिए मानदंड के रूप में कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निश्चित की जाती हैं। तथापि, कुछ पदों और कुछ सेवाओं के लिए भी भर्ती नियमों में, पदोन्नति के अतिरिक्त, सीधी भर्ती द्वारा देरी से प्रवेश करने के तरीके का प्रावधान है। इसके लिए व्यावसायिक योग्यताएं तथा अनुभव अपेक्षित होता है। इन मामलों की संख्या बहुत कम तथा सीमित होती है।

विभिन्न प्रकाशकों को छपाई का कागज और अखबारी कागज आवंटित करने के मानदंड

7089. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकाशकों और समाचारपत्र उद्योगों को छपाई का कागज और अखबारी कागज आबंटित करने के मानदंड क्या हैं,

(ख) क्या कुछ धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशकों को छपाई के कागज और अखबारी कागज का कोटा आबंटित किया गया है,

(ग) यदि हां, तो ऐसे धार्मिक प्रकाशन गृह कौन-कौन-से हैं तथा उन्हें पृथक-पृथक रूप से कितना-कितना कोटा आवंटित किया जा रहा है ;

(घ) क्या मुस्लिम धार्मिक साहित्य के प्रकाशकों और बौद्ध साहित्य के प्रकाशकों आदि के कागज का ऐसा कोटा प्राप्त हो रहा है,

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय शैक्षिक उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को छपाई के सफेद कागज का आवंटन कर रहा है। ज्ञानप्रद मूल्य वाली धार्मिक व सांस्कृतिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए इस कागज का थोड़ी मात्रा में धार्मिक संगठनों/प्रकाशनों को आवंटन किया जाता है। मंत्रालय द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के अनुसार कम से कम दस वर्षों से स्थायी रूप से सुस्थापित संस्कृतिक संगठनों पर, जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ अपने प्रमुख कार्यकलापों के रूप में कम से कम पांच वर्षों से पुस्तकों का प्रकाशन कार्य किया है, कागज के आवंटन हेतु विचार किया जाएगा। प्रति वर्ष घोषित अखबारी कागज के आवंटन संबंधी नीति में निर्धारित शर्तों और उपबन्धों के अध्याधीन अखबारी कागज नियंत्रण आदेश के उपबन्धों के अनुसार अखबारों को अखबारी

कागज का आवंटन किया जाता है। पुस्तकों के प्रकाशकों को अखबारी कागज का कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है।

(ग) जनवरी, मार्च, 1982 की तिमाही में धार्मिक/सांस्कृतिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जिन प्रकाशकों को छपाई के सफेद कागज का आवंटन किया गया उनकी एक सूची संलग्न है।

(घ) से (च) कुरान शरीफ का प्रकाशन करने के वास्ते जनवरी-मार्च, 1982 की तिमाही में लखनऊ किताब घर को 10 मी० टन का कोटा विया गया है, बौद्ध धार्मिक-सांस्कृतिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	मात्रा (मी० टनों में)
1	2	3
1	अध्यक्ष श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम एर्नाकुलम, पो० आ० कालादी- 683574	1
2	प्रबन्धक, युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि, मथुरा।	9
3	सचिव, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन मार्ग नई दिल्ली।	3
4	प्रबन्धक रामकृष्ण मठ, धनतोली, नागपुर	33
5	प्रबन्धक, भारत दर्शन, प्रथम मैनरोड़ त्याग राज नगर बंगलौर-560028	12
6	बोका सन्यासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम संस्था, साबी बाग, अहमादाबद	7

1	2	3
7	अध्यक्ष, रामकृष्ण मठ, 11 उद्बोधन लेन, कलकत्ता 1	10
8	प्रबन्धक, गीता प्रेस गोरखपुर ।	290
6	प्रबन्धक, लखनऊ किताबघर, प्रभाकर नीलायम 405/128, चौपातियन रोड लखनऊ ।	10 (कुरान शरीफ के लिए)
		कुल-375

मैसर्स टाटा ट्रक कम्पनी द्वारा आवंटित किये गए ट्रक

7090. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स टाटा ट्रक कम्पनी द्वारा आवंटित किये जा रहे ट्रक वास्तविक प्रतीक्षा सूची के आधार पर नहीं है अपितु यह किन्हीं राजनीतिक नेताओं के आग्रह पर दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं के आग्रह पर प्राथमिकता के आधार पर ट्रक आवंटित किये गये हैं और कब तक किन्हें आवंटित किये गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) टेल्को ने बताया है कि कम्पनी द्वारा निर्मित वाणिज्यिक गाड़ियों की बिक्री उनकी निर्धारित वाणिज्यिक पद्धति के अनुसार और प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए "पहले आओ पहले पावो के आधार पर" की जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु एककों द्वारा स्टील मेल्टिंग स्क्रैप को पुन: काम में लाने के लिये कार्य का बंद किया जाना

7091 : **श्री एस० एन० कृष्ण :**

श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित स्क्रैप पर 60 प्रतिशत शुल्क लगाने के कारण स्टील मेल्टिंग स्क्रैप को पुनः काम में लाने में लगे हुए लघु एककों को बाध्य होकर अपना कार्य बन्द करना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि "स्टील स्क्रैप" को पुनः काम में लाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के प्रयास के कारण ही इन एककों की स्थापना की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो निर्माताओं की कठिनाई, श्रमिकों की बेरोजगारी और उत्पादन को बन्द करने को देखते हुए इस मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) लघु एककों द्वारा स्टील मेल्टिंग स्क्रैप की रिसाइक्लिंग करने के लिये बिजली की गलाने की छोटे आकार की भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की बहु-संख्यक इकाइयों में देशी तथा आयातित दोनों ही प्रकार के स्टेनलैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप की रिसाइक्लिंग करने के लिए इन्डक्शन मेल्टिंग भट्टियों का उपयोग होता है। अधिकांशतः बर्तनों का निर्माण करने वाले देशी उद्योगों द्वारा प्रजनित स्टेनलैस स्टील स्क्रैप का उपयोग करने के लिये इस प्रकार की इन्डक्शन भट्टी एककों की शुरुआत की गई थी। स्टेनलैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप का आयात एक प्रणालीकृत अभिकरण के रूप में शेल्टिल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के माध्यम से भी किया जाता है। आयातित स्टेनलैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप पर हाल ही में लगाये गए शुल्क से पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और इस पर सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ विचार किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में ट्रैक्टरों की मांग

7093. **श्री अनंत रामल्लु मल्लु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में ट्रैक्टरों की बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य को कितने ट्रैक्टर आवंटित किये गये;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की कितनी मांग है तथा इसे कहां तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या अन्य राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश सरकार का कोटा कम है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) देश में कृषि ट्रैक्टरों का उत्पादन कुल मिलाकर मांग के बराबर हुआ है। सरकार द्वारा ट्रैक्टरों का राज्य-वार नियतन नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

टायरों के मूल्य

7094. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के बाद स्कूटर के टायरों, ट्रक और बस के टायरों, ट्रैक्टरों के टायरों तथा पशुचालित वाहनों के टायरों के मूल्यों में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) टायरों के मूल्य 1981 में कितनी बार बढ़ाये गये और कितने प्रतिशत तक; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1979 से 13-3-1982 तक स्कूटर, ट्रक और बस टायरों, ट्रैक्टर टायरों और पशुओं द्वारा चलाये जाने वाले वाहनों के टायरों की कीमतों की बढ़ोतरी का प्रतिशत निम्नलिखित है :

	टायर के प्रकार	बढ़ोतरी का प्रतिशत
1.	स्कूटर	60.9
2.	ट्रक	64.0
3.	ट्रैक्टर	
	(क) 4 (प्लाई)	55.4
	(ख) 6 (प्लाई)	56.3
4.	पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहन	आंकड़े नहीं रखे गए

वर्ष 1981 में, मोटरगाड़ियों के टायरों और ट्यूबों के मूल्यों में बढ़ोतरी फरवरी, मई और सितम्बर में हुई और बढ़ोत्तरी का प्रतिशत 18 से 21.5 प्रतिशत के बीच है ।

टायरों की कीमतों पर कोई औपचारिक / अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है । औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों से मोटरगाड़ियों के टायरों के निर्माताओं के दावों की, जिसमें कहा गया है कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण और लागत तत्वों की अपरिहार्य बढ़ोतरी के कारण मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, जांच करने तथा सरकार को उचित कदम उठाने के लिए परामर्श देने का अनुरोध किया गया है ।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लेवी सीमेंट का वितरण

7095. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लेवी सीमेंट के वितरण के बारे में हाल में कोई नीति-निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में लेवी सीमेंट के वितरण के लिए क्या नीति अपनाई गई है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों, आवास- परियोजनाओं और फैक्टिरियों की स्थापना हेतु लेवी सीमेंट के वितरण के लिए क्या प्रक्रिया बनाई गई है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण के संदर्भ में 28-2-1982 से सीमेंट की वितरण प्रणाली में संशोधन कर दिया गया है। राज्य सरकारें अब केवल सिंचाई और बिजली संबंधी परियोजनाओं की आवश्यकताओं के लिए ही इकट्ठे आवंटन प्राप्त करेंगी । राज्य /संघशासित प्रदेश की सरकार से लेवी सीमेंट के आवंटन के लिए पात्र विभिन्न श्रेणियों का विस्तृत ब्यौरा दिनांक 27-7-82 के प्रेस टिप्पण में दे दिया गया, जिसकी एक प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3862/82]

चण्डीगढ़ में जोनल परिषद् की बैठक

7096. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1982 में चंडीगढ़ में आयोजित उत्तरी राज्यों की जोनल परिषद में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मंजूरी के प्रश्न पर विचारों में भिन्नता थी और श्रम मंत्रालय से कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था जिससे मंजूरी निर्धारित करते समय उनका पालन किया जा सकें;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) उत्तर क्षेत्र के राज्यों में मजदूरों के लिए एक समान न्यूनतम वेतन के विषय पर 6 फरवरी, 1982 को चंडीगढ़ में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 17वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था । बैठक की कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

साह एण्ड सांधी, बम्बई द्वारा बजाज आटो के वितरण में अनियमितताएं :

7097. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज आटो लिमिटेड के साह एण्ड सांधी, बम्बई नामक एकाधिकार प्राप्त डीलर बजाज आटो लिमिटेड के उत्पादों का उचित वितरण नहीं करते तथा दिनांक 28 फरवरी, 1982 की 'आन लूकर' पत्रिका के पृष्ठ 3 पर इस कम्पनी के सम्बन्ध में कुछ गम्भीर अनियमितताओं के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रत्येक अनियमितता के बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बजाज आटो लिमिटेड के उत्पादों, जिनकी भारी मांग है और जिनके लिए लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, की बिक्री और वितरण पर नियन्त्रण रखना नहीं चाहेगी, ताकि उनकी बिक्री में हो रहे कदाचारों और अनियमितताओं को रोका जा सकें;

(घ) क्या उस समय तक, जब तक कि उपरोक्त उत्पादों की बिक्री को नियन्त्रित नहीं किया जाता, सांसदों द्वारा सिफारिश किए गए मामलों को विशेष रूप से एक वर्ष में कम से कम पांच मामलों को, उचित सम्मान दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सरकार ने उल्लेखित आरोपों के बारे में मे० बजाज० आटो लि० से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। बजाज आटो लि० ने कहा है कि उनके द्वारा की गई जांच और विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर जहां तक बजाज आटो लि० के उत्पादों का सम्बन्ध है आरोपों में कोई तथ्य नहीं है।

(ग) कदाचार को समाप्त करने की दृष्टि से सरकार ने स्कूटरों व तीन पहियों वाली गाड़ियों की उनकी प्रारम्भ की तिथि से दो साल की अवधि तक पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। स्कूटरों की बिक्री और वितरण पर नियन्त्रण लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार के पास ऐसा कोई कोटा विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब और मध्य प्रदेश में काम कर रहे बिहार के आदिवासियों की दशा

7098. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के ऐसे अनेक आदिवासी श्रमिकों की दीन दशा के बारे में जानकारी है जिनमें से मध्य प्रदेश और पंजाब अथवा अन्य राज्यों में बहुत ही दयनीय स्थिति में काम लिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कुछ महिलाओं और बच्चों (अल्प वयस्क) का शोषण किया जाता है कि जब बंधुआ और प्रवासी श्रमिकों से ठेकेदारों द्वारा काम करने पर मजबूर किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कभी-कभार युवा महिलायें और पुरुष उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप गुम पाए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने बन्धुआ और प्रवासी श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) राज्य सरकारों आदि से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

1980-81 के दौरान विशेष घटक योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि और खर्च

7099. **श्री सूरज भान** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष घटक योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग कुल कितनी धन राशि आवंटित की गई;

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अलग-अलग 1980-81 और 1981-82 में पूरी धनराशि को खर्च नहीं किया और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं के लिए धनराशि के अनुमानित प्रवाह का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष संघटक योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं, इसलिए व्यय में कुछ कमियां रही हैं। तथापि राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से यह दिखाई देता है कि विशेष संघटक योजनाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत कर दी गई है। राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए सामान्य क्षेत्रक के विकास कार्यक्रमों में से स्कीमें निर्धारित करने और परिव्ययों की मात्रा तय करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही हैं। भारत सरकार भी विशेष संघटक योजनाओं के उपयुक्त और प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर बराबर जोर देती रही है; यह योजना आयोग में विचार-विमर्श के समय, पत्र-व्यवहार द्वारा और दौरों के समय किया जाता है।

विवरण

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष संघटक योजना 1980-81 परिव्यय	व्यय	विशेष संघटक योजना 1981-82 परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4410.00	3667.41	4429.48	वर्ष 1981-82
2.	असम	174.46	133.56	306.65	के लिए विशेष
3.	बिहार	3618.00	3207.00	4451.30	संघटक योजना

1	2	3	4	5	6
4.	गुजरात	2382.00	1351.93	2506.01	के लिए वास्त-
5.	हरियाणा	2851.00	2760.99	3266.37	विक व्यय अभी
6.	हिमाचल प्रदेश	679.00	630.28	1098.50	तक उपलब्ध
7.	कर्नाटक	5995.00	4619.93	5223.30	नहीं है ।
8.	केरल	1728.00	1463.65	2016.47	
9.	मध्य प्रदेश	4028.72	3124.77	4118.14	
10.	महाराष्ट्र	2276.00	1289.56	4201.08	
11.	मणिपुर	49.41	46.42	82.47	
12.	उड़ीसा	1598.76	1417.32	2811.13	
13.	पंजाब	2857.00	2162.02	1925.17	
14.	राजस्थान	4010.00	3041.81	3068.35	
15.	तमिलनाडु	6775.00	2876.59	7889.24	
16.	त्रिपुरा	190.30	151.02	291.41	
17.	उत्तर प्रदेश	6112.00	5482.61	9585.04	
18.	पश्चिम बंगाल	3851.00	2856.64	4244.30	
19.	सिक्किम	—1980-81 के लिए विशेष संघटक योजना नहीं तैयार की गई		27.01	
20.	दिल्ली	1444.00	506.08	1010.11	
21.	चंडीगढ़	1980-81 के लिए विशेष संघटक योजना नहीं तैयार की गई		53.39	
22.	पांडिचेरी	155.28	122.94	225.57	
	जोड़	55184.93	40912.53	62830.49	

पिछड़ी जातियों का विकास और उनके लिए नौकरियों का आरक्षण

7100. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंच-वर्षीय योजना में पिछड़ी जातियों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और इस धनराशि को कैसे खर्च करने का विचार किया गया है तथा उसके आधार क्या हैं?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : छठी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए 960 करोड़ रु० की कुल व्यवस्था की गई है। राज्य क्षेत्रक के अन्तर्गत परिकल्पित परिव्यय 720 करोड़ रु० है और केन्द्रीय क्षेत्रक के अन्तर्गत परिकल्पित परिव्यय 240 करोड़ रु० है। पिछड़े वर्गों के विकास के लिए चलाई जाने वाली स्कीमें इस प्रकार के शैक्षणिक प्रोत्साहकों से संबंधित हैं, जैसे छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, ठहरने के लिए अनुदान, छात्रावासों का निर्माण, पुस्तकें और लेखन-सामग्री, पुस्तक बैंक आदि। पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान और राज-सहायता भी दी जा रही है जिसमें अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमों की शेयर पूंजी के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान भी शामिल हैं। पीने के पानी की पूर्ति, मकान और मकान बनाने के लिए जगहें और कानूनी सहायता से सम्बन्धित स्कीमें शुरू करने के लिए भी सहायता दी जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि पिछड़े वर्ग क्षेत्रक के अन्तर्गत की गई धनराशि की व्यवस्थाएं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को विकास के अन्य सामान्य क्षेत्रकों से मिलने वाले लाभों की अनुपूरक होती हैं।

पिछले निष्पादन और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए परिव्ययों की व्यवस्था की जा रही है।

औद्योगिक उत्पादन में अड़चन डालने वाले तत्वों को समाप्त किया जाना

7101. **श्री माधवराव सिन्धिया** : **क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी सम्बन्धित मंत्रालयों को उत्पादन में अड़चन डालने वाले सभी तत्वों को समाप्त करने के निदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट निदेश दिये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है, इसका तात्पर्य औद्योगिक उत्पादन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों का निवारण करना है। प्रत्येक क्षेत्र के विकास में बाधा पहुंचाने वाले कारकों तथा अधिकतम उत्पादन करने के मार्ग में आने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है, प्रमुख उद्योगों के कार्यनिष्पादन की बारीकी से मॉनीटरी की जा रही है तथा जहां कहीं संभव हुआ है संशोधित उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विवादों के निपटान हेतु फोरम की व्यवस्था

7102. **श्री माधवराव सिन्धिया** : **क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कुछ ऐसे विभाग और स्वायत्त शासी कार्यालय हैं जिनमें प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विवादों पर बातचीत करने और उनका निपटान करने के लिए

संयुक्त परामर्शदायी तंत्र अथवा स्टाफ काउंसिल की भांति कोई फोरम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विभागों के नाम क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) प्रत्येक विभाग और कार्यालय में इस प्रकार के फोरम की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम, यदि कोई हैं, उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तथा (ख) यह अनुमान किया जाता है कि इसका संदर्भ संयुक्त परामर्श तंत्र के अधीन विभागीय परिषदों का गठन किए जाने से है। दो मंत्रालय विभाग अर्थात (I) पुनर्वास विभाग तथा (II) औद्योगिक विकास मंत्रालय में विभागीय परिषदों का अभी गठन किया जाना है।

(ग) सम्बन्धित विभाग (विभागों) में कार्यरत प्रभावित कर्मचारियों के मामलों से निपटने के लिए एक विभागीय परिषद गठित की जानी है। संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनिवार्य विवाचन योजना में मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं।

(घ) पुनर्वास विभाग तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभागों के लिए विभागीय परिषद के गठन की सम्भाव्यता पर विचार करें।

कपड़ा, रसायन और इलेक्ट्रानिक उद्योगों में महिलाओं के लिए रोजगार पर श्रम ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिशें

7103. **श्री एस० ए० दोराई सेबविस्तयन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा, रसायन और इलेक्ट्रानिक उद्योगों में महिलाओं के लिए रोजगार पर श्रम ब्यूरों द्वारा किए गए अध्ययन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) श्रम ब्यूरो द्वारा 1978 में वस्त्र, रसायन और इलेक्ट्रानिकी उद्योगों में महिलाओं के रोजगार के सम्बन्ध में जो अध्ययन किया गया, वह तथ्यों का पता लगाने के बारे में था। अतः रिपोर्ट में कोई सिफारिश नहीं की गई।

(ख) अतः प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1982-83 के लिए राज्यों की वार्षिक योजना

7104. **श्री चित्त बसु** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन के आवंटन में वृद्धि के बावजूद पिछली वार्षिक योजनाओं की तुलना में वर्ष 1982-83 के लिए योजना का आकार छोटा होगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्यों के लिए आवंटन का पुनरीक्षण करने का है ?

योजना मंत्री (श्री एस० वी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए और सभी राज्यों के लिए 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय वर्ष 1981-82 के लिए अनुमोदित परिव्यय से केवल कुछ ऐसे राज्यों को छोड़कर अधिक है जिनकी संसाधनों की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह पिछले वर्ष के स्तर पर ही रखा गया है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि

7105. **श्री चित्त बसु :**
श्री पीयूष तिरकी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 से औद्योगिक रुग्णता की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यवार 1981 तक वृद्धि को दर्शाने वाला विवरण पटल पर रखेगी, और

(ग) बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए कार्यवाही का कार्यक्रम क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों की कोई परिभाषा नहीं की है और इस सम्बन्ध में सरकार कोई आंकड़े एकत्र नहीं कर रही है। तथापि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अपने द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये गये अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 1979 से देश में रुग्ण एककों की संख्या इस प्रकार है :

के अन्त में	रुग्ण एककों की संख्या
दिसम्बर, 1979	22,366
दिसम्बर, 1980	24,550

(ख) बड़े रुग्ण एककों (एक करोड़ रु० या इससे अधिक का बैंक ऋण प्राप्त) और लघु रुग्ण एककों के 1979 तथा 1980 के अंतक के राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने मंझोले एककों के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े इकट्ठे नहीं किए हैं। दिसम्बर, 1980 के बाद के राज्यवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) देश में औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती घटनाओं सम्बन्धी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अक्तूबर, 1981 में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य-सरकारों और वित्तीय संस्थानों के मार्ग-दर्शन हेतु नीति सम्बन्धी कुछ अभ्युपायों की घोषणा की थी। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रमुख बातों का उल्लेख लोक सभा में दिनांक 24 मार्च, 1982 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 4974 के भाग (ख) के उत्तर में किया गया था।

विवरण

राज्य का नाम	दिसम्बर, 1979 के अन्त में		दिसम्बर, 1980 के अन्त में	
	बड़े एकक	छोटे एकक	बड़े एकक	छोटे एक
पश्चिम बंगाल	93	6948	102	7452
महाराष्ट्र	74	2763	85	2581
उत्तर प्रदेश	49	1152	49	1446
गुजरात	37	856	39	958
तमिलनाडु	32	955	31	1246
कर्नाटक	17	1037	20	1157
मध्य प्रदेश	15	525	19	538
आन्ध्र प्रदेश	14	1323	15	1625
केरल	12	653	13	763
बिहार	12	802	12	892
हरियाणा	5	225	5	200
राजस्थान	5	323	4	253
उड़ीसा	3	772	4	842
गोवा	3	75	4	73
असम	2	1045	2	1590
दिल्ली	3	530	2	579
पांडिचेरी	1	3	2	24
पंजाब	1	403	1	496
मणिपुर	—	186	—	186
त्रिपुरा	—	70	—	106
जम्मू और काश्मीर	—	71	—	65
हिमाचल प्रदेश	—	51	—	64
चंडीगढ़	—	43	—	32
मेघालय	—	25	—	22
नागालैंड	—	3	—	5
दादरा/नगर हवेली	—	—	—	3
अण्डमान निकोबार	—	—	—	2
	378	20975	409	23256

तमिलनाडु में कृषि श्रमिकों के नागरिक और मानवीय अधिकार

7106. **श्री चित्त बसु** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु में कृषि श्रमिकों के नागरिक और मानवीय अधिकारों पर एक प्रबन्ध लेख में उद्धृत गृह मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) प्रबन्ध लेख के बारे में समाचार पत्र रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है। ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सदन की मेज पर रख दिए जाएंगे ।

औद्योगिक नीति में परिवर्तन

7107. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान औद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का है जिससे इसे और अधिक वास्तविक और उत्पादन अभिमुखी बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो जिन परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्तमान में नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिभा पलायन को रोकने के प्रयास

श्री भीकू राम जैन :

श्री चिन्तामणि जैना :

डा० वसन्त कुमार पंडित :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० स्वामीनाथन हाल ही में, अमरीका में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों से मिले थे और उनके सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया; और

(ख) क्या इस बैठक में अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता करने और वैज्ञानिकों के भारत में कार्य करने के लिए सहायता देने के बारे में कोई सुझाव दिए गए थे, यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल

की विज्ञान सलाहकार समिति (एस० ए० सी०सी०) के अध्यक्ष डा० एम० एस० स्वामीनाथन जब हाल ही में (9 फरवरी से 19 फरवरी, 1982 तक) संयुक्त राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की सलाहकार समिति की अध्यक्षता करने के लिए अमरीका गये तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने वहां कुछ युवा और वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के विभिन्न प्रतिनिधि समूहों के साथ मुलाकात की। बातचीत विशेष रूप से जैव-प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों पर हुई, जो कि कृषि, चिकित्सा और उद्योगों के अनुप्रयोग को दृष्टि में रखते हुए अत्यधिक महत्व के हैं। प्रबन्धकीय मामलों, एन्जाइम, रसायनों और आइसोटोपों की व्यवस्था, जनशक्ति विकास, सांसाधनिक प्रशिक्षण, सूचना का संकलन और आदान-प्रदान, निरन्तर पुनर्निवेशन के सांस्थानिक तंत्र आदि पर भी बात-चीत हुई। अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों, जैसे वैक्सीन उत्पादन, इन्टरफीरोन अनुसंधान, संशिलष्ट पेप-टाइडों का उत्पादन, नाइट्रोजन योगीकरण आदि को सहयोगात्मक और विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों की विशेष योग्यता से लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण समझा गया।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का दूसरा चरण

7109. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के दूसरे चरण के लिए उत्पादन लक्ष्य काफी बढ़ा दिया है और इसमें नई विशेषताएं जोड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब कितने अधिक देशी कच्चे माल और जनशक्ति का प्रयोग किया जा सकता है; और

(ग) क्या पूंजी-निवेश लक्ष्य भी बढ़ गया है और यदि हां, तो किस सीमा तक और क्या निर्माण के इस चरण के लिए विदेशी सहायता लेने का हमारा विचार है और यदि हां, तो किन देशों ने हमारी सहायता करने में रुचि प्रकट की है और ली जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। इस्पात कारखाने की द्रव इस्पात की प्रस्तावित क्षमता—अर्थात 34 लाख टन क्षमता—में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने जून, 1979 में कुल 2256 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विशाखापत्तनम में एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी थी जिसमें 500.20 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च होने थे, लेकिन इस अनुमान की मंजूरी देते समय यह शर्त लगायी गई थी कि एक व्यापक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत और पक्के परियोजना लागत अनुमान तैयार किए जाएंगे और इस रिपोर्ट में आधुनिक प्रौद्योगिकियों और अन्तिम रूप से नियत किया गया प्रोडक्टमिक्स का समावेश होगा। व्यापक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 2,935.41 करोड़ रुपये

है। सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) और निर्माणावधि में ब्याज को मिलाकर संशोधित लागत 3098.98 करोड़ रुपये बैठती है।

भारत सरकार और सोवियत रूस की सरकार के बीच दिनांक 12 जून, 1979 को हुए अन्तः सरकारी करार के अन्तर्गत सोवियत रूस द्वारा 250 मिलियन रूबल के दिये गये ऋण का उपयोग विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए किया जाना है। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए और ऋण देने के लिए अभी औपचारिक रूप से कोई अनुरोध नहीं किया है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि सोवियत रूस की सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए 250 मिलियन रूबल का एक और ऋण देने की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

सीमेंट के एक समान बिक्री मूल्य

7110. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री मोहन लाल पटेल :
श्री नवीन रवाणी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग ने निचले स्तरों पर देश में सीमेंट के मूल्यों को स्थिर बनाने में सहायता करने के लिए संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सीमेंट उद्योग ऊपरी खर्चों और परिवहन प्रभारों सहित विभिन्न तत्वों पर विचार करते हुए प्रत्येक तिमाही के लिए क्षेत्रीय आधार पर समान बिक्री मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया है ;

(ग) मूल्यों को कम करने और देश में सभी क्षेत्रों में सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए सीमेंट उद्योग ने अन्य क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) सभी क्षेत्रों में किस सीमा तक सीमेंट उपलब्ध है और किन मूल्यों पर ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) गैर-लेवी सीमेंट मूल्य तथा वितरण के नियन्त्रण से मुक्त है। किन्तु सीमेंट उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार से भेंट की थी तथा यह आश्वासन दिया था कि सीमेंट उद्योग परिवहन लागत की ओर ध्यान दिए बिना कमी वाले क्षेत्रों सहित देश में सभी क्षेत्रों को कम से कम 1981 में प्राप्त स्तर तक सीमेंट की सप्लाई गैर-लेवी कोटे से करता रहेगा। सीमेंट उत्पादक संघों ने विभिन्न राज्यों के लिए सीमेंट के अधिकतम उपभोक्ता मूल्य की भी घोषणा की है जो निम्न प्रकार है :

50 किलोग्राम की प्रति बोरी	राज्य/संघशासित प्रदेश
1	2
रुपये	
70 रुपये	महाराष्ट्र
65 रुपये	गुजरात, कर्नाटक, केरल, जम्मू तथा काश्मीर, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्य।

1	2
62 रुपये	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश

सीमेंट के सम्बन्ध में घोष समिति की सिफारिशें

7111. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त एल० कुमार समिति और मौजूदा ए० के० घोष समिति की सिफारिशों की विषय-वार तुलना क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : श्री लवराज कुमार की अध्यक्षता में सीमेंट उद्योग पर गठित उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार थीं :

(1) सीमेंट के संधारण मूल्य की तीन प्रकार की प्रणाली शुरू करना,

(2) समस्त देश में सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलाना युक्त सीमेंट तथा पोर्ट-लैंड स्लैग सीमेंट के रेलपर्यन्त नि:शुल्क मूल्यों का एक समान रखना,

(3) जिन एककों में आयल फायरिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनमें मट्टी के तेल की खपत के लिए राजसहायता देना जारी रखना, वर्तमान सेटों के लिए सीमेंट उत्पादनकारी एककों द्वारा कैप्टिव बिजली पैदा करने के लिए राजसहायता देना ।

औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष डा० ए० के० घोष की अध्यक्षता में सीमेंट उद्योग के विकास पर बनाई गई समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) समस्त देश में सभी सीमेंट एककों के लिए सीमेंट के कारखाने से निकलते समय के संधारण मूल्य समान होने चाहिए,

(2) सीमेंट का आंशिक विनियन्त्रण तत्काल लागू किया जाये,

(3) सभी विद्यमान एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता का 75 प्रतिशत सीमेंट पहले सीमेंट नियंत्रक को दें और इससे अधिक मात्रा को मूल्य अथवा वितरण पर कोई नियंत्रण लगाये बिना खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए ।

(4) 1 जनवरी, 1982 से उत्पादन प्रारम्भ करने वाले सभी नए एककों के लिए चार वर्षों की अवधि तक सीमेंट की मात्रा उत्पादन के 60 प्रतिशत पर निश्चित की जाए, और

(5) कम समय में सीमेंट की आपूर्ति को पूरा करने और खुले बाजार में इसकी कीमतों पर रोक लगाए रखने के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा सीधे अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सीमेंट का आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

नए एककों के लिए प्रोत्साहन

7112. **श्री तारिक अनवर** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े, मध्यम और लघु औद्योगिक क्षेत्रों में (क्षेत्रवार) उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन, मात्रा और शर्तें तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा (राज्यवार) इस प्रयोजन के लिए क्या विभिन्न प्रोत्साहन दिए गए हैं ; और

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा नए औद्योगिक एककों को दिए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनों की तुलनात्मक मात्रा और संख्या कितनी है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश तथा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों तथा रियायतों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों सम्बन्धी केन्द्रीय रूप में जानकारी इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

विवरण

भारत औद्योगिक निवेश तथा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहन तथा रियायतें देता है। कर सम्बन्धी महत्वपूर्ण रियायतों तथा अन्य प्रोत्साहनों का वर्णन नीचे दिया गया है।

1. **करावकाश** : नये औद्योगिक उपक्रमों को विविध श्रेणियों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के मामले में उनके द्वारा अर्जित लाभ के 25 प्रतिशत की सीमा तक 8 वर्षों की अवधि के लिए तथा अन्य हकदारों को इस प्रकार के 20 प्रतिशत तक के लाभ पर आयकर में छूट मिलती है।

2. **पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योगों के लिये रियायत** : विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए नए औद्योगिक उपक्रमों तथा होटलों द्वारा अर्जित लाभ पर कर योग्य लाभ की गणना करते समय 20 प्रतिशत के बराबर की कटौती करने की अनुमति दी गई है। यह रियायत उद्योग की स्थापना की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है।

3. **मूल्य ह्रास रियायत** : भारतीय कर कानूनों की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए उदार रूप से मूल्यह्रास देने का प्रावधान है। संयंत्र एवं मशीनों का भी 5 से 100 प्रतिशत तक के मूल्य-ह्रास की दर से उनके उपयोगी होने पर उनका सात विशद श्रेणियों में पुनः वर्गीकरण कर दिया गया है।

एक से अधिक पारी में काम करने वाले संयंत्र तथा मशीनों के लिए भी अतिरिक्त पारी रियायत दी जाती है।

4. **अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ता** : नए संयंत्रों एवं मशीनों के सम्बन्ध में अधिष्ठापना वर्ष

में सामान्य मूल्यह्रास के 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त मूल्यह्रास रियायत देने की अनुमति दी है।

5. **निवेश रियायत** : कर योग्य लाभ से एक अन्य कटौती करने की भी अनुमति है। यह अनुमति बिजली पैदा करने तथा उसके विवरण अथवा किसी अन्य विद्युत शक्ति, निर्माण, किसी वस्तु का उत्पादन करने अथवा जिन वस्तुओं को निम्न प्राथमिकता वाला समझा जाता है, उसे छोड़कर अधिष्ठापित नए संयंत्रों व मशीनों की लागत के 25 प्रतिशत की दर से दी जाती है।

6. **वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य पर हुए व्यय की कटौती** : वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुआ सभी राजस्व व्यय जो व्यापार से सम्बन्धित है, कर योग्य व्यापारिक लाभ की गणना में पूर्ण रूप से कटौती के लिये ग्राह्य है। व्यय के वर्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाला पूंजीगत व्यय पूरी कटौती की भी अनुमति मिली हुई है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की उद्योग द्वारा हिस्सा बंटाने को प्रोत्साहित करने हेतु किसी भी स्वीकृतिशुदा अनुसंधान कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास एककों को व्यय के 125 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटौती की अनुमति प्राप्त है।

7. **सम्पत्ति करावकाश** : नई कंपनियों के शेयरों में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से व्यक्तियों को इक्विटी शेयर मूल्य, जो निर्माण कार्य तथा विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन अथवा निर्माण में कार्यरत नयी औद्योगिक कम्पनियों की प्रारम्भिक इक्विटी पूंजी का एक अंग है, के संबंध में सम्पत्ति कर से छूट मिली हुई है। यह छूट लगातार 5 वर्षों के लिए उपलब्ध है।

8. **अतिरिक्त कर से छूट** : गैर आवासीय कम्पनी के मामले में, जिसने भारत के अन्दर लाभांश की घोषणा व भुगतान करने के लिए निर्धारित व्यवस्था नहीं की है, आयकर पर ब्याज रायल्टी, अथवा सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा भारतीय कम्पनी से प्राप्त तकनीकी सेवा व शुल्क के रूप में उसके आयकर पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया जायेगा।

9. **पेटेन्टस्, व्यापार चिह्न आदि के लिए भुगतान** : पेटेन्टस् तथा व्यापार चिह्नांकन कार्य अथवा तकनीकी जानकारी की बिक्री आदि के लिए किसी विदेशी निवेश कर्त्ता द्वारा प्राप्त भुगतानों पर यदि यह पूंजी आय है, तो कर नहीं लगेगा।

10. **भारतीय उद्यम को दिये ऋणों पर ब्याज** : विदेश में भारतीय कम्पनियों द्वारा संयंत्रों एवं मशीनों अथवा विदेशों से कच्चे माल की खरीददारी के लिए उधार ली गई धन राशि अथवा ऋण के सम्बन्ध में भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम से विदेशी निवेशकर्त्ता द्वारा प्राप्त ब्याज सरकार द्वारा स्वीकृत दरों तक कर से मुक्त है।

11. **विदेशी विशेषज्ञों के लिये करों में रियायतें** : विदेशी तकनीशियन तथा भारत में कार्यरत विशेषज्ञ कुछ आय जैसे बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्यय, छुट्टी-अवकाश आदि पर व्यय के सम्बन्ध में करों में कुछ रियायतों का लाभ उठाते हैं।

12. **निर्यात बाजार विकास सम्बन्धी रियायत** : अनावासीय कर भुगतान कर्त्ताओं को निर्यात संवर्धन में हुए व्यय पर व्यापारिक आय से एक तथा एक तिहाई व्यय की राशि के बराबर कटौती करने की अनुमति प्राप्त है। यह रियायत नियमित तथा अनियमित का भुगतान कर्त्ता दोनों

ही के लिए उपलब्ध है । इस सम्बन्ध में ग्राह्य होने के लिये व्यय का सम्बन्ध विज्ञापन, भारत के बाहर प्रचार कार्य, अथवा भारत के बाहर शाखा अथवा कार्यालय के रख-रखाव अथवा भारत के बाहर बिक्री को बढ़ावा देने हेतु भारत से बाहर की यात्रा से होना चाहिए ।

13. **पिछड़े जिलों में निवेश राजसहायता** : देश में विशिष्ट पिछड़े जिलों में स्थापित नये औद्योगिक एकक सरकार से पूंजीगत निवेश की 15 प्रतिशत अथवा 15 लाख रुपये, जो भी कम हो की निवेश राजसहायता सरकार से पाने के हकदार हैं । उत्तरपूर्वी क्षेत्र के पिछड़े जिलों के लिए यह राजसहायता पूंजीगत निवेश के 20 प्रतिशत के बराबर अथवा 20 लाख रुपये तक जो भी कम हो, की होगी ।

14. **परिवहन राजसहायता** : इस योजना में चुने हुए क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के लिए कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की परिवहन लागत की 50 प्रतिशत तक जो भी क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है, परिवहन राजसहायता देने का विचार है ।

हरिजनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में सर्वेक्षण

7113. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय अथवा योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी यह सर्वविदित है कि अनुसूचित जातियां अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं ।

समुद्र से भूमि कटाव

7114. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हमारे देश में समुद्र से भूमि-कटाव हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह भूमि कटाव किन-किन स्थानों पर हो रहा है ; और

(ग) इस कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां, कुछ समुद्र-तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तरंग द्वारा समुद्र तट की भूमि कटाव की समस्या पूर्व तथा पश्चिम तटों पर देखने में आई है । यह, विशेषकर वर्षाऋतु के दौरान, एक प्राकृतिक घटना है । केरल तटरेखा के कुछ क्षेत्रों में यह समस्या महत्वपूर्ण बताई गई है ।

(ग) जहां कहीं समस्या महत्वपूर्ण स्वरूप की है, वहां राज्य सरकारें समुद्र तटों को सुदृढ़ बनाने, समुद्री दीवार बनाने, ग्राइवनस बनाने आदि जैसे आवश्यक उपाय कर रही हैं।

महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

7115. **प्रो० नारायणचन्द पराशर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चंडीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार है जिससे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह के कोई क्षेत्रीय संस्थान पहले ही स्थापित किए गए हैं, तथा वे किन स्थानों पर हैं और किन तारीखों को उनकी स्थापना की गई ;

(ग) किस तारीख तक चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए क्षेत्रीय संस्थान खोला जाएगा और काम शुरू कर देगा ; और

(घ) इस संस्थान की मंजूरी देने और इसे खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? विशेषकर जबकि जम्मू एवं काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ के संघशासित क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों की महिलाओं को इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है और क्योंकि इन राज्यों के इस प्रयोजन के लिए चंडीगढ़ आदर्श स्थान है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

परियोजना के पहले चरण की समाप्ति के बाद (मार्च, 1982 में, जिसे अब दिसम्बर 1982 तक बढ़ा दिया गया है), योजना अवधि के दौरान क्रमिक तरीके से और अधिक क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नाम, स्थान तथा उन्हें स्थापित किए जाने की तारीखें निम्न प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली—मई, 1977

(2) क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई—अगस्त, 1977

(3) क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर—अक्तूबर, 1977

(ग) इस मामले पर परियोजना के दूसरे चरण में विचार किया जाएग।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब के सिखों की शिकायतों के सम्बन्ध में वार्ता

7116. **डा० कृपासिन्धु भोई :**

श्री लहना सिंह तुर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिखों की शिकायतों और पंजाब में विकास के सम्बन्ध में अकाली दल के साथ हुई प्रधान मंत्री की वार्ता में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) किन-किन मांगों का समाधान कर दिया गया है ; और

(ग) अन्य मांगों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) अकाली नेता विचार-विमर्श के लिए 5 अप्रैल, 1982 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिले थे। इस संबंध में की गई बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

नारियल जटाओं की बिक्री

7117. **श्री कृपा सिन्धु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल जटाओं के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की योजना तैयार करने हेतु राज्य विपणन संघों का सम्मेलन बुलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में नारियल जटाओं के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार और कयर बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में कयर और कयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक अभ्युपाय किए हैं/कर रही है। किए गए अभ्युपायों में कुछ इस प्रकार हैं :

(1) क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन देना।

(2) रेडियो पर विभिन्न भाषाओं में विज्ञापन प्रसारित करना,

(3) कयर उत्पादों के उपयोग के सम्बन्ध में विभिन्न भाषाओं में फोल्डर वितरित करना,

(4) पर्व स्थलों पर कयर पर फिल्में दिखाना,

(5) पर्व स्थलों में चलती-फिरती गाड़ियों मोबाईल द्वारा प्रचार-बिक्री की व्यवस्था करना।

(6) कयर उत्पादों की ठेलों पर बिक्री करना।

उड़ीसा में फैरो निकेल संयंत्र की स्थापना किया जाना

7118. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे इस्पात संयंत्रों के स्टेनलैस स्टील का निर्माण करने वाले कार्यों को बल प्रदान करने के लिए हमारे देश द्वारा फैरो निकेल का वार्षिक आयात किस सीमा तक किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सुकिन्दा, जहां प्रचुर मात्रा में फैरो निकेल विद्यमान है के समीप एक फैरो निकेल संयंत्र स्थापित करके देशी साधनों से ही इस आयात को पूरा किया जा सकता है ;

(ग) क्या नार्वे में उड़ीसा क औद्योगिक संवर्द्धन निगम द्वारा किए गए परीक्षणों के अच्छे परिणाम रहे हैं और क्या उड़ीसा में फैरो निकेल परियोजना की अच्छी क्षमता उभर कर सामने आई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस शत-प्रतिशत आयात-प्रतिस्थापन परियोजना को समुन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और इस्पात तथा खान मंत्रालयों में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1979-80 में 2,498 टन फैरो निकेल का आयात किया गया था। इसके बाद की अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) सुकिन्दा के निकल-अयस्क का इस्तेमाल करके फैरो निकेल संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

कोटा परमाणु बिजलीघर का बंद होना

7119. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री जयनारायण रौट :
श्री हरिनाथ मिश्र :
श्री एच० एन० नंजे गौडा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा परमाणु विद्युत परियोजना बंद कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से बन्द किया गया है ;

(ग) इसको बन्द किए जाने का क्या कारण है ; और

(घ) राजस्थान के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पुनः आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) से (घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट को टर्बाइन के एक दोष के कारण 20-1-82 को बन्द किया गया था। टर्बाइन के ऐसे कुछ ब्लेड, जिन्होंने काम करना बन्द कर दिया था, बदले जा रहे हैं और रख-रखाव का काम भी चल रहा है। राजस्थान परमाणु बिजली घर का पहला यूनिट 4-3-1982 को इस कारण से बन्द कर दिया गया कि उसके एक ऐसे एण्ड-शील्ड से हल्का पानी फिर से रिसने लगा, जिससे हल्के पानी के

रिसने को पहले रोका गया था। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि एण्ड-शील्ड की मरम्मत स्थायी रूप से करने के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। दोनों ही यूनिटों को यथा-शीघ्र फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है।

केन्द्र सरकार राजभाषा के अधिकारियों के वेतनमान

7120. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की राजभाषा सेवा के अधिकारियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम० ए० निर्धारित की गई है जबकि सहायक ग्रेड सेवा, केन्द्रीय आसूचना सेवा, और भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि के लिए यह बी० ए० है ;

(ख) क्या उच्च योग्यता के बावजूद अनुवादक आदि के वेतनमान उक्त सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों की तुलना में कम रखे गए हैं ;

(ग) क्या अनुवादक आदि के पद श्रेणी "ग" में शामिल किए गए हैं जबकि सहायकों, आशुलिपिकों आदि के पदों को श्रेणी "ख" की संज्ञा दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार की राजभाषा सेवा के लिए अधिक योग्यता तथा कार्यकुशलता की आवश्यकता को देखते हुए इस सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों को बढ़ाने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर): (क) जी नहीं। केन्द्रीय संचिवालय राजभाषा सेवा में निम्नलिखित पांच ग्रेड होंगे :

(1) ग्रेड-V कनिष्ठ अनुवादक (425-700 रु०)

(2) ग्रेड-IV वरिष्ठ अनुवादक (550-800 रु०)

(3) ग्रेड-III सहायक निदेशक (650-1200 रु०)

(4) ग्रेड-II उप निदेशक (1100-1600 रु०)

(5) ग्रेड-I निदेशक (1500-1800 रु०)

कनिष्ठ अनुवादकों के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता बी० ए० रखी गई है। ग्रेड-III और IV के केवल ऐसे पदों के लिए, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा, न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता एम० ए० है।

(ख) विभिन्न पदों के वेतनमान कई एक मुद्दों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें से शैक्षिक अहर्ता एक है।

(ग) जी हां।

(घ) व (ङ) जी नहीं। क्योंकि विभिन्न पदों के वेतनमान कई एक मुद्दों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, सेवा के विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों के वेतनमानों को बढ़ाने का विचार नहीं है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े तालुकों की घोषणा किया जाना

7121. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन निर्धारित करने के क्या नियम बनाए गए हैं , और इस समय इस प्रकार के पिछड़े क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है और क्या ये क्षेत्र जिला स्तर के हैं अथवा तालुका स्तर के ;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए जिले को एक एकाई के रूप में मानते हुए किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन का सही-सही मूल्यांकन नहीं होता और उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रगति की गति अवरुद्ध हो रही है ; और

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि यदि औद्योगिक पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए जिले के स्थान पर तालुका को एक एकाई माना जाता है, तो इससे सही स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी और औद्योगिक प्रगति की गति तेज होगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की सितम्बर, 1969 में हुई बैठक में हुए निर्णयों के अनुसरण में योजना आयोग ने दिसंबर, 1969 में आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाए थे :

(1) इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या जिला मुख्य रूप से खाद्यान्नों/नकदी फसलों का उत्पादक है प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों/वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन ।

(2) खेतिहर कामगारों से जनसंख्या का अनुपात ।

(3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल) ।

(4) प्रति लाख जनसंख्या पर फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या या वैकल्पिक रूप में प्रति लाख जनसंख्या पर द्वितीयक और तृतीयक कार्यकलापों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ।

(5) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत ।

(6) जनसंख्या की तुलना में पक्की सड़कों की लंबाई या जनसंख्या की तुलना में रेलवे की मील दूरी ।

यह भी बताया गया था कि केवल राज्य के औसत से काफी नीचे सूचकांक वाले जिलों को ही वित्तीय संस्थाओं से उपयुक्त प्रोत्साहनों के लिए चुना जाए ।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस प्रयोजन के लिए अपनाए गए मापदंडों के ब्यौरों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, 247 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में निर्धारित किया गया है जो आवधी ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती वित्त की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र हैं । इनमें से 101 जिले/क्षेत्र निवेश राज्य सहायता की केन्द्रीय स्कीम के लिए भी पात्र हैं ।

(ख) और (ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई

औद्योगिक प्रकीर्णन संबन्धी रिपोर्ट पर निर्णय किए जाने तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के निर्धारण के लिए मापदंड सहित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के समग्र प्रश्न की जांच की जा रही है।

हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों की भर्ती

7122. **श्री रामस्वरूप राम : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजभाषा सेवा की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी अनुवादकों/हिंदी अधिकारियों की भर्ती किन नियमों के अंतर्गत की जाती है ;

(ख) विभिन्न मंत्रलयों/विभागों में इन पदों पर प्रत्येक श्रेणी में कार्य कर रहे कार्मिकों की संख्या कितनी है और उन्हें भर्ती करने के लिए न्यूनतम अहर्ताओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए कोई आरक्षण किया जाता है; और

(घ) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में इन पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उसमें अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों क प्रतिशत कितना है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भाग लेने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के हिन्दी अनुवादकों के पदों पर भर्ती केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम, 1981 के अंतर्गत की जायेगी। सेवा के समूह "क" और "ख" के पदों के लिए नियमों को अंतिम रूप देने तक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों / विभागों को यह राय दी गई है कि वे अपने हिन्दी अधिकारी के पदों पर नियुक्तियां यथासंभव सेवा के समूह "ग" के ग्रेड -4 में शामिल वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, आदि के पदों के पदाधिकारियों में से तदर्थ आधार पर करें। सेवा में भाग न लेने वाले मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी अनुवादक और हिंदी अधिकारी के पदों पर भर्ती संबंधित भर्ती नियमों के अंतर्गत की जाती है।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर का विम और स्कोरर

7123- **श्री के०ए० राजन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इगलैंड की यूनी लीवर लिमिटेड के सहायक उद्योग हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा उद्योग 7 (विकास और विनियमन) के उपनियमों में मंजाई पदार्थों को शामिल न करने का अधिकतम लाभ लिया गया है जिससे कि इसके अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड "विम" की अंधाधुन्ध उत्पादन किया जाये और उसे अत्यधिक मूल्यों पर बेचा जाए ;

(ख) क्या मंजाई पदार्थ के उत्पादन हेतु सोडा ऐश के साथ मिश्रित संगमरमर और चिकनाई

दूर करने वाले मिश्रित आधारभूत सामग्री और इसके उत्पादन के लिए किसी आधुनिक औद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती ;

(ग) क्या मंजाई-पदार्थ को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं में आसानी से शामिल किया जा सकता है ; यदि हां, तो मंजाई-पदार्थ को इस सूची में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कानून में आवश्यक संशोधन कब करने का सरकार का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) स्कोरर का उत्पादन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की सीमा के बाहर आता है । अतः इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत क्षमता को विनियमित करना संभव नहीं है । "विम" की बिक्री पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची में स्कोरर को सम्मिलित करने अथवा न करने सम्बन्धी प्रश्न की जांच चल रही है ।

दस व्यक्तियों से अधिक को रोजगार देने वाले संस्थानों तक कर्मचारी भविष्य निधि का विस्तार

7124. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस व्यक्तियों को अपने यहां रोजगार देने वाले संस्थानों के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 को विस्तार करने संबंधी प्रश्न गत दस वर्षों से सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो कोई अन्तिम निर्णय क्यों नहीं किया जा सका और किस तारीख तक इस मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी विस्तृत कारण क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) अधिनियम में पहले ही व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार विधिवत् नोटिस देने के पश्चात अधिनियम के उपबंधों को 20 व्यक्तियों से कम व्यक्ति नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान पर लागु कर सकती है। तथापि दस या दस से अधिक नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर अधिनियम के उपबंधों को समान रुप से लागू करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने की आवश्यकता है। अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव, जिसमें यह भी शामिल है, सरकार के विचाराधीन है ।

बजाज और प्रिया स्कूटर के लम्बित पड़े मामले

7125. **श्री भीखाभाई** :

श्री रतन सिंह राजदा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बजाज और प्रिया स्कूटरों की डिलीवरी के लम्बित पड़े मामलों की संख्या, डीलर-वार कितनी है और वर्ष 1981 के दौरान प्रत्येक डीलर को कितना तिमाही कोटा जारी किया गया ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिसम्बर, 1981 तक इन स्कूटरों का कितना उत्पादन हुआ ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) निर्माताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विस्तृत ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3863/82]

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन स्कूटरों का उत्पादन निम्नप्रकार है :

वर्ष (जन०-दिस०)	बजाज सुपर	बजाज चेतक	प्रिया
1979	12,510	17,763	19,491
1980	32,138	39,516	25,006
1981	40,728	43,442	24,546

मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड द्वारा प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का आवेदन

7126. **श्री भीखाभाई :**
श्री रतन सिंह राजदा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बजाज आटो और महाराष्ट्र स्कूटर्स के निदेशक मण्डल द्वारा खुले बाजार की बुकिंग के अलावा प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का आवंटन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1980 और 1981 के दौरान और फरवरी, 1982 तक कितने व्यक्तियों को प्राथमिकता पत्र जारी किये गये ;

(ग) प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का आवंटन करने हेतु इन कम्पनियों के निदेशकों आदि द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया ; और

(घ) वास्तव में, प्राथमिकता पत्र जारी करने के लिए, कौन अधिकृत है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) निर्माताओं ने बताया है कि आमतौर पर स्कूटरों का आवंटन ग्राहकों द्वारा पंजीकरण की तारीख के क्रम के अनुसार किया जाता है । किन्तु संबंधित कम्पनियों के प्रबन्धकों की इच्छानुसार कुछ मामलों में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किए जाते हैं । प्राथमिकता संबंधी पत्र प्रबन्ध निदेशक या

सेल्स एग्जिक्यूटिव द्वारा जारी किये जाते हैं। निर्माताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त आवंटनों के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :

	1980	1981	1982
बजाज सुपर	1213	883	363

प्रिया स्कूटरों के मामले में यह बताया गया है कि 1-1-1980 से 28-2-1982 तक की अवधि में प्राथमिकता के आधार पर 27 स्कूटरों का आवंटन किया गया है। ये आवंटन मुख्यरूप से कम्पनी के कर्मचारियों को किए गए हैं।

जन-जाति उपयोजना के आधारभूत लक्ष्यों की प्राथमिकता में परिवर्तन

7127. **श्री भीखा भाई : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की जनजाति उपयोजनाओं के आधारभूत लक्ष्यों की प्राथमिकता में परिवर्तन करने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने प्रत्यनतः जनजातियों को लाभ पहुंचाने की योजनायें तैयार करने के बजाय मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाओं, सड़कों आदि जैसी क्षेत्र विकास योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है;

(ग) क्या अनेक राज्यों में जनजाति विकास के नाम पर भारी प्रशासनिक खर्चा किया गया है और किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने कोई निष्पक्ष निगरानी सेल अथवा देखभाल करने हेतु और व्यर्थ के खर्चों को रोकने के लिए पुनरीक्षा तन्त्र बनाया है;

(ङ) क्या इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया गया है;

(च) क्या सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या जन-जातियों को अलग-अलग लाभ देने वाली योजनायें तैयार करने के लिए और आगे मार्गदर्शी सिद्धान्त देने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जनजातियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली और आय उत्पन्न करने वाली योजनाओं और क्षेत्र विकास योजनाओं पर बल दिया जाता है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

(घ) गृह मंत्रालय में एक निगरानी सेल स्थापिय किया गया है। निगरानी और पुनरीक्षण पद्धतियां राज्य सरकारों के भी कार्य हैं।

(ङ) लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है।

(च) लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के लिए जनजातीय उपयोजना में नियोजन प्रक्रिया पर बल देने के वास्ते राज्य सरकारों को मार्गदर्शी निदेश जारी किए गए हैं। मार्गदर्शी निदेशों में खंड योजनाएं, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना रिपोर्ट और जनजाति उपयोजनाएं शामिल हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

जन-जाति उपयोजना के अन्तर्गत राजस्थान को धनराशि का आवंटन

7128. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार आवंटित धन का उपयोग न होने के कारण इस धनराशि का बड़ा भाग गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा अप्रयुक्त छोड़ दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो धन-राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) राजस्थान जन-जाति उप योजना की धनराशि और किया गया खर्च इस प्रकार है :

वर्ष	आवंटन	खर्च
	(रुपये लाख में)	
1979-80	4083.41	3824.38
1980-81	4652.95	2282.33
1981-82	4554.03	4554.03 (पूर्वानुमानित)

(ग) खर्च में कमी मुख्यत: माही परियोजना सम्बन्धी पूर्ण खर्च की बुकिंग में त्रुटि और 1979-80 के दौरान सभी विकास कार्यक्रमों पर 12 प्रतिशत की सामान्य कटौती के कारण बताई गई है।

विकास आयुक्त और सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, धनराशि के उपयोग के उपाय करने के लिए समय-समय पर खर्च का पुनरीक्षण करते हैं।

दीवार के ढह जाने के कारण उड़ीसा में स्पंज आयरन पाइप फैक्ट्री को हुई वित्तीय हानि

7129. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलिंगा आयरन वर्क्स, बोरबिल (उड़ीसा) की स्पंज आयरन पाइप फैक्ट्री की दीवार, उसके निर्माण के दौरान ढह गई;

(ख) यदि हां, तो उस दीवार के ढह जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उस दीवार के ढह जाने से कुल कितनी वित्तीय हानि हुई है;

(घ) इस दुर्घटना से और क्या-क्या क्षति हुई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) उड़ीसा सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

प्रवास नीति का पुनरीक्षण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सुझाव

7130. **श्री हरिहर सोरन :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत सहित विभिन्न ऐसे देशों से, जहां से श्रमिक प्रवास के लिए दूसरे देश में जाते हैं अथवा दूसरे देश के श्रमिक वहां आते हैं, प्रवास सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विभिन्न देशों को क्या-क्या सुझाव दिए हैं,

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उनके मंत्रालय ने इन योजनाओं को कहां तक कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत सरकार से भारतीय उत्प्रवास अधिनियम 1922 अथवा उसकी प्रवास नीति की पुनरीक्षा करने का अनुरोध नहीं किया है । तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 65वें सत्र (जेनेवा 6-27 जून, 1979) द्वारा पारित विश्व रोजगार सम्मेलन (जेनेवा, जून 4-17, 1976) के अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धी संकल्प में "अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, राज्यों" को सम्बोधित सिफारिशें शामिल हैं । इन सिफारिशों के भाग (ग) के सम्बन्धित उद्धरण, जो "जनसंख्या तथा प्रवास नीतियों" के सम्बन्ध में है, संलग्न है (अनुबन्ध—1)

(ग), (घ) और (ङ) सरकार ने इन सिफारिशों को नोट कर लिया है । एक विवरण भी, जिसमें इन सिफारिशों पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख किया गया है, संलग्न है (अनुबन्ध-2) ।

विवरण-1

विश्व रोजगार सम्मेलन की अनुवर्ती कार्यवाही सम्बन्धी संकल्प

आई० एल० ओ० के सदस्य राज्यों को सम्बोधित सिफारिशें

(ग) जनसंख्या और उत्प्रवास नीतियां

यह सम्मेलन सदस्य राज्यों से अनुरोध करता है :

(क) कि वे, जहां उपयुक्त हो, ऐसी राष्ट्रीय जनसंख्या नीतियों और परिवार कल्याण उपायों को अपनाएं जो यथासंभव कम समय में अधिकांश जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साधन हो सकते हों,

(ख) कि वे भावी प्रवासी श्रमिकों के लिए उत्पादी और लाभकर रोजगार अवसरों के सृजन के माध्यम से विशेष रूप से, उद्गम देश में प्रवास के लिए अत्यधिक आकर्षक वैकल्पिक रोजगारों की व्यवस्था करें,

(ग) कि वे सुनिश्चित करें कि प्रवासी श्रमिकों को, अनुचित प्रवास से बचाते समय, अवसर और व्यवहार की समानता प्राप्त हो और साथ ही साथ उस ब्रेन ड्रेन को हतोत्साहित करें जिससे उन देशों को कौशल से वंचित होना पड़ता है जिनकी अपने स्वयं के विकास के लिए अत्यधिक महत्ता है,

(घ) कि वे मेजबान देशों और स्वदेशों में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौते करें, जहां उचित हो, इनमें निम्नलिखित की व्यवस्था हो; कानून पारित करना और आवास नीतियों तथा समाज सेवाओं में सुधार करना ताकि मेजबान देशों में प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध भेदभाव को दूर किया जा सके, परिवारों को एक साथ मिलाना, वापिस जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के अर्जित अधिकारों की, समाज सुरक्षा के विशेष सन्दर्भ में, रक्षा करना, वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार-सृजन करने वाली योजनाएं प्रारम्भ करना, जिनमें सामूहिक बचत (समाज सुरक्षा पद्धति के अन्दर सूचित) और उत्पादनकारी तथा रोजगार सृजन करने वाले निवेशों के लिए व्यक्तिगत बचतें शामिल हैं; प्रौढ़ शिक्षा और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए तथा मातृ-भाषा में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना; सामाजिक और कामकाजी जीवन में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को सुदृढ़ करना, विकासशील देशों को विशेषत: प्रशिक्षण, कल्याण सेवाओं, कराधान और पुनर्नियोजन के क्षेत्र में सहायता देने के लिए संभव योजनाएं बनाना ।

विवरण-2

जनसंख्या और उत्प्रवास नीतियों के बारे में सिफारिशों के भाग (ख), (ग) और (घ) (अनुबन्ध-1) प्रत्यक्ष रूप से उत्प्रवास नीति से सम्बन्धित हैं । जहां तक भाग (ख) में निर्दिष्ट सिफारिशों का सम्बन्ध है, उत्तरोत्तर पंच-वर्षीय योजनाओं में बेरोजगारी और गरीबी को क्रमिक रूप से कम करने की परिकल्पना की गई है । शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षित और अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त प्रयास किए

जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जिनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होते हैं, विशेष रोजगार कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेज करने, दक्षता स्तरों और रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

भाग (ग) के अन्तर्गत सिफारिश के बारे में, भारत में आप्रवास नगण्य है और श्रम कानूनों में सामान्यत: विदेशी श्रमिकों के विरुद्ध भेदभाव नहीं किया जाता। विदेशों में नौकरी चाहने वाले भारतीय श्रमिकों का उत्प्रवास इस समय श्रम मंत्रालय द्वारा उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के ढांचे के अन्दर विनियमित किया जाता है जो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 20 मार्च, 1979 के निर्णय में जारी किए गए हैं। विदेशों में नौकरी चाहने वाले भारतीय श्रमिकों की भर्ती और उनके हितों के संरक्षण को विनियमित करने के लिए विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। देश से गैर-कानूनी उत्प्रवास दण्डनीय अपराध है।

जहां तक भाग (घ) में निर्दिष्ट सिफारिशों का सम्बन्ध है, जो मेजबान देशों और स्वदेशों में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौते करने के बारे में हैं, सरकार की यह नीति रही है कि भारतीय प्रवासी श्रमिकों से सम्बन्धित मामलों का द्विपक्षीय परामर्श द्वारा निपटान किया जाए।

जेसप एण्ड कम्पनी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

7131. **श्री आर० आर० भोले** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेसप एण्ड कंपनी, कलकत्ता में दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 को ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के पदों पर कुल कितने-कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों की संख्या क्या-क्या थी;

(ख) क्या इस कम्पनी में लगभग 117 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं और उनमें से कोई भी कर्मचारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सफाई-कर्मचारियों के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से इतर जातियों के लोगों को नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के पदों की पिछली कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

	ग्रुप "ए"	ग्रुप "बी"
कर्मचारियों की संख्या	443	614
अनु० जातियों/जनजातियों के कर्मचारी	3	12

(ख) कम्पनी में 117 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं और सभी अनुसूचित जाति समुदाय से हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जब कभी कम्पनी नई भर्ती करती है तो जहां भी सम्भव होता है उचित छूट देकर के अधिकतम संख्या में अनुसूचित जातियों/अनु०जनजातियों के उम्मीदवारों को चुनने के लिये प्रयत्न किए जाते हैं । वह कम्पनी और अधिक संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए प्रयत्न करती रहेगी ताकि पिछली कमी को पूरा किया जा सके ।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजनों में "स्ट्रक्चरल स्टील" की कमी

7132. **श्री हरीश रावत : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजनों में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे पुलों और इमारतों के निर्माण कार्य पर "स्ट्रक्चरल स्टील" की कमी का बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में इस्पात की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय कुमाऊं और गढ़वाल विकास निगम को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का प्राधिकृत एजेन्ट नियुक्त करने के लिए तैयार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) गढ़वाल क्षेत्र में एक पुल के निर्माण के लिए इस्पात प्राप्त करने में कठिनाई के सम्बन्ध में जनवरी, 1982 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । पार्टी को अपेक्षित मात्रा में इस्पात का आवंटन कर दिया गया है ।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड इस्पात का वितरण करने के लिए एजेन्ट नियुक्त नहीं करती है । लोहे और इस्पात के वितरण के लिए संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत राज्य लोक निर्माण विभागों को अपनी मांग मुख्य उत्पादकों के शाखा कार्यालयों के पास पंजीकृत करवानी होती है और सामग्री की सप्लाई उपलब्धि के आधार पर की जाती है ।

उत्तर प्रदेश के कुछ खण्डों का अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाना

7133. **श्री हरीश रावत : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा, पिथौरागढ़, चमौली और देहरादून जिलों के क्रमश: कपकोटा, धरचुल्ला, मुंसियारी, जोशीमठ और यमुनावर खंडों को, वहां जनजातियों के लोगों की बहुलता को दृष्टि में रखते हुए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या उल्लिखित खण्डों में कुल मिलाकर अधिक नहीं है। अत: इन क्षेत्रों को अनुसूचित करने का प्रश्न नहीं उठता।

वायु और जल प्रदूषण बोर्ड

7134. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में वायु और जल प्रदूषण बोर्डों का गठन किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे बोर्ड काम नहीं कर रहे हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) 22 राज्यों में से 9 राज्यों, अर्थात मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा ने अभी अलग से राज्य बोर्डों का गठन करना है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिये अलग से बोर्ड का गठन करने के लिये कोई प्रावधान नहीं है। जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड को ही सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिये राज्य बोर्ड के रूप में कार्य करना होता है।

अल्मोड़ा में उपग्रह भू-केन्द्र

7135. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के दूरदराज के एक पहाड़ी कस्बे अल्मोड़ा में उपग्रह भू-केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्थान पर किसी ऐसे केन्द्र की स्थापना करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

इकाइयों की रुग्णता समाप्त करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद

7136. **श्री चित्त महाटा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की रुग्णता समाप्त करने के उद्देश्य से लघु उद्योग क्षेत्र से सामान की खरीद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार के खरीद सम्बन्धी वर्तमान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लघु एकक उनसे खरीद किए जाने के तथा मूल्य अधिमानता के पात्र हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यक्रम से रुग्णता के रोकने में सहायता मिलती है।

हिन्दुस्तान लीवर में डिटरजेन्टों का उत्पादन

7137. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 के दौरान यूनीलीवर लिमिटेड ब्रिटेन की एक आनुषंगिक कंपनी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की बम्बई में स्थित सबसे बड़ी इकाई में दो महीने की हड़ताल हुई थी ;

(ख) क्या हड़ताल के बावजूद कंपनी ने सरकार को उत्पादन के इस आशय के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि वर्ष 1981 के दौरान उन्होंने सिन्थेटिक डिटरजेंट और साबुन का रिकार्ड उत्पादन किया है ;

(ग) क्या कंपनी द्वारा दिए गए उत्पादन के आंकड़ों में वह सिन्थेटिक डिटरजेंट भी सम्मिलित है, जो इस कम्पनी ने एक अन्य कम्पनी हरियाणा डिटरजेंट कंपनी से प्राप्त किया था ;

(घ) क्या इस कम्पनी द्वारा सोवियत रूस को भेजी गई सिन्थेटिक डिटरजेंट की खेप को सोवियत रूस ने घटिया स्तर होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया है ;

(ङ) क्या इस प्रकार इस कम्पनी ने अस्वीकृत डिटरजेंट को पुनः पैक करके सर्फ के डिब्बों में देश के भीतर गुप्त रूप से पुनः वितरित कर दिया है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (च) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र का विस्तार

7138. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों के विस्तार की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके कारण और औचित्य क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में संगत कानूनों के अनुसार राज्य की सामाजिक-आर्थिक नीति की परिसीमा

के भीतर कुछ विनियमनों के अधीन निजी क्षेत्र में उद्योगों के विकास की एक भूमिका सौंपी गई है। औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1980 में भी राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियों के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुरूप निजी क्षेत्र के उपक्रमों के विकास की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। किन्तु, विशिष्ट योजनाएं बनाने का काम सम्बन्धित उपक्रमों के ऊपर ही छोड़ दिया गया है।

उपक्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार की नियुक्ति

7139. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारम्भ में उपक्षेत्रीय कार्यालय, रांची में उपक्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए वर्तमान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ग्रेड-एक आर० पी० एफ० सी० की सेवा निवृति की तारीख से ही बिहार के ग्रेड-एक क्षेत्र सम्बन्धी आर० एफ० पी० सी० का कार्यभार सम्भाले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार ने सेवा विनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुसूची के अधीन ग्रेट-एक आर० पी० एफ० सी० की नियुक्ति करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

"बी० एच० ई० एल० टु प्रोड्यूस पावर स्टीम फ्राम नेचुरल गैस" शीर्षक से समाचार

7140. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च, 1982 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में "बी० एच० ई० एल० टु प्रोड्यूस पावर स्टीम फ्राम नेचुरल गैस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई तट दूर में उपलब्ध फालतू प्राकृतिक गैस से बिजली और भाप का उत्पादन करने सम्बन्धी पहली परियोजना राज्य के स्वामित्व वाली 'भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स' को सौंप दी गई है ;

(ग) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिये गए ठेके को प्राप्त किया था ; और

(घ) यदि उपरोक्त (ख) और (ग) के उत्तर सकारात्मक हों, तो (एक) योजना की परिकल्पना क्या है ;

(दो) क्या विभिन्न साइजों के ऐसे बिजलीघरों की डिजाइन इंजीनियरी, प्रतिस्थापना और चालू करने सम्बन्धी सभी कामों को करने की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की क्षमता है ; और

(तीन) क्या सभी आवश्यक पुर्जों का देश में ही उत्पादन किया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) (1), (2) और (3) योजना में टर्न-की के आधार पर एक विद्युत संयंत्र की स्थापना की परिकल्पना है जिसमें 2 × 20 मे० वा० की टर्बाइनों, वैस्ट हीट बायलर और सम्बद्ध वैद्युत और सहायक सामान आदि सम्मिलित हैं । बी० एच० ई० एल० के पास इस प्रकार के विद्युत संयंत्रों का पूरा डिजाइन बनाने, इंजीनियरी, अधिष्ठापन और चालू करने के लिए आवश्यक क्षमता है । गैस टर्बाइनों, जिनके लिए बी० एच० ई० एल० के पास प्रौद्योगिकी नहीं है, को छोड़कर सभी हिस्से-पुर्जों का निर्माण देश में ही करने का प्रस्ताव है ।

पिछड़े जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

7092. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों और पिछड़े जिलों तथा महत्वपूर्ण स्थानों में उद्योगों की स्थापना में उद्यमियों को कोई रियायत उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों, जिलों और स्थानों को किस प्रकार परिमाणित किया गया है ;

(ग) रियायतों को निर्धारित करने का मापदण्ड क्या है ; और

(घ) क्या ऐसी रियायतें मरु क्षेत्रों के लिए भी दी जायेंगी : यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) राज्यों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा दिए गये विभिन्न प्रोत्साहनों के साथ-साथ केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने के लिए केन्द्रीय निवेश राज सहायता, परिवहन राजसहायता, रियायती दर पर वित्त, कर रियायतें, कच्चे माल आदि का आयात करने हेतु विशेष सुविधाओं के रूप में प्रोत्साहन देती है । इनके अतिरिक्त मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी परामर्श तथा जिला उद्योग केन्द्रों के जरिए विस्तार समर्थन को सहायता के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम विद्यमान है ।

रियायती दर पर वित्त सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने के लिए 246 जिलों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने का पता चला है । इनमें से 101 और भी जिले/क्षेत्र केन्द्रीय निवेश राज-सहायता के लिए पात्र माने गये हैं । इस प्रकार के पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की सूचियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

इसके अलावा पहाड़ी, दूरदराज के तथा दुर्गम क्षेत्रों को भी (ब्यौरा अनुबन्ध-1 में) परिवहन राजसहायता के पात्र माना गया है ।

यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा कोई केन्द्र बिन्दु नियत किया गया, किन्तु योजना आयोग द्वारा

अनुबन्ध-2 में दिये गए मानदण्ड के अनुसार राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों में आवश्यक परामर्श करके औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

(घ) मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अधीन अनुबन्ध-3 में बताये गये 21 जिले आ जाते हैं। इन 21 जिलों में से कुछ 16 जिले रियाग्रती दर पर वित्त पाने के हकदार हैं। और भी पांच जिले केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत हैं जिनका ब्यौरा अनुबन्ध-3 में दिया गया है।

अनुबन्ध-1

परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने
के पात्र राज्यों/संघशासित प्रदेशों के क्षेत्रों की सूची

1. जम्मू एवं काश्मीर।

2. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र जिसमें आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा एवं संघ-शासित अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

3. हिमाचल प्रदेश।

4. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र जिनमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जिले शामिल हैं।

5. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह।

6. लक्षद्वीप।

7. सिक्किम

अनुबन्ध-2

रियायती वित्त हेतु पात्र बनाने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों का पता लगाने सम्बन्धी प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में अपनाए जाने वाले राज्य तथा संघ-शासित प्रदेशों को सिफारिश किए गए मापदण्ड :

1. प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल का उत्पादन जो क्या जिला प्रधानतः खाद्यान्नों/नकद फसलों का उत्पादक है।

(अन्य जिलों से तुलना के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित आधार पर खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के बीच परिवर्तन दरें निश्चित की जा सकती हैं)।

2. जनसंख्या में खेतिहर मजदूरों का अनुपात।

3. प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन।

4. प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या में कारखाने के कर्मचारियों की संख्या अथवा इसके विकल्प में प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या में से द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों की संख्या।

5. बिजली की प्रति व्यक्ति खपत ।

6. जनसंख्या को देखते हुए समतल सड़कों की लम्बाई अथवा रेल लाइन की मीलों में लम्बाई ।

अनुबन्ध-3

मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिले

राज्य का नाम	जिले का नाम		
1. हरियाणा*	1. हिसार	** रि० वि०	*** के० नि० रा०
	2. भिवानी	रि० वि०	
2. हिमाचल प्रदेश	1. लाहौल तथा स्पिती	रि० वि०	
3. गुजरात	1. बनासकंठा	रि० वि०	
	2. मेहसाना	रि० वि०	
	3. कच्छ	रि० वि०	
4. जम्मू तथा काश्मीर	1. लेह भूतपूर्व	रि० वि०	
	2. कारगिल लद्दाख		
5. राजस्थान	1. गंगा नगर		
	2. बीकानेर		
	3. जैसलमेर	रि० वि०	
	4. बाडमेर	रि० वि०	
	5. नागौर	रि० वि०	के० नि० रा०
	6. चुरू	रि० वि०	के० नि० रा०
	7. झुंझुनू	रि० वि०	
	8. जोधपुर	रि० वि०	के० नि० रा०
	9. सीकर	रि० वि०	
	10. जालौर	रि० वि०	
	11. पाली	रि० वि०	

* हिसार (हिसार खण्ड सं०-1) के प्रखण्ड, बखाना, बाहुना, हांसी और तोहाना भिवानी (भिवानी तथा दादरी उप-प्रभाग) ।

** रि० वि० : रियायती वित्त ।

*** के० नि० रा० : केन्द्रीय निवेश राजसहायता ।

मद्रास, कलकत्ता और कानपुर में क्षेत्रीय श्रम संस्थान

7141. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 फरवरी, 1982 के "इकोनामिक टाइम्स" में "3 रीजनल लेबर इन्स्टीट्यूट्स लैथरजिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मद्रास, कलकत्ता और कानपुर में स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थानों में काम नहीं हो रहा है, और ये निष्क्रिय हैं,

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक संस्थान किस-किस वर्ष में स्थापित हुआ था तथा उनके लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या थे तथा इन उद्देश्यों की किस हद तक पूर्ति की गई है, और

(घ) यदि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की गई है, अथवा नहीं की जा रही है, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार ने 13 मार्च, 1982 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार देखा है ।

(ख), (ग) और (घ) ये संस्थान 1962 में स्थापित किए गए थे । इन संस्थानों का उद्देश्य कारखानों और गोदियों में सुरक्षात्मक तथा स्वस्थ कार्यदशाओं को उन्नत करना और इस प्रकार समुन्नत कार्यवातावरण, अधिक प्रेरणा, अधिक उत्पादकता एवं कार्यदशाओं के स्तर में सुधार करने में सहायता है । निम्नलिखित आंकड़ों से वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान तीन संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों/सर्वेक्षणों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की संख्या सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

आयोजित किए गए कार्यक्रम	1979	1980	1981
1. आधे दिन की अवधि तथा आधे दिन से अधिक अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम,	468	482	449
2. उपर्युक्त क्रमांक 1 में निर्दिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या,	11948	11359	11023
3. पाठ्यक्रम, बैठकों आदि में दिए भाषण,	85	87	98
4. अनुसन्धान अध्ययन, सर्वेक्षण तथा परियोजनाएं,	29	42	34
5. गोष्ठियों, परिसंवादों आदि में प्रस्तुत किए गए कागजात,	2	15	1
6. प्रकाशन,	4	3	6
7. दी गई तकनीकी सलाह	101 यूनिट	112 यूनिट	263 यूनिट

'ब्रेन बैंक' की स्थापना

7142. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री हरिनाथ मिश्र :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास के वैज्ञानिक परामर्शदाताओं ने अमरीका में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदो की एक सूची तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय वैज्ञानिकों के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया और उनमें से अब तक कितने वैज्ञानिकों ने उत्तर दिया ;

(ग) क्या विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से सहयोग प्राप्त करने के क्षेत्रों का पता लगाया गया है ; और

(घ) काम करने के इच्छुक वैज्ञानिकों की सहायता के लिए तथा भारत की और विदेशों की संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करने संबंधी क्या-क्या प्रस्ताव हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका में काम कर रहे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदों की एक सूची वाशिंगटन में हमारे दूतावास के वैज्ञानिक परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई है ।

(ख) 3000 भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की योग्यता आदि के संबंध में विस्तृत विवरण प्राप्त किए गए हैं ।

(ग) सहयोग के किसी विशिष्ट क्षेत्र का अभिनिर्धारण नहीं किया गया है, परन्तु महासागर विकास तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों जैसे सम्बन्धित अभिकरणों के विशिष्ट अनुरोधों पर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का अभिनिर्धारण किया गया है ।

(घ) भारत और विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से काम करने की इच्छा रखने वाले वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए विभिन्न प्रस्तावों/कार्यक्रमों को शुरू किया गया है । विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की सेवाओं का उपयोग करने के मार्ग में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करने और उनका समाधान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति स्थापित की गई है । औद्योगिक उद्यमों को स्थापित करने में रुचि रखने वालों को सहायता देने के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए (जैसे लाइसेंस, वित्त सम्पर्क स्थल प्रदान करना, आदि), सुसंगत सूचना प्रदान करने के लिए एक सम्पूर्ण एकमुश्त कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) तैयार किया जा रहा है । विदेशों के कुछ भारतीय वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकीविद सूचना के आदान-प्रदान, अल्प तथा दीर्घकालिक दौरों, व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं आदि के माध्यम से, वैज्ञानिक समुदाय के साथ बेहतर अन्योन्यक्रिया सुनिश्चित बनाने में रुचि रखते हैं । इन समस्याओं के समाधान के लिए, यात्रा अनुसंधान अनुदानों, आवश्यक स्थानीय सुविधाएं प्रदान

करना आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं और की जा रही हैं। अनुसंधान तथा विकास के लिए अनुकूल वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए, विदेशों तथा भारत में काम कर रहे विशेषज्ञों के बीच उपयुक्त सम्पर्क स्थापित किये जा रहे हैं।

वैज्ञानिकों में व्याप्त कुंठा

7143. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'यूनेस्को' द्वारा किये गये इस अध्ययन की ओर दिलाया गया है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों में वैज्ञानिकों में व्याप्त कुंठा से उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक औद्योगिक देशों की ओर जा रहे हैं, और

(ख) वैज्ञानिक समुदाय की कुंठा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार का क्या विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) और (ख) सरकार को यूनेस्को द्वारा किये गये अध्ययन का पता चला है जिसमें एशिया और प्रशान्त क्षेत्रों के विकासशील देशों में वैज्ञानिकों में व्याप्त हताशा का उल्लेख किया गया है। प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए, कार्य करने की परिस्थितियों, उनके विशेषीकृत क्षेत्रों में कार्य करने के अवसरों के साथ अच्छी भौतिक स्थितियों में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1974-79 की अवधि के दौरान की गई 1809 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में छठी योजना अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में (योजनागत और योजना भिन्न दोनों के लिए) 3,367 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हम चुनौती-पूर्ण क्षेत्रों में नये अवसर प्रदान करने तथा प्रौद्योगिकीविदों और वैज्ञानिकों के रहने और कार्य करने की स्थितियों में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की यह नीति है कि प्रतिभा पलायन को रोका जाए और उन भारतीय विशेषज्ञों को आकर्षित किया जाए जो विदेश में कार्य कर रहे हैं।

नारियल जटा बोर्ड में सी० आई० टी० यू० के प्रतिनिधि

7144. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पटसन उद्योग की एक महत्वपूर्ण यूनियन सी० आई० टी० यू० को नारियल जटा बोर्ड में प्रतिनिधित्व न देने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार नारियल जटा बोर्ड में सी० आई० टी० यू० को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : कयर उद्योग के समग्र : हित को देखते हुए व विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के प्रश्चात् 22 अगस्त, 1981 को कयर बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें 23 सदस्य हैं और वर्तमान में बोर्ड में कोई स्थान रिक्त नहीं है।

इस्पात का उत्पादन और उसका वितरण

7145. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मिल-वार इस्पात की विभिन्न किस्मों का कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ है और पूर्व लक्षित क्षमता जितना उत्पादन करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, जिनमें सरकारी क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र और कुटीर उद्योग तथा कृषि सम्मिलित है, इस्पात के वितरण का तरीका और अनुपात क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1978-79 से 1980-81 की अवधि में देश में इस्पात के उत्पादन का श्रेणी-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा लघु इस्पात कारखानों के मिल-वार आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। इस्पात कारखानों को कोयले, बिजली तथा अन्य कच्चे आदानों की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सतत् प्रयास किये जाते हैं ताकि कारखाने अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग कर सकें।

(ख) रक्षा, सिंचाई, डाक तथा तार, रेलवे आदि जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा सीधे आवंटन किया जाता है। अन्य उपभोक्ता अपनी मांग मुख्य उत्पादकों के पास पंजीकृत कराते हैं तथा उन्हें इस्पात की सप्लाई उनके द्वारा भूत में की गई खरीद तथा इस्पात की उपलब्धि को ध्यान में रखकर की जाती है। मुख्य तौर पर वर्ष 1981-82 की अवधि में इस्पात के वितरण का क्षेणी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(क) महत्वपूर्ण क्षेत्र (रेलवे तथा रक्षा/सरकारी विभाग शामिल हैं)	—43 प्रतिशत
(ख) लक्ष क्षेत्र	—28 प्रतिशत
(ग) इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातक	—9 प्रतिशत
(घ) अन्य	—20 प्रतिशत
कुल	—100 प्रतिशत

विवरण

विक्रेय इस्पात का अखिल भारतीय उत्पादन

(हजार टन)

उत्पाद	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4
क. मुख्य उत्पादक			
(क) अर्द्ध-तैयार उत्पाद	1615	1635	1950
(ख) चपटे उत्पाद-प्लेटें	657	670	612

1		2	3	4
	*गर्म बेलित चादरें (10 से 14 गेज)	223	219	164
	*गर्म बेलित क्वायल "स्केल्प"	933	823	755
	ठंडी बेलित चादरें/क्वायल/ गर्म बेलित चादरें (16 गेज और उससे अधिक)	417	315	343
	जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें	195	186	153
	टिन प्लेट	58	54	32
	विद्युतीय इस्पात की चादरें	74	68	69
ख. (ग)	नान-फ्लेट उत्पादन			
	राउन्ड/फ्लेट	704	638	738
	वायर रॉड	458	385	371
	संरचनात्मक	844	697	731
(घ)	रेलवे सामग्री			
	रेल की पटरी	255	214	285
	स्लीपर	50	52	44
	पहिए डायर तथा धुरे	41	37	36
	रेलवे से संबंधित अन्य सामग्री	15	20	3
	कुल (क)	6539	6013	6286
(ख)	लघु इस्पात कारखाने बिलेट पैन्सिल इत्यादि	1503	1325	1335
	कुल जोड़	8042	7338	7821

गैर सरकारी क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग

7146. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अब भी अपने श्रमिकों से, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि करने के लिए भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने

* राउरकेला के पाइप संयंत्र के लिए पत्ती का उत्पादन भी शामिल है।

की बजाय अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को भारी कठिनाई होती है; और

(ख) क्या सरकार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से यह अनुरोध करेगी कि वे पत्र व्यवहार आदि क्षेत्रीय भाषाओं में करें और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित किए गए आदर्श स्थायी आदेशों में यह व्यवस्था है कि श्रमिकों के दुर्व्यवहार की जांच-पड़ताल से संबंधित जांच की कार्यवाही हिन्दी या अंग्रेजी या उस राज्य की भाषा में, जिस राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित है, जिसे श्रमिक पसन्द करें, रिकार्ड की जाएं। जहां ऐसे उपबन्ध विद्यमान न हों, वहां औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिक इन उपबन्धों के अनुपालन के लिए तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रमाणित स्थायी आदेशों में उपयुक्त उपबन्ध शामिल करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। सरकार ने अधिनियम के अधीन सत्यापन अधिकारियों को पहले ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने से पहले उनमें आदर्श स्थायी आदेशों के अधीन लाभदायक उपबन्ध शामिल किए जाएं।

उत्तर क्षेत्र परिषद् की बैठक

7147. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 6 फरवरी, 1982 को हुई उत्तर क्षेत्र परिषद् की बैठक में अन्तर्राज्यीय विवादों के शीघ्र निपटाने के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राज्यीय विवादों का ब्यौरा क्या है, ये विवाद निपटाने के लिये कब से विचाराधीन हैं तथा इनको कब तक हल कर लेने का निर्णय लिया गया है और उन्हें हल करने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) 6 फरवरी, 1982 को हुई उत्तर क्षेत्र परिषद् की बैठक में अन्तर्राज्यीय विवादों के शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में ऐसे किसी प्रश्न पर विशेष रूप से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। फिर भी जैसी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में व्यवस्था की गई है ऐसे मामले, जिनमें उस परिषद् में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अथवा सभी राज्य सामान्य रुचि रखते हैं, उस बैठक में उन पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) 6-2-1982 को हुई उत्तर क्षेत्र परिषद् की बैठक की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रूप दिये जाने के बाद कार्रवाई को अन्तर्राज्यीय मामलों समेत सभी मामलों पर बैठक में लिए गए निर्णयों पर उपर्युक्त कार्यवाही करने के लिए सम्बद्ध राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालय को भेजा जाएगा।

पोषक पदार्थों से सम्बन्धित भारतीय उद्योग का विकास

7148. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बाजारों में विदेशी मोहर लगे कौन-कौन से लोकप्रिय पोषाहार उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पोषाहारों के ब्रांड नामों को समाप्त करने का है; और

(ग) पोषाहार से सम्बन्धित भारतीय उद्योग का विकास करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ताम्बा, सीसा, लोहा और अभ्रक की पुरानी खानों का सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में चमोली जिले की किसान सभा की ओर से ज्ञापन

7149. **श्री रामलाल राही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में चमोली जिले की 'किसान सभा' की ओर से कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त जिले में ताम्बा, सीसा, लोहा और अभ्रक की पुरानी खानों का सर्वेक्षण करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो चमोली जिले के ऐसे कौन-कौन-से स्थान हैं जहां सरकार द्वारा उक्त खनिजों के लिए तदनुसार, सर्वेक्षण कराया गया है और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मिजो गतिविधियां

7150. **श्री दौलत राम सारण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अधिसूचना के द्वारा मिजो नेशनल फ्रंट और उससे संबंधित संगठनों को अवैध घोषित किया गया है क्योंकि ये संगठन मिजोरम में पृथक्तावादी आंदोलन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लोगों और सुरक्षा बलों पर आक्रमण कर रहे हैं और लूट तथा लोगों से जबरन धन वसूल करने की गतिविधियों में लगे हुए हैं;

(ख) क्या इन संगठनों को विदेशी शक्तियों से धन, शस्त्रास्त्र, प्रशिक्षण और प्रेरणा मिल रही है;

(ग) इस प्रकार की गतिविधियां कब से चल रही हैं और

(घ) क्या उनके नेता से बातचीत की जा रही थी और यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और बातचीत विफल होने के क्या कारण हैं और श्री लालडेंगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) मिजो नेशनल फ्रंट की गैर कानूनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इसे और इसके सहबद्ध निकायों को 20 जनवरी, 1982 को गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया था।

(ख) (ग) और (घ) ज्ञात हुआ है कि मिजो नेशनल फ्रंट और इसके सम्बद्ध निकायों ने विदेशों से सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं और इनसे सहायता प्राप्त की है। जबकि वार्ता चल रही थी मिजो नेशनल फ्रंट और इसकी सम्बद्ध निकायों ने हिंसक और गैर-कानूनी गतिविधियां जारी रखीं। श्री लालडेंगा उन मांगों पर जोर देते रहे जो संविधान के अनुसार अमान्य अथवा उल्लंघनकारी हैं। चूंकि वार्ता के कोई परिणाम नहीं निकले अतः यह महसूस किया गया कि वार्ता जारी रखने से कोई लाभप्रद उद्देश्य पूरा नहीं होगा। श्री लालडेंगा को पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों के लिए पार-पत्र दे दिया गया है।

बिहार में न्यूनतम मजदूरी लागू करना

7151. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार जैसे राज्य जहां खेतिहर और ग्रामीण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मजदूरों की बहुतायत है, वहां न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी का पता लगाने और लागू करने हेतु तंत्र को मजबूत करने के लिए सहायता देने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सभी राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे उन नाजुक क्षेत्रों में, जहां कृषि श्रमिक या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रमिक ज्यादा हैं, न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करने के लिए अधिक ध्यान दे। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने एक पृथक कृषि श्रमिक निदेशालय गठित किया है और कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करने हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति की है। राज्य सरकार ने कम वेतन पाने वाले श्रमिकों और विभिन्न डिवीजनों में उन संभाव्य क्षेत्रों की सूची तैयार की है ताकि कृषि श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरीदरों की अदायगी सुनिश्चित की जा सके।

(ख) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

चलचित्र के लिए रंगीन पाजिटिव फिल्मों का निर्माण करने के लिए एक एकक की स्थापना

7152. **श्री केयूर भूषण** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान फोटोफिल्म लिमिटेड ऊटकमंड का देश में चलचित्र के लिए रंगीन पाजिटिव फिल्मों का निर्माण कनने हेतु एक एकक की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में उक्त एकक की स्थापना करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए प्रस्तावित स्थान का नाम क्या है;

(ङ) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कंपनी लिमिटेड ने इस बीच इस मामले में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमानित लागत लगभग 140 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना पंचमडी के निकट की जाय।

(ङ) जी, नहीं।

(च) हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी एक उपयुक्त सहयोगी की तलाश में है तथा कुछ प्रस्ताव कंपनी के विचाराधीन हैं। जहां तक इसके स्थापना स्थल का सम्बन्ध है मध्य-प्रदेश सहित अनेक राज्यों ने अपने क्षेत्र में परियोजना की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है। सहयोगी का अन्तिम राय से चयन कर लेने के बाद ही परियोजना तथा इसके स्थापना स्थल के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

गुजरात में रुग्ण एककों को सरकारी नियन्त्रण में लेना

7153. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में उन रुग्ण तथा बन्द किये गये औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1977 से 1981 के दौरान केन्द्र द्वारा सरकारी नियन्त्रण में लिया गया;

(ख) उनका इस समय का कार्यकरण किस प्रकार का है;

(ग) गुजरात राज्य में इस समय रुग्ण तथा बन्द किये गये औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है,

(घ) क्या सरकार उन्हें भी सरकारी नियन्त्रण में लेने की सोच रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन 1977-1981 के बीच गुजरात के दो औद्योगिक एककों का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया था। इन एककों का विवरण और कार्य संचालन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्ण एककों की परिभाषा के अनुसार इसके द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिसम्बर 1980 के अन्त तक गुजरात में 39 बड़े रुग्ण एकक (एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक बैंक ऋण वाले) और 958 छोटे रुग्ण एकक (अनन्तिम) थे। मंझौले रुग्ण एककों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) तथा (ङ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन मै० कान्ति काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरेन्द्र नगर, गुजरात के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव पर सरकार अभी विचार कर रही है। 1 मार्च, 1982 को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

विवरण

उपक्रम का नाम	अधिग्रहण की तारीख	रोजगार			उत्पादन का मूल्य			नकद लाभ		
		1978	'79	'80	'78-79	'79-80	'80-81	'78-79	'79-80	'80-81
					(लाख रु० में)			(लाख रुपयों में)		
मै. शुभ लक्ष्मी मिल्स, कैम्बे।	10-8-77	1259	1307	1318	574.0	661.0	378.0	12.93	51.95	45.93
मै. प्रिय लक्ष्मी मिल्स बड़ौदा।	23-7-77	2209	2244	2310	797.32	869.63	1029.42	18.89	38.77	54.87

मध्य प्रदेश को पिछले तीन वर्षों में सप्लाई किया गया इस्पात

7154. **श्री सुभाष यादव** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में इस्पात की वार्षिक मांग क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में उस राज्य को प्रतिवर्ष कितना इस्पात सप्लाई किया;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य को कम मात्रा में इस्पात की सप्लाई किये जाने के कारण राज्य के विकास कार्यक्रमों की प्रगति में बाधा पहुंची है; और

(घ) क्या सरकार इस्पात के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य की पूरी मांग की पूर्ति करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) लोहे और इस्पात की वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत न तो मांग का राज्यवार पंजीकरण किया जाता है और न ही राज्यवार आवंटन किए जाते हैं। रक्षा, सिंचाई, रेलवे, लघु उद्योग निगमों आदि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को आवंटन सीधे संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा किए जाते हैं। अन्य उपभोक्ता अपनी मांग का पंजीकरण मुख्य उत्पादकों के पास कराते हैं। गत वर्ष इस्पात की उपलब्धि में सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को गत तीन वर्षों में सीधे अथवा स्टाकयार्डों की मार्फत की गई लोहे और इस्पात की आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(हजार टन)

मद	आपूर्ति		
	1979-80	1980-81	1981-82 अप्रैल से जनवरी 1982 (अस्थायी)
कच्चा लोहा	43.4	70.0	58.8
विक्रेय इस्पात	252.5	227.7	193.3
कुल :	295.9	297.7	252.1

सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि लोहे और इस्पात की अनुलब्धि के कारण राज्य के विकास कार्यक्रम की प्रगति में कोई बाधा आई है। सेल मध्य प्रदेश के ग्राहकों की आवश्यकताएं अधिकाधिक सीमा तक पूरी करने की कोशिश करती रहेगी।

कागज के उत्पादन में 1977 से हुई वृद्धि

7155. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज के उत्पादन में 1977 से कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उसका हमारे आयात पर कोई प्रभाव पड़ा;

(ग) यदि हां, तो घरेलू उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप कागज के आयात में कितनी कमी हुई; और

(घ) वर्ष 1980 और 1981 में कितने मूल्य के कितने कागज का आयात किया गया तथा इसके क्या कारण थे कि कागज के आयात के बिना काम नहीं चल सका ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कागज और गत्ते का उत्पादन 1977 में हुए लगभग 9.38 लाख मी० टन से बढ़कर वर्ष 1981 में लगभग 12.35 लाख मी० टन हो गया है ।

(ख) से (घ) आमतौर से कुछ उन्हीं विशिष्ट किस्मों के कागज का ही थोड़ी मात्रा में आयात किया जाता है जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जा रहा है । विगत कुछ वर्षों से मांग और देश में उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से लिखाई और छपाई के कागज के लिए आयात का सहारा लेना पड़ा था । किन्तु देश में उत्पादन में तदनुरूप वृद्धि हो जाने से लिखाई और छपाई कागज के आयात में प्रगामी रूप से कमी की गई है । राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित लिखाई और छपाई के कागज की मात्रा एवं उसका मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा (मी० टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1979-80	66353	36.75
1980-81	59012	39.17
1981-82 (अनुमानित)	46000	22.55

नये सीमेंट एककों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाना

7156. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमेंट निर्माताओं द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने के परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 1982 के बाद स्थापित नये सीमेंट एककों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा घोषित नये विभिन्न उपायों के अन्तर्गत पुराने और नये एककों के लिये धारण मूल्य नहीं है; और

(ग) सरकार नये सीमेंट एककों को देने के लिए किन अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ग) 1-1-1982 के बाद उत्पादन आरम्भ करने वाले नए एककों के लिए लेवी सीमेंट में उनके अंशदान को उनका अधिष्ठापित क्षमता के 50 प्रतिशत के स्तर पर निश्चित करके सरकार ने 27 फरवरी,

1982 को घोषित सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण की योजना के अन्तर्गत पहले ही इन एककों को यथेष्ट प्रोत्साहन दे दिये हैं। और आगे यह निर्णय भी लिया गया है कि उनके मामले में 50 प्रतिशत लेवी कोटा निश्चित करने के उद्देश्य के लिए उत्पादन के पहले वर्ष में लाइसेंसीकृत क्षमता का 75 प्रतिशत और दूसरे वर्ष में लाइसेंसीकृत क्षमता का 80 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता मानी जायेगी।

(ख) सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके बाद देश की सभी सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए एक जैसा ही कारखाना बाह्य मूल्य होगा।

वर्ष 1982-83 के दौरान इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कार्यवाही

7157. **श्री बी० वी० देसाई : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, जो देश के चार समेकित इस्पात संयंत्रों पर नियन्त्रण रखता है, ने दावा किया है कि सम्पूर्ण वित्त वर्ष 1980-81 की अपेक्षा चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान इन्गाट तथा विक्रय योग्य इस्पात के उत्पादन में भारी सुधार हुआ है;

(ख) क्या उनके अनुसार, अप्रैल, 1981 और फरवरी, 1982 के बीच इन्गाट इस्पात का कुल उत्पादन 6.06 मी० टन था जो वर्ष 1980-81 के उत्पादन से 0.567 मी० टन अधिक है;

(ग) क्या इन तीनों इस्पात संयंत्रों में बिजली की प्रायः कटौती के बावजूद इतना अधिक उत्पादन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 1982-83 के दौरान इस्पात के उत्पादन में इस सुधार की प्रवृत्ति जारी रहे, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1981 से फरवरी, 1982 की अवधि में इन कारखानों में इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन 60.34 लाख टन हुआ था जो वर्ष 1980-81 के उत्पादन से 5.55 लाख टन अधिक था।

(ग) जी, हां।

(घ) अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों की सेल तथा सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। आशा है उत्पादन में वृद्धि का रुख वर्ष 1982-83 में भी बना रहेगा।

सीमेंट की दोहरी नीति से प्रभावित समाज के निर्धन वर्ग के लोग

7158. **श्री बी० बी० देसाई : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोष समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सीमेंट की 1 मार्च,

के बाद से दोहरी मूल्य नीति लागू करने का केन्द्र सरकार का निर्णय इस उद्योग को, जो केवल बहुत कम लाभ पर कार्य कर रहा था, पुनर्जीवित करने में सहायक होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेंट की इस नई दोहरी नीति ने दिल्ली तथा अन्य विभिन्न राज्यों में अपना मकान बनाने वाले समाज के कमजोर वर्ग के लोगों तथा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है ;

(ग) क्या दिल्ली में सामूहिक आवास निगम को इससे छूट दी जायेगी और इन्हें अपने मकानों के निर्माण के लिए नियंत्रित दरों पर सीमेंट उपलब्ध किया जायेगा क्योंकि ये सामूहिक आवासीय सोसाइटियां निम्न आय वर्ग अथवा मध्यम आय वर्ग में आती हैं ;

(घ) उन्हें नियमित दर का सीमेंट उपलब्ध न कराने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है तथा इन सामूहिक आवासीय समितियों को नियंत्रित मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध कराने पर, जैसाकि पहले भी किया गया था, विचार कर रही है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) लेवी की सीमेंट उन व्यक्तियों को दी जायेगी जो 80 वर्गफिट तक के प्लिन्थ क्षेत्र वाले निवास का निर्माण कर रहे होंगे तथा जिन्हें आवासीय गृहों का मरम्मती कार्य करने के लिए थोड़ी मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता पड़ी होगी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां भी जहां 80 वर्ग मीटर तक प्लिन्थ क्षेत्र वाले वैयक्तिक मकानों का निर्माण होना है, लेवी की सीमेंट पाने के हकदार होंगी।

दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बंधुआ श्रमिक

7159. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1982 को दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों और प्रत्येक अन्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में बंधुआ श्रमिकों की संख्या क्या थी,

(ख) बंधुआ श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के लिए वर्ष 1981 और 1982 में प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई, और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान लीवर लि० में अनुसूचित श्रमिक प्रणाली

7160. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **श्रम मंत्री** हिन्दुस्तान लीवर लि० में अनुसूचित श्रमिक प्रणाली के बारे में 9 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सख्या 3461 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बे समय से लम्बित पड़े हुए मामलों का लाभ लेते हुए, हिन्दुस्तान लीवर लि० ने अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या मुख्यतः ठेका श्रमिक पर रोजगार के माध्यम से 1969 में 106 से घटाकर 1982 में 60 कर दी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी बहुराष्ट्रीय बड़ी कम्पनियों द्वारा लम्बी अवधि तक मुकदमेबाजी की ऐसी बुराई को रोकने के लिए कार्यवाही करने का है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से सूचना मांगी गई है। इसे यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

सफदरजंग अस्पताल में नर्सेस होस्टल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लेडी डाक्टर्स होस्टल में सेंधमारी

7161. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 मार्च, 1982 के "नेशनल हेराल्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सफदरजंग अस्पताल में नर्सेस होस्टल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के लेडी डाक्टर्स होस्टल में सेंधमारी की घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इन घटनाओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) नर्सों और लेडी डाक्टरों के सम्मान की सुरक्षा के लिए अस्पतालों में क्या सुरक्षात्मक कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल के छात्रावास में क्रमशः 28-2-1982 और 7-3-1982 की रात को हुई सेंधमारी की दो घटनाएं दिल्ली पुलिस को सूचित की गई हैं। विनय नगर थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457/380 के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए हैं और अपराधियों को पकड़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) इन अस्पतालों और विशेष रूप से रिहायशी क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

"सेन्टर स्मूव अगेन्स्ट पुलिस एसोसिएशन" शीर्षक समाचार

7162. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 मार्च, 1982 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित "सेन्टर स्मूद अगेन्स्ट पुलिस एसोसिएशन" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस एसोसिएशन की गतिविधियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों का ब्यौरा क्या है, जिनकी जून, 1979 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुष्टि की गई थी, और

(घ) केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों पर राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) पुलिस बल (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पुलिस कार्मिकों के संघों को मान्यता देने और ऐसे संघों को दी गई मान्यता को निलम्बित करने की भी व्यवस्था है । पुलिस संघों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा निम्नलिखित जिन मार्गदर्शी निदेशों की सिफारिश की गई थी, उनका जून, 1979 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में समर्थन किया गया था :

(I) सदस्यता केवल सेवारत पुलिस कार्मिकों तक ही सीमित होगी । कोई भी बाहरी व्यक्ति चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो अथवा नहीं, किसी सलाहकार अथवा अन्य क्षमता में सदस्य अथवा संघ के पदाधिकारी के रूप में अथवा इससे सम्बन्धित होने का पात्र होगा ।

(II) सदस्यों को कार्य की हड़ताल करने, अपनी सेवाएं रोकने अथवा अपने कार्य के निष्पादन में अन्यथा किसी प्रकार से विलम्ब करने का अधिकार नहीं होगा ।

(III) संघ शिकायतों को दूर करवाने के लिए किसी अवपीड़क तरीके अथवा आंदोलन का आश्रय नहीं लेगा ।

(IV) संघ ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो बल की कार्यकुशलता पर प्रभाव डाले अथवा इसके अनुशासन को भंग करे ।

(V) संघ स्वभाव से पूर्णतः गैर राजनैतिक होगा और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार से किसी राजनैतिक गतिविधि से संबंधित नहीं होगा ।

पुलिस संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

झाझा बीड़ी फैक्टरी, बिहार की ओर राज्य कर्मचारी बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

7163. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में झाझा बीड़ी फैक्टरी में मासिक तथा दैनिक मजूरी पर कुल कितने श्रमिक काम कर रहे हैं,

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस फैक्टरी द्वारा राज्य कर्मचारी बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि जमा कराई गई है और कितनी राशि बकाया है,

(ग) बकाया राशि वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) क्या इस फैक्टरी के विरुद्ध कंपनी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि यह प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना अभी तक लागू नहीं की गई है और इसलिए कर्मचारी राज्य बीमा देय राशि जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता। कारखाने में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या, भविष्य निधि के लिए जमा की गई राशि और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की बारी-बारी से तैनाती

7164. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **गृह मंत्री** केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 अधिकारियों की बारी-बारी से तैनाती के बारे में 24 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 583 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी एक मंत्रालय/सम्बद्ध कार्यालय में गत लगभग दो दशकों से अधिक समय से कार्यरत कुछ अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए अब पैनल तैयार किया गया है; यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ अधिकारी पदोन्नति के बाद भी वर्ष के अन्त में अपनी सेवानिवृत्ति और किन्हीं अन्य कारणों के आधार पर उसी मंत्रालय/कार्यालय में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की सांठगांठ को न होने देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि, स्वच्छ प्रशासन के हित में ऐसे अधिकारियों को अन्य स्थानों पर तैनात किया जाता है; उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए जिन 59 अधिकारियों को पैनल में शामिल किया गया था उनमें से 18 ही ऐसे अधिकारी हैं जो एक ही मंत्रालय/विभाग में दो दशकों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) अवर सचिव और इससे ऊपर के स्तर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के जो अधिकारी एक ही मंत्रालय/विभाग में बहुत वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके स्थानान्तरण के लिए बारी-बारी से तैनाती की योजना, ऐसे अधिकारियों के समुचित-कैरियर विकास और प्रशासन की कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत अधिकारियों द्वारा निजी कारणों से एक ही मंत्रालय/विभाग में रुके रहने के लिए चालबाजी या सांठ-गांठ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। किन्तु ऐसे अधिकारियों पर, जो दो वर्ष से कम अवधि के भीतर अधिवर्षता पर सेवा-निवृत्त होने वाले हैं, बारी-बारी से तैनाती की योजना के अधीन स्थानान्तरण करने के लिए विचार नहीं किया

जा रहा है। संलग्न विवरण में उल्लिखित 18 अधिकारियों में 10 अधिकारी ऐसे हैं जो दो वर्षों से कम अवधि के भीतर अधिवर्षता की आयु पूरी करने वाले हैं। इन 10 अधिकारियों में से अब एक अधिकारी ने 31-3-1982 को अधिवर्षता की आयु पूरी कर ली है।

विवरण

क्रम सं०	अधिकारी का नाम (जन्म-तिथि सहित)	प्रवर सूची का क्रमांक	मत्रालय/विभाग जहां अभी कार्य कर रहे हैं	वह तारीख जब से एक ही मंत्रालय/ विभाग में निरन्तर कार्य कर रहे हैं।	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	एस० के० शर्मा (26-6-1927)	11	गृह मंत्रालय	7-7-1960	
2.	एम० एम० शर्मा (18-6-1932)	12	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	जनवरी, 59	
*3.	एस० एल० कम्बोद (19-1-1925)	14	खाद्य विभाग	23-4-1959	
*4.	सुदर्शन शर्मा (30-12-1924)	15	गृह मंत्रालय	22-7-1953	
5.	इन्द्रसिंह विष्ट (13-7-1935)	16	गृह मंत्रालय	1-9-1960	
*6.	इन्द्रजीत मुरगई (15-3-1924)	18	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय	1-4-44	अब 31-3-82 से सेवा निवृत्त
7.	आई० सी० भाटिया (18-1-1935)	21	संचार मंत्रालय	1-9-1961	
8.	आर० एन० तिवारी (11-5-1936)	25	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	10-4-1958	

टिप्पणी : तारांकित अधिकारी दो वर्ष से कम अवधि के भीतर अधिवर्षता के आधार पर सेवा निवृत्त होने वाले हैं।

1	2	3	4	5
*9.	वी० डी० आहूजा (15-6-1924)	28	सांख्यिकी विभाग	12-11-1955
*10.	एस० के० कुठियाल (1-12-1924)	32	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	1-11-1941
11.	संगत सिंह (अनु० जा०) (7-6-1927)	38	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	दिसम्बर,57
12.	पी० सी० गुरुगानी (15-10-1926)	40	संचार मंत्रालय	6-2-1948
*13.	आर० एल० बहल (24-12-1924)	43	व्यय विभाग	1-1-1951
*14.	ओ० पी० नायर (16-12-1924)	51	खाद्य विभाग	18-10-1958
*15.	जी० एस० पाहवा (29-9-1924)	52	व्यय विभाग	4-4-1960
*16.	जे० एम० पंजवानी (8-1-1925)	55	संचार मंत्रालय	2-5-1959
*17.	ओ० पी० डंग (1-12-1924)	56	गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	12-5-1959
18.	एस० आर० अहीर (22-6-1927)	57	गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	30-1-1956

टिप्पणी : तारांकित अधिकारी दो वर्ष से कम अवधि के भीतर अधिवर्षता के आधार पर सेवा निवृत्त होने वाले हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

7165. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी सेवा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सुविधा की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलेक्ट्रानिक्स का प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थाएं

7166. **श्री पलानी अप्पन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलेक्ट्रानिक्स का प्रशिक्षण देने के लिए (विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त) सरकार द्वारा कौन-कौन-सी संस्थाएं प्राधिकृत हैं;

(ख) क्या किसी प्राधिकृत संस्था अथवा गैर-प्राधिकृत संस्था के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या कम कीमत पर ट्रांसिस्टरों की सप्लाई के लिए सरकार द्वारा ट्रांसिस्टर बनाने का कोई एकक शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो क्या यह तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रानिकी विषय में पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर-स्तर के अध्यापन-कार्य के लिए संसद के अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और ऐसे अन्य संस्थान, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के समकक्ष माना गया है, सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापन-स्थल हैं । इसके अलावा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स और इलैक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियर संस्थान जैसे व्यावसायिक निकाय भी स्नातक-स्तर की परीक्षाएं दो भागों में अर्थात् भाग-क तथा भाग-ख आयोजित करते हैं । इन परीक्षाओं को इंजीनियरी में स्नातक-उपाधि के समकक्ष मान्यता दी गई है ।

(ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग को इस प्रकार की किसी शिकायत के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ओर्टमन एण्ड हर्बस्ट द्वारा अपना सहयोग देने सम्बन्धी करार समाप्त किया जाना

7167. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी की 'ओर्टमन एण्ड हर्बस्ट' ने मोहन मिकीन्स लिमिटेड से शीतल पेय/डेयरी मशीनरी बनाने सम्बन्धी अपना सहयोग कब समाप्त कर दिया था; और

(ख) करार समाप्त करने के क्या कारण थे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) आटोमेटिक बाटलिंग प्लांट्स आदि के निर्माण के लिए मै० ओर्टमन एण्ड हर्बस्ट, पश्चिम जर्मनी के साथ मै० मोहन मिकीन्स लिमिटेड का विदेशी सहयोग करार एक विशेष अवधि के लिए था जो

पहले ही समाप्त हो गया है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या विदेशी सहयोगकर्ता ने करार की समाप्ति से पहले करार समाप्त किया था।

बैंकों, डाकघरों, पेट्रोल पम्पों आदि की लूटमार

7168. **श्री पीयूष तिरकी :**
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :
श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों, डाकघरों, पेट्रोल पम्पों आदि की लूटमार अपर्याप्त सुरक्षा के कारण होती है;

(ख) लूटमार के कितने मामलों का अभी पता लगाया जाना है; और

(ग) देश में बैंकों, डाकघरों आदि को लूटने से बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) बैंकों, डाकघरों, पेट्रोल पम्पों आदि की लूटमार जैसे अपराधों की रोकथाम मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी के क्षेत्र में आती है। लूटमार/डकैती की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने सुरक्षा प्रबन्धों का पुनरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें सुदृढ़ कर रहे हैं। सरकार ने भी सुरक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए किए गए अनेक उपाय करने के लिए सलाह देते हुए व्यापक मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं। डाकघरों के लिए वर्तमान आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध सामान्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। लूटमार के मामलों, जिनका अभी पता लगाया जाना है, की संख्या के सम्बन्ध में कोई आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-फ्रांस संयुक्त समिति

7169. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री ई० बालानन्दन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग ने जनवरी, 1982 के दौरान एक नया मोड़ लिया है;

(ख) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग सम्बन्धी भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की दिनांक 18 जनवरी, 1982 को बैठक हुई थी और उसमें व्यापक क्षेत्र में निकट सहयोग का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपाय किए गए और क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों के बारे में समझौता हो गया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) 11 जनवरी से 14 जनवरी, 1982 तक पेरिस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग सम्बन्धी भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की दूसरी द्विवार्षिक बैठक हुई थी ।

चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा के अतिरिक्त, आपसी हितों के कई क्षेत्रों में सहयोग पर भी सहमति प्रकट की गई । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) प्रतिरक्षा विज्ञान सहित जैव प्रौद्योगिकी

(2) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत

(3) सूचना विज्ञान और अनुप्रयुक्त गणित

(4) प्रकाश इलैक्ट्रानिकी और प्रकाशिकी

(5) नील और हरित शैवाल पर अनुसंधान

(6) विद्युत इंजीनियरी

(7) दूर-संचार

(8) सूचना प्रणाली

(9) भूविज्ञान

(10) प्राकृतिक उत्पादों का रसायन

(11) वैज्ञानिक यंत्र

(12) सैमी कन्डक्टर

इन क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 1982 और 1983 वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों और सूचना के आदान-प्रदान और कुछ क्षेत्रों में विशेषीकृत यंत्रों के आदान-प्रदान के विषय में ठोस कदम उठाने के लिए सहमति हो गई थी। दोनों ओर से भाग लेने वाली संस्थाओं का भी अभिनिर्धारण कर लिया गया है ।

कुछ चुने हुए क्षेत्रों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग के समन्वय और त्वरण के तंत्र के रूप में भारत में एक भारत-फ्रांसीसी उन्नत अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के लिए करार एक नई घटना है ।

अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किया गया खर्च

7170. **श्री अजय विश्वास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 19 जनवरी,

1982 को अखिल भा·तीय औद्योगिक हड़ताल के सम्बन्ध में खाद्य पदार्थ, टिफिन आदि देने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई (विभाग-वार आंकड़े) ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : चूंकि हड़ताल से निपटने के लिए किए गए उपाय सरकार का सामान्य कार्य है अत: इस सम्बन्ध में खर्च के कोई अलग रिकार्ड नहीं रखे गये हैं।

कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को ईंधन में बदलने की प्रक्रिया

7171. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को ईंधन में बदलने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित की है और उपकरण बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग बीस करोड़ टन कृषि अपशिष्ट पदार्थ पैदा होता है जो अपने आप में ऊर्जा के उत्पादन का बहुत बड़ा स्रोत है तथा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित तथा अन्य लघु उद्योगों की सहायता करने में काफी मदद मिल सकती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रक्रिया की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और क्या इस उपयोगी अपशिष्ट पदार्थ को ईंधन में बदलने की कोई योजना है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्यमंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) डिपार्टमेंट आफ केमिकल इंजीनियरिंग, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, दिल्ली ने कार्बनिक अपशिष्ट को सुगम पेलेटाइज्ड (गुटिकायित) ईंधन में बदलने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी में मूल रूप से ब्रिकेट बनाने हेतु तन्तु को तोड़ने के लिए जीवभार (बायोमास) को जलाना शामिल है। तब जले हुए अंगार को नमी और मिट्टी जैसे उपयुक्त योजकों में रोलर अथवा एक्सट्रूडर (उत्सारित) द्वारा ब्रिकेट बनाने के लिए मिलाया जाता है। शुरू में, भट्टी को किसी अन्य सुगम ईंधन द्वारा ऊष्मित किया जाता है और बाद में जलाने से उत्पादित गैसों का पुनःचक्रीयण किया जाता है और उन्हें भट्टी में जलाया जाता है।

(ग) योजना आयोग द्वारा स्थापित ऊर्जा नीति विषयक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रतिवर्ष 20 करोड़ टन कृषि अपशिष्टों का उत्पादन किया जाता है जिनमें से लगभग 4 करोड़ टन कृषि अपशिष्टों का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इन अपशिष्टों के विभिन्न प्रतियोगी उपयोगों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिनमें घरेलू पशुओं के लिए चारा, छत बनाने के लिए सामग्री और कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। उप-

लब्ध कृषि अपशिष्टों का विभिन्न उपयोगों के लिए किस प्रकार से वितरण किया जाए, यह इन उपयोगों के लिए वैकल्पिक सामग्रियों की उपलब्धि, जिन कीमतों पर वे उपलब्ध हैं, विभिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि अपशिष्ट के उपयोग के सम्बन्ध में सामाजिक परम्पराओं आदि, पर निर्भर करेगा ।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों का आयोग, कृषि अपशिष्टों को दक्षता से ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान कर रहा है । इनमें जैव गैस कार्यक्रम, अपशिष्टों के पायरोलाइटिक तथा ताप-रासायनिक ब्रिकेटों और गैस में रूपांतरण, स्थानोल में जैव रूपांतरण आदि शामिल हैं । आर० एण्ड डी० (अनुसंधान तथा विकास) योजनाओं का उद्देश्य कृषि अपशिष्ट को केवल जलाने की बजाए ऊर्जा के आधुनिक कुशल तरीकों का विकास करना है । जैव गैस एक ऐसा ही रूप है जिसका पहले से ही व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है । जैव-ऊर्जा के अन्य रूपों का विकास/प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण/क्षेत्रीय परीक्षण हो रहा है ।

उर्वरकों के मूल्य सूचकांक तैयार करने का गलत तरीका

7172. **श्री रेणुपद दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उर्वरकों के मूल्यों के सूचकांक तैयार करने का तरीका गलत है; और

(ख) यदि हां, तो इस तरीके में सुधार के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) भारत में थोक मूल्यों के सूचकांकों (आधार: 1970-71=100) में संशोधन करने के लिए कार्यदल की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर वर्तमान थोक मूल्यों के सूचकांक को निकाला जा रहा है ।

थोक मूल्य सूचकांकों में आगे संशोधन करने के लिए गठित कार्य दल आगे प्रणाली संबंधी मामलों पर भी विचार करेगा ।

"वारन्ट आफ प्रिसिडेन्स" में सेना के अधिकारियों का दर्जा गिराया जाना

7173 : **श्री राम जेठमलानी** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जारी "वारन्ट आफ प्रिसिडेन्स" में स्वतन्त्रता के बाद से सेना के अधिकारियों का दर्जा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में निरन्तर गिराया गया है और यह दर्जा प्रत्येक युद्ध के बाद गिरा है, जिसमें सशस्त्र सेनाओं ने भाग लिया है, और

(ख) इस संबंध में जैसे कि हाल में ले० जनरल जेड० सी० बक्सी के 22 दिसम्बर 1981

के स्टेटमैन में प्रकाशित लेख में बताया गया है, अधिकारियों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) स्वतन्त्रता के बाद पहला "वारन्ट आफ प्रिसिडेंस" ऐतिहासिक और संवैधानिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए 1948 में बनाया गया था। यह कहना सही नहीं है कि वारन्ट आफ प्रिसिडेन्स में सेना के अधिकारियों की स्थिति को निरन्तर गिराया गया है। वास्तविक स्थिति 19-7-1978 के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 55 में बताई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपड़ा मिल मजदूरों को श्वास रोग होने की संभावना

7174 : **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रुई की धूल और रेशों से दूषित पर्यावरण में लम्बे समय तक और निरन्तर कार्य करते रहने से कपड़ा मिल मजदूरों को श्वास रोग प्रमुख रूप से इनमें साइनस रोग होने की संभावना रहती है;

(ख) : क्या सरकार ने कपड़ा मिल के मजदूरों को उनके धंधे से होने वाले खतरों का अध्ययन किया है जिसमें न केवल "ब्लो" तथा "कार्डरूम" जैसे अधिक धूल वाले क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर ही नहीं अपितु वाइंडिंग, रीलिंग और वीविंग सैक्शन जैसे कम धूल वाले क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जो सूती कपड़ा श्रमिक अनुमत स्तर से अधिक रुई की धूल कई वर्षों तक सांस के साथ अन्दर लेते रहते हैं उन्हें बाईसिनोसिस नामक श्वास की बीमारी हो जाने की संभावना अधिक होती है।

(ख) और (ग) के० ई० एम० अस्पताल ने राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, बम्बई के सहयोग से इस सम्बन्ध में बम्बई में गहन और विस्तृत अध्ययन (1976) किया जिसके अन्तर्गत कार्डिंग अनुभाग के अतरिक्त कताई, लपेटन, बुनाई तथा फोल्डिंग अनुभागों के श्रमिकों को भी लाया गया।

(घ) इस अध्ययन से पता चला है कि कार्डिंग अनुभाग के 14 प्रतिशत, कताई अनुभाग के 10% और लपेटन अनुभाग के 11 प्रतिशत तथा बुनाई एवं फोल्डिंग अनुभाग दोनों के तीन-तीन प्रतिशत श्रमिक बाईसिनोसिस से पीड़ित है।

बाईसिनोसिस कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 89 के अधीन प्रख्यापनीय तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन मुआवजा दी जाने वाली बीमारी है। कार्डिंग अनुभाग तथा ब्लोइंग रूम में धूल के जमाव को कम रखने के लिए प्रबन्धकों को निम्नलिखित उपचारी उपायों का सुझाव दिया गया है :

(i) वायु-निकास की स्थितियों में सुधार करना ;

(ii) "वैकुअम स्प्रेईग" का प्रयोग ;

(iii) परम्परागत कार्डों को उच्चशक्ति वाले कार्डों से प्रतिस्थापित करना ;

(iv) जहां उपर्युक्त सभी उपाय कार्यान्वित नहीं किए जा सकते वहां साधारण धूल श्वास यंत्र का इस्तेमाल करना ;

(v) श्रमिकों की आवधिक डाक्टरी जांच करना।

———

अतारांकित प्रश्न संख्या 1667 दिनांक 3-3-82 को शुद्ध करने वाला विवरण

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : उत्तर के तीसरे वाक्य में यह कहा गया था कि इस समय केवल चार टयूबवैल चालू हालत में हैं। उक्त उत्तर दिये जाने के बाद दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया कि केवल एक टयूबवैल चालू हालत में है न कि चार। अतः उत्तर के तीसरे वाक्य में प्रयुक्त शब्द "चार टयूबवैल" को ठीक करके एक टयूबवैल पढ़ा जाय।

———

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हमने आल-इंडिया रेडियो के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया है। आपका मेरे पास जवाब आया है, श्री वसंत साठे जी के नाम से।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर बात करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : कहां पर जायें। आपने इसको पढ़ लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसको पढ़कर, फिर मेरे से बात कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : मैम्बर प्रिवलेज मोशन दे और मिनिस्टर उसको घर पर भेज दे आपके माध्यम से।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आप विशेषाधिकार प्रस्तावों सम्बन्धी प्रक्रिया एक बार हमेशा के लिये निश्चित कर दीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई बात विशेषाधिकार भंग की बात नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपके ध्यान में कुछ तथ्य लाऊंगा। मंत्री ने उत्तर भेजा है। श्री नारायणदत्त तिवारी ने मेरे विशेषाधिकार नोटिस का उत्तर भेजा है जो पूर्णतः मिथ्या है और मैं सभा में उस मामले को उठाने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं। (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, आपके द्वारा जो वसंत साठे जी का जवाब आया है, जो कि बिल्कुल गलत है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मंत्री महोदय द्वारा भेजे गये उत्तर को मैंने भी देखा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप मेरे से बात कर लेना ।

श्री रामविलास पासवान : आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है । मेरे पास आकर बात करिए, देखिए क्या होता है ।

श्री रामविलास पासवान : प्रिवलेज मोशन आपके कान्फेडरेशन में है या नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । हम इसे किसी और तरीके से ले सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : आपका निदेश क्या है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से बात कर लेना ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब बताने वाला विवरण

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3827/82]

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप इसे बाद में लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आयें ।

प्रो० मधु दंडवते : आप चेम्बर में चर्चा करना चाहते हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं, मैं इस पर यहां चर्चा नहीं करूंगा । आप मेरे पास आयें ।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री ने उत्तर दिया है, जो झूठा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आयें ।

प्रो० मधु दंडवते : आप मेरे पास आयें, कहने के बजाय हमारी बात क्यों नहीं सुनते ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मंत्री के विरुद्ध लगाये गये ये आरोप गम्भीर हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप संतुष्ट नहीं तो हम इसे पुनः करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : इसे देखते हुए इन्हें मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल देखा है। यदि ये संतुष्ट नहीं तो मैं फिर भी तैयार हूं। मैंने मामले को समाप्त नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैं दूसरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त प्रसाद शर्मा।

इंडियन एयरलाइन्स का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे, कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (1), (2) और (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3828/82]

अध्यक्ष महोदय : आप आइएगा, बात कर लेंगे। आपके हितों की मैं रक्षा करूंगा।

श्री रामविलास पासवान : आप इसको पढ़ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी पढ़ लूंगा। मैंने इसको आपके पास भेजा है। आप पढ़ लीजिये।

(व्यवधान)

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री हीरा लाल आर० परमार (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको लिखा है कि आप फैक्ट्स दीजिये । उसके बाद मैं करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट श्री हीरालाल, हमने आपको कहा है कि आप तथ्यों को लिखकर दें । आपने अभी तक इन तथ्यों को नहीं दिया है । जब आप दें, तो मैं उन पर विचार करूंगा ।

श्री हीरालाल आर० परमार : मैंने नोटिस में दे दिया है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए अनुमति नहीं है । **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं । मैंने किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दी है । आपने मेरी बात नहीं सुनी ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय था, लेकिन किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया·····

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो पूछ रहा हूं कि क्या हुआ ? क्यों नहीं मुझे लिख कर देते हैं ? मैं इन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं चाहता हूं कि वह लिखकर दें । क्या हुआ··· **(व्यवधान)**

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3829/82]

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन नियम, 1981

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 की धारा 10

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

की उपधारा (3) के अन्तर्गत नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन नियम, 1981 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 236 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3830/82]

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई अनुमति नहीं है । श्री जर्नादन पुजारी ।

निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम, बम्बई का 31-12-81 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 तथा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ,

(1) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे । [ग्रंथालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 3831/82]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना सा० का० नि० 310 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 27 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 27 जून, 1981 की अधिसूचना संख्या 130/81—के० उ० शु० में मुख पुनर्जलयोजन नमकों के ऐसे पैकेटों को, उसके अन्तर्गत दी गई छूट की अवधि को बढ़ाने के लिए कतिपय संशोधन किया गया है जो राष्ट्रीय प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक मुफ्त वितरण हेतु केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य संगठन को या दोनों को सप्लाई किये जाने के लिए आशयित हों । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3832/82]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क की वसूली वर्तमान स्थिति को बनाये रखने के बारे में सा० का० नि० 264 (अ), जो 25 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 296 (अ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो उक्त अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय विदेशी

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उन विदेशी मुद्राओं में सीमाशुल्क मूल्यांकन हेतु बदलने की विनिमय दर के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3833/82]

———

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर० परमार : मेरा व्यवस्था का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई सवाल नहीं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए सत्तारूढ़ दल या विपक्ष को कोई प्रश्न नहीं है । मेरे लिए सब सदस्य हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे लिख कर दे सकते हैं । यदि वह न दें तो मैं इसे नहीं ले सकता । मैं चाहता था कि वह लिख कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जानकारी मिल गयी है । श्री हीरालाल, आपको नियमों का पालन करना चाहिये । मैंने आपको विशेष संदेशवाहक द्वारा कहा है कि आपको सब तथ्य मुझे लिख-कर देने चाहिये और आपने नहीं दिये हैं । यदि आप दें, तो मैं उनकी जांच करूंगा और उचित ढंग से विचार करूंगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इन्होंने नहीं दिये हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये, अनुमति नहीं है ।

———

सदस्य की गिरफ्तारी

(श्री धर्मवीर सिंह)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे पुलिस आयुक्त, कलकत्ता, का 5 अप्रैल, 1982 का निम्नलिखित आशय का बेतार सन्देश आज प्राप्त हुआ है :···

(व्यवधान)*

मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है ।···

"श्री धर्मवीर सिंह; संसद सदस्य को अन्य लोगों के साथ 5-4-82 को कलकत्ता में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार किया गया और हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मामला संख्या 257 दिनांक 5-4-82 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/188 के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया ।"

———

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं एक भिन्न प्रश्न उठा रहा हूं जिसका नोटिस मैं पहले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनुमति नहीं हैं। मैं सुनी बात पर विश्वास नहीं करता। तथ्यों के बिना मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूं। कोई अनुमति नहीं। श्री लक्ष्मणन।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रतनसिंह राजदा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम अफवाहों के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कोई नोटिस दीजिए। मैं तथ्यों का पता लगाउंगा।

श्री हरिकेश बहादुर : हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। हमने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कालिंग-एटेन्शन मैं तब करता हूं जब फैक्ट्स आ जाते हैं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राजदा के अतिरिक्त किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्यों की मांग की है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : इन्होंने उसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात बार-बार कहता हूं—मैं भी इस हाउस का सदस्य हूं, आपने मुझे बैठाया है, आपकी इज्जत और मेरी इज्जत दो नहीं हैं, एक हैं। आपने कुछ नियम बनाये

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुए हैं जिनके अनुसार मुझे कार्य करना पड़ता है। मैंने उनको कहा है कि लिखकर दे दीजिये कि क्या घटना घटी है।···(**व्यवधान**)*

आप निराधार बात क्यों करते हैं, आपको समझ क्यों नहीं आती है···

जब मैं सारी बातें कर सकता हूं, तो उनकी बात क्यों नहीं कर सकता हूं·····

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्यों की मांग की है। यदि वह मुझे वे तथ्य दे देते हैं तो मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सामान्य प्रस्ताव नहीं चाहता। मैं तथ्यों का पता लगाना चाहता हूं और उसी के अनुसार कार्य करना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं बहस की अनुमति नहीं दूंगा। यदि वे लिखित में मुझे तथ्यों को बताना चाहते हैं तो मैं उसी तरह से चलूंगा। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें सिर्फ इतना कहा है कि मुझे ह्यूमीलिएट किया है। मैंने पूछा कि किस तरीके से किया है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इससे कोई मतलब नहीं है यदि वे ऐसा करने पर तुले हुए हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह मेरा निदेश है। हां, श्री राजदा। मैंने अन्य किसी भी माननीय सदस्य को कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी है। वह मुझे सभी तथ्य बता सकते हैं। मैं मामले को आगे बढ़ाऊंगा; ऐसा आश्वासन मैं दे सकता हूं। लेकिन, वह बेकार में ही सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। यह बहुत बुरा है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अगर दो-दो मिनट हर आदमी की बात सुन लेते तो टाइम खराब न होता।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी बातें सुनी हैं। मैं सभी बातों पर चर्चा करता हूं और तभी बहस की अनुमति दे सकता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, यह इससे अलग बात है। मैंने एक मोशन दिया है। मैं एक मिनट से अधिक नहीं लूंगा। पाकिस्तान की जेलों में 10 हिन्दुस्तानी 8 साल से बिना मुकदमा चलाए बन्द हैं। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या फायदा जब मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं। मैंने उनको अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)*

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्यों को पता नहीं क्यों जिद्द हो जाती है। झगड़ा क्या है इस बात का ? मैंने इस पर 377 एलाउ किया है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : 377 में कोई कार्यवाही होती ही नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। मैंने एक शब्द की भी अनुमति नहीं दी है। **(व्यवधान)***

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में अवैध इमारतों निर्माण कार्य का समाचार

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें,

"दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य का समाचार"

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमणों तथा अनधिकृत निर्माणों की घटना सरकार के लिए चिन्ता की बात है। ऐसी गतिविधियों को नियन्त्रित करने की दृष्टि से, दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(एक) सभी सम्बन्धित अभिकरणों नामतः, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अनधिकृत निर्माण न हो तथा उचित रोकथाम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(दो) सभी सम्बन्धित अभिकरणों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी अतिक्रमणों तथा पहले ही से बनी अनधिकृत संरचनाओं से कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाए।

(तीन) सभी स्टेशन हाऊस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि पर स्थित अनधिकृत संरचनाओं/अतिक्रमणों का पता लगाने तथा उन्हें हटाने के उचित उपाय करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

(चार) सक्षम प्राधिकारी के अपेक्षित अनुमोदन अथवा स्वीकृति के बिना बनाए गए नए निर्माणों के पानी तथा बिजली के कनेक्शन न देने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। तथापि, यह पुनर्वास कालोनियों / झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों तथा लाल डोरा के भीतर ग्राम आबादी पर लागू नहीं है।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(पांच) न्यायालय संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों में संलग्न पार्टियों द्वारा प्राप्त न्यायालय के रोकादेशों को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में आवश्यक मार्ग निर्देशन सभी सम्बन्धित अधिकरणों को जारी कर दिए गए हैं।

(छः) अनधिकृत संरचनाओं को गिराने के कार्यक्रम सम्बन्धित अधिकरणों द्वारा पुलिस विभाग के परामर्श से बनाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन सम्बन्धित अधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव द्वारा आयोजित आवधिक बैठकों के जरिए किया जाता है।

(सात) भूमि की धोखाधड़ी करने वालों से निपटने के लिए पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई है।

2. सरकार ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माणों से सम्बन्धित अपराधों से और अधिक प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रासंगिक संविधियों का संशोधन करने के लिए विधान पेश करने का भी निर्णय लिया है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : कृपया इसे स्पष्ट कीजिए, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बोलने का हक नहीं दिया गया।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे भाग ले सकते हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : वक्तव्य अधूरा है। उन्हें स्पष्ट करने दीजिए कि क्या इस अवैध निर्माण को गिराने से रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं, इन अनुदेशों की ही तरह।

एक माननीय सदस्य : अग्रवाल का नाम नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं, मैंने पहले कह दिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी और से पुछवा लेना।

श्री रतनसिंह राजदा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अत्यधिक लोक महत्व का है और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है। यह जले पर नमक छिड़कने के समान है।

महोदय, दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के प्रश्न ने ऐसा गंभीर रूप धारण कर लिया है कि यह शंका होने लगती है कि क्या जहां तक भवन निर्माण का संबंध है दिल्ली में ऐसा कोई अधिकरण है या ऐसा कोई कानून भी है जो इसे विनियमित करता हो ?

महोदय, हाल ही में, **ब्लिट्ज** में एक लेख प्रकाशित हुआ और उसमें इस सारे मामले पर प्रकाश डाला गया था, अर्थात "पुरानी दिल्ली के साथ बलात्कार" शीर्षक के अंतर्गत दिल्ली में चल रही समस्त धोखाधड़ी के मामले पर। उसमें सारे विवरण दिए गए हैं परन्तु मैं उन सभी विवरणों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ आधारभूत तथ्य जो सामने आए हैं उनसे ऐसी घृणित कहानी बनी है कि वे व्यक्ति जो कि नागरिक कानूनों के अनुरक्षण की समस्या से संबंधित हैं किस प्रकार मिले हुए हैं।

अनधिकृत और अवैध निर्माण कार्य शहर के विभिन्न भागों में किया गया है और भवन निर्माण उपनियम और मास्टर प्लान का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। बम्बई नगर निगम अधिनियम को दिल्ली व अन्य सभी महानगरों के लिए लागू माना गया है। हमारे पास नगर अधिकरण है जो कि इस प्रकार के कार्य करते हैं। भवन निर्माण के उपनियम हैं और उन्हीं के अनुसार भवनों के निर्माण की योजनाओं को समिति द्वारा अनुमोदित व स्वीकृत किया जाता है। लेकिन यहां विकास योजनाओं के बावजूद, भवन निर्माण उप-नियमों के बावजूद रात-दिन बहुत बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण कार्य चल रहा है। उनमें से लगभग 20,000 अवैध निर्माण हो गए हैं और उनके लिए 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की पगड़ी है और इस मामले में कुछ लोग मिले हुए हैं। यह एक बहुत गंभीर मामला है और माननीय मंत्री जी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है :

> "संबंधित ऐजेंसियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण ढांचे जो कि पहले ही बना लिए गए हैं उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाए।
>
> सभी संबंधित अधिकारियों को अनधिकृत निर्माण आदि का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए उचित कदम उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।"

इस प्रकार यह इस अर्थ में कटे पर नमक छिड़कने जैसा है कि आपके इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अनुदेशों को जारी करने से पहले प्रश्न यह है कि क्या भवन निर्माण के इस कार्य की कोई प्राधिकरण देखभाल कर रहा था और किसी ने यह देखने की परवाह की कि पुरानी दिल्ली में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण न हो ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विभिन्न क्षेत्रों में जहां यह अनधिकृत निर्माण हुआ है वे सभी दिल्ली के मुख्य क्षेत्र हैं जहां बाजार बन गए हैं। इसके अलावा, यह अनधिकृत निर्माण व्यापारिक क्षेत्रों की विभिन्न गलियों में किए गए हैं और उनमें से बहुत-से विपणन केन्द्रों के नजदीक बनाए गए हैं तथा यह बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि किसने लापरवाही की और इस संबंध में किसकी सांठ-गांठ थी ? यह एक बहुत ही सुसंगत मुद्दा है।

मैं खुले आम यह कह सकता हूं कि दिन दहाड़े इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का अनधिकृत निर्माण नगर प्राधिकरण के साथ सांठ-गांठ किए बिना नहीं हो सकता। इसके अलावा, अन्य प्राधिकरण जो कि इस तरह की निंदनीय गतिविधियों में मिलीभगत कर रहे हैं, सांठ-गांठ करने वाले या भवन निर्माता हैं। वे यह तभी कर सकते हैं जब क्षेत्र के नगर पार्षद या चुने हुए प्रतिनिधि इसमें शामिल हों। यह एक गंभीर मामला है। यदि निर्वाचित सदस्य इस तरह के अनधिकृत या अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं तो हमें इस पर विचार करना होगा कि इस गंभीर मामले से कैसे निपटा जाए।

इस मामले में मुझे एक या दो गंभीर घटनाओं का पता चला है जिनके बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रिंग रोड 'डेसू' स्टाफ क्वार्टर्स और बड़ापुल नाले से घिरी हुई जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। यह भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 तथा 6 के अंतर्गत अधिसूचित की गई थी और अधिसूचना संख्या एफ० 19 (53)/63 एल० एण्ड एच० दिनांक 2-11-1963 तथा एफ० 9 (42)/72 एल० एण्ड बी० दिनांक 6-12-1973 के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी गई थी। भूमि का एक भाग अनधिकृत खेती के अन्तर्गत था और उन्हें अक्टूबर 1981 तक उसमें खेती करने की अनुमति दी गई थी। इस भूमि की दिल्ली विकास प्रधिकरण को आवास स्थल के लिए आवश्यकता थी जिसके लिए रूपरेखा आदि तैयार कर ली गई और टेन्डर भी आमंत्रित कर लिए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत खेती के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण बहुत पहले कर लिया गया था और नवम्बर 1981 में विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इस भूमि में बहुत अधिक भराव की आवश्यकता थी। जैसे ही रिंग रोड के नजदीक भूमि के पूर्वी ओर से भूमि के भराव का कार्य प्रारम्भ किया गया गुरुद्वारा बाला साहिब के सदस्यों ने 15 नवम्बर, 1981 को रिंग रोड पर लोहे का एक द्वार लगा दिया। उसी दिन स्थानीय पुलिस के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें यह कहा गया था कि भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। उस तारीख तक उस भूमि पर कोई धार्मिक निर्माण नहीं हुआ था। यह भूमि पिछले 20 वर्षों से दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास रही है।

क्योंकि अधिकतर भूमि निचली तह की थी अतः लाइसेंस फीस के आधार पर सरकार की नीति के अनुसार दिल्ली-विकास प्राधिकरण को विकास योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यकता पड़ने तक खेती की अनुमति दी गई।

गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष श्री एस० सुलाकन सिंह फरवरी 1982 में वाइस चेयरमैन से मिले। उन्होंने अनुमोदित किया कि यदि दिल्ली-विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र में आवास स्थल बनाता है तो इससे गुरुद्वारा नजर नहीं आएगा। अभियांत्रिकी सदस्य के साथ एक संयुक्त दौरा किया गया। स्थल का दौरा करने और रूपरेखा को बताने के पश्चात गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया गया कि आवास स्थल के कारण गुरुद्वारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि काफी दूरी पर है और मुख्य रिंग रोड से स्पष्ट दिखाई देता है। इस पर प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी रुचि केवल इसमें है कि उन्हें रिंग रोड से एक सम्पर्क सड़क बनवा दी जाए क्योंकि सिद्धार्थ एन्क्लेव के पास से वर्तमान सम्पर्क सड़क सनलाइट कालोनी के घने क्षेत्र में से होकर गुजरती है। जहां तक मैं समझता हूं एक उचित मांग है। मैंने अभियांत्रिकी सदस्य से रिंग रोड से एक चौड़ी सम्पर्क सड़क उपलब्ध कराने की दृष्टि से रूप रेखा में सुधार करने को कहा। तद्नुसार रूपरेखा में सुधार किया गया और उन्हें बता दिया गया। इसके अतिरिक्त, गुरुद्वारे के सामने पार्किंग के लिए भी जगह बनाई गई। गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष संतुष्ट नजर आए और कहा कि जहां तक उनका संबंध है वह संशोधित रूपरेखा, जिसमें कि सनलाइट कालोनी से होती हुई वर्तमान सम्पर्क सड़क के अतिरिक्त रिंग रोड से एक और सम्पर्क सड़क का प्रावधान है, से संतुष्ट हैं।

फिर भी गुरुद्वारे के स्थानीय प्रतिनिधि अपने कुछ मंसूबे बनाते रहे। 19 मार्च, 1982 को

यह स्पष्ट हो गया जब उन्होंने शामियाने लगाकर 'अखंड पाठ' करना प्रारम्भ कर दिया। इस चाल को हम सभी अच्छी तरह समझते हैं कि धार्मिक उत्सव आयोजित करके और लोगों को एकत्रित किया जाता है जिससे अनधिकृत निर्माण को रोकने और अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए प्राधिकारियों की किसी भी कार्यवाही को रोका जाता है।

जैसे ही की गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की गतिविधियों/चालों का पता चला स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को सूचित करने के लिए कदम उठाए गए।

> "इसके अलावा 25 नवम्बर, 27 नवम्बर, 29 नवम्बर और पहली फरवरी, 1982 को रिंग रोड पर लोहे के अनधिकृत गेट को हटाने के प्रयत्न किए गए किन्तु यह सभी कार्यवाहियां स्थानीय पुलिस द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को पुलिस सहायता दिए जाने में असमर्थता दिखाने के कारण नहीं की जा सकी।"

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह नवम्वर, 1982 नहीं है। कृपया देखिए यह 1982 है या 1981। यह 1981 होना चाहिए।

श्री रतन सिंह राजदा : मैंने यह तारीखें बताई हैं।

> "इसके अलावा 25 नवम्बर, 27 नवम्बर, 29 नवम्बर, 1981 और पहली फरवरी, 1982 को प्रयत्न किए गए..."

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री रतन सिंह राजदा : मैंने अत्यन्त गम्भीर मामला उठाया है। मेरा कहना है कि जंगल का कानून चल रहा है। जिन लोगों के पास बड़ी ताकत है, जो गैर कानूनी धन्धे कर रहे हैं, वे करोड़ों रुपए पैदा कर रहे हैं। क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए ? क्या कोई ऐसा कानून, निर्माण उप-नियम है जिसे कार्यान्वित किया जा सकता है ? क्या कानून की किताब में विद्यमान यह सभी कानून, नियम और निर्माण उप-नियम कार्यान्वित करने के लिए हैं या केवल नगर निगम की बैठकों में बतलाने के लिए दी हैं ?

अब मुझे ब्लिट्ज में लगाए गए आरोपों को बताते हुए बहुत दुख होता है। कतिपय नामों का उल्लेख किया गया है। यह बताया गया है कि कतिपय निगम पार्षद और निर्वाचित प्रतिनिधि और विशेष कर जनसंघ से संबंधित व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। यदि ऐसा है तो इनमें कुछ पार्षद और निर्वाचित प्रतिनिधि कांग्रेस (आई) के भी हैं। वे भी इसमें लगे हुए हैं। मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि मैं किसी को भी दोष नहीं देता। यदि यह सच है तो यह एक गम्भीर मामला है और सभी सम्बन्धित दलों को अपने आप ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जिनकी समाज विरोधी तत्वों के साथ सांठ-गांठ है। इस दृष्टिकोण से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा। इसे संक्षिप्त कीजिए। आपकी पृष्ठभूमि भी काफी लम्बी हो गई है।

श्री रतन सिंह राजदा : यह एक ज्वलंत समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी गई है।

श्री रतन सिंह राजदा : हम सभी इससे सम्बन्धित हैं।

क्या यह सच है कि सदर बाजार, मोरी गेट, काश्मीरी गेट और पुरानी दिल्ली के आस-पास सैकड़ों इमारतें, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम के नियमों और उप-नियमों और उनकी नीतियों के विरुद्ध और मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए, वाणिज्यिक विपणन केन्द्रों में परिवर्तित कर दी गई हैं ? क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिए एक उच्चशक्ति प्राप्त जांच समिति का गठन करेगी कि योजनाओं की बिना उचित मंजूरी के इन इमारतों को बनाने की अनुमति कैसे दी गई और इन अनधिकृत ईमारतों के निर्माण के लिए सीमेंट कहां से उपलब्ध हुआ ? (व्यवधान) निगम अथवा दिल्ली प्रशासन, दि० वि० प्रा० और सरकार ने इन अनधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री रतन सिंह राजदा : आपकी बारी भी आएगी और तब आपको प्रश्न पूछने की छूट होगी। सदर बाजार के सराय हफीज में तीन महीनों में डी० डी० ए० की जमीन पर अनधिकृत रूप से 1100 दुकानें बनाई गई हैं। यह संसद की उत्तरदायी समिति के समक्ष स्वीकार किया गया। इसीलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। चूकि यह अभी प्रकाशित नहीं हुई इसलिए मैं इस पर और टिप्पणी नहीं करूंगा। कितनी दुकानों को गिराया गया है ? क्या आपने गिराने के लिए कोई कार्यवाही की है क्योंकि गिराने की भी व्यवस्था है ? जब अनधिकृत निर्माण हो रहे हैंतो हमारा प्रशासन, इन्हें वहीं पर उसी समय गिराने के लिए कानूनी तौर पर पूर्णतः सक्षम है। किन्तु, अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस तमाम षडयंत्र की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति करेगी ? यदि सभी राजनैतिक दल और उनके नेता जो इस काम में लगे हुए हैं ; चाहे वे जनसंघ के लोग हो ; चाहे कांग्रेस(आई) के लोग·····

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : जनसंघ तो है ही नहीं।

श्री रतन सिंह राजदा : भारतीय जनता पार्टी सही क्योंकि उसका यहां पर यही नाम है। मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहता। यदि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, चुना हुआ प्रतिनिधि हूं और समाज विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेता हूं तो मुझे अपने आपको चुना हुआ प्रतिनिधि कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस दृष्टिकोण से मैं सरकार से कहूंगा कि वह अपने दायित्व से मुंह न मोड़े और इन तत्वों का पर्दाफाश करके, उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कडी कार्यवाही करे।

मैं यह भी जनना चाहता हूं कि क्या किसी सरकारी अथवा नगर निगम के कर्मचारी के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों में इन तत्वों को सहयोग देने के कारण अपने कर्तव्य की अवहेलना करने के लिए, कार्यवाही की गई है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि उनके और श्री राजदा के बीच कोई गुप्त गठजोड़ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मंत्री महोदय और श्री राजदा पर छोड़ दें, आप इसमें हस्तक्षेप न करें। उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और मंत्री महोदय जवाब देंगे।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृज मोहन महन्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं की सरकार भी माननीय सदस्य की चिन्ता में सहभागी है और इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि दिल्ली को अनधिकृत निर्माण से मुक्त रखा जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप के किस प्रकार के दृढ़ संकल्प हैं ?

श्री बृज मोहन महन्ती : मैं उसी पर आ रहा हूं। हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में खूबसूरत शहर और अन्तर्राष्ट्रीय संहयोग केन्द्र के रुप में निर्मित किया जाए। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए सरकार कार्य कर रही है।

महोदय, इस समस्या का ठीक प्रकार से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। यह केवल भूमि के अनधिकृत कब्जे की ही समस्या नहीं है इस समस्या के विभिन्न मुद्दे और पहलू हैं ; इसका ऐतिहासिक पहलू है ; राजनैतिक पहलू है; इसका मानवीय पहलू है; और उसके पश्चात इसका कानूनी पहलू भी है। मैं इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को बारी-बारी से लूंगा और इन सभी तथ्यों को स्पष्ट करके सदन के समक्ष रखूंगा। इसमें कोई लुकाव-छिपाव नहीं है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1962, 1967 और 1977, इन तीनों वर्षों में इस आशय के संकल्प पारित किए गए कि नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा सभी अवैध निर्माणों को नियमित किया जाए। यह समस्या का एक पहलू हुआ, दूसरा पहलू मानवीय पहलू है। मैं सदन के समक्ष कुछ मुख्य-मुख्य तथ्य रखूंगा जो इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि इस समस्या से किस प्रकार निपटा जा रहा है। झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों से संबंधित लगभग 10 लाख लोग, लगभग 2 लाख परिवारों, को पुर्नवास कालोनियों में बसाया गया है और 25000 परिवारों को अभी बसाया जाना है। मार्च 1977 तक उन सभी लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है जिन्होंने भूमि पर कब्जा किया हुआ था; उन में से 25000 परिवारों को अभी बसाया जाना बाकी है। इस स्कीम पर कार्य हो रहा है।

श्री रतन सिंह राजदा : कृपया आप मुझे एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की अनुमति दें.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विघ्न न डालें।

श्री रतन सिंह राजदा : यह झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों और पुनर्वास कालोनियों से सुबंधित नहीं है।

श्री बृज मोहन महन्ती : मैं दिल्ली की समस्या के संबंध में सदन के समक्ष सम्पूर्ण तस्वीर रखूंगा।

श्री रतन सिंह राजदा : हम नागरिक समस्या की बात कर रहे है। कृपया इन सभी मामलों को मिलाकर सदन को गुमराह न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय के बीच में बाधा न डालें । यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इसके लिए मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह कोई सम्बद्ध बात कह रहे होंगे ।

श्री बृजमोहन महन्ती : यह पृष्ठभूमि से अत्यधिक संबद्ध है कि मानवीय पहलू से यह समस्या किस प्रकार विकसित हुई ।

मार्च, 1977 से जनवरी, 1980 तक और 55,000 लोगों ने भूमि पर कब्जा कर लिया है । अब हमें एक बात देखनी है कि वर्तमान कब्जा, अनधिकृत निर्माण लगभग 29,872 है । उसमें से 1977,1978 और 1979 के कैलेन्डर वर्षों में 19,901 अनाधिकृत निर्माण हुए ।

1977 से 1982 तक 5,347 मकान गिराए गए । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 11,966 अनाधिकृत निर्माणों को गिराया है ।

डी० डी० ए० ने केवल 1980 और 1981 में 452 मामलों को स्थगन के अधीन बताया ।

मैं समस्या के विभिन्न पहलुओं को सदन के समक्ष रख रहा हूं ।

1980 में गठित विशेष कक्ष द्वारा 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषयान्तर मत कीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : माननीय मंत्री महोदय अनधिकृत कालोनियों के बारे में क्यों बोल रहे हैं ? मैं उनमें नहीं रहता हूं । माननीय सदस्य भी उनमें नहीं हैं ।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं माननीय सदस्य से कुछ स्पष्टीकरण की आशा करता हूं ।

दिल्ली भूमि अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत 361 मामले बुक किए गए हैं । भूखण्डों को अवासीय से वाणिज्यिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में मैं सदन के समक्ष आंकड़े रख रहा हूं—डी० डी० ए० के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं—मैं सामान्य आकड़े दे रहा हूं—2,297 मामले बुक किए गए और 1,538 मामले न्यायालय में लम्बित पड़े हैं ।

मेरा यह निवेदन है कि स्थानीय निकाय, जो दिल्ली को अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी हैं, बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं । किन्तु उनके मार्ग में कुछ रुकावटें हैं जो मैंने आपके समक्ष रखी हैं ।

जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का सम्बन्ध है उसने रोकथाम उपाय के रूप में 1500 हैक्टेयर भूमि को घेरकर तार लगा दी हैं और इसकी श्रेणी ऊंची कर दी है ।

मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि दिल्ली के प्रबन्धाधीन कुल 61,000 एकड़ भूमि में से वह भूमि जिसका अतिक्रमण किया गया है, और कृषि योग्य नहीं है, 1500 एकड़ है ।

मुख्य समस्या को समझा जाना आवश्यक है ।

निर्माण गिराने के सम्बन्ध में मैं सदन से यह कहना चाहूंगा कि 1977 से 1981 के दौरान 5 से 7 प्रतिशत तक ही मकान गिराए गए हैं ।

वर्ष 1981-82 में 27 प्रतिशत निर्माण गिराये गए। अतः मेरा यह कहना है कि स्थानीय विकास अत्यन्त सक्रिय हैं और वे परिस्थिति की चुनौती का सामना करने में अपने स्तर पर यथा-सम्भव कार्य कर रहे हैं। परन्तु जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें कई अड़चनें हैं।

जहां तक गुरुद्वारा का सम्बन्ध है—श्री रतनसिंह राजदा ने इस मुद्दे पर बहुत जोर दिया है—और मैं सदन के समक्ष बस यही कहना चाहता हूं कि वस्तुतः अनधिकृत कब्जा करने का प्रयास किया गया है। उस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक आवास कम्पलैक्स की योजना थी और उसका इस आधार पर विरोध किया गया कि इससे गुरुद्वारा इमारतों से घिर जाएगा और इसकी दृश्य पटी ढक जाएगी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, तदन्तर स्थल पर कुछ तम्बू लगा दिए गए और चहारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया तथा स्थल पर निशान साहिब की स्थापना कर दी गई। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के नेताओं से बातचीत की और यह बताया कि गुरुद्वारा खालसा के अनुनायियों की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए पार्किंग स्थल व गुरुद्वारे के सामने एक पार्क के अलावा, गुरुद्वारे के लिए सीधा रास्ता उपलब्ध कराया जाए, दि० वि० प्रा० ने तदनुसार लेआउट के नक्शे में संशोधन कर दिया। माननीय सदस्य यह सब जानते हैं। क्या वह सरकार को स्थिति को और बिगाड़ने व कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने की सलाह दे रहे हैं?

श्री रतनसिंह राजदा : नहीं।

श्री बृजमोहन महन्ती : मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं इस समस्या के सौहार्दपूर्ण हल के लिए सहयोग की कामना करता हूं। हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं और हमने इसका हल निकाल लिया है तथा मुझे विश्वास है कि दि० वि० प्रा० भूमि के बचे हुए हिस्से को अपने अधिकार में ले लेगी, यह हिस्सा खुला छोड़ा जाएगा। जिससे गुरुदारे के दर्शन करने में कोई अड़चन नहीं होगी। शेष निर्माण कार्य आरम्भ होगा व इसे दि० वि० प्रा० अपने अधिकार में ले लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश चन्द्र रावत।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे अन्त में बोलने की अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात स्पष्ट कर दूं; आपका भाषण बहुत छोटा होना चाहिए।

श्री रतनसिंह राजदा : मंत्री जी ने बात को और भी गड्डमड्ड कर दिया है, इस दृष्टिकोण से कि इस ध्यानाकर्षण का विषय था पुरानी दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में हो रहे अनधिकृत निर्माण, लेकिन मंत्री जी उसके बदले झुग्गी-झोंपड़ियों की बात लेकर बैठ गए और उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि उन पर क्या कार्रवाई की गई, और कितने मकान गिराए गए। सरकार गरीब लोगों से निर्दयतापूर्वक व्यवहार करती है और उनके झोंपड़े गिरा देती है, पर घुटाला करने वालों की उसके साथ मिली भगत है, इसलिए सरकार उसमें कार्यवाही करने में तत्परता नहीं बरत रही है और ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन तत्वों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगी।

श्री बृज मोहन महन्ती : यदि स्थानीय विकास के कर्मचारियों में से किसी पर कोई स्पष्ट आरोप लगाया जाए (**व्यवधान**) तो मैं बहुत आभार मानूंगा। कुछ राजनीतिक नेताओं पर स्पष्टत: आरोप लगाए गए हैं। अगर आपको ऐसा ठीक लगता हो तो मैं उत्तर दे सकता हूं। मैंने तो सोचा था कि किसी दूसरे प्रश्न के सिलसिले में इन आरोपों से संबद्ध सभी तथ्य प्रस्तुत कर दूंगा। क्या आप यह जानने के इच्छुक हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने सारे किस्से की छानबीन कर ली है ?

श्री बृजमोहन महन्ती : हां, इसकी छानबीन कर ली गई है। (**व्यवधान**)

श्री रतनसिंह राजदा : मैंने पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च-शक्तिप्राप्त समिति नियुक्त किए जाने की मांग की है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सामान्य चर्चा नहीं है। कृपया इसे रिकार्ड न किया जाए। वह श्री राजदा को ही उत्तर दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री बृजमोहन महन्ती : दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि श्री मनोहर लाल ने अन्य निर्माणकर्त्ताओं की तरह पर्दे के पीछे से रहते हुए सारा खेल खेला है एक के साथ सामान्यत: अपने को मिली भगत करके···

श्री रतनसिंह राजदा : वह मनोहरलाल कौन है ?

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : क्या वह भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली का पदाधिकारी नहीं ? है या नहीं ? (**व्यवधान**)

श्री बृजमोहन महन्ती : हां, संलेख में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वह भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली का एक नेता है। उसने इमारत के मूल मालिक से समझौता करके अन्य भवन निर्माताओं की तरह मुख्यत: परदे के पीछे रहते हुए चालें चली हैं।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री राजदा स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। प्रत्येक सदस्य नहीं, श्री टाइटलर कुछ अवसर अपने मित्र श्री रावत को भी दीजिए।

श्री बृज मोहन महन्यी :···भवन के मूल मालिक से मिलीभगत करके बड़े परिवर्तन किए हैं। (**व्यवधान**)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यहां और सदस्य भी हैं। उन्हें बोलने दें, और आप उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है। अब श्री हरीश रावत की बारी है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, जब माननीय मंत्री जी ने, जो असली विषय वस्तु कालिंग अटेंशन की थी, उसका कोई जवाब नहीं दिया। हमारी मंशा इस कालिंग अटेंशन के जरिए सरकार का ध्यान, इस सदन का ध्यान और इस सदन के माध्यम से सारी दिल्ली की जनता का ध्यान उन अवैध कब्जों की ओर दिलाना था जिन्होंने दिल्ली के दिल, चांदनी चौक को एक स्लम बनाकर रख दिया है। हाल में ले० गवर्नर का एक बयान हमने अखबारों में पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे हटाये जायेंगे। कुछ अवैध

कब्जे हटाए भी गए लेकिन ये वही लोग थे जो कि खोमचे लगाते थे, जो कि फुटपाथ पर थे या जो रेहड़ी लगाते थे। ऐसे लोगों को ही हटाया गया लेकिन जो असली लोग हैं, जो बड़े-बड़े सैकेटीयर्स हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अभी यहां पर हमारे दोस्त राजदा साहब को कांग्रेस की पुरानी संस्कृति ने ही प्रेरित किया जो उन्होंने यहां पर असल बात को कहा लेकिन हमारे मंत्री जी ने उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। (व्यवधान) 1967 में जब दिल्ली में जनसंघ शासक दल था तब से यहां पर अवैध कब्जों की शुरुआत हुई। 1977 से जनता पार्टी के नाम से जनसंघ का यहां पर कब्जा रहा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी यहां पर दिल्ली की जो एजेंसीज है—डी० डी० ए०, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली नगर निगम—उनमें बी० जे० पी० के लोग घुसे हुए हैं और वे उनसे मिलकर अवैध कब्जों का निर्माण करते हैं। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि अकेले चांदनी चौक में तीन हजार से ज्यादा ऐसे अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं। पांच मंजिली इमारतें तक बनाई गई हैं। ये लोग करते क्या हैं? वास्तव में वे लोग पहले मकान मालिक से मिल लेते हैं और सस्ती कीमत पर मकान खरीद लेते हैं या फिर मकान मालिक से कोई समझौता कर लेते हैं और फिर रातो-रात ऊंची बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं कि चांदनी चौक में छोटे-छोटे कमरों के लिए भी दो-तीन लाख रुपए की पगड़ी मिल जाती है।

उपाध्यक्ष जी, सरकार ने जो पब्लिक प्रेमिसेज ऐक्ट बनाया, जिसके द्वारा अवैध कब्जों को रोकने की कोशिश की, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन यह जो दिल्ली में अवैध कब्जों की बाढ़ आई हुई है उनको रोकने के लिए क्या आप कानूनों में कोई संशोधन करने की बात सोच रहे हैं? यह जो ऐक्ट हैं—दिल्ली म्युनिसिपल अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, दिल्ली डेवलपमेन्ट ऐक्ट, पंजाब म्युनिसिपल ऐक्ट, 1911—यह बहुत ही पुराने हैं। आज जिस अनुपात से दिल्ली बढ़ती जा रही है, हम समझते हैं इस शताब्दी के अन्त तक दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 25 लाख हो जायेगी। इस बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को देखते हुए, आज जिस प्रकार से अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने में यह ऐक्ट नाकाफी लग रहे हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, क्या वे इन ऐक्ट्स में कोई ऐसे संशोधन करेंगे, कोई ऐसे प्रावधान लाएंगे और इस प्रकार से इनको माडीफाई करेंगे जिससे कि दिल्ली की वर्तमान तथा आगे बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कोई छींटाकशी नहीं करना चाहता लेकिन इतना जानना चाहता हूं कि जो मोरी गेट में वाल्ड सिटी में डी० डी० ए० की जगह थी वहां मास्टर-प्लान के सारे बाईलाज को वायलेट करके मल्टी-स्टोरी कार्मशियल शापिंग सेन्टर बनाया गया, उसको बनाने के लिए पैसा कहां से आया? बनाने के लिए सीमेंट कहां से आया, क्या डी० डी० ए० को समय पर इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी या जो भी एजेंसी काम कर रही थीं, उनको समय पर जानकारी नहीं हो पाई थी?

जैसा कि मेरे दोस्त, श्री टाइटलर, ने सही कहा—उसको बनाने वाला व्यक्ति श्री मनोहर लाल कुमार है। जिसको कि दिल्ली का हाजी मस्तान भी कहा जाता है, जैसा कि अखबारों में छपा है। वह व्यक्ति एक राजनीतिक दल, बी० जे० पी० का है, जैसा कि श्री राजदा जी ने कहा

और वाइस-प्रैजीडेंट है । सदर डिस्ट्रिक्ट का पदाधिकारी है । उसने मिलकर इसको बनाया है । डी० डी० ए० के लोगों ने पी० ए० सी० की कमेटी में इस बात को कबूल किया है । आफिस जो कि सदर बाजार क्षेत्र में है, वहां कुछ ही महीनों के अन्दर 1500 अवैध दुकानें बनी हुई हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि किस तरीके से मनोहर लाल इस काम में सक्षम हो पाया है कि वह इस तरह के अवैध कामों को कर दे । क्या वही दिल्ली का सर्वेसर्वा है, क्या वही दिल्ली का लैफ्टिनेंट गवर्नर है और क्या दिल्ली की सरकार वही है ?

मान्यवर, नम्रता तो समझ में आती है । मैं मानता हूं कि श्री भीष्म बाबू बहुत विनम्र हैं । सारा सदन उनकी विनम्रता की सराहना करता है । मैं भी मानता हूं कि वे राजनीतिक नेता हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन केवल उनकी ईमानदारी से क्या होगा ? उनकी नाक के नीचे···

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, उनकी बात में हस्तक्षेप करने के लिए खेद है । उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत जाने के बाद दि० वि० प्रा० उनकी भूमि के एक टुकड़े पर भी अधिकार न कर सका । यह सबसे बड़ी कठिनाई है ।

श्री हरीश रावत : मुझे जानकारी है, उस व्यक्ति के पैरोल में न केवल हमारे कुछ कर्मचारी हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी हैं । यह मुझे ज्ञात हुआ है कि जब कभी भी डी० डी० ए० उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कोशिश करता है या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्यवाही करने की कोशिश करता है, तो धरना देने की धमकी दी जाती है । तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को लेकर लैफ्टिनेंट गवर्नर या वाइस प्रैजीडेंट, डी० डी० ए० के वहां हल्ला-गुल्ला मचा दिया जाता है । वह व्यक्ति यह सोचकर कि हम पर कोई छींटा न आ जाए, चुप रह जाता है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप श्री मनोहर लाल जैसे व्यक्ति के लिए अपनी विनम्रता को तोड़ेंगे ? आपकी नाक के नीचे इस तरह से हाजी मस्तान पनप रहा है, जिसने हजारों इल्लिगल कन्सट्रक्शन कर दिए हैं, जिसने करोड़ों रुपया इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन के द्वारा बनाया है, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? आपके पास एक्ट है, एन० एस० ए० है, आप उसके खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम हैं । इसलिए आप इस सम्बन्ध में कार्यवाही करिए ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : प्योर ड्रिंक्स के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री हरीश रावत : मान्यवर, डी० डी० ए० को केवल झुग्गी-झोंपड़ी गिराने वाला पहलवान न बनाइए । ऐसे पहलवानों से भिड़ाइए, उनके अवैध कब्जों को गिराइए ।

मान्यवर, एक जगह है, जो कि पहले ग्रीन-बैल्ट एरिया था । उसमें बिना लैण्ड-यूज को चेंज किए एक बिल्डिंग बनाई गई, जिसका कि जिक्र श्री टाइटलर ने किया है । महेन्द्र इन्क्लेव के नाम से, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में हार गया; लेकिन उसको "स्टे" मिल गया । उसको क्यों स्टे दिया गया ? कहां से उसको स्टे मिल गया ? उसने अपने एन्क्लेव में एक व्यक्ति को फ्लैट दे रखा है, योगेन्द्र जैन, जो कि बी० जे० पी० का जनरल सेक्रेटरी है, वैसे वह पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी है । बार-बार उन लोगों के द्वारा धमकी दी जाती है । मुझे जानकारी है कि डी० डी० ए० ने कई बार उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको कार्यवाही करने से रोक दिया गया ।

मान्यवर, इसी प्रकार और भी कई उदाहरण हमारे पास हैं। अवैध कब्जा राजनीतिक दल विशेष कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर, डी० डी० ए० को धमका कर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को धमका कर किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे अवैध कब्जों को गिराने के लिए डी० डी० ए० के द्वारा या दूसरी-तीसरी एजेंसी के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? मुझे जानकारी है, जब भी हायर-लैवल पर कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं, तो नीचे के लोग उन व्यक्तियों को बता देते हैं···

और वे व्यक्ति कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं—ऐसे कितने केसेज में आपने कार्यवाही के नोटिस दिये और कितने केसेज ऐसे हैं जिनमें कोर्ट के द्वारा स्टे दिये गये। यह प्रोसेस रुके, इस दृष्टि से कानून में कोई अमेण्डमेन्ट करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ?

···(व्यवधान)···

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं—इन सारे केसेज में हमको ऐसा प्रतीत होता है कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, डी० डी० ए० के कुछ कर्मचारी, कुछ पुलिस के अधिकारी ये सारे लोग मिले हुए हैं, यहां तक कि फाइलों को, रिकार्ड्स को बदल दिया गया है, जमीन किसी के नाम है उसके मालिकाना हुकूक को बदल दिया गया है। क्या आप इस सारे मामले की उच्चस्तरीय जांच करायेंगे, क्या इसकी जांच सी० बी० आई० के द्वारा करवाने को तैयार हैं ? क्या ऐसे आफिसर्ज, जिनके साथ मिलकर यह अवैध निर्माण किया गया है, उनको पिन-प्वाइन्ट करके क्या आप कोई सजा देंगे ?·····(व्यवधान)·····

कितने लोगों को डी० डी० ए० के द्वारा नोटिस दिये गये तथा कितनों को कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया—कृपा कर यह भी स्पष्ट कर दें ताकि मालूम हो सके कि कभी-कभी विकास कार्यों में न्यायपालिकायें भी बाधक बन जाती हैं।

आपने 1980 में एक स्पेशल सेल बनाया था, जिसका इन्चार्ज एक एस० पी० को बनाया था। इस सेल के बनने के बाद कितने अवैध कब्जे रुके तथा क्या यह सेल कोई कार्यवाही करने में इफेक्टिव रहा है ?

ऐसा प्रतीत होता है कि जो अवैध कब्जे किये जाते हैं और उनमें जो कोर्ट से स्टे मिल जाते हैं—इसका कारण कानून में इसका नान-कागनिजिबिल आफेन्स होना है। क्या इस आफेन्स को कागनिजिबिल आफेन्स बनाने की दृष्टि से आप कानून में कोई संशोधन करेंगे ताकि डी० डी० ए० सही तरीके से कार्यवाही कर सके ?

आवास-विकास एक सामाजिक समस्या है और साथ ही आर्थिक समस्या भी है। दिल्ली आज जिस तरह से बढ़ रही है, मैं यह समझता हूं कि डी० डी० ए० ने बहुत सराहनीय काम किया है, बड़ा उल्लेखनीय काम किया है और वे निश्चित रूप से इसके लिए बधाई के पात्र है। इस शताब्दी के अन्त तक दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 25 लाख हो जाएगी और यदि हमने इफेक्टिव तरीके से सारे लोगों को अभी से बसाने की कोशिश नहीं की, उनके आवास-विकास की कोई योजना नहीं बनाई, तो दिल्ली एक स्लम बनकर रह जाएगी, जो आज सुन्दर नगर है, वह गन्दा नगर बन जाएगा। मैं जानना चाहता हूं—दिल्ली की भविष्य की आवश्यकता को देखकर क्या

कोई नया मास्टर प्लान बनाने का विचार है ? आज दिल्ली में जनसंख्या का कन्सेन्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है—इसलिये आप ऐसा क्या प्रयास करने जा रहे हैं जिससे उसकी सुन्दरता को बनाए रखा जा सके, दिल्ली की जो ग्रीनरी है उसको बनाये रखा जा सके ?

हमारे काल-एटेन्शन की जो वास्तविक मंशा है—अवैध कब्जों को रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं । ऐसे लोग जो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो कुछ अन्य लोगों के साथ मिल कर डी० डी० ए० और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को मैलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जायेंगे या नहीं उठाये जायेंगे—यह बतलाने की कृपा करें ।

श्री बृजमोहन महन्ती : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण श्री एम० एल० कुमार से सम्बद्ध प्रसंग को सुनने के बहुत इच्छुक हैं । मैं उसे सदन को बताने जा रहा हूं । मुझे यह रिपोर्ट मिली है कि कुतुब रोड पर फायर ब्रिग्रेड स्टेशन के पीछे श्री एम० एल० कुमार द्वारा निर्मित भवन पर अभी स्थगन आदेश लागू है । (**व्यवधान**) तीन मंजिले भवन जिसकी सब्जी-मंडी, मोरी गेट क्षेत्र में 136 दुकानें हैं, पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। इस इमारत की मूल मालकिन विमला रानी गुप्ता हैं ।

श्री जगदीश टाइटलर : रुई मंडी में पिछले हफ्ते बहुत-सी बिल्डिगें खड़ी हो गई हैं । मुझे लगता है कि किसी ने आपको गलत जानकारी दी है । यह व्यक्ति बड़ा घोटालेबाज रहा है और कोई भी उसे बिल्कुल नहीं रोक पाया । यह मेरा ही निर्वाचन क्षेत्र है । मुझे स्थिति की जानकारी है : मैं यह आपको बता सकता हूं; यह रिकार्ड में है क्योंकि 2 वर्ष पहले मैं वहां गया था, वहां सारी कालोनी आई थी ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इसके लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बना दी जाए ।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं आपको उन अधिकारियों के नाम गिनवा सकता हूं जो इससे संबद्ध रहे हैं ।...

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनें ।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं प्राप्त जानकारी के आधार पर आपको यह बता रहा हूं । मेरे पास लूटपाट के सभी घोटालों की जानकारी नहीं है । हमारे पास सभी मामलों की जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी मेरे पास है मैं उसे आपके समक्ष रख रहा हूं । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सामान्य चर्चा नहीं है । जिन्होंने ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है केवल वे ही प्रश्न करें ।

श्री बृजमोहन महन्ती : प्राप्त जानकारी के अनुसार ही मैं स्थिति बता रहा हूं ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप श्रीहरीश रावत को उत्तर दें ।

एक माननीय सदस्य : आप खुद पास चले जाएं ? बहुत निकट हैं ।

श्री बृजमोहन महन्ती : केवल एम० एल० कुमार ही इससे सम्बद्ध नहीं है; श्री आत्म प्रसाद कौशिक, श्री सुकबीर सरन अग्रवाल, श्री ईश्वरदास निगम, श्री राम ज्वैलर्स, श्री सुरिंदर गुप्ता आदि अन्य भी हैं। ये लोग भी हैं। ये इन गेंगों के सरगना हैं; ये हर तरह के घोंटाले करते हैं। जहां तक एम० एल० कुमार का सम्बन्ध है उन्होंने स्वयं 3 मंजिली इमारत बनायी। उसे जनता शासन के दौरान गिरा दिया गया और तदन्तर··· **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उन्होंने इसे अब फिर से बनबा लिया है।

श्री हरीश रावत : 50 मार्केटिंग कम्पलेक्स बनाए हैं। **(व्यवधान)**

श्री बृजमोहन महन्ती : इसके पश्चात दिल्ली नगर निगम में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया कि सभी गैर-कानूनी निर्माण नियमित कर दिए जाएंगे। जनता शासन में इसके प्रवर्तन में इसका पुनर्निर्माण किया गया। अब स्थगन आदेश लागू है। हर मामले की अपनी एक अलग कहानी है। यह अतिक्रमण की कहानी व उसे किस तरह किया गया उसकी एक कहानी है।कुछ मामलों से राजनीतिक दल सम्बद्ध हैं; कुछ मामलों में बड़ी-बड़ी हस्तियां सम्बन्धित हैं; इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम निश्चित कदम उठा रहे हैं जिससे अनियमित निर्माण हटाए जाएं। जहां तक कानून में संशोधन का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार है। माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है कि मौजूदा कानून इस उद्देश्य से पर्याप्त नहीं है। लम्बे समय से मुकदमे अभी चल ही रहे हैं। अतः विधि मंत्रालय ने ऐसी नीति बनाने का निर्णय किया है जिससे इस कानून में संशोधन किया जा सके। हमारा प्रयोजन यह देखना है कि सरकार को पर्याप्त शक्ति मिले, स्थानीय निकाय को पर्याप्त शक्ति मिले, वे स्थिति से प्रभावी तरीके से निबटने की स्थिति में हों। इस कारण विधि मंत्रालय अब विधेयक का मसौदा तैयार कर रहा है। हम सदन में इसी रूप में एक विधेयक लाने का प्रयास करेंगे। हमारा एक मान्य उद्देश्य विधान को अधिक प्रभावी बनाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : माना कोई व्यक्ति एक मकान का निर्माण करता है और न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश ले लेता है, दिल्ली प्रशासन लम्बे समय तक उस स्थगन आदेश को रद्द करने का प्रयत्न क्यों नहीं करता ?

श्री बृजमोहन महन्ती : वह तो न्यायालय को रद्द करना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे मामले को न्यायालय में किसे ले जाना होता है ?

श्री बृजमोहन महन्ती : निगम को।

उपाध्यक्ष महोदय : दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगरपालिका ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ?

श्री बृजमोहन महन्ती : दिल्ली नगर निगम या अन्य सम्बद्ध स्थानीय निकाय इसके प्रति बहुत सचेत हैं और उन्होंने अपने स्तर पर न्यायालय जाकर स्थगनादेश रद्द करने का प्रयत्न किया। परन्तु सभी जानते हैं कि न्यायालय पद्धति बहुत समय लगाने वाली प्रक्रिया है।

श्री जगदीश टाइटलर : उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ?

श्री बृजमोहन महन्ती : महेन्द्रा एन्क्लेव के मामले में स्थिति इस तरह है। यहां यह समस्या है कि मूलतः यह एक शरणार्थी सम्पत्ति है। ये शरणार्थी पाकिस्तान जा रहे थे। अतः पुनर्वास मंत्रालय ने इस भूमि को नीलामी कर दी और श्री दर्शन सिंह, श्री बलवंत सिंह, व कुछ अन्य इसके खरीददार थे। तदन्तर, दिल्ली प्रशासन ने इस भूमि का अधिग्रहण करना चाहा और वह भूमि खंड 4 व 6 के अन्तर्गत अधिसूचक के अन्तर्गत लाई गई। उसके बाद उन्होंने इसे चुनौती दी और उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में इसके विरुद्ध चुनौती दी, वे अपना मुकदमा हार गए। तदनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हुई व जब अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हुई तो वे फिर न्यायालय में गए। वे फिर हार गए। इससे संबद्ध अनुच्छेद 351, 352 व 353 तीन उपबंध हैं। जहां तक अनुच्छेद 352 व 353 का सम्बन्ध है, हम इस भूमि का पर काबिज नहीं हो रहे हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं मंत्री महोदय को आदर सहित कह सकता हूं कि अधिकारी गण मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)। आज भी यह समाचार-पत्र में आया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : क्या मैं इससे इनकार करता हूं? इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आज, कल या परसों, नया निर्माण कार्य नहीं हुआ। मैं यह नहीं कहता। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : जब कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो क्या उसके डिमोलिशन से पहले डी० डी० ए० द्वारा नोटिस देना जरूरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो वैसे ही डी० डी० ए० उसे जाकर तोड़ दे?

श्री बृज मोहन महन्ती : महोदय, विधान में बहुत-सी बातों की व्यवस्था की गई है। उनको नोटिस भी दिया जाना चाहिए और कुछ समय भी देना होगा और इसी दौरान जब कभी वे जाते हैं, कभी कभी कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर दी जाती है। स्थानीय निकाय और पुलिस प्रशासन, जहां तक सम्भव हो कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करता है, जो बांछनीय नहीं होती। इसमें बहुत-सी बातें हैं। इन लोगों ने विशेषकर इस महेन्द्रा एन्क्लेव में अपने नक्शे पास करवाने की बार-बार कोशिश की, परन्तु उनको सफलता नहीं मिली। सारा मामला गैर-कानूनी है, और वहां अनधिकृत निर्माण मौजूद है। जैसाकि मैंने बताया, इसमें तीन प्लाट शामिल हैं। इन तीन प्लाटों में से, हमने केवल प्लाट सं० 351 का आधा हिस्से का कब्जा ले लिया है। हमने प्लाट सं० 352 और 353 का कब्जा नही लिया है क्योंकि उन पर निर्माण कार्य हुआ पड़ा है। वास्तव में, हमारा यह प्रयास होगा कि हम समग्र भूमि का अधिग्रहण करें। जो लोग वहां रह रहे हैं उन्होंने सीधा मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतें लिखी हैं और मंत्रालय से इस पर वि ार करने का अनुरोध किया है। यह मामला हमारे मंत्रालय में विचाराधीन है, और हम सभी अपेक्षित प्रभावशाली कदम उठाएंगे।

श्री जगदीश टाइटलर : वे लोग उच्चतम न्यायलय में क्यों गए? (व्यवधान)·····अफसर भी इसमें शामिल हैं···(व्यवधान)। वे सीमैंट और अन्य सामग्री कहां से लाये?

श्री बृजमोहन महन्ती : जहां तक सीमेंट के वितरण का प्रश्न है, माननीय सदस्य जानते हैं कि वह हम नहीं करते। सीमेंट केवल कानूनी आधार पर ही दिया जाता है, अन्यथा नहीं।

जैसाकि मैंने कहा, यह एक जटिल समस्या है, और हमें इसे इसकी समग्रता को देखकर चलना पड़ता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक विस्तृत वक्तव्य दिया है और इसमें कोई भी बात नहीं छोड़ी है। श्री राजदा बहुत ही संतुलित और सही व्यक्ति हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश आज वे अपना सन्तुलन खो बैठे हैं·····(व्यवधान)। श्री राजदा ने बताया कि इस मामले में यह भ्रांति बुरी तरह से हतप्रभ कर देने वाली है। दुर्भाग्यवश, वे स्वंय आज गड़-बड़ा गए हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : ये ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे कि मंत्री हों।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपने प्रश्न पूछने की भूमिका बना रहे हैं।

एम० रामगोपाल रेड्डी : श्री राजदा ने कहा कि यह समस्या एक ज्वलंत समस्या थी। मंत्री लोग बहुत शांत-चित्त के और शांत-स्वभाव के हैं और वे किसी जलती हुई वस्तु को भी ठंडी कर सकते हैं, और वास्तव में यह ठंडा पड़ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि श्री राजदा भी शान्त हो जाएंगे।

दिल्ली एक महान शहर रही है। अब यह लगभग संसार का सबसे सुन्दर शहर बन गयी है। केवल पुरानी दिल्ली में अत्यधिक जन संख्या और सघन आबादी है। नई दिल्ली में बहुत कम जन संख्या है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखें कि शहर की सुन्दरता बनी रहे। मंत्री जी ने उत्तर देते समय यह बात सही कही है कि 1962, 1967 और 1977 में, जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता में आई, और दिल्ली नगर निगम और महानगर की सत्ता उनके हाथ में थी। उस अवधि के दौरान, लोगों के प्रति उनके स्नेह के कारण नहीं, लेकिन वोटों के लिए, वे बहुत-से लोगों को लाये और उन्हें यहां बसाया, ताकि वे उन लोगों के वोट ले सकें। यह सब केवल वोट लेने के लिए किया गया। यदि लोकोपकार के आधार पर उन्होंने ऐसा किया होता, तो मैं इस बात से सहमत हो जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे चुने गए थे ? केवल वोट के आधार पर।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मुझे बहुत अच्छा बहुमत मिला था; 2.5 लाख, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों से। इन तीन नामों का लगातार उल्लेख किया गया है। एक श्री मनोहर लाल, दूसरा श्री योगेन्द्र जैन और तीसरा श्री कुमार का।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन तीनों के पूर्व वृत्तों की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग का गठन करें और आवश्यक कार्यवाही करें।

लगभग 216 अवैध निर्माण और कालोनियां बन गई हैं। सरकार एक बार जब निर्णय कर लेती है तो सरकार को लोगों को न्यायालय में जाने का समय नहीं देना चाहिए और उन्हें ये मकान तत्काल गिरा देने चाहिए। आखिकार यह सरकार की सम्पत्ति है और मैं आशा करता हूं कि जनता पार्टी रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएगी और यह नहीं कहेगी कि इस सरकार ने बहुत से मकानों को गिरा दिया। पहले भी जब श्रीमती गांधी इस शहर को बहुत सुन्दर बनाना चाहती

थीं तो जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया। अब वे यह बात भूल गए हैं। भाजपा से उनकी शत्रुता के कारण वे भाषण दे रहे हैं। अन्यथा वे ऐसे वक्तव्य देते।

श्री जगदीश टाइटलर : महिन्द्रा एनक्लेव का प्रश्न अब भी बाकी है। यह सदन इस अवैध निर्माण को कानूनी रूप देता है। मैं केवल इतना ही कहूंगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या संसद ऐसा कानून पास करने की स्थिति में है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से मकान बनाता है तो उसे न्यायालय के पास जाने से रोका जा सके ? यदि ऐसा कानून बनना सम्भव नहीं है तो क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल करेगी ? यदि सरकार ऐसा करती है तो मैं समझता हूं कि बहुत-सी बातें रोकी जा सकती हैं।

बहुत बार यह बात कही गई है कि सीमेंट संबद्ध अधिकारियों द्वारा दिया गया था। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं परमिट के बिना भी बहुत सा सीमेंट मिल जाता है। तब खामखा अधिकारियों पर दोष क्यों लगाया जाए ? आखिरकार, अधिकारी देश की सेवा के लिए और सरकार की सेवा के लिए हैं और उनका कोई स्वार्थ नहीं है। यदि हम यह कहें कि अफसरों की मिलीभगत है, तो मैं समझता हूं कि वह हमारे अपने अधिकारियों के प्रति न्याय नहीं होगा। और यह उनको उनके कर्तव्य का सही रूप से पालन करने में बाधक बनेगा।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य ने इस समस्या को भलीभांति समझा है। मैं उनका आभारी हूं। हम इस मामले को गम्भीरता से ले रहे हैं और इस मामले में बहुत सक्रिय हैं कि अवैध निर्माण हटाया जाए और दिल्ली सुन्दर शहर बने। शायद माननीय सदस्य को यह बात मालूम नहीं है कि 80 से 100 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मैंने यह सूचना सभा के समक्ष रखी है। आवासीय मकानों, वाणिज्यिक दुकानों आदि में अवैध रूप से बदलने को रोकने के लिए विशेष सेल स्थापित किए गए हैं। मैंने सदन के समक्ष रखा है कि जहां तक दि० वि० प्रा० की भूमि का सम्बन्ध है, केवल एक एजेंसी द्वारा 2,297 मामले रजिस्टर किए गए हैं। मैंने सदन के समक्ष यह सूचना भी रखीहै कि 11,900 अवैध मकानों को गिराया गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो हमारे रास्ते में रुकावटें डालते हैं। वे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी हैं। वे केवल व्यक्तिक रूप से ही शक्तिशाली नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे कुछ राजनैतिक दलों का भी हाथ है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु वे सरकार से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते।

श्री बृजमोहन महन्ती : अब समस्या यह है कि यह मामला अदालत में चला गया है।

माननीय सदस्यों के सूचनार्थ, महेन्द्रा एन्क्लेव के बारे में, उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मिल गया है क्योंकि उसमें बहुत-से बड़े लोग हैं, जिन्होंने अदालतों में मामला दायर कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : यह गलत है। एक बार के स्थगन आदेश रद्द कर दिए गए हैं ; परन्तु कुछ नये लोग अदालत में चले गए हैं। मान लीजिए किसी विशेष अनधिकृत कालोनी में 400 लोग हैं और 150 लोग अदालत में चले गए और वे मुकदमा हार भी गए, इसके बाद बाकी

के लोग अदालत की शरण में आ जाते हैं·····(**व्यवधान**) इसलिए, यह समस्या है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर सरकार को देना है।

श्री बृजमोहन महन्ती : सरकार माननीय सदस्यों की चिन्ता पर गौर कर रही है। (**व्यवधान**) सभा के साथ-साथ सरकार भी इस बात से चिंतित है कि जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की ढील नहीं दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती किशोरी सिन्हा।

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : लोगों की गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए जो इस देश की राजधानी में इतने बड़े घोटाले के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए मैं किसी दल —भाजपा, जनता पार्टी या कांग्रेस (ई) को दोष नहीं देती मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम अमीर बन जाने की इच्छा ने लोगों के एक ग्रुप को इकट्ठा कर दिया है; दल गत सम्बन्धों का इससे कोई मतलब नहीं।

मुख्य बात यह है कि निगम के नियमों और विनियमों, अथवा मास्टर प्लान के विरुद्ध सदर बाजार, चांदनी चौक और पहाड़गंज जैसे अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भवन निर्माण कार्य हो रहा था, और किसी व्यक्ति ने भी इस बात की उपयुक्त प्राधिकारियों को सूचना नहीं दी।

एक माननीय सदस्य : विंडसर प्लेस भी। (**व्यवधान**)

श्रीमती किशोरी सिन्हा : चार मंजिल ऊंची इमारतें बनने पर भी निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों तथा पुलिस का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ ?

मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिये विभिन्न कार्यवाहियों का एक विस्तृत विवरण सरकार ने दिया है लेकिन लापरवाही अथवा अनदेखी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में उसमें किसी प्रस्ताव में एक शब्द भी नहीं कहा है। उदाहरणस्वरूप, निगम आयुक्त यह सुनिश्चित करने के लिए सीधा जिम्मेदार है कि नियम तथा विनियमों का किसी भवन निर्माण कराने में अनुपालन किया जाए।

अतः मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या निगम आयुक्त को, जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी है, इस अवैध निर्माण का पता लगा था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ? सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन्होंने वास्तव में लाभ कमाया है, क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखा है ? मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को गलती करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के विचार से एक पूछताछ समिति का गठन करना चाहिए। (**व्यवधान**)

मेरी मांग यह है कि यदि उन अधिकारियों ने गलती की है तो उन्हें हटाया जाये।

(**व्यवधान**)

दूसरी बात यह है कि इसे अधिक कारगर बनाने के लिये कानून में संशोधन करने के लिये एक विधान लाने का सरकार का प्रस्ताव है।

क्या सरकार कानून के अन्तर्गत उन निर्माणों को अधिग्रहण करने के लिये शक्तियां देगी जिन्हें गिराया नहीं जा सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय । (**व्यवधान**)

श्री भीष्म नरायण सिंह : मैं माननीय सदस्य गणों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दिल्ली की इस प्रकार की एक जटिल समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है । सरकार इस सम्बन्ध में बहुत चिंतित है। और जैसा कि मेरे साथी ने कहा है कि यह सरकार दिल्ली के एक योजजाबद्ध विकास के लिये वचनबद्ध है । मेरे साथी ने यह तथ्य दिये हैं कि पहले क्या स्थिति थी तथा यह समस्या कैसे बढ़ी है । हमें पुराने कानून मिल गये हैं। भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में वह अधिनियम बहुत पुराना है। यह अधिनियम 1894 का है । इस समस्या पर विचार करने के लिये यह अधिनियम भी पुराना है । यदि आप उन अधिनियमों को देखें जिनमें से कुछ अधिनियम 1911 के हैं। इसलिये मुख्य समस्या यह है कि हमें इस कानून में संशोधन करना है। पहले दिल्ली के सामने जनसंख्या की वृद्धि की इतनी अधिक समस्या नहीं थी । यह उस प्रकार की नहीं थी । आप यह देख चुके हैं कि जनसंख्या के बढ़ने की दर इतनी अधिक है कि हमने दिल्ली से जनसंख्या के दवाब को हटाने के लिये सोचना शुरू कर दिया है । हमने छठी पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है यद्यपि यह राशि बहुत कम है लेकिन इस कारण से कि दिल्ली की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इस प्रकार की समस्याएं आना स्वाभाविक है।

श्री हरीश रावत : हरियाणा और उत्तर प्रदेश मान गये हैं आपके प्रापोजल को ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : इसलिये इस समस्या पर विचार करने के लिये यह उचित समय है कि हमें कानून में संशोधन करना चाहिए। इसलिये हम मंत्रिमंडल में इस बात को ले गये हैं। इन तीन कानूनों में संशोधन करने के लिये हम जो भी प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने लाये हैं मंत्रिमंडल ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। विधि मंत्रालय एक विधेयक तैयार कर रहा है। जैसे ही विधेयक तैयार हो जाता है हम निश्चय ही इसे इस सत्र में पुरःस्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मेरे साथी ने कहा है हम इस विधेयक को इस सत्र में पुरःस्थापित करने की कोशिश करेंगे । इस समय विधेयक हमारे हाथ में नहीं है, यह तैयार किया जा रहा है। अतः आप समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं । गत वर्ष हमने अगस्त के सत्र में सरकारी स्थान बेदखली अधिनियम में संशोधन किये थे । जब हमारा इस समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं था तो हमने इसमें संशोधन क्यों किये हैं ? हमारा इस समस्या से बहुत सम्बन्ध है। सरकार को कभी-कभी मानवीय दृष्टिकोण को भी प्राथमिकता देनी पड़ती है। हमारा गठन लोकतान्त्रिक है । हमारी स्थानीय निकायों को उनके उपलब्ध किये गये नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है तथा वे उपलब्ध कानूनों के अनुसार यही कार्य करती हैं । उसके तहत इसका निष्पादन करना पड़ता है (**व्यवधान**) वे इसे बहुत अच्छी तरह निष्पादित कर रही हैं । न्यायालय भी है । जैसा कि मेरे साथी ने कहा है यदि कोई अधिकारी अत्यधिक उत्साहपूर्वक कार्य करे अथवा वह किसी विशेष अधिनियम की अथवा कानून की ज्यादा परवाह न करे तो न्यायालय तुरन्त आयेगा। तब वह सारी चीज सरकारी कर्मचारियों के लिए हास्यास्पद बन जाएगी । अतः वे अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मैं अधिकारियों के बारे में भी सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि

जब हमारे पास उनकी शिकायतें आती हैं, तो हम किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं हम किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री रावत ने कहा है कि हम मीठा बोलते हैं, हम निश्चय ही मीठा बोलते हैं । जैसा कि आप जानते हैं कि यह कांग्रेस (आई) की संस्कृति है (**व्यवधान**) लेकिन हम समस्याओं पर दृढ़ता से विचार करने वाले हैं । हम इस समस्या पर भी दृढ़ता से विचार करेंगे । आप इसकी सराहना करेंगे । हम किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं बचेगा । हम ऐसा करेंगे । हम इस समस्या को देखेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी प्रश्न उहोंने पूछे हैं उन सभी का उत्तर उन्होंने दिया है । श्री टी० आर० शमन्ना ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए । वह प्रश्नों को टाल कैसे सकते हैं । (**व्यवधान**)

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मंत्री महोदय ने यह दिखाने के लिये बेसिर-पैर के आंकड़े दिये हैं कि बहुत-सी अनियमित इमारतों को गिरा दिया गया है । अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके विरुद्ध मामले शुरू कर दिये हैं । उन्होंने इन अनियमितताओं के लिये भारतीय जनता पार्टी यथा जनसंघ को जिम्मेदार ठहराया है । मैं आपसे यह कहता हूं कि मैं लगभग 17 वर्षों तक पार्षद रहा हूं, मैं पांच बार चुना गया, 50 वर्षों में से केवल एक अवधि (बार) को छोड़कर शहर के निगम में कांग्रेस का शासन था । और उस अवधि में वर्ष 1961 से 1981 तक गंदी बस्तियों की संख्या 100 से कम थी लेकिन 1981 में गंदी बस्तियों की संख्या बंगलौर में 450 हो गई । मैं इसमें बिना कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कहे आपसे यह कह रहा हूं कि बंगलोर में 1.15 लाख घरों का निर्माण कैसे हुआ । उनमें से ज्यादातर मकान अनधिकृत रूप से बनाये गये हैं । इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिये भारतीय जनता पार्टी अथवा जनसंघ जिम्मेदार है, सत्ताधारी दल ही आमतौर पर अनधिकृत निर्माणों में सहायता देता है ।

जहां तक बंगलौर का सम्बन्ध है इसे स्वर्ग माना जाता था, इसे उद्यानों का शहर माना जाता था लेकिन आज शहर की स्थिति बहुत खराब होने जा रही है । मुझे पूर्ण भरोसा है कि जब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, यदि हम इस अनधिकृत निर्माण तथाअनधिकृत कब्जे को नहीं रोकते हैं, दिल्ली, बम्बई तथा बंगलौर गंदे शहर बन जायेंगे और आगामी पीढ़ियां हमें कोसेंगी ।

इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार से जोरदार शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि वह यह देखे कि दिल्ली का निगम ही नहीं बल्कि दूसरे निगम भी अच्छी तरह काम करें । इसके अतिरिक्त इन सब बातों के लिये आपको दिल्ली प्रशासन का लाभ प्राप्त है । आपको नया कानून बनाने तथा प्रशासन को सभी शक्तियां देने तथा यह देखने से कि अनधिकृत ढांचों को हटा दिया जाए और कब्जों

को रोक दिया जाए, कौन रोकता है। एक सशक्त सरकार के लिये देखना बिल्कुल कठिन नहीं है कि अनियमित बढ़ोतरी को रोक दिया जाए।

ब्यौरों की ओर देखे बिना क्या मैं आपसे निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

क्या एक मास्टर प्लान अच्छी तरह सोच-विचार कर नियम बनाने तथा अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिये कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है ?

क्या यह देखना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक इमारत नियमों के अनुसार बनाई जाए जिससे अनधिकृत निर्माण न हो ? आजकल लोग प्रत्येक बात के लिये न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय स्थगन आदेश दे देता है। इसलिये कानून इस ढंग से बनाये जाने चाहिए जिससे न्यायालय के लिये स्थगन आदेश देना आसान न हो। इसे देखने के लिये आवश्यक उपाय करना केन्द्रीय सरकार के लिये कठिन नहीं होगा। हजारों इमारतों का निर्माण किया गया है। सरकार क्या कर रही है ?

निगमों के प्रशासक क्या कर रहे हैं ?

क्या वे इमारतों के निर्माण के समय कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ? आखिरकार, दो और तीन मंजिल की इमारतें एक या दो दिन में नहीं बन सकती हैं। इनके निर्माण में महीनों लगते हैं। अतः यदि निगम काम करते हैं तो सरकार के लिये यह देखना बहुत आसान हो जायेगा कि इन अनधिकृत निर्माणों को हटा दिया जाए।

यह बहुत आवश्यक है कि हमें ठीक प्रकार से सोचना चाहिए। आपको यह देखना होगा कि शहरों की अधिकतम वृद्धि हुई है क्योंकि शहर तथा जनसंख्या दोनों बढ़ रहे हैं। यदि जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ती है तो इससे बड़ी परेशानी होगी। उदाहरणस्वरूप बंगलौर जैसे शहर में वर्ष 1961 में 9 लाख से कम जनसंख्या थी लेकिन अब यह जनसंख्या बढ़कर 30 लाख से अधिक हो गयी है। वहां 26 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र था, और अब यह 120 वर्ग किलो मीटर से अधिक है। जैसे-जैसे शहर का विकास हो रहा है अनधिकृत निर्माण भी ज्यादा हो रहा है। इसलिए सरकार को अनधिकृत निर्माण की बजाय आस-पास कस्बे बनाने चाहिए। विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार बहुत अधिक धन खर्च करती है और नई दिल्ली का पूर्ण विकास हो गया है लेकिन पुरानी दिल्ली का विकास नहीं हुआ है तथा यह एक भीड़भाड़ वाला शहर है।

इसलिए सरकार को यह निश्चय कर लेना चाहिए की सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाया जाये। प्रशासन के नियमों से हमारे अन्दर कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि निगम के चुनाव तत्काल कराये जायें ताकि सत्ताधारी दल ने जो कुछ किया है उसे जनता की जानकारी में लाया जा सके। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शहर की प्रशासन चुने गये व्यक्तियों को दे दिया जाये। दूसरी बात यह है कि अभी शहरी भूमि कानून ठीक प्रकार से लागू नहीं हुआ है। शहरी भूमि सीमा अधिनियम में संशोधन किया जाये तथा उसमें इस प्रकार के संशोधन करने के पश्चात जो वर्तमान स्थितियों के योग्य है, उसे लागू किया जाये।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आवास मंत्री राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाएं तथा उनसे परामर्श लें और यह देखें कि सभी कार्य उचित रूप में किये जाते

हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि बृहत मास्टर प्लान लायें और उप नियमों को तुरन्त लागू करने के लिए कदम उठाएं।

नगरों की अधिकतम विकास सीमा निर्धारित की जाये तथा इस बात का ध्यान रखा जाये कि नगरों की जनसंख्या का एक विशेष सीमा से अधिक विकास न हो। भूमि पर अनधिकार कब्जा करने से बहुत-सी समस्यायें जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ भूमि पर कब्जे अधिकारियों के साथ मिलकर किये जाते हैं। तथा इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे गैर कानूनी निर्माणों को रोका जा सके। मात्र स्पष्टीकरण देने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली को जो कि देश के शासन का केन्द्र है अन्य नगरों का नेतृत्व करना चाहिए ताकि वे नगर भी योजना के अनुसार बनें। इसलिए कृपया एक मास्टर प्लान तैयार करें, उपनियम तैयार करें तथा उन्हें दृढ़ता से लागू करें। केवल तभी इन अनधिकृत कब्जों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अन्यथा गैर कानूनी निर्माण तथा कब्जे जारी रहेंगे। मंत्री महोदय को अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है। उन्हें स्पष्ट आश्वासन भी देना चाहिए कि अब आगे अनधिकृत कब्जों तथा अनधिकृत निर्माणों को सहन नहीं किया जाएगा।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्य श्री शमन्ना ने बहुत-सी बातों का सुझाव दिया है। मैंने उनके सुझावों को नोट कर लिया है। उन्होंने बंगलौर के बारे में एक प्रश्न पूछा है। इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि मैं बंगलौर के बारे में उत्तर नहीं दे सकता तथापि मैं यह बता सकता हूं कि किसी महानगर में ही नहीं किसी भी नगर में किसी कब्ज की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह सरकार की आम नीति है।

उन्होंने आरोप लगाया है, कि ये अनधिकृत कब्जे स्थानीय निकामों के अधिकारियों के सहयोग से हो रहे हैं। यह सच नहीं है। वास्तव में कोई भी सरकार किसी नगर में ऐसी बातें नहीं होने देगी। परन्तु जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक नगर की चाहे वह बंगलौर हो या दिल्ली हो, आबादी बढ़ रही है। इसलिए छठी योजना में हमने छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों के विकास के लिए काफी धन की व्यवस्था की है। हम विकासहेतु ऐसे लगभग 230 नगरों का चयन कर रहे हैं ताकि महानगरों के प्रति आकर्षण कम हो। यह एक कठिन समस्या है। हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यदि आवश्यक होगा तो कानून में संशोधन करके भी कब्जों को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किये जायेंगे।

समिति के लिए निर्वाचन

राजभाषा समिति

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : मैं श्री जैल सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, श्री विजय

एन० पाटिल, जिन्होंने राजभाषा समिति से त्याग-पत्र दे दिया है और श्री आर० के० महालगी, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, श्री विजय एन० पाटिल, जिन्होंने राजभाषा समिति से त्याग-प्रत्र दे दिया है और श्री आर० के० महालगी, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महानगरी वाराणसी एक्सप्रेस का बुरहानपुर में हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, बुरहानपुर एक औद्योगिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल है। 18,000 पावरलूम, 1 वीविंग मिल, 1 स्पिनिंग मिल, 28 सामझिंग, 7 कलेंडरिंग प्लान्ट, आयल मिल, दाल मिलें, बीड़ी इण्डस्ट्रीज हैं। 15 करोड़ रुपए का केला दिल्ली मार्केट में बुरहानपुर से आता है। पौने दो लाख गांठ कपास की बंधती हैं। एक नया शकर का कारखाना 1250 टन का सहकारिता के क्षेत्र में बन रहा है। मध्य प्रदेश का 11वें नम्बर का शहर है। यातायात अधिक है। महानगरी वाराणसी रेल बुरहानपुर में रुकना आवश्यक है।

(दो) दिल्ली परिवहन की बसों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता

श्री भीखा भाई (बांसबाड़ा) : यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष नवम्बर में होने वाले एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिल्ली परिवहन की बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है। अन्यथा भी दिल्ली परिवहन की बस सेवा में सुधार हुआ है यद्यपि इससे जनता को पूरी सन्तुष्टि नहीं हुई है। इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिससे कि दिल्ली परिवहन की बसों की रख-रखाव विशेष रूप से एशियाड के दौरान भली प्रकार हो सके।

1. यह देखा गया है कि बसों की ठीक से सफाई नहीं होती। बसों की खिड़कियों के शीशों को बस खरीदे जाने के समय अथवा शीशा टूटने पर ही साफ किया जाता है।

2. बसों के अन्दर की सीटें भी प्रायः गंदी हालत में होती हैं। कई बसों की सीटों के कवर पूरी तरह फट गये होते हैं तथा महीनों उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

3. बसों के भीतर यात्रियों के खड़े रहने के लिए 'राडें' प्रायः नहीं होतीं। इससे बैठे एवं खड़े यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है।

4. बसों के भीतर प्रकाश की ठीक व्यवस्था नहीं होती। कई बार तो बल्ब महीनों तक गायब रहते हैं।

5. बहुत-सी बसों के बाहर के पेंट बिगड़े हुए हैं।

6. कई बसों में रूट नम्बर उचित ढंग से नहीं दिये होते हैं। पता नहीं बसों में निर्धारित स्थार पर, बसों के रूट नं० प्रवेश द्वारों के पास क्यों नहीं लगाए जाते।

यह सूची कई गुना बढ़ाई जा सकती है।

इन समस्याओं पर प्रभावी रूप से ध्यान देने के लिए दिल्ली परिवहन के विशेष अधिकारियों के विशेष 'कक्ष' बनाने चाहिए जो बसों के रख-रखाव तथा उनकी देखभाल पर सतत निगरानी रखें।

(तीन) हल्दिया में एक जलपोत-मरम्मत यार्ड की स्थापना

श्री नीरेन घोष (दमदम) : पोत निर्माण या पोत मरम्मत के लिए एक शिपयार्ड के निर्माण का प्रश्न बहुत समय से सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त बवेजा समिति ने सभी प्रकार के पोतों के निर्भाण के लिए हलदिया पत्तन की सिफारिश की है। एक अन्य समिति ने यह सुझाव नहीं माना परन्तु संसद में यह आश्वासन दिया गया था कि हल्दिया में पोत मरम्मत का यार्ड बनाया जायेगा।

इसलिए हल्दिया में एक पोत मरम्मत एवं तटदूर यार्ड बनाने के विषय में एक परियोजना रिपोर्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स द्वारा रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग को जुलाई, 1979 में दी गई थी। उसके पश्चात नौवहन तथा परिवहन के मंत्रालय के सुझाव पर तथा जैसा कि जी०आर०एस०ई० बोर्ड ने भी इच्छा व्यक्त की थी, जी०आर०एस०ई० द्वारा एक अनुपूरक परियोजन प्रतिवेदन दिया गया जिसमें हल्दिया में केवल पोतों की मरम्मत करने का कारखाना लगाने का प्रस्ताव किया गया था (जिसमें तटदूर सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं)। यह प्रस्ताव जी०आर०एस० ई०द्वारा मई, 1980 को प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने दिसम्बर, 1980 में इस परियोजना के बारे में एक नोट विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को, पी० एल० बी० को पेश करने से पूर्व, उनके विचार जानने के लिये भेजा।

इस बीच भारत सरकार के नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय ने मई, 1981 को मैसर्ज इंजीनियर्स इंडिया लि० को मैसर्ज ब्लोहम एण्ड वोस एजी पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से भारत में पोत मरम्मत की 15 वर्ष की एक भावी योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया। परामर्श-दाताओं ने अगस्त, 1981 में हल्दिया की यात्रा की तथा जी० आर० एस० ई०, सी० पी० टी० तथा राज्य सरकार से इस बारे में बातचीत की। वे सिफारिशें क्या हैं? परामर्श दाताओं की इस सिफारिश की राज्य सरकार द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि हल्दिया में पोत मरम्मत तथा तटबूर यार्ड निर्माण कार्य को तुरन्त शुरू किया जाए। इसके बारे में जनता काफी चिंतित है।

(चार) अधः सहायता प्राप्त दर पर गेहूं की आपूर्ति के कारण आटा मिलों को अनुचित लाभ

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

भारत में रोलर आटा मिलों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने खरीद मूल्य से भी कम दामों पर गेहूं दिया जा रहा है और यह इस आधार पर सस्ता दिया जा रहा है कि 30.55 रुपये प्रतिक्विंटल की इस राजसहायता का लाभ अंततः उपभोक्ताओं को मिलेगा। अतः निगम को, आटा मिलों की सहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं के वितरण से हानि हो रही है।

लेकिन वास्तविकता यह है कि इस राजसहायता से उपभोक्ता को लाभ पहुंचने के बजाय आटा मिलों को करोड़ों रुपये का लाभ हो रहा है।

एक तरफ तो सरकार किसान को उसकी उपज का कम वसूली मूल्य देकर उसकी उचित मांग को ठुकरा रही है दूसरी ओर वह रोलर आटा मिलों को सस्ते और बाजार से कम मूल्य पर गेहूं देकर उनकी सहायता कर रही है।

यदि आटा मिलों को सस्ते मूल्य पर गेहूं देने के बजाय भारतीय खाद्य निगम उन्हें बाजार भाव पर गेहूं दे तो इससे जो अधिक धन मिलेगा वह सरकारी खजाने में आ जाएगा जिसे कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर खर्च किया जा सकेगा—जैसे कृषि उत्पादन के लिए आदानों की खरीद में राहत देना, निम्न आय वर्ग के हितलाभ की उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क समाप्त करना या कम करना, विद्यालय जाने वाले बच्चों और छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए पौष्टिक आहार देने के कार्यक्रमों पर खर्च करना जिससे देश की गरीब जनता को लाभ होगा और इतनी अधिक धनराशि प्रतिवर्ष कुछ हाथों में संचित होने से बच जाएगी।

यह महसूस किया जाता है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए और सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक और तात्कालिक कदम उठाये ताकि भारतीय खाद्य निगम/सरकार को इस वजह से और हानि न उठानी पड़े।

यदि सरकार समझती है कि आटा मिलों को नियंत्रित मूल्य पर गेहूं उपलब्ध कराना अनिवार्य है तो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम उपभोक्ता को नियत मूल्य पर आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। कुछ भी हो इसमें विक्रेता को मिलने वाले मार्जिन का सही विश्लेषण करके औचित्यपूर्ण ढंग से नियत किया जाना चाहिए ताकि रोलर आटा मिल मनचाहा लाभ न कमा सकें।

(पांच) बम्बई में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के लिए प्रश्न

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहती हूं :

बम्बई में ढाई लाख कपड़ा मजदूरों की ढाई महीने से चल रही हड़ताल से देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ा है और मजदूरों के परिवारों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अतारांकित प्रश्न के इस उत्तर के विपरीत, कि 28 मिलों में काम शुरू हो गया है और 70,000 मजदूर काम पर आ गए हैं, कुछ ही लोग, जिनमें से अधिकतर बाहर के हैं, मिलों में दिखाई दे रहे हैं। मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा कई बार अपील किये जाने के बावजूद मजदूर हड़ताल पर रहे हैं चाहे उन्हें और उनके बच्चों को भूखा रहना पड़ा है, दुख झेलने पड़े हैं और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।

एक ट्रेड यूनियन के अलावा सभी यूनियनों ने इस हड़ताल के समर्थन में 19 अप्रैल को महाराष्ट्र बन्द का आह्वान किया है।

हड़ताल जारी रहने से उत्पन्न तनाव तथा ट्रेड यूनियनों द्वारा किए गए आह्वान को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस विवाद में हस्तक्षेप करे और मजदूरों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना एक सौहार्दपूर्ण समझौता करवाने का प्रयास करे।

लेबर मिनिस्टर यहां हैं, उनको जवाब देना चाहिए।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : आपको जवाब मिल जाएगा।

(छः) सेलम जिले में डाक-तार सेवाओं का असन्तोषजनक कार्यकरण

***श्री सी० पलानिअप्पन (सेलम)** : डाक तार विभाग का प्रमुख कार्य जनता की संचार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है लेकिन जहां तक सेलम जिले का सम्बन्ध है इस विभाग का काम असंतोषजनक रहा है।

सेलम में तीन स्वचालित टेलीफोन केन्द्र हैं। जहां तक स्थानीय कॉल का सम्बन्ध है जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। एक स्वचालित केन्द्र प्रधान डाक घर के पास ही है, दूसरा सेवाई पट्टी में और तीसरा मेयानूर में है। ये तीनों स्वचालित केन्द्र जनता को संतोषजनक सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। प्रधान डाक घर में विशेष सेवाएं हैं, पूछताछ, शिकायत, समय-सेवा आदि। टेलीफोन धारक इनका कारगर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्हें इस प्रधान कार्यालय से इनमें से किसी भी सेवा के लिए शीघ्र उत्तर नहीं मिल पाता। यह बताया गया है कि लोकसेवा के प्रति ऐसे रवैये का मुख्य कारण प्रधान कार्यालय में स्टाफ की कमी है। जब एक तरफ बेरोजगारी फैली हुई है तो नौकरी की अपेक्षाओं का कोई मानक विहित किया जाए और फिर इस केन्द्र में पर्याप्त स्टाफ रखा जाए।

इसी प्रकार, जो टेलीफोन मेयानूर केन्द्र से जुड़े हैं उन पर जोन के बाहर के टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिलते। यह कहना उचित होगा कि मेयानूर केन्द्र ठीक काम नहीं कर रहा है।

सेवाई पेट्टाई केन्द्र की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। यहां के टेलीफोन धारक अपने स्थानीय परिचितों का व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगरों के लोगों से सम्पर्क करते हैं। जब वे काल बुक करना चाहते हैं तो काल बुक करने वाले आपरेटरों से उत्तर मिलने में अत्यधिक विलम्ब

*मूल तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

होता है। यदि उत्तर मिलता भी है तो पहले तो काल बुक कराना और फिर कनेक्शन मिल जाना बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसा समझा जाता है कि राजकीय सेवाओं से निवृत कुछ अधिकारी, विशेषकर, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग से, अंश-कालिक आपरेटरों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये अंशकालिक केवल पैसा कमाने की सोचते हैं न कि अच्छी सेवा उपलब्ध कराने की। इससे नियमित कर्मचारियों की बदनामी होती है। यह आवश्यक है कि उचित ढंग से प्रशिक्षित और योग्य स्टाफ ही इन केन्द्रों में रखा जाए।

इन केन्द्रों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करने के लिये पर्यवेक्षी अधिकारी और इंजीनियर मौजूद हैं लेकिन उन्होंने इन समस्याओं के हल करने पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सेलम में कुछ सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(सात) उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए आलू का निर्यात करने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : श्रीमन्, देश में आलू उत्पादकों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन्हें अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इससे वे बहुत परेशानी में हैं।

भारत सरकार के आलू अनुसंधान केन्द्र के वक्ता के अनुसार, पिछले तीन दशकों में भारत में आलू का उत्पादन सात गुना बढ़ गया है। एकड़ के अनुसार हमारे देश का चौथा स्थान है और उत्पादन के क्षेत्र में देश की आलू उत्पादकता में आलू उत्पादन करने वाले देशों में भारत का छठा स्थान है।

भारत में उत्पादित आलू का 10 प्रतिशत अब फालतू है जबकि और 10 प्रतिशत ठंडे गोदामों में रखने की सुविधाओं की कमी के कारण नष्ट हो जाता है।

पिछले वर्ष केन्द्र के प्रतिनिधि ने पश्चिम एशिया और यूरोप का दौरा किया था और यह पता चला था कि कुछ देशों में आलू की अच्छी मांग है।

देश में आलू का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है। लेकिन इसके फालतू हो जाने से उत्पादकों को लागत भी नहीं मिल रही है।

यदि आलू को खराब होने से बचाने के लिए ठंडे गोदामों की संख्या बढ़ा दी जाए और आलू का निर्यात किया जाए तो देश को लगभग 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और देशी बाजार में भी इस मुख्य खाद्य वस्तु की कोई कमी नहीं होगी।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आलू उत्पादकों की इस दयनीय दशा पर ध्यान देकर और अतिरिक्त उत्पादन के निर्यात की व्यवस्था करे जिससे देश को लगभग 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की विदेशी मुद्रा भी मिलेगी।

(आठ) 2-4-1982 को इंडियन एयरलाइन्स के विमान को भूमि पर ही रोके रखना

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान सं० 409 दिल्ली-लखनऊ-पटना 2 अप्रैल, 1982 को सुबह 7 बजे दिल्ली से चली और सुबह 7.45 बजे लखनऊ

पहुंच गई। लेकिन इसके एक टायर के फट जाने के कारण इसे नीचे उतारना पड़ा। इस जहाज में सवार व्यक्तियों को कई घंटे रुकना पड़ा। दो संसद-सदस्यों और अन्य यात्रियों को पटना से काठमांडू की उड़ान पकड़नी थी इसलिए वे बहुत घबराए हुए थे। लखनऊ में टायर बदलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर, 24 मार्च, 1982 को गोहाटी से आने वाले इंडियन एयरलाइन्स के विमान को पटना में पूरी रात रोका गया क्योंकि उसकी काकपिट की खिड़की बन्द नहीं हो रही थी। न तो वहां सुरक्षा का उचित प्रबन्ध था और न हीकन्ट्रोल टावर में कोई सक्षम प्राधिकारी था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद कि माननीय सदस्यों ने सभा में मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था, इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(नौ) पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों को जेल में रखे जाने का समाचार

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान में दस भारतीय नागरिक, जिनमें एक महिला भी सम्मिलित है, पिछले 8 सालों से बिना मुकदमा चलाये जेल में बन्द हैं। कैद के दौरान 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी है। इन लोगों ने अपनी रिहाई के लिए तथा मानवीय आधार पर स्वदेश प्रत्यावर्तन के लिए सिन्ध की प्रान्तीय सरकार तथा एमनेस्टी इण्टरनेशनल को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। पाकिस्तान के एक समाचार पत्र के अनुसार उक्त दस भारतीय नागरिकों ने अपने सम्बन्धियों से मिलने के लिए पाकिस्तान में वैध रूप से प्रवेश किया था किन्तु बिना किसी कारण के उन्हें जेल में डाल दिया गया है। उन पर न तो कभी मुकद्दमा चलाया गया और न ही उन्हें उनका कोई अपराध बताया गया है। जिन लोगों को जेल में रखा गया है उनके नाम मोहम्मद चम्ब्रीका, श्री हरिनाथ, श्री श्योराम, हैदर, शंकरू, शफी, बाबूराम, पीरू रामा और श्रीमती बदामी हैं। इनमें से अन्तिम छः की नेत्र ज्योति चली गयी है।

अतएव मेरा कैन्द्र सरकार से आग्रह हैं कि पाकिस्तान की जेल में बन्द इन भारतीयों को तत्काल रिहाई के प्रयास कर मुक्त कराया जावे।

———

अनुदानों की मांगें, 1982-83

श्रम मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले ही लगभग आधा घंटा लगा चुके हैं। शेष समय 3 घंटे 34 मिनट रह गये है। उपमंत्री इस वाद-विवाद में लगभग 2.30 म० प० अथवा 3.00 म० प० पर हस्तक्षेप करेंगे और मंत्री महोदय 4.30 म० प० पर उत्तर देंगे।

अब मैं बिन्देश्वरी दुबे को अपना भाषण जारी रखने के लिए कहता हूं।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री बिन्देश्वरी दुबे (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग की अनुदानों की मांगों के समर्थन में परसों बोलते हुए मैंने औद्योगिक सम्बन्धों में अधिकाधिक सुधार के सम्बन्ध में बहुत सारे सुझाव दिए थे।

औद्योगिक सम्बन्धों का मधुर होना, मजदूरों और उद्योग दोनों के लिए हितकर है। उद्योगों में औद्योगिक शांति का रहना उत्पादन और उत्पादकता के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि श्रमिकों को विश्वास में लिया जाए।

इन्दिरा जी ने इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया है और उसकी सफलता के लिए भी यह आवश्यक है कि श्रमिकों को विश्वास में लिया जाए। उसके लिए इस बात की जरूरत है कि शाप लेवल, फ्लोर लेवल से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल और नेशनल लेवल तक विचार-विमर्श की एक प्रक्रिया जारी की जाए। नेशनल लेवल पर जितनी त्रिपक्षीय समितियां पहले बनी थीं। अब करीब-करीब मृतप्रायः हो गई हैं। उनको पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्गठित किया जाए। साथ ही साथ श्रम विभाग जो द्विपक्षीय वार्ता समितियां हैं, खास तौर पर वेज फिक्सेशन के लिए द्विपक्षीय वार्ता समितियां हैं विभिन्न उद्योगों में, उन पर भी नजर रखे। वह यह मानकर न चले कि सिर्फ उन्हीं उद्योगों या एंप्लायिंग मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी है, बल्कि श्रम विभाग की भी बहुत बड़ी भूमिका है और उनका कंसर्न है, क्योंकि जो बातचीत हो रही है अगर विफल हो जाती है तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जो औद्योगिक अशांति होती है तो फिर भी श्रम विभाग को तो बीच में आना ही पड़ता है।

सभापति महोदय, इस वर्ष बहुत सारे विभिन्न उद्योगों में खास कर कोयला, स्टील, भेल, एच० ई० सी०, फर्टीलाइजर्स आदि के प्रतिष्ठानों में जो चार साला समझौते हुए थे श्रमिकों के साथ, वे सब समाप्त होने जा रहे हैं और अभी से ही वैसे तत्व जो चाहते हैं कि औद्योगिक संबंधों में बिगाड़ आए, जो औद्योगिक क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, वे इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर अपनी दुरभिसंधि को पूरा कर सकें और उनके लिए ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइसेस ने मौका देना शुरू भी कर दिया है। ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइसेस एक एक्सपर्ट कमेटी है। मैं समझता हूं कि वेज फिक्सेशन के मामले में और ऐसे दूसरे मामलों में, जिनका सम्बन्ध औद्योगिक सम्बन्धों से है, उसके बारे में श्रम विभाग को एक्सपर्टीज अपनी बनानी चाहिए और उनको एक्सपर्ट एसिस्टेंज देनी चाहिए। वह एक बहुत बड़ी सर्विस आर्गनाइजेशन, एक सर्विस विभाग है, औद्योगिक शांति कायम रखने की दिशा में। जो लोग जनअसंतोष को भड़का कर औद्योगिक सम्बन्धों में आग लगाना चाहते हैं, उनके लिए ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइसेस कमेटी ने होम देना शुरू कर दिया है। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई, उससे पहले ही उन्होंने कुछ अपनी गाइड-लाइंस देना शुरू कर दिया है और उन गाइड-लाइन्स को हथियार बनाकर पब्लिक सेक्टर मेनेजमेंट वालों ने भांजना शुरू कर दिया है, पहले से ही भांजना शुरू कर दिया है, श्रमिकों और श्रमिक-संगठनों को भयभीत करना शुरू कर दिया है और उसका नतीजा बुरा होने वाला है। मैं इसकी तफसील में न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रम-विभाग इस ओर ध्यान दे।

जैसा कि मैंने परसों कहा था कि अग्निशामक की तरह आप नहीं हैं, आपको इसके लिए पहले से विचार करना चाहिए, सारे एंप्लायिंग मिनिस्ट्री के लोगों को इकट्ठा करके और जो गाइड-लाइन्स बी० पी० ई० ने दिए हैं, वे गाइड-लाइन्स महत्वपूर्ण मंत्रालयों से परामर्श करके दिए

हैं या नहीं, आपसे परामर्श करके दिए हैं या नहीं, इसको आप देखें और उसके लिए दिशानिर्देश दें।

सभापति महोदय, एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति, खतरनाक स्थिति औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में पैदा हो रही है और वह है अपने आपको स्वयं भू श्रमिक नेता कहने वाले नेताओं की तरफ से जो अपने पर्सनल एंबीशन को फुल-फिल करने के लिए सारे कानून और मर्यादाएं, नार्म्स और तरीकों को लांघकर मजदूर क्षेत्रों में मनमाने ढंग से अपनी मांगों को उठाकर हिंसा और आतंक के जरिए औद्योगिक सम्बन्धों को बिगाड़ने और औद्योगिक अशांति पैदा करना चाहते हैं। 19 तारीख को तो जो घटना हुई सो हुई लेकिन 20 तारीख की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बी० सी० सी० एल० के भौरा कोलियरी में भी 19 तारीख को तो सब मजदूर काम पर गए। 20 तारीख को दो युवा श्रमिकों की जो इंटक यूनियन में पदाधिकारी भी हैं श्री बिमल आचार्य और श्री बिष्टु बनर्जी, इन दोनों की रात में घेर कर हत्या कर दी गई, क्योंकि इन्होंने 19 तारीख को लोगों को काम पर ले जाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा की। यह कौन-सा जनतंत्र है ? जनतंत्र की रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं; जो ऐसा कहते हैं, एसमा जनतंत्र पर बड़ा आघात पहुंचा रहा है, उसके लिए हड़ताल का काल दिया, पर यह तो लोगों की इच्छा है कि वे अगर काम पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और फिर काम पर जाने वालों की, जहां उनकी शक्ति है, वहां लोगों की हत्या करते हैं। इस तरह की बात करते हैं।

दूसरी मिसाल बाम्बे काटन टैक्सटाइल मिल्स की, जहां हड़ताल चल रही है। एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जहां पर भी किसी इंडस्ट्री में कोई एग्रीमेंट हो जाता है रिकग्नाइज्ड यूनियन के साथ, तो उस एग्रीमेंट की अवधि में कोई उस मांग को नहीं उठाता। आज जो हुआ, क्या हुआ ? बाम्बे टैक्सटाइल मिल ओनर्स एसोसियेशन और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ में बोनस के इश्यू पर एक एग्रीमेंट है 8.33 परसेंट से साढ़े 17 परसेंट तक का। वहां दत्ता सामन्त 20 परसेंट की मांग करते हैं बोनस की, कल को 50 परसेंट की मांग भी कर सकते हैं। उन्होंने उस अवधि में ही फिर हड़ताल करवाई आंतक पैदा करके, हिंसा के बल पर। इस तरह मजदूर सम्बन्धों के क्षेत्र में जो नये ट्रेंड और नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इसकी ओर भी सरकार को सोचना होगा। अगर इसको आइसोलेटेड केस समझकर छोड़ देंगे तो इसके भयंकर परिणाम होने वाले हैं।

इस तरह की हिंसक और आंतक की कार्यवाहियों के बल पर, मजदूर क्षेत्र में दबाव के बल पर, सारे नार्म्स, सिद्धांत, कन्वैंशन्स, कानून की मर्यादाओं का उल्लंघन करके जो मजदूर आन्दोलन चलाएं, उसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए।

सरकार ने काटन टैक्सटाइल के सम्बन्ध में जो रुख अख्त्यार किया है, मैं उस रुख का न सिर्फ समर्थन करता हूं, बल्कि सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इस देश में कोई औद्योगिक सम्बन्ध नाम की चीज नहीं रह जाएगी फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बहुत सारे कानून पुराने पड़ पड़ गये हैं, इन-इफैक्टिव हो गये हैं, उनमें संशोधन करके इफैक्टिव बनाएं और औद्योगिक सम्बन्धों को बनाने में अपनी सफल भूमिका अदा करे। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : चेयरमैन साहब, लेबर मिनिस्ट्री की डिमांड्ज जो यहां पेश की गई हैं, उनके बारे में अपना वक्तव्य रखने का मुझे मौका मिला है । जहां तक इस मिनिस्ट्री का ताल्लुक है और गवर्नमेंट आफ इण्डिया की जो पालिसी है, इसका पूरा सबूत इससे मिलता है कि वे क्या चाहते हैं ?

आज से नहीं, 32, 35 वर्ष से हम देखते आ रहे हैं कि इस मिनिस्ट्री का फंक्शन जिस तरह से हो रहा है वह बिल्कुल मजदूर विरोधी है । यहां जनतंत्र कायम करने के लिए उनकी हर तरह से अवहेलना होती रही है, होती है और आगे भी होगी । इस मिनिस्ट्री का स्टेटस यह है कि यह न तो कैबिनेट में है, न कोई मिनिस्ट्री इनकी रिकमैंडेशन को मानती है, न कोई स्टेट गवर्नमेंट मानती है । वैसे भी यह मिनिस्ट्री फिजूल पैसा खर्च करती है । मैं यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्पलायर है पब्लिक सैक्टर का । उसको एग्जाम्पिल सैट करना चाहिए । मगर आज क्या हो रहा है ? पब्लिक सैक्टर में सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं, वहां पर अन-फेयर लेबर प्रैक्टिस चलती है और लेबर मिनिस्ट्री बैठी चुपचाप देखती रहती है ।

मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं । आप जानते हैं कि कांट्रेक्ट एबोलिशन एक्ट पास किया गया । कांट्रेक्ट लेबर नहीं रहेगी । कांट्रेक्ट लेबर से परमानेन्ट नेचर का काम नहीं लिया जायेगा, मगर क्या हो रहा है ? वहां पर नाम के वास्ते इसे हटा दिया है लेकिन वहां पर कांट्रेक्ट लेबर से ही ज्यादा काम लेते हैं । कांट्रेक्टर मुकर्रर कर दिये हैं और करीब-करीब सब जगह आम तौर से यह चीज चल रही है, कोलियेरी में भी चलाया जा रहा है । जहां का जिक्र मेरे मित्र ने किया है, वहां सबसे ज्यादा यह हो रहा है । बोकारो में और तमाम जगहों में यह हो रहा है । यह कांट्रेक्ट लेबर फलां काम के लिए है, इस तरह से करके हजारों-हजार आदमी काम कर रहे हैं, पब्लिक सैक्टर में आमतौर से यह चीज छा गई है ।

लेबर मिनिस्ट्री ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कभी भी इन्टरवेन्शन नहीं किया है । इस बारे में यह मिनिस्ट्री बिल्कुल हैल्पलेस है । उसने बंगलौर की घटनाओं में कोई इन्टरवेन्शन नहीं किया । यह तय किया गया था कि बी० एच० ई० एल० में जो एग्रीमेंट होगा, उसके मुताबिक मिलेगा । लेकिन कनसर्न्ड मिनिस्ट्री ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और लेबर मिनिस्ट्री भी चुपचाप बैठी रही । करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ । कम्युनिकेशन्ज मिनिस्टर वहां गए और उन्होंने मामले को और भी उलझा दिया । वहां पर बड़ी भारी स्ट्रगल हुई । ऐसा मालूम होता है कि लेबर मिनिस्ट्री का कोई फंक्शन ही नहीं है । यह मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्रीज भी हमेशा लेबर पर सब तरह के इल्जामात लगाती हैं ।

मैं आज से नहीं, बारह-चौदह बर्षों से उस कमेटी का मेम्बर हूं । मैंने कई सवालात उठाए और कई सालूशन पेश किए, लेकिन मैं एक भी मसले को हल नहीं कर पाया । कई मिनिस्टर बदले हैं । अब आनरेबल मिनिस्टर आजाद साहब आए हैं । बातें तो सब अच्छी करते हैं, लेकिन सब हैल्पलेस साबित होते हैं । वह कहते हैं कि हम कनसर्न्ड मिनिस्ट्री से पूछते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देती है । स्टेट्स में छः-छः महीने तक स्ट्राइक चलती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेने में नाकामयाब रहती है । हम कमेटी में सवाल उठाते हैं कि उत्पादन नहीं हो रहा है, वर्कर्ज

का हैरासमेंट हो रहा है, सरकार को इन्टरवीन करना चाहिए । हमें बताया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जवाब नहीं देती है, हम क्या करें ।

जहां तक सिक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, सब इल्जाम मजदूरों पर लगता है कि वे इनडिसिप्लिन्ड हैं, काम नहीं करते हैं । मजदूरों ने जो कुछ भी हासिल किया है, वह लड़ कर और मालिक को मजबूर करके लिया है । इस मिनिस्ट्री का इतिहास है कि उसने कभी भी मजदूरी के पक्ष में इन्टरवीन नहीं किया है । वर्कर्ज पर सबसे पहले इल्जाम लगाने वाले मिनिस्टर ही होते हैं । 19 जनवरी के बंद के बारे में कहा गया कि वह फेल हो गया, उसका कोई इफैक्ट नहीं हुआ । इकानोमिक सरवे में बताया गया है कि वर्कर्ज की इनडिसिप्लिन की वजह से उत्पादन कम हुआ है । होता यह है कि मिल-मालिक बैंकों, एल० आई० सी० और फिनांस कार्पोरेशन से रुपया लेते हैं, मजदूरों को कुछ नहीं देते और कारखाने की हालत को खराब करके, उसे सिक बनाकर, भाग जाते हैं । सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसे खुलवाने की पावर नहीं है । कनसर्न्ड मिनिस्ट्री चुपचाप बैठी रहती है, इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसिज चलती रहती हैं और सब इल्जामात वर्कर्ज पर लगाए जाते हैं । मैं उन इल्जामात का प्रतिवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । वे बिल्कुल गलत हैं । यह तरीका ठीक नहीं है ।

जहां तक इनडेक्स का ताल्लुक है, रथ कमेटी ने दो वर्ष पहले बताया था कि 7 पायंट का फर्क है । लेकिन लेबर मिनिस्ट्री अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकी है ।

हर मजदूर का कम से कम 9, 10, रु० महीने का नुकसान हो रहा है । मगर लेबर मिनिस्ट्री ने कोई इंटरवेन्शन नहीं किया कि आखिर रथ कमेटी ने जो रिकमन्डेशन्स की उनका इमप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ । इस तरह से हैल्पलैस हालत में वर्कर्स को छोड़ दिया गया है । 7 पौन्इट पर उनके 9, 10 रु० होते हैं जो मजदूरों को मिलने चाहिए । लेकिन उनको नहीं मिल रहे हैं । दो वर्ष से यह मामला चल रहा है । उल्टे इल्जाम आप मजदूरों पर लगाते हैं कि वह इन्डिसिप्लिन्ड हैं । मेरा कहना है कि मजदूर नहीं बल्कि सरकार और लेबर मिनिस्ट्री इंडिसिप्लिन्ड है ।

प्राइस इंडेक्स जिस तरह से बढ़ रहा है आप देख ही रहे हैं । इसके साथ-साथ और भी सवाल खड़े कर दिये गए हैं । 3 इंस्टालैसंट्स जो ड्यू हो गए थे उनका पैसा मजदूरों को नकद न देकर उनके प्रौवीडेंट फंड में जमा करा रहे हैं । इससे मजदूरों को क्या लाभ मिलेगा ? में इसका प्रतिवाद करता हूं ।

ई० एस० आई० प्रौवीडेंट फंड का जहां तक मामला है उस रुपये से मालिक अपना निजी कारोबार कर रहे हैं । मजदूरों से पैसा लेने के बाद उसको उनके फंड में जमा नहीं करते । इसको रोकने के लिए भी मिनिस्ट्री कोई स्टैप नहीं ले पा रही है । हालत यह है कि मालिकान मजदूरों से कहते हैं धमकी देकर कि तुम्हारा इतना पैसा काट लिया है जो चाहो करो । एक करोड़ रु० वेनी इन्जीनियरिंग, वेस्ट बंगाल ने मजदूरों के प्रोवीडेंड फंड में जमा नहीं किया । उल्टे उसको खाकर मालिक भाग गया है । लेबर मिनिस्ट्री को कुछ तो करना चाहिए । लेकिन आपने कोई इन्टरवेन्शन नहीं किया । कोई हिसाब नहीं देते, आखिर 14,15 करोड़ रु० जो मजदूरों का प्रोवीडेंट फंड का मालिकान खाए बैठे हैं वह कैसे वसूल होगा ? आपने कानून में जो तरमीम भी की है वह चल रहा है कि नहीं, इसका कोई पता लगाने वाला नहीं है ।

जहां तक कांट्रेक्ट लेबर का सवाल है उसके नियमों का भी पालन कोई नहीं कर रहा है। उन पर कोई पाबन्दी नही है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लोकल आफिसर्स जो हैं उन्हें कोई पावर्स नहीं हैं जो स्टैप ले सकें। रूलिंग पार्टी के मेम्बरान कहते हैं कि मजदूर इन्डिसिप्लिन्ड हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लेबर लीडर्स काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं? आप गाली ही देना जानते हैं? आखिर मजदूरों का पैसा किसने मारा? उसको निकलवाने के लिए मिनिस्ट्री कोई कारगार कदम क्यों नहीं उठाती? कांट्रेक्ट लेबर कानून क्यों नहीं अमल में आ रहा है? इसकी जिम्मेदारी किस पर है?

इसी तरह से संगठन के बारे में आप देखें। सब ट्रेड यूनियन्स की सेन्ट्रल आर्गनाइजेशन्स की लेबर कानफरेन्स बुलाये जाने की एक प्रैक्टिस थी जिसमें मसले तय होते थे। लेकिन वह प्रैक्टिस भी अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है। एक भी मीटिंग नहीं बुलायी गई सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन्स की। अगर कैजुअली बुलाई भी तो सेक्रेटरी को कह दिया, उसने बुला ली और वहीं पर मामला खत्म हो गया। अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो अशांति चलती रहेगी।

इस वर्ष को आपने प्रोडक्शन बढ़ाने का साल कहा है। मेरी राय में आपने निमंत्रण दिया है मजदूरों को कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करें। इमी तरह से स्टील में ऐग्रीमेंट खत्म हो गया। एक पैरलल मिनिस्ट्री आपने बी० पी० ई० के रूप में खड़ी कर दी है।

ब्यूरो आफ पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ का क्या काम है? मिनिस्टरी का जो काम होना चाहिए वही काम है। पैरलल मिनिस्ट्री चल रही है। इन्स्ट्रक्शन्ज दे दिए गए हैं, गाइड-लाइन्ज दे दी गई है—इस तरह से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा? इस साल को आपने प्रोडक्शन ईयर घोषित किया है। उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया है। पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज के लोग अब हड़ताल पर जायेंगे या प्रतिवाद करेंगे, तो इंडिस्प्लिन होगा—ऐसी हालत में प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है? जितने लड़ाई और झगढ़े होते हैं सब इसी की वजह से होते हैं। पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में जो मैनेजमेंट काम कर रहा है वह भी हैल्पलैस है, फ्रैंकली नैगोसियेशयन नहीं कर सकता है। गाइडेंस चाहते हैं, पहले सीक्रेट थी अब ओपन हो गया है।

अन-एम्पलायमेंट का जहां तक सवाल है, कहा जाता है कि अन-एम्पलायमेंट हो रहा है। हर घर के एक-एक आदमी को काम दिया जाएगा और दूसरी तरफ कारखानों में आटोमेटिक मशीनें आ रही हैं और साथ ही छंटाई हो रही है। डक-यार्ड में हजारों-हजार आदमी काम करते हैं। वहां पर कन्टेनर सिस्टम कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह अन-एम्पलायमेंट को खत्म करने का तरीका है? आपके रिकार्ड के मुताबिक एक करोड़ 30 लाख आदमी अन-एम्पलायमेंट में बढ़ गये हैं। अन-एम्पलायमेंट को दूर करने के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि इसको दूर करने के लिए काम दिया जाएगा और दूसरी तरफ आटोमेटिक मशीनें लाई जा रही हैं। नारा यह दिया जाता है कि काम दिया जाएगा। जहां एक हजार आदमी काम करते हैं, वहां मशीनें लाकर पांच सौ आदमी भी काम नहीं पाते हैं। कहा जाता है कि बीस प्वाइन्ट प्रोग्रास कार्यक्रम के अन्तर्गत मदद की जाएगी। आज यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। फलां कानून बनाया जा रहा है, यह कानून बनाया जा रहा है, वह कानून बनाया जा रहा है, सब कुछ काम किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक इस समस्या का समा-

धान नहीं होगा, तब तक कुछ नही हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैटीरियल नहीं, कोयला नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से होगा ? क्या सारा कसूर वर्कर्स का है ? कहा जाता है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, सामान दिया नहीं जाता है, तो क्या यह मजाक नहीं है ? कहते हैं मुल्क को पीछे घसीटने की बात करते हैं, तो क्या इस तरह से मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है ?

जहां तक बम्बई का मामला है, बम्बई का मामला क्यों अटका है ? आपका लेबर लीडर है, तुम्हारी वहाँ यूनियन थी, रिकॉग्नाइज्ड थी, जो आई० एन० टी० यू० सी० के नाम पर वर्षों से चल रही थी, एग्रीमेंट किया···मगर उपाय नही कर रहे हैं। वहां क्या स्टैण्ड लिया ? रिकग-नाइज्ड यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया, लिहाजा बर्कर्स को गुस्सा आ गया और स्ट्राइक हो गई, इतने दिनों से वहां स्ट्राइक चल रही है और आप नखरेबाजी कर रहे हैं। 4 करोड़ रुपये रोज का नुकसान हो रहा है, 300 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान कौन कर रहा है ? कहते हैं—बर्कर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ? आप क्या कर रहे हैं ? लेबर मिनिस्ट्री अपनी हैल्पलैसनेस दिखला रही है, अखबारों में दे दिया कि सरण्डर कीजिए। इन्दिरा जी के पास भी वे लोग आये, एम्पलायर्स ने भी कोशिश की, हमारे यहां के दो-चार एम० पीज ने भी कोशिश की, लेकिन वहां पर इनकी कुछ नहीं चलती है। मैं पूछता हूं...वहां दत्ता सामन्त कैसे आया ? आप बुला कर लाये हैं, आप की पालिसी लाई है। मजदूरों की मांगें जायज हैं, उनका फैसला कराओ। 70 दिनों में 300 करोड़ रुपया चला गया···कौन रेस्पोंसिबिल है ? वर्कर्स रेस्पोंसिबिल नही हैं, आप रेस्पोंसिबिल हैं, आप की गवर्नमेंट है, आपकी पालिसीज हैं—वे रेस्पोंसिबिल हैं। हिन्दुस्तान भर में हजारों-हजार कारखाने बन्द हैं उनको खुलवाने की कोई कोशिश नहीं है। यदि आप इन्टरवीन नहीं करेंगे तो कैसे प्रोडक्शन होगा ? आप प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं, इस तरह से कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप कोल सप्लाई नहीं कर सकेंगे, वैगन्ज सप्लाई नहीं कर सकेंगे, इलैक्ट्रि-सिटी उनको नहीं मिलेगी, रा-मैटीरियल नहीं मिलेगा तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ? आप कहते हैं कि तुम्हारा कुसूर है, वर्कर्स का कुसूर है। सारी रेम्पान्सिबिलिटी वर्कर्स की है, लेजिन जो आप के इतने बड़े-बड़े आफिसर्स बैठे हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वे क्या करते हैं, उनका कोई फर्ज नहीं है। आपकी ही एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो प्रोडक्शन नहीं होता है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पावर नहीं है, कोल नहीं है···(व्यवधान)···

आज बीड़ी के लाखों-लाख वर्कर्स का एक्सप्लाएटेशन हो रहा है लेकिन लेबर मिनिस्ट्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई सैन्ट्रल बोर्ड बना दे जो आज इण्डिया के बेसिज पर उनकी वेजेज को फिक्स कर सके। इस मिनिस्ट्री को एक तरह से तमाशा बना रखा है, इससे क्या फायदा है ? इस बारे में जो कमेटी है उसका मैं भी मेम्बर हूं और श्री एन० डी० तिवारी भी उसके मेम्बर थे। मेरे कहने का मतलब यही है कि वर्किंग क्लास के साथ मज़ाक हो रहा है—अब वर्कर्स इसको टालरेट नहीं करेंगे, फाइट करेंगे। आपकी गलत पालिसीज का नतीजा है कि हम को ता० 19 की हड़ताल करनी पड़ी। जब से हड़ताल का ऐलान हुआ था—कहा गया मारपीट होगी, ला एण्ड आर्डर की प्राबलम पैदा होगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टिर से लेकर, कांग्रेस के मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टर्ज तक ने कोशिश की कि हड़ताल कामयाब न हो, लेकिन उसके साथ आम-सपोर्ट थी. इस लिये कामयाब हुई। इस लिए मैं कहना चाहता हूं—वर्किंग क्लास की शक्ति

को अब छोटा करके न देखें, अगर देखेंगे तो आप ही जलकर मर जाएंगे, हम नहीं मरेंगे।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, मैं श्रम मंत्रालय से संबंधित सभा में प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदय, श्रम ने न केवल इस देश के समाज के प्रबन्ध में ही प्रत्युत संसार-भर में एक बहुत ही आवश्यक तथा महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है।

समाजवादी सरकारों के अतिरिक्त, जहां उत्पादन के साधन सरकार के अधीन होते हैं, विश्व भर ऐसा है। अभी उसी दिन मजदूर संघों के सम्मेलन में कहा गया था कि उन देशों में प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच विवादों जसी समस्यायें नहीं हैं क्योंकि उत्पादन के साधन सरकार के अधीन होते हैं। (व्यवधान)

जहां तक शेष विश्व का सम्बन्ध है, स्थिति ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। समाचार पत्रों में बताये गये तथ्यों से हमें पता चलता है कि इटली में 24 घंटे की हड़ताल हुई थी, बेलजियम में एक क्षेत्रवार सामान्य आवर्ती हड़ताल हुई थी, ब्रिटेन में एक रेल हड़ताल हुई थी। सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा में कटौती किये जाने की योजना के विरोध में हालैण्ड के श्रमिकों को तैयार किया गया था तथा स्वीडन में एक सामान्य हड़ताल करने की तैयारियां की गई थीं और कानूनी कार्य सप्ताह में कटौती किये जाने के सम्बन्ध में मजूरी में कटौतियों के विरुद्ध फ्रांस में हड़तालें की गई थीं।

पश्चिमी संसार में श्रम आन्दोलन की स्थिति यह है। किन्तु एक अन्य विपरीत स्थिति भी है जो विशेषकर कि दूसरे पक्ष के हमारे मित्रों को स्पष्ट होगी। और वह यह है कि पुर्तगाल में सामान्य हड़ताल आंशिक रूप से असफल रही है, पश्चिम जर्मनी में इस्पात खनिकों ने एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अनुसार उन्हें मुद्रास्फीति की दर की तुलना में कम वेतन वृद्धि दी गई है और ब्रिटेन में उस देश के खनिकों में वामपंथी संघ के अध्यक्ष, श्री आर्थर स्कारगिल के परामर्श की परवाह न करते हुए इसी प्रकार का एक समझौता किया है। विश्व-भर में श्रम आन्दोलन की स्थिति यह है।

मेरा विचार यह है कि जब हम इस देश में श्रम सम्बन्धी स्थितियों के बारे में बार्ता करें तो इस बात को ध्यान में रखें। बम्बई या महाराष्ट्र का विशेषकर उल्लेख किया गया है जिसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। किन्तु मेरे अनुमानों के अनुसार यहां श्रम सम्बन्धी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। 1971 से 1981 के बीच हुए जन दिवसों की हानि के बारे में ध्यान दें तो हमें पता लगेगा कि वर्ष 1974 में 403 लाख दिनों की अधिकतम क्षति हुई है और फिर 1979 में वहां एक और बड़ी क्षति हुई थी अर्थात 438.5 लाख जन-दिवसों की हानि हुई थी। वर्ष 1980 में 219.3 लाख जन-दिवसों की हानि तथा 1981 में 225.6 लाख जन-दिवसों की हानि हुई थी।

मैं उन विभिन्न राज्यों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जहां अधिकतम जन-दिवसों की क्षति की गई है। वर्ष 1981-82 के लिये इस मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में इसका उल्लेख मिल जायेगा जिसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति इस प्रकार की है--मुझे इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं—वहां अधिकतम

जन-दिवसों की हानि हुई है जो 75,40,173 बनती है। इस प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि यह क्षति 82.8 लाख दिनों की बन जाती है। इसमें दो प्रकार के आंकड़े दिये गये हैं।

यह एक सामाजिक समस्या है। यह किसी एक दल की ही समस्या नहीं है। मैं इसे किसी एक दल की समस्या नहीं बता रहा हूं। हम इन सभी बातों का हवाला देते समय बहुत ही दुखी होते हैं। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र अथवा बम्बई में क्या हो रहा है ? गत 80 दिनों से कपड़ा उद्योग में 2.25 लाख श्रमिक हड़ताल पर हैं। आप 2.25 लाख जन-दिवसों को 80 से गुणा कर सकते हैं और उन जन-दिवसों का अनुमान लगा सकते हैं जिनकी हानि हुई है। अतः, मैं किसी एक दल की समस्या नहीं बता रहा हूं। यह एक सामाजिक समस्या है। क्या हम इसे सहन कर सकते हैं ? क्या हम इसे भुगत सकते हैं ? क्या हम इस स्थिति को सहन कर सकते हैं ? मैं इस दृष्टि से इस समस्या, देश में औद्योगिक अशान्ति की समस्या, की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जब हम इस प्रतिवेदन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तीन कारण बताये गये हैं। पहला कारण मजूरियों तथा भत्तों के सम्बन्ध में है, दूसरा कारण कर्मचारियों तथा छंटनी के बारे में है और तीसरा कारण अनुशासनहीनता तथा हिंसा के सम्बन्ध में हालांकि इन सभी कारणों को एक साथ बताते हुए भी उन्हें पृथक-पृथक बताया गया है, वे जड़ तक जाते हैं और हमारा ध्यान मुख्य समस्याओं की ओर दिलाते हैं। पहली समस्या न्यूनतम मजूरियों के बारे में। दूसरी समस्या प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के सम्बन्ध में है। एक तीसरी समस्या भी है जो श्रम सिद्धान्त के सम्बन्ध में है।

बम्बई समस्या का उल्लेख किया गया है, इसलिये मैं इस श्रम समस्या के सम्बन्ध में विशेष रूप से कह रहा हूं; कि सरकार पर दोष लगाया गया है कि इस सारी गड़बड़ का मुख्य कारण सरकार ही है।एक माननीय सदस्या, श्रीमती प्रमिला दंडवते द्वारा नियम 377 के अधीन मामले को उठाया गया है और कहा गया है कि बिना श्रमिकों का अपमान किये इस मामले का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। मैं इस विचार से सहमत हो सकता हूं कि इस समस्या का अवश्य ही समाधान किया जाना चाहिए। यह बहुत ही दुखद बात है कि कपड़ा उद्योग में श्रमिक बेरोजगार रहे और उन्होंने अपना 80 दिनों का वेतन खो दिया। उन्हें स्वयं को जीवित रखने के लिये अपने घरेलू उपयोग के बरतनों तथा वस्तुओं को बेचना पड़ा। किन्तु इसका मूल कारण क्या है ? 10 मार्च, 1982 को वामपंथी दलों की बैठक नागपुर में हुई थी। इसमें भारतीय साम्यवादी तथा साम्यवादी मार्क्सवादी दोनों वामपंथी दल सम्मिलित हुए थे और इस सम्मेलन में साम्यवादी दल के साथ सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति भी शामिल हुए थे। मुझे उस सम्मेलन के प्रस्ताव का मूल पाठ प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार में इस बारे में बहुत अधिक कहा गया है। मैं उनके सिद्धान्त का हवाला देता हूं। इसमें बम्बई में स्थिति के बारे में बताते हुए यह कहा गया है कि श्रमिक क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार का नेतृत्व पैदा हुआ है और इसे "सिन्डालिस्ट" की संज्ञा दी गई है "अनारको सिन्डालिस्ट"। शब्दावली इस प्रकार है : "अनारको सिन्डालिस्ट"। अब वे इसे निन्दनीय समझते हैं और यह सोचते हैं कि इस सिद्धान्त को श्रम आन्दोलन में प्रवेश नहीं करना चाहिए किन्तु हमारे लिये यह बहुत ही हैरानी की बात कि हालांकि यह 10 मार्च,

1982 को हुआ। मुझे अगले दिन, अर्थात 11 मार्च, 1982 को पता चला कि वामपंथी दलों सहित सभी दल विधान सभा को जाने वाले मोर्चे में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य लोग इसमें शामिल नहीं हुए। किन्तु ये वामपंथी लोग, जो इस विशेष सिद्धान्त को "अनारको सिन्डालिस्ट" कहते हैं, उस प्रकार के सिद्धान्त वाले लोगों तथा इस प्रकार के नेताओं के साथ मिल गये। (व्यवधान)। क्या इसके लिये सरकार को दोष दिया जा सकता है? समस्या यह है कि इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाये? अतः, मैं कहता हूं कि आप अपने-अपने दलों के बारे में भूल जाइये, यह एक सामाजिक समस्या है।

जब हम इन लोगों के बारे में बोलते हैं, तो इन लोगों की प्रतिशतता क्या है जिनके बारे में आप कह रहे हैं? (व्यवधान)

मैं इसे बहुत ही अच्छी प्रकार समझ सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका औचित्य होगा, कि अपने कार्य को उचित ठहराने के लिए प्रयास किया जायेगा और प्रत्येक कार्य को उचित सिद्ध ठहराने के लिए प्रत्येक कार्य किया जायेगा। इसके लिए कोई तर्क दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय इस बारे में अच्छी प्रकार जानते हैं। वह एक विख्यात वकील हैं। यदि इन्हें संक्षिप्त ब्यौरा दे दें तो, वह उस संक्षिप्त ब्यौरे के लिए दलीलें प्रस्तुत करेंगे। यदि उनको कोई संक्षिप्त ब्यौरा दे दिया जाता है, तो वह उसके लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे और यदि संयोगवश उन्हें दूसरे पक्ष का संक्षिप्त ब्यौरा दे दिया जाता है, तो वह समान रूप से उस संक्षिप्त ब्यौरे के पक्ष में सभी प्रकार से जोरदार शब्दों से दलीलें प्रस्तुत करेंगे।

सभापति महोदय : यह सभापति कर्मचारियों के विरुद्ध नियोजकों का कोई संक्षिप्त ब्यौरा स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री ए० टी० पाटिल : श्रमिकों के साथ हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है···

(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : ये नियोजक ही में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ए० टी० पाटिल : मैं पूरी तरह इस विरोध की सराहना करता हूं। यदि इस पक्ष से कोई विरोध न किया जाता, तो मुझे आश्चर्य हुआ होता। आपको विरोध करना होता है और जब तक आप विरोध नहीं करते हैं, तब तक दल के श्रमिक जीवित नहीं रह सकते। ये लोग जनसाधारण के दुखों पर फल फूल रहे हैं। (व्यवधान)

फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के दुखों को कम करने के लिये कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपने भाषण को पूरा कीजिये। आपके दल से अभी काफी अधिक प्रवक्ताओं को बोलना है। हमें अनेक वक्ताओं को बोलने का अवसर देना है।

श्री कृष्णचन्द्र हालदार (दुर्गापर) : मंत्री महोदय कब उत्तर देंगे।

सभापति महोदय : हमें देखना है। श्री पाटिल, कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिये।

श्री ए० टी० पाटिल : एक बात राष्ट्रीय मजूरी नीति के बारे में है। हम···समर्थ नहीं हो पाये हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : बस अब आप इस बात को पूरी करके अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ए० टी० पाटिल : हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं; इसे कोई ठोस रूप नहीं दे पाये हैं। सरकार का कहना है कि वह आगामी त्रिपक्षीय बैठक में इस राष्ट्रीय मजदूरी नीति को अंतिम रूप दे देगी। नीति संबंधी मूलभूत दृष्टिकोण व सिद्धांत प्रारम्भ में ही निर्धारित कर दिए गए थे। परन्तु दुर्भाग्यवश इसे ठोस रूप न दे पाने से श्रमिक आन्दोलन से संबंधित मसलों को निपटाने के लिए भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। संविधान में इसका उल्लेख है। मैं तत्संबंधी विषय सामग्री का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। आप सब इससे अवगत हैं। 15 वें भारतीय श्रमिक सम्मेलन में भी इस बात का जिक्र किया गया था। भूतलिंगम अध्ययन दल ने भी इस बारे में कहा था। योजना दस्तावेज में भी समय-समय पर नीतियों को दोहराया गया है परन्तु अभी तक इसे कोई अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। सरकार ने प्रश्नों का उत्तर देते समय और बहस के दौरान सभा को यह आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में ही इस नीति को अंतिम रूप दे दिया जायगा। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। परन्तु मैं इस संबंध में कुछ सुझाव दूंगा। पहला सुझाव न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी से संबंधित है। सरकार ने उत्तर देते समय कहा है कि शायद, विशेष तौर पर कृषि श्रमिकों के मामले में ऐसा सम्भव न हो। मेरा अनुरोध है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप उनके विचारार्थ अपने प्रश्न दे दें।

श्री ए० टी० पाटिल : यही मैं कहना चाहता हूं। न्यूनतम मजदूरी तो निश्चित की ही जानी चाहिय। हमारे समक्ष सिफारिशें हैं। आप इन सब सिफारिशों पर विचार कर सकते हैं और सरकार उत्पादन के आधार पर निश्चित, ठोस तथा युक्तियुक्त न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अधिकतम क्यों नहीं ?

श्री ए० टी० पाटिल : वास्तव में कठिनाई यह है कि वे उत्पादकता को श्रम के साथ नहीं जोड़ना चाहते। मुझे यह देखकर आश्चर्य है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया अपने विषय से मत हटिये। आपका समय खराब हो रहा है।

श्री ए० टी० पाटिल : मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि माननीय सदस्य संगठित श्रमिकों की बात करते हैं, वे कुल मिलाकर···(**व्यवधान**)

श्री ए० टी० पाटिल : 23 करोड़ 60 लाख कुल श्रमिकों के मुकाबले संगठित क्षेत्र में ऐसे श्रमिकों की संख्या लगभग केवल 70 लाख है जो किसी न किसी यूनियन के सदस्य हैं। इस प्रकार प्रत्येक 30 श्रमिकों पर वे केवल एक का ध्यान रख रहें हैं और 29 को प्रतीक्षा पंक्ति में खड़े रहना पड़ता है। हमें उन 29 जमा एक सभी 30 श्रमिकों का ध्यान रखना है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ए० टी० पाटिल : अत: मैं यह कहूंगा कि यह आवश्यक है कि (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : हर बार दोनों पक्षों की ओर से अनुशासन खत्म हो जाता है।

श्री ए० टी० पाटिल : राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : आप 18 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। कृपा करके अब अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री ए० टी० पाटिल : मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा। आओ हम मिलकर कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए हड़तालों को समाप्त करने के संबंध में कोई निर्णय लें।

***श्री सी० पलानीअप्पन** (सलेम) : सभापति महोदय, श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों के बारे में मैं अपने दल द्राविड़ मुनेत्र कणगम की ओर से कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

1981 में खराब हुए श्रम दिनों की सूची में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। इस वर्ष समूचे भारत भर में 225·6 लाख श्रम दिन खराब गये। इस शृंखला में 82·8 लाख श्रम दिन खराब करके पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है और तमिलनाडु का दूसरा स्थान है जहां 38.4 लाख श्रम दिन खराब हुए। इससे सिद्ध होता है कि तमिलनाडु में व्यापक स्तर पर औद्योगिक अशान्ति है जिससे उद्योग में गतिरोध आ गया है। इस दुखद स्थिति के लिए, मुख्य तौर पर ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार जिम्मेदार है जिसके पास कोई नीति नहीं है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह तमिलनाडु राज्य सरकार को उचित सलाह दे ताकि स्थिति को बेकाबू होने से बचाया जा सके।

भारत सरकार ने हतकरघा उद्योग के वर्तमान वेतन-ढाचे की पुनरीक्षा करने तथा उसमें समानता लाने के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति नियुक्त की थी। इस रिपोर्ट में अन्तर्विष्ठ सिफारिशों का क्या हुआ और उन्हें कब कार्यान्वित किया जाएगा ? कृषि के बाद, रोजगार के अधिकतम अवसर मुहैया कराने वाला हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कृषि श्रमिकों से दूसरे क्रम पर है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हथकरघा उद्योग के श्रमिकों को सही मजदूरी दी जाये।

जनवरी 1981 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों के कार्यकरण की विशेषत: चिकित्सा सुविधाओं एवं उनमें सुधार किये जाने के संदर्भ में पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा रिपोर्ट कब पेश की जाएगी ? इन अस्पतालों एवं औषधालओं से देश भर में फैले 421 केन्द्रों से 63.62 लाख श्रमिक चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठान ई० एस० आई० योजना में आर्थिक अंशदान देते हैं। 31-3-1981 को केन्द्र सरकार के सरकारी उपक्रमों पर लगभग 841 लाख रुपये की राशि इस अशंदान के रूप में वकाया थी और गैर सरकारी उपक्रमों की बकाया राशि लगभग 3283 लाख रु० है। इतनी बकाया राशि के कारण अनिवार्यत: श्रमिकों को मिलने वाले चिकित्सा लाभों पर कुप्रभाव पड़ेगा। सरकार ने इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि श्रमिकों को प्राप्त चिकित्सा सुविधायें बढ़ायी

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

जा सकें ? कानून के अन्तर्गत, सरकार दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने दोषी सरकारी उपक्रमों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

इसी प्रकार, 30-9-81 को कर्मचारी भविष्य निधि कोष में नियोक्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली राशि 2819.95 लाख रुपये बकाया है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि धन के अभाव में बहुत-से श्रमिकों के दावे रुके पड़े हैं। दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ कितने मुकदमे शुरू किये जा चुके हैं ? माननीय मंत्री जी को इस भारी बकाया राशि की वसूली को तेज करना चाहिये।

1979 में देश में बाल श्रम की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 23 सिफारिशें की थीं जिनमें से सरकार ने 22 सिफारिशों को स्वीकार किया था। बताया गया है कि इन सिफारिशों को प्रकाशित किया जा चुका है। क्या यही उनका कार्यान्वियन था या देश में बच्चों के कल्याण हेतु भी उन सिफारिशों का कार्यान्वियन किया जाएगा ? विश्वभर में सबसे अधिक बच्चे भारत में नौकरी करते हैं। बालश्रम के बारे में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट भी आई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को कब कार्यान्वित किया जाएगा। शिवकाशी, जिसे छोटे जापान की संज्ञा दी जाती है, में सबसे अधिक संख्या में बच्चे माचिस, पटाखे आदि बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। वे विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। पटाखों में विस्फोटक पदार्थ भरना अत्यन्त जटिल कार्य है। फिर भी वे इस काम को करते हैं। हो सकता है भारत के लिए बाल-श्रम को समाप्त करना सम्भव न हो फिर भी उन्हें शोषण से बचाने के लिए समुचित कदम उठाये जाने चाहिये। बीड़ी उद्योग में बच्चे काम करते हैं। सुनारों की दुकानों पर बच्चे काम करते हैं। हमें इन मानवकलियों हेतु रोजगार की जटिलताओं को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिये।

अब मैं देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के विषय को लूंगा। दिनांक 31-12-1980 को देश के 660 रोजगार कार्यालयों में दर्ज आवेदकों की संख्या 81.64 लाख थी। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि बेरोजगारों की संख्या में प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। इस दर से 31-12-1981 तक यह संख्या 90 लाख तक पहुंच जायेगी। ये सभी आवेदक मैट्रिक से एम० ए० तक की शिक्षा प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त, 31-10-1980 को इन रोजगार कार्यालयों में दर्ज अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 174.24 लाख है। जनवरी से अक्तूबर 1981 के दौरान, केवल 4.11 आवेदकों को नौकरी दी गई। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेरोजगारों के इस बकाया को निपटाने में कितना समय लगेगा। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो एक ऐसा तूफान आयेगा जो हम सबको निगल लेगा। मैं मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 20 पर दिए गए आंकड़ों से किसी कारण से संतुष्ट नहीं था। 1979-80 की तुलना में जबकि केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी क्षेत्रों में रोजगारों में वृद्धि केवल 0.2 प्रतिशत थी, 1980-81 में इन सभी क्षेत्रों में यह वृद्धि बढ़ कर 2.6 प्रतिशत हो गई। गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 1980-81 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1980-81 में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों क्षेत्रों में तथा गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में 2.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। मुझे इस प्रगति पर आश्चर्य है। हम सदैव कहते रहते हैं कि सरकारी क्षेत्र बहुत अधिक बचत

कर रहे हैं। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं यह सुझाव दूंगा कि देश भर में कर्मचारियों पर एक प्रतिशत उपकर लगाया जाना चाहिए ताकि इन बेरोजगारों के कष्ट को कम करने के लिए उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके। हम उद्योगों के विकास के लिए उपकर लगाते हैं। इस मामले में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि हम उन्हें यथासम्भव सहायता दे सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलते हुए मैं संक्षेप में कुछ निवेदन करूंगा।

यह सच है कि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है और यह राष्ट्र और श्रमिकों तथा प्रत्येक के हित में है कि उत्पादन बढ़े। यह अच्छी बात है कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने हेतु रचनात्मक रुख अपनाया है जिसकी देश को जरूरत है। यदि हम राष्ट्रीय भावना से सोचें तो मैं समझता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम सभी को इसके लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए। किन्तु विभिन्न पक्षों से कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है यह देखने की बात है।

मुझे प्रसन्नता है कि श्रम मंत्रालय के मंत्री और उनके उपमंत्री दोनों ही श्रमिकों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि इससे काफी फर्क पड़ता है। मैं उन्हें औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम लाने के लिए बधाई देता हूं जिसे कि दो सप्ताह पूर्व राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है और जो लोक सभा में भी शीघ्र ही आने वाला है जिसके अन्तर्गत निलम्बित श्रमिकों को 75% मजदूरी मिलेगी जबकि पहले उन्हें निलम्बनावधि के दौरान 50% मजदूरी मिला करती थी। यह एक अच्छा कदम है जिसके लिए मैं मंत्री महोदय और उपमंत्री महोदय दोनों को बधाई देता हूं।

एक मामला जिसका मैं जोरदार समर्थन करता हूं वह है श्रमिकों का प्रबन्ध में भाग लेना। मेरे विचार से इस क्षेत्र में हमने कोई खास प्रगति नहीं कि है। मैं महसूस करता हूं कि हम प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के बारे में बोलते रहते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा कार्य समिति का गठन कर देते हैं किन्तु वह भी उचित ढंग से नहीं किया जाता। मेरा यह दृढ़ मत है और मैं इसे दोहराता हूं कि मैं सरकार को अपने स्पष्ट विचार बताना चाहता हूं कि हम निश्चय ही श्रमिक वर्ग के सहयोग से ही उत्पादन में वृद्धि की आशा कर सकते हैं। श्रमिक वर्ग काफी देश भक्त हैं, उन्होंने सभी परिस्थितियों में देश को सहयोग दिया है और वे अब भी सहयोग दे रहे हैं। 19 तारीख को आपने उन्हें बुलाया और उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। इससे पता चलता है, श्रमिक वर्ग से सहयोग कम नहीं मिला है। किन्तु हमें स्पष्ट और ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें विश्वास मिले कि उनके हितों की रक्षा की जा रही है और इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस सम्बन्ध में केवल थोड़ी-सी कार्यवाई करने से कुछ नहीं होगा। हमें भारी परिवर्तन करना होगा। माननीय मंत्री महोदय कुछ विधायी परिवर्तन लाने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे कितने हैं और उनमें क्या है, किन्तु मैं महसूस करता हूं कि उन्हें कानून में संशोधन करते समय यह देखना चाहिए कि श्रमिक वर्ग को प्रबन्ध में समुचित भाग मिले। जब मैं श्रमिकों की बात करता हूं तो मेरा अभिप्राय उनके प्रतिनिधियों से है। उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रबन्ध का एक अंग बनने दिया जाये। यह बहुत जरूरी है। जब तक आप उन्हें प्रबन्ध में भाग लेने का मौका नहीं देंगे तो वे निश्चय ही निराश होंगे इसलिए मैं दृढ़ता से

यह मांग करता हूं कि आवश्यक विधायी कदम उठाये जाने चाहिए। दूसरे, मैं महसूस करता हूं कि अपने श्रम कानून के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए जिस दण्ड का प्रावधान किया है वह पहले तो अपर्याप्त है और दूसरे इनका क्रियान्वयन इस प्रकार होता है कि उनका प्रभाव न्यूनतम रह जाता है। ऐसा लगता है कि जब आप श्रमिकों से सम्बन्धित कोई मामला लेते हैं तो आप यह सोचते हैं कि यह कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि उस व्यक्ति को 50 रु० जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। ऐसा कोई विरला ही मामला होगा जिसमें कि सजा दी गई हो। अधिकतर, बड़े अपराधों के लिए भी थोड़ा-सा जुर्माना किया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए भविष्य निधि का गलत प्रयोग अथवा श्रमिकों को भविष्य निधि की अदायगी न करने का मामला छोटा-सा हो सकता है। किन्तु एक श्रमिक के लिए जो कि अपनी बेटी की शादी के लिए भविष्य निधि के भुगतान पर ही निर्भर करता है यह मामला जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो सकता है ; उसके लिए भविष्य निधि काफी महत्त्वपूर्ण होती है। भविष्य निधि ही एकमात्र मामला नहीं है। बहुत-से ऐसे मामले हैं जहां इन प्रतिष्ठानों को चलाने वाले लोग कानूनों का उल्लंघन करते हैं और वे यह जानते हैं कि उनका कुछ नहीं होगा। पहले तो प्रक्रिया काफी लम्बी है जिसमें वर्षों लगते है। तत्पश्चात् क्या होगा ? कुछ नहीं। महज 50 रु० अथवा 100 रु० जुर्माना होगा। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह कानून में संशोधन करे और इन्हें कठोर बनाये तथा ऐसा प्रावधान भी हो कि वे केवल जुर्माने से ही न छूट जायें। अधिनियम में जुर्माने और सजा दोनों का ही प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि बहुत-से मामलों में अधिनियम में सजा की न्यूनतम अवधि का प्रावधान किया जाना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम श्रमिक वर्ग से न्याय कैसे कर सकेंगे ?

एक बात और है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। वह यह है कि हम हमेशा एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक लाने की बातें करते रहते हैं।

सभापति महोदय : दुर्भाग्यवश ऐसे भी लोग हैं जो अदालत में भी उसका समर्थन करते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा कहने का अभिप्राय: यह है कि, यहां-वहां कुछ मतभेद हो सकते हैं, औद्योगिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं के बारे में दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं किन्तु मैं यह कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें मैं अच्छा समझता हूं, कोई दूसरा इसे बुरा तथा कोई तीसरा इसे किसी और ही दृष्टि से सोच सकता है। आपको अच्छी वस्तुओं के लिए इन्तजार नहीं करना चाहिए। आप इसे खण्डों में भी ला सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो वस्तुएं आपके लिए सहायक हो सकती हैं उनके लिए आपको व्यापक विधान बनाने का इन्तजार नहीं करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु को लम्बित नहीं रखना चाहिए। मजूरी न बढ़ाने की नीति के बारे में समझौता अथवा सहयोग भले ही न हो किन्तु सहयोग के लिए वार्ता तो होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि श्रम मंत्री ने यद्यपि वह अभी हाल ही में मंत्री हुए हैं 19 तारीख को वार्ता के लिए प्रयत्न किया और एक प्रस्ताव भी रखा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस समय संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं श्रमिकों और उनके संगठनों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हड़ताल के आह्वान की अवहेलना करके काम किया, किन्तु इससे भी अच्छा तब होता यदि वे श्रम मत्री से वार्ता का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते। उन्होंने वार्ता करने से इन्कार

कर दिया। उन्होंने केवल एक ही बात पर बल दिया कि जरूरी सेवाएं बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम को वापस लो। जहां तक अन्य मामलों और मांगों का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि 19 तारीख की हड़ताल राजनीति से प्रेरित थी। मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ अच्छा काम आप करना चाहते हैं उसे भले ही एक, दो, तीन अथवा चार अधिनियम लाकर करें पर किसी व्यापक अधिनियम की प्रतीक्षा न करते रहें क्योंकि हो सकता है कि आप अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा करते रहें। यही मैं कहना चाहता हूं।

तीसरे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही इकाइयों में कार्य कर रहे लोग इन प्रतिष्ठानों को अपना साम्राज्य समझते हैं। उनमें से कुछ तो बड़ी बुरी तरह पेश आते हैं। मैं दिल्ली की एक कपड़ा मिल के बारे में जानता हूं जहां के प्रबन्धक को इतना हौसला है कि वह श्रमिकों को बिना किसी नोटिस, बिना किसी जांच और स्पष्टीकरण के तीन महीने का वेतन भेज देता है और अपनी बात से तनिक पीछे नहीं हटता है। वरिष्ठ अधिकारियों से बार-बार मिला गया किन्तु वे समझते हैं कि इसमें उनके प्रबन्धक की प्रतिष्ठा शामिल है। इस स्थिति का निराकरण नहीं किया गया है। मैं इस मंच का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। इसके लिए हम अन्य रास्ते अपना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। वे प्रतिष्ठान को अपना साम्राज्य समझते हैं और श्रमिकों से मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं। इन बातों को रोकना चाहिए। यह सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है। यह उन लोगों का उत्तरदायित्व है जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान चलाते हैं कि वे अपने लोगों को मनमानी न करने दें।

एक माननीय सदस्य : उस मिल का नाम क्या है।

श्री एच० के० एल० भगत : वह दिल्ली की अयुध्या कपड़ा मिल है। यदि इसे प्रबन्धक पर छोड़ दिया गया होता तो सम्भवतः वह यह चाहता कि 19 तारीख की परिस्थिति बन जाए और श्रमिक हड़ताल पर चले जायें। वह उन पर अनुशासनहीन होने का दोष लगा सकता था। किन्तु श्रमिक उसकी चाल को समझते थे। वह स्थिति देखते रहे और कार्य पर उपस्थित रहे तथा उन्होंने इस छेड़खानी की कोई परवाह नहीं की। मैं कहना यह चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कुछ लोगों का दिमाग ऐसा बन गया है कि वे अपने कर्मचारियों को अपना गुलाम समझते हैं। यह समाप्त होना ही चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा सभी प्रतिष्ठानों में होता है। किन्तु कुछेक घटनाएं ही सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के नाम पर धब्बा लगा देती हैं।

प्राइवेट संगठनों में स्थिति इससे भी खराब है। कभी-कभी हम सार्वजनिक क्षेत्र की ठीक ही आलोचना करते हैं। उनकी सार्वजनिक संवीक्षा होती है। उनके बारे में काफी तथ्यों का पता लगता है। किन्तु कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा संचालित गैर-सरकारी प्रतिष्ठान इससे भी बदतर व्यवहार करते हैं। वे बातों को सहज ही लेते हैं। जबकि श्रमिकों और श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है व श्रमिक वर्ग को न्याय दिलाना भी बहुत जरूरी है। मैं अन्य कानूनों के बारे में बात कर रहा हूं—जिन पर श्रम मंत्रालय का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं

हैं, किन्तु जिनसे उद्योग मंत्रालय अथवा वाणिज्य मंत्रालय सम्बन्धित हैं। यह एक तथ्य है और हम सब जानते हैं कि इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अधिकतर पैसा अनेक प्रकार से लाभ कमाने के लिए हड़प लिया जाता है। जो कुछ कमाया जाता है उसे लाभ के रूप में नहीं दिखाया जाता। उस पैसे को छिपाने के लिए बहुत-से रास्ते अपनाये जाते हैं। यह कानून में संशोधन करने का ही प्रश्न नहीं है, और कुछ करने का भी है। कम्पनी कानून के बारे में भी, मैं महसूस करता हूं कि लोगों को छोटे-से जुर्माने पर ही छोड़ दिया जाता है। कम्पनी कानून का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। वास्तव में श्रम समस्यायें सर्वथा पृथक नहीं हैं। वे अन्य समस्याओं का एक अंग है जिनका सम्बन्ध विभिन्न मंत्रालयों से है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि कम्पनी कानून के प्रशासन को श्रमिकों को न्याय के हित में कड़ा बनाया जाना चाहिए। इसलिए मेरे विचार से ये सब बातें बहुत जरूरी हैं।

मैं एक और पहलू पर भी बोलना चाहता हूं यानी श्रमिक वर्गों के लिए आवास व्यवस्था के बारे में। यह सच है कि सरकार ने कुछ योजनायें बनाई हैं और उन्हें मकान दिए गए हैं। कुछ सुधार भी हुआ है किन्तु मैं महसूस करता हूं कि यह काफी नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि आवास के क्षेत्र में श्रम मंत्रालय बहुत सहायक नहीं हो सकता। मैं एक सुझाव देता हूं—सरकार इसे कम-से-कम नए प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य बना दे। यह कहा जायेगा कि इस पर काफी वित्तीय भार हो जायेगा। एक आवास 'सेल' होना चाहिए। श्रमिकों को अनिवार्य रूप से उसमें कुछ अंशदान करना चाहिए और कुछ अंशदान प्रबन्धकों तथा सरकार द्वारा किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरकार भूमि अथवा उसी तरह का कुछ और देकर सहायता कर सकती है। वह श्रमिक वर्ग को वर्तमान आवास सुविधाओं की अपेक्षा अधिक आवास सुविधायें उपलब्ध करा सकती है। मैंने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिल्ली में बनाई जा रही कुछ प्रसिद्ध आवासीय कालोनियों की आवासीय स्थिति देखी है। वहां की स्थिति बहुत खराब है। वर्षों तक वहां रख-रखाव कार्य नहीं किए जाते, वे इनकी परवाह नहीं करते। इसलिये, आवास सुविधाओं के क्षेत्र में भी, मैं समझता हूं कि अभी बहुत कुछ किया जाना है। जैसाकि मैंने कहा है, मंत्री महोदय बहुत सजग हैं। मुझे विश्वास है कि वे इन समस्याओं की ओर ध्यान देंगे।

मैंने कुछ कंटीन सुविधाएं देखी हैं। यहां प्रबन्ध व्यवस्था भी बहुत ढीली है। बहुत-से उपाय अपना लिए जाते हैं। श्रमिकों को वर्षों तक ठेका श्रमिक के रूप में दिखाया जाता है जबकि वे फैक्टरी के असली और नियमित कर्मचारियों का काम कर रहे होते हैं। इसलिए, ये सब बातें अनिवार्य हैं और श्रमिकों में अधिक विश्वास पैदा करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए।

जब मैं श्रमिक शब्द कहता हूं, तो मैं यह भी जानता हूं कि इसकी राजनैतिक समस्याएं हैं। नेतागिरी, और श्रमिकों का विश्वास जीतने की दौड़ को मैं भली भांति जानता हूं, जो चलती रहती है। इससे कभी-कभी, श्रमिकों, निष्ठावान श्रमिकों को हानि होती है।

मेरे माननीय मित्र बंगलौर हड़ताल का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि सरकार ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया इसलिए करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस बारे में मेरा मतभेद है।

यह करोड़ों रुपयों का नुकसान नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार की हड़ताल इतने लम्बे समय तक संचार और अन्य क्षेत्रों में चली, विशेषकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, नहीं चलनी चाहिए थी। इससे श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ। हम जानते हैं कि श्रमिक वर्ग बहुत ही देशभक्त होता है और उन्होंने हमेशा देश का साथ दिया और देते रहेंगे। इसलिए उन्हें केवल नारों से ही सन्तुष्ट नहीं रखा जा सकता। और इसलिए, मैं यह बात प्रतिपक्ष के अपने माननीय मित्रों को बता रहा हूं। इन मित्रों के लिए मेरे दिल में बहुत आदर है और ये भी हमारी तरह ही देशभक्त हैं और हम उनके सहयोग पर निर्भर हैं। श्रमिक अपनी आवश्यकताओं को भी समझते हैं और वे आंतरिक खतरे और बाहरी खतरे को भी समझते हैं। सरकार ने विकास के लिए अधिक उत्पादन, तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधान मंत्री ने एक आह्वान किया और 19 तारीख को सम्पूर्ण राष्ट्र ने उसका समर्थन किया। मैं कहता हूं कि यह कहना बिल्कुल गलत था कि दमनकारी उपायों के कारण, 19 तारीख की हड़ताल सफल नहीं हो सकी। मेरे विचार से, दिल्ली में, कारखाने में काम करने वाले किसी भी श्रमिक ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। उनके विरुद्ध न कोई दमनकारी नीति अपनाई गई और ना ही उन्हें किसी प्रकार से मजबूर किया गया। वास्तव में, श्रमिकों के कुछ वर्ग अन्य मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपायों का प्रयोग किया करते थे उनको मजबूर किया करते थे। परन्तु अधिकतर लोग इस बात से इंकार करेंगे। दस-बारह लोगों द्वारा थप्पड़ आदि मारने की एकाध घटना हुई हो सकती है।

मेरा तात्पर्य यह है कि जब श्रमिक वर्ग राष्ट्र के हित में है तो वे सब आपका साथ देंगे। वे उत्पादन बढ़ाएंगे, वे उन सभी राजनैतिक तत्वों को पहिचानेंगे जो उनका शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु, मुझे विश्वास है कि वे चाहते हैं हम उनकी ओर अधिक ध्यान दें, उनका अधिक ध्यान रखें और, महत्वपूर्ण मामलों में उनके साथ न्याय करें। मुझे आशा है सरकार ऐसा करेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : माननीय सभापति जी, श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस करते समय, हम इस मामले पर अलग से विचार नहीं कर सकते। मैं समग्र आय, मजदूरी और मूल्य नीति, जो अब प्रचलित है, के बारे में विस्तार से बात नहीं करूंगा।

परन्तु मैं केवल इसका उल्लेख केवल इस लिए कर रहा हूं क्योंकि इसको अलग करके चर्चा नहीं की जा सकती। इसका असर समग्र औद्योगिक सम्बन्धों पर पड़ता है।

इन अनुदानों पर चर्चा करते समय, मैं सदन का ध्यान दो प्रमुख घटनाओं की ओर दिलाना चाहूंगा जो इस अवधि के दौरान नहीं हैं। मैं इसका केवल उल्लेख ही कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश, 11 जनवरी की हड़ताल के संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है जो 'इन्टक' के अतिरिक्त सभी मुख्य ट्रेड यूनियन्स का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल कम्पेन कमेटी द्वारा प्रायोजित की गई थी। किसी ने इस हड़ताल को राजनैतिक रूप से प्रेरित बताया। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि इसका कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं था।

ट्रेड यूनियन्स की नेशनल कम्पेन कमेटी द्वारा कौन-कौन-सी मांगें की गई थीं? मैं उन मांगों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

लोकप्रिय समितियों के नियन्त्रण और देखभाल के तहत व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से सभी अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्यान्नों, अनाज, तेल, कपड़ा, चीनी, इत्यादि का रियायती मूल्यों पर बेचना ताकि अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त रूप से और निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सके।

किसानों को लाभकारी मूल्य और आदानों की निश्चित रूप से सप्लाई; कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम जीवन-निर्वाह मजदूरी और नौकरी की सुरक्षा की गारंटी के लिए कानून बनाना और उसे लागू करना; कालाबाजारियों, जमाखोरों, तस्करों, सट्टेबाजों और उनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाना; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, और अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1981 का निरसन ; 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर श्रमिक वर्ग के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन है ;

जीवन-निर्वाह लागत में वृद्धि को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी बनाना, और मूल्य सूचकांक (1960 के आधार पर) के प्रति अंक वृद्धि के लिए 1.30 पैसे की अधिकतम सीमा, जिसे मनमाने ढंग से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया गया था, हटाया जाना; सभी श्रमिकों को बिना सीमा या पूर्व शर्तों के बोनस देने की व्यवस्था करते हुए बोनस अदायगी अधिनियम में संशोधन, मजदूरों की छंटनी और मिलें बन्द करने पर पाबंदी, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता लागू करना;

ट्रेड मजदूर संघ कार्यकर्ताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं के खिलाफ तंग करने की कार्यवाहियां वापिस लेना; जीवन यापन लागत के सूचकांक के झूठे आंकड़ों को सही करना; गुप्त मतदान के आधार पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता देना; और सामूहिक मांग और ट्रेड यूनियन अधिकारों की पूरी गारंटी देना;

माननीय मंत्री महोदय इस बात को भलीभांति जानते हैं क्योंकि उन्होंने इस मामले पर बातचीत की है, मैं केवल इस बात पर बल दे रहा हूं कि संगठित श्रमिक वर्ग के विरुद्ध एक प्रयास किया जा रहा है, अनजाने में मैं नहीं कह सकता कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। मजदूरों को तो केवल अपनी ही आर्थिक समस्याओं से, अपनी थोड़ी-सी मजदूरी से और ऐसी ही अन्य सब बातों से मतलब है। अब, ट्रेड यूनियन आन्दोलन बड़ा व्यापक हो गया है, वह हमारे परिश्रम करने वाले लाखों मजदूरों के प्रश्न को उठा रहा है और यह आन्दोलन अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रहा है। इस देश में श्रमिक वर्ग के आन्दोलन में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है।

मैं बम्बई में चल रही हड़ताल के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं इस मामले गुणावगुण का जिक्र नहीं करूंगा। मैं इसके नेतृत्व और इसकी प्रकृति के सम्बन्ध में भी विवाद में नहीं पड़ूंगा। मैं एक ऐसे मामले को उठाना चाहता हूं जो मजदूर संघ आन्दोलन, श्रमिक वर्ग आन्दोलन से सम्बन्धित है और यह एक ऐसा मामला है जो औद्योगिक सम्बन्धों के मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है।

बम्बई में क्या हो रहा है। यदि सरकार ने इस संघ को मान्यता दी, नियोजकों ने इसे मान्यता दी है, अथवा कामगरों ने इसे मान्यता दी है आप इसे चाहे या न चाहे सरकार का यह मत है कि वे संघ के साथ बातचीत करना नहीं चाहती। लगभग 2.5 लाख मजदूर इस संघ के साथ हैं। यह हड़ताल पिछले 2½ महीनों से चल रही है। यहां पर सरकार की एक संघ को मान्यता देने की मूलभूत नीति का सवाल उठता है। वे किसे मान्यता देते हैं ? मान्यता देने का मापदण्ड क्या है ? पुरानी अमान्य नीति के अन्तर्गत संघ सरकार द्वारा प्रायोजित था और बम्बई के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। मजदूरों का यह कहना है कि उन्हें कभी भी इस संघ में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तमाम मजदूर वर्ग आन्दोलन पर है। इस हड़ताल का जो भी प्रभाव हो अथवा जो भी परिणाम हो मेरे सहयोगी इसे निपटने में सक्षम है।

मैं यहां पर केवल मजदूर संघ को मान्यता देने के मूल प्रश्न को उठा रहा हूं। औद्योगिक सम्बन्धों की इमारत तीन स्तम्भों, संगठित होने के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और हड़ताल करने के अधिकार, पर आधारित है। संगठित करने का अधिकार मान्यता देने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। मान्यता देने का अधिकार इस देश के मजदूरों का मौलिक अधिकार है। यदि मेरी मान्यता सही है तो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ को छोड़ कर सभी मजदूर संघों ने यह स्वीकार किया है कि गुप्त मतदान, किसी भी उद्योग अथवा एकक में संघ को मान्यता देने का लोकतांत्रिक तरीका है। इसलिए मैं अब भी इसी बात पर बल देता हूं कि जब तक आप इस प्रश्न को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं निपटाते औद्योगिक शांति संभव नहीं है। यही कहानी बम्बई अथवा कही भी दोहरायी जाने वाली है।

एक अन्य विषय जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि पिछले वर्ष 1980-81 में हमें केन्द्रीय क्षेत्र में दो अथवा तीन बड़ी हड़तालों का अनुभव हुआ। मामले बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक जीवन बीमा निगम का मामला है। जो कुछ हुआ वह यह कह कर कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक समझौता किया गया और उसे भी एक अध्यादेश और तत्पश्चात संसद के एकअधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है। पुनः सरकारी क्षेत्र में बंगलौर के श्रमिकों की हड़ताल हुई। वही बात वहां भी हुई। फिर लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल हुई। 1969 में किए गए समझौते का अनुपालन नहीं हो सका। इससे पता चलता है कि किस प्रकार कार्य हो रहा है, श्रम प्रभाग या भारत सरकार द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है।

सामूहिक सौदेबाजी मूलभूत अधिकार है; द्विपक्षीय बातचीत एक मूलभूत तथ्य है जिस पर औद्योगिक सम्बन्धों का संपूर्ण ढांचा निर्मित है। यही सब जीवन बीमा निगम के मामले में सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों के मामले में और लोको रनिंग कर्मचारियों के मामले में हुआ है। सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के मूलभूत अधिकार को चुनौती दी जा रही है। कई मजदूरों को परेशान किया गया है और मामले को सुलझाया नहीं गया। मैं इस मामले को प्रकाश में लाना चाहूंगा क्योंकि मूलभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में संपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध नीति का हनन किया गया है। हम शांत नहीं बैठेंगे।

पुनः मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा, वह सरकार की वेतन नीति के सम्बन्ध में

हैं। जहां तक मैं समझता हूं, देश में सरकार ही सबसे बड़ी नियोक्ता है जिसके पास कारखानों में सर्वाधिक संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं। यह सब सरकारी क्षेत्र में हैं। मैंने पाया कि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त मंत्रालय या तथाकथित सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है कि इसके बाद वेतन सम्बन्धी इन बातचीतों के सम्बन्ध में कोई समझौता किया जाता है तो उत्पादन और उत्पादकता के मध्य सम्बन्ध पर अधिक जोर दिया जाए।

दूसरी शर्त यह है कि यदि कोई समझौता किया जाना हो तो इसका कोई भूतकालीन प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह केवल भविष्य प्रभावी ही होना चाहिए। वेतन को उत्पादकता से जोड़ने के इस मूलभूत प्रश्न पर दुर्भाग्य से यह गलतफहमी हो गई है कि संगठित भारतीय मजदूर चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के संपूर्ण उत्पादन में अपना उचित भाग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि यह सही नहीं है। मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि उत्पादन की समग्र लागत में कामगारों का कितना हिस्सा है, क्या जो कुछ कामगार ने उत्पादन किया था उसके लिए उसे पर्याप्त मुआवजा प्राप्त हुआ है; क्या जो कुछ उसने उत्पादन किया है उसके लिए उसे पर्याप्त मजदूरी अथवा परिलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

दिनांक 29 जुलाई, 1980 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित निम्नलिखित तालिका से भी यह सिद्ध होगा कि मजदूरी तथा परिलब्धियां उत्पादक द्वारा की गई उत्पादकता अथवा जोड़े गए मूल्य से काफी कम है। उद्योगों का नाम 'खाद्य उत्पाद' है। प्रतिवर्ष प्रत्येक कर्मचारी वार जोड़ा गया मूल्य 4490 रु० है। प्रति कर्मचारी वार्षिक परिलब्धियां 2211 रुपए हैं।

यदि आप सूती वस्त्र, ऊन, पटसन, चमड़ा, रबड़, रसायन, गैर-धात्विक, मूल धातुओं, धातु के उत्पादों, मशीनों, बिजली की मशीनों, परिवहन उपकरण, पानी की सप्लाई आदि उद्योगों की मजदूरी को लें तो आप यह देखेंगे कि इन सभी उद्योगों में मजूरी बहुत ही कम है।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सरकार द्वारा योजना की जाने वाली घोषणाओं से यह भ्रांति उत्पन्न होती है कि कामगारों को उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन के लिए उचित हिस्सा मिल रहा है। लेकिन औद्योगिक कामगार, जो कुछ वे उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए उन्हें उचित हिस्सा कदापि नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है ?

वास्तव में, जितना वे उत्पादन करते हैं उसके लिए वे अधिक पाने के हकदार हैं। जब तक उन्हें उस सीमा तक मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक आप मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते।

ए० आई० टी० यू० सी० तथा सी० आई० टी० यू० आदि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का यही घोषित रुख है और प्रश्न यह है कि मजूरी को उत्पादकता से जोड़ने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब कि आप कामगार को उसके द्वारा किए गए उत्पादन के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा देते हैं। कामगार को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाता है।

मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है जब तक कि आप कामगार को उसके द्वारा किए गए उत्पादन के लिए मुआवजा नहीं देते हैं, जब तक आप कामगार को उसकी परिलब्धियों का उचित हिस्सा नहीं देते हैं।

एक अन्य प्रश्न न्यूनतम मजूरी से सम्बन्धित है। न्यूनतम मजूरी की धारणा क्या है ? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने 1957 में श्री नन्दाजी के योग्य नेतृत्व में, यदि मुझे सही याद है, 15वें श्रमिक सम्मेलन में न्यूनतम मजूरी के बारे में कतिपय मानदण्ड निर्धारित किए थे। कतिपय स्वीकृत मानदण्ड निर्धारित किए गए थे। हम उस न्यूनतम मजूरी के आवश्यकता पर आधारित मानदण्डों पर कार्य कर रहे हैं। न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत हम यह अनुमान लगाते हैं कि इसके मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम मजूरी कितनी होनी चाहिए। सरकार ने अब इन सभी कानूनों को ताक पर रख दिया है और अब वह इन मानदण्डों के अनुसार कदापि विचार नहीं कर रही है।

अब एक नया सिद्धान्त यह रखा जा रहा है कि न्यूनतम मजूरी कभी भी गरीबी की रेखा से कम नहीं होनी चाहिए।

न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी नई राष्ट्रीय नीति की यही धारणा है जिसे गरीबों के लिए कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आप उस बात को भूल गए हैं जो आपने त्रिपक्षीय सम्मेलन में स्वयं निर्धारित की थी जिसमें समस्त उद्योग तथा श्रमिकों तथा सरकार का आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजदूरी देने के बारे में मतैक्य हुआ था। यदि आप उस धारणा के अनुसार मूल्यांकन करें तो क्या आप यह दावा कर सकते हैं कि आप देश के संगठित उद्योग, किसी भी संगठित उद्योग के कामगारों को वर्तमान संदर्भ में आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी दे रहे हैं ? जी, नहीं केवल इतना ही नहीं। आप अपने वायदे को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं और आप यह कह रहे हैं कि 'गरीबी की रेखा' की धारणा के अनुसार न्यूनतम मजूरी के बारे में विचार कर सकते हैं। और आप श्रमिकों के कल्याण तथा इन सब चीजों के बारे में बातें बहुत करते हैं।

मजूरी सम्बन्धी नीति के बारे में यह स्थिति है। इन सब बातों के अलावा, अब समय बहुत खराब है। काम करने वाला वर्ग इस बात को जानता है, ट्रेड यूनियन आन्दोलन इस बात को जानता है क्योंकि सरकार द्वारा नीति ही ऐसी अपनाई जा रही है।

लेकिन आप कहते हैं "जीवन बीमा निगम, सरकारी क्षेत्र के कामगारों तथा लोको रोड कामगारों की मजदूरी के बारे में हमारी जीत रही है।"

लेकिन आप यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि स्थिति बहुत खराब है और काम करने वाला वर्ग एक अधिक बड़ा संघर्ष करने जा रहा है।

यही कारण है कि ट्रेड यूनियनों के मौलिक अधिकारों को अत्यावश्यक सेवाएं बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम जैसे बहुत ही दुर्भावनापूर्ण तथा अत्यधिक खतरनाक अधिनियमों के द्वारा छीना जा रहा है। हम इस प्रकार के अधिनियमों का जोरदार विरोध करते हैं। जब आपने इन अधिनियमों को लागू किया था तब आपने यह दावा किया था कि आप कभी भी कामगारों के विरुद्ध उनका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन पिछले एक साल का क्या इतिहास रहा है ? चाहे वह संगठित क्षेत्र हो अथवा गैर-संगठित क्षेत्र, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, चाहे कोयला क्षेत्र हों अथवा खानें, आप हड़ताल करने वाले कामगारों के विरुद्ध इन कानूनों को लागू करते रहे हैं। बंगलौर में क्या हुआ था जब वहां सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम में हड़ताल हो गई थी ? हड़-

ताल करने वाले लोकोरनिंग स्टाफ के साथ क्या हुआ था ? उन लोगों के साथ क्या हुआ था जिन्होंने 19 जनवरी को विरोध प्रकट करने के लिए एक दिन की हड़ताल की थी ? आपने हड़ताल करने वाले सभी कामगारों के खिलाफ दमनकारी अधिनियमों का प्रयोग किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन स्तम्भों पर औद्योगिक सम्बन्ध कायम किए जा रहे हैं, वे बहुत ही नाजुक स्थिति में, डांवाडोल स्थिति में हैं। सरकार द्वारा लागू की गई गलत नीतियों के कारण संगठन बनाने के अधिकार, सामूहिक रूप से विचारों का आदान-प्रदान करने के अधिकार, हड़ताल करने के अधिकार, इन सभी अधिकारों की छीना जा रहा है। जब तक सरकार अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं करती है, जब तक त्रिपक्षीय मशीनरी को बुलाकर एक व्यापक मतैक्य नहीं बनाया जाता है, जब तक समस्त नीति के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का मतैक्य नहीं हो जाता है तब तक मैं नहीं समझता कि हम औद्योगिक शांति हासिल कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि इस चर्चा के दौरान श्रम मंत्रालय के बारे में कार्यान्वित की जाने वाली सामाजिक सुरक्षाओं के बारे में मुझे कहने का मौका मिला।

मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने सामाजिक सुरक्षा के विषय में संक्षेप में अपने विचार रखे हैं और उनके विचारों को मैं पूरा सम्मान देता हूं। मान्यवर आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सदन के अन्दर बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं, जिनका सारा जीवन श्रमिकों के हितों के लिए बीता है और आज हमारे सम्माननीय सदस्य श्रम मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर अपने विचार दे रहे हैं, उनके विचार मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए हैं।

श्रीमान्, जहां तक श्रमिकों के हित का प्रश्न है, उसमें हम सबकी एक ही राय है, एक ही विचार हम सब रखते हैं। हमारी नीति हमेशा मजदूरों की सुरक्षा की रही है और उसकी भावनाओं की कद्र की रही है और देश के उत्पादन में देश को आगे ले जाने में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश में उत्पादन को महत्व देते हुए और श्रमिकों को महत्व देते हुए "श्रम-एव-जयते" द्वारा उत्पादकता वर्ष घोषित किया है। इसके लिए हम सबको मिलकर औद्योगिक शांति इस देश में बनाए रखना है।

जहां तक श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रश्न है, इस पर हम बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अभी तक इस ओर जो भी कार्य किया गया है, उसके बारे में मैं संक्षेप में विवरण आपके सामने देना चाहता हूं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत, वर्ष 1923 में हुई थी, जब वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट को पारित किया गया। वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट रेलवे कर्मचारियों तथा ऐसे कामगारों पर लागू है, जिन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह तक वेतन मिलता है। यह उन पर भी लागू होता है जो कठिन कार्य करते हों, जैसे फैक्ट्री, खान, चाय/काफी बागान इत्यादि। इस अधिनियम के अन्तर्गत, निम्नलिखित स्थितियों में लाभ दिए जाते हैं।

टैंपरेरी डिसएबलमेंट; परमानेंट डिसएबलमेंट, मृत्यु। टैंपरेरी डिसएबलमेंट के लिए हर 15 दिन में 30 रुपए से 175 रुपए तक का लाभ दिया जाता है। परमानेंट डिसएबलमेंट में 10000 रुपए से लेकर 42 हजार रुपए तक लाभ दिया जाता है। मृत्यु की घटना में 7200 रुपए से लेकर 30000 रुपए तक का लाभ मिलता है।

इस अधिनियम में आखिरी संशोधन, वर्ष 1976 में किया गया था, जबकि लाभ की दरें बढ़ाई गई थीं। वर्तमान समय में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इन संशोधनों में कम्पैन्सेशन की दर को बढ़ाने, तथा एक्ट के अधीन आने वाले कामगारों के लिए वेतन की सीमा को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। यह लाभ उन्हें ही प्राप्त होगा जो ई० एस० आई० सी० के अन्तर्गत नहीं आते।

कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट 1948 में बनाया गया था और 1952 में सबसे पहली बार यह योजना कानपुर में चालू की गई थी। इस योजना का अब तक देश भर में 421 केन्द्रों में विस्तार किया गया है, जैसा कि हमारे डी० एम० के० के सदस्य श्री पलिअप्पन ने भी कहा था। इसमें तकरीबन 72 लाख इन्स्योर्ड पर्सन्स शामिल हैं। बीमाकृत व्यक्तियों को सभी स्थानों में पूर्ण चिकित्सा सुविधा दी जाती है, इसमें हास्पीटलाइजेशन भी शामिल है। योजना के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ पाने वालों की संख्या 2 करोड़ 79 लाख है जिनमें बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवार भी शामिल हैं। इसके अलावा 4 प्रकार के नकद लाभ भी बीमाकृत व्यक्तियों को दिये जाते हैं। उनके परिवारों को सुविधानुसार पूर्ण चिकित्सा लाभ, विस्तृत लाभ, एक्सपैंडेड मैडिकल बेनिफिट्स तथा बाह्य रोगी चिकित्सा सुविधा दी जाती है।

इस समय तक 54 लाख 10 हजार परिवारों को पूर्ण चिकित्सा लाभ, 9 लाख 47 हजार को विस्तृत लाभ और 11 हजार 150 को बाह्य रोगी चिकित्सा लाभ (रेस्ट्रीक्टेड) दिया जा रहा है।

रेस्ट्रिक्टेड लाभ उत्तर प्रदेश में रेणुकूट क्षेत्र में स्थित कर्मचारियों के परिवारों को दिया जा रहा है। वहां निगम ने एक 50 बिस्तरों वाला हस्पताल बनाने का फैसला कर लिया है और इस हस्पताल के बन जाने पर सभी को पूर्ण चिकित्सा लाभ दिया जायेगा।

विस्तृत लाभ पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में दिया जा रहा है। यहां इस समय हस्पताल की सुविधा नहीं है। निगम ने राज्य सरकारों से इन स्थानों पर हस्पताल की समुचित व्यवस्था करने को कहा है। इन हस्पतालों के बन जाने पर उनको पूर्ण चिकित्सा लाभ दिया जायेगा। यदि हस्पताल बनाना संभव नहीं हुआ तो किसी सरकारी या निजी हस्पताल में भी निगम द्वारा बिस्तरों का आरक्षण किया जा सकता है। जैसा कि बीमाकृत व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है। निगम ने अब तक 79 हस्पताल और 37 हस्पताल एनेक्सी बनाई हैं जिनमें 17,304 पलंगों की व्यवस्था है। इनमें 9 हस्पताल और 2 हस्पताल एनेक्सी, जिनमें 1642 पलंग हैं, पिछले एक वर्ष में चालू किए गए हैं। इनके अलावा 4 हस्पताल—2 गुजरात में और 2 उत्तरप्रदेश में—तैयार हैं जिनमें 400 पलंगों की व्यवस्था है, जिन्हें शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा। 13 हस्पताल और 6 हस्पताल एनेक्सी, जिनमें 1344 बिस्तरों का प्रबन्ध है, देश के विभिन्न भागों में बनाये जा रहे हैं।

निगम ने पूर्ण चिकित्सा सुविधा के लिए प्रति व्यक्ति व्यय पर एक सीमा निर्धारित की है जो अभी 120 रुपए प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष है । मोटे तौर पर इनमें से लगभग 50 रुपए दवा पर खर्च होते हैं तथा इसका एक-तिहाई भाग स्थापना वगैरह पर व्यय होता है ।

वर्ष 1981-82 में चिकित्सा लाभ के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रबन्ध किया गया है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वार्षिक आय लगभग 200 करोड़ रुपए है और इसका व्यय भी लगभग इतना ही है । निगम के पास पिछले वर्षों की बचत राशि लगभग 325 करोड़ रुपए है जिनको सरकारी सिक्योरिटी और बैंकों में जमा किया गया है । उपर्युक्त पूरा पैसा, कर्मचारियों के लिए हस्पताल इत्यादि बनाने पर खर्च किया जा रहा है ।

निगम की चिकित्सा व्यवस्था के प्रशासन सम्बन्धी सुझाव देने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई है जिसको मैडिकल बेनिफिट काउंसिल कहते हैं । निगम द्वारा चिकित्सा के अलावा बीमाकृत व्यक्ति को ये लाभ भी दिये जाते हैं :

(1) बीमारी लाभ (सिकनेस बेनिफिट) : यह वर्ष में 91 दिन तक दिया जा सकता है जिसमें कुल वेतन का लगभग 50 प्रतिशत उनको नकद लाभ के रूप में दिया जाता है।

(2) एक्सटैंडिड सिकनेस बेनिफिट : यह ऐसी लम्बी बीमारी के लिए दिया जाता है जैसे कैंसर, टी० बी०, लैपरेसी । इसमें 309 दिन के लिए समय प्रदान किया जाता है जिसमें वेतन का 62 प्रतिशत लाभ दिया जाता है ।

(3) मैटरनिटि बेनिफिट : यह लाभ प्रसूति के समय 12 सप्ताह के लिए दिया जाता है । इसमें पूरा वेतन देने की व्यवस्था है ।

(4) रिसेक्लमैंट बेनिफिट : यह दो प्रकार के होते हैं : एक अस्थायी और दूसरा स्थायी । दोनों में ही वेतन का 70 प्रतिशत नकद लाभ देने की व्यवस्था है ।

(5) डिपैंडैंट्स बेनिफिट : मृत्यु की अवस्था में आश्रितों को वेतन का 70 प्रतिशत पैंशन के रूप में मिलता है ।

इसके अलावा एक और बेनिफिट भी है जिसे फेनरल बेनिफिट कहते हैं।

वर्तमान समय में, दिल्ली को छोड़कर अन्य स्थानों पर इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा व्यवस्था का प्रशासन राज्य सरकारों के जिम्मे है ।

चिकित्सा व्यवस्था पर हो रहे कुल व्यय का आठवां हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है तथा शेष निगम द्वारा दिया जाता है ।

दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था निगम खुद करता है ।

इस समय दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक हस्पताल है, जिसमें 400 पलंगों की व्यवस्था है । इसमें 250 और पलंगों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इसके अलावा निगम ओखला में एक 200 पलंगों वाला हस्पताल और झिलमिल एरिया में 250 पलंगों वाला हस्पताल तथा तीसरा एक टी० बी० क्लिनिक पश्चिमी दिल्ली में 150 पलंगों वाला बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

दिल्ली में इस समय 30 डिस्पेंसरियां कार्य कर रही हैं।

इस समय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम मौसमी कारखानों (सीजनल फैक्टरीज) में लागू नहीं है, जैसे चीनी मिल। निगम की एक समिति ने सुझाव दिया है कि मौसमी कारखानों के कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाए। यह अभी सरकार के विचाराधीन है।

इस पूरी योजना के कार्यों के विस्तार, चिकित्सा सुविधा, नकद लाभ और बकाया राशि को वसूल करने की व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु एक प्रमुख मजदूर नेता, श्री वी० आर० होसिंग, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह समिति निकट भविष्य में ही अपना प्रतिवेदन दे देगी।

31 मार्च, 1981 तक कुल बकाया राशि 41.24 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 8.41 करोड़ रुपये सरकारी कारखानों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से और बाकी 32.83 करोड़ रुपये निजी कारखानों से बकाया है।

मोटे तौर पर लगभग 30 करोड़ रुपए रुग्ण कपड़ा मिलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और ऐसे प्रतिष्ठानों से देय हैं, जिनसे पैसा लेने पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। बाकी 11 करोड़ रुपए की वसूली हेतु निगम प्रभावी कदम उठा रहा है।

बहुत-से माननीय सदस्यों ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मंत्री महोदय और मैं इस बात के लिए चिन्तित हैं कि बकाया राशि को किस प्रकार से जल्दी से जल्दी वसूल करके मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए और उन्हें सुविधाएं प्रदान की जा सकें। मगर न्यायालय के निर्णय के सामने हमें नतमस्तक होना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से बकाया राशि को वसूल किया जा सकता है।

सामाजिक सुरक्षा के रूप में तीसरी सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि योजना की है। 4 मार्च, 1952 को कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट पारित किया गया और 1 नवम्बर, 1952 से कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू की गई। 1952 में यह अधिनियम केवल 6 मुख्य उद्योगों, जैसे सीमेंट, सिगरेट, बिजली, इंजीनियरिंग, लोहा और इस्पात तथा वस्त्र उद्योगों से सम्बन्धित 1400 स्थापनाओं में कार्यरत 12 लाख अभिदाताओं (सबस्क्राइबर्ज) के साथ प्रारम्भ हुआ। आज इस अधिनियम के अन्तर्गत 172 विभिन्न उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों की संख्या आती है। 31-12-81 को इस अधिनियम तथा योजना के कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों तथा अभिदाताओं की संख्या बढ़-कर क्रमशः 1,08,520 तथा 1,14,48,153 हो गई। कर्मचारी भविष्य निधि योजना की सफलता एवं इसकी लोकप्रियता को देखते हुए, अधिकांश गरीब मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए तथा सदस्यों की असामयिक मृत्यु पर उनके परिवारों को लम्बी अवधि तक वित्तीय सुरक्षा देने के लिए क्रमशः 1 मार्च, 1971 तथा 1 अगस्त, 1976 से कर्मचारी परिवार पेंशन योजना (फैमिली पेंशन स्कीम) तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (एम्पलाईज डिपाजिट लिंक्ड इनशोरेंस स्कीम) को चालू किया गया।

वित्तीय वर्ष 1980-81 में कुल 133.30 करोड़ रुपये का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया

गया, जो सेवा-निवृत्त होने या अन्य कारणों से इस योजना से अलग हो गए। इसी वर्ष योजना से विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम के रूप में 21.21 करोड़ रुपये की राशि दी गई। यह उल्लेखनीय है कि इस योजना का कोई भी सदस्य महत्वपूर्ण कार्यों, जैसे शिक्षा, लम्बी बीमारी, घर बनाने, जमीन खरीदने, बीमा अथवा विवाह इत्यादि के लिए जमा राशि में से अग्रिम ले सकता है। अग्रिम लेने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे और अधिक उदार बनाया गया है। यह बात उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी अग्रिम दिया जाता है, उसे सामान्यतः वापस नहीं लिया जाता है।

पारिवारिक पेंशन योजना के अन्तर्गत मृतक के आश्रितों को 60 रु० से लेकर 150 रु० तक पेंशन देने की व्यवस्था है। हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि पेंशन कम मिलती है और ठीक से नहीं मिलती है। अतः यह निश्चित कर दिया गया है कि 60 रु० प्रति मास पेंशन अवश्य उनको मिलेगी और इसमें एज फैक्टर का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। 60 रु० कम से कम पेंशन अवश्य दी जाएगी।

इसी प्रकार से इमप्लाइज डिपाजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत किसी मजदूर की कार्यकाल में मृत्यु होने की अवस्था में भविष्य निधि में 1 हजार या इससे अधिक की राशि जमा रहने पर उस राशि के बराबर की राशि एक मुश्त में आश्रितों को दी जाती है। परन्तु वह राशि 10 हजार रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास 31-12-1981 तक कुल 70.36 करोड़ रु० बकाया के रूप में था। इसमें 47.67 करोड़ रु० की राशि भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत, 1.16 करोड़ रु० की राशि इमप्लाइज डिपाजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत, 2.59 करोड़ रु० की राशि फैमिली पेंशन योजना के अन्तर्गत तथा शेष डेमेजेज, प्रशासनिक शुल्क आदि के रूप में स्थापनाओं और प्रतिष्ठानों में बकाया थी। इसमें से 2.88 करोड़ रु० की राशि वसूल करने में कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गयी है। 8.32 करोड़ रु० की राशि रुग्ण कपड़ा मिलों के पास बकाया है। 18.54 करोड़ रु० की राशि छूट प्राप्त मिलों से बकाया है। 31-12-81 तक 3254 स्थापनाओं, प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन छूट प्राप्त थी।

कर्मचारी भविष्य निधि में 30-9-1981 तक 7294 करोड़ रु० की राशि जमा थी। इस राशि पर प्राप्त ब्याज को अभिदाताओं को उनसे प्राप्त जमा राशि पर ब्याज के रूप में दिया जाता है। 1981-82 वर्ष में अभिदाताओं को 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में निगरानी के कार्यों को देखने के लिये निगरानी विभाग की स्थापना की गयी है। इस कार्य हेतु एक निदेशक, निगरानी का भी पद सृजित किया गया है। आशा है कि बहुत जल्द उस पर नियुक्ति हो जायेगी। इससे जो प्रोवीडेंट फंड के अन्दर गड़बड़ होती है उसको दूर करने में हमारी शक्ति बढ़ेगी।

बम्बई तथा हैदराबाद शहरों में उप-निदेशक के पदों का भी सृजन किया गया है। 30-9-81 तक कुल 3,696 करोड़ रु० की राशि अभिदाताओं के बीच में बांटी गई। भविष्य निधि कर्मचारी संगठन के अधीन केन्द्रीय कार्यालय के अतिरिक्त अभी कुल 15 क्षेत्रीय तथा 22 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। भविष्य में 12 और उप-क्षेत्रीय

कार्यालयों को खोलने का प्रस्ताव है। अधिक कार्यालय खोलने के पीछे यह उद्देश्य है कि इसकी सेवाओं को अभिदाताओं के निकट लाया जा सके। ताकि उनको कठिनाइयां न हों।

वर्ष 1979 में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सेन्ट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं इसके कर्मचारियों की सेवा के स्वरूप के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया गया था जिसे फकीरचन्द कमेटी कहते हैं। इस समिति द्वारा कुछ 131 अनुशंसाएं की गयी थीं। इनमें से 75 अनुशंसाओं पर निर्णय लिया जा चुका है। जिन महत्वपूर्ण अनुशंसाओं पर निर्णय लिये गए हैं, वे निम्नलिखित हैं।

1. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस : नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल द्वारा योजना बनाई जा रही है। वर्ष 1979-80 के लिए 15 दिन का तथा वर्ष 1980-81 के लिए 10 दिन का तदर्थ बोनस दिया गया है।

2. छुट्टी के स्थान पर नकद भुगतान (ऐनकैशमेंट आफ लीव)।

3. अधिक दर पर धुलाई भत्ता।

4. "क" वर्ग के नगरों में अधिक दर पर मकान किराया भत्ता।

5. 10 प्रतिशत उच्च श्रेणी लिपिकों को 35 रु० प्रतिमास की दर से विशेष वेतन।

6. केन्द्रीय आयुक्त तथा वित्तीय सलाहकार के पद का उत्क्रमण (आग्रेडेशन)।

7. सहायक एकाउन्ट्स अफसर के नये काडर का सृजन।

फकीरचन्द कमेटी की कतिपय अनुशंसाओं पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। इनकी स्वीकृति के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग के साथ परामर्श किया जा रहा है और यह विचाराधीन है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना का आर्थिक रूप से उन्नतिशील देशों के बीच में प्रचलन नहीं है, लेकिन मुख्यतः एशिया और अफ्रीका के कतिपय देशों में यह लागू है। यह कहते हुए गर्व होता है कि इन देशों की तुलना में इस योजना के सम्बन्ध में भारत में यह योजना काफी लोकप्रिय और उदार तथा प्रगतिशील है, जिसकी कि लोगों ने प्रशंसा भी की है। भारत में यह योजना काफी लोकप्रिय है। ऐसी योजना अन्य देशों में भी है, शायद इसी आधार पर वे अपने देश में भी करने जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में संशोधन लाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। क्योंकि बहुत-से माननीय सदस्यों, श्री दूबे, श्री मोहम्मद इस्माइल और श्री एच० के० एल० भगत तथा श्री राजन, ने जो फण्ड्स सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत है, इसके अन्दर जो गलत प्रयोग होता है, की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जो बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में बड़े-बड़े एम्प्लायर्स हैं, जिनके पास बकाया राशि है, उसका शीघ्र भुगतान किस प्रकार से हो सके, इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं और चिन्तित हैं।

श्रीमन्, मैं आपको मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में पहले ही बता चुका हूं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम दि पेमेंट आफ ग्रेच्यूटी एक्ट है, जो वर्ष 1972 में लागू हुआ है। इसमें जो राशि है, यह राशि अब बढ़ाकर 1600 रु० प्रति मास वालों को दी जाती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ केवल नियोजक द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा भी

बहुत से सुझाव समय-समय पर माननीय सदस्य देते रहते हैं, जिन पर हम कार्यवाही करते हैं। हमारे पास सीमित साधन हैं, जो नियम हैं, उनके अन्तर्गत जो शक्ति प्रदत्त है, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम उन पर कार्यवाही करते हैं। ई० एस० आई० कारपोरेशन एक्ट के अन्दर सैक्शन 85, 45 (ए), 45 (बी) का प्रयोग करते हैं। ई० पी० एफ० फण्ड के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उसके द्वारा वसूली की कार्यवाही करते हैं। इसके साथ ही साथ कई केसेज पुलिस में एफ० आई० आर० भी दर्ज किए हैं। आई० पी० सी० के अन्तर्गत 406/409 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में लाकर उस पर कार्यवाही करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस बात को लेकर मंत्री जी कहते हैं कि यह कार्यवाही संतोषजनक नहीं है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी रुपया वसूल कर सकें। समय-समय पर प्रश्नों के माध्यम से भी माननीय सदस्य सुझाव देते रहे हैं। इस समय मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर भी सुझाव दे रहे हैं। हालांकि उसका विवरण श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अन्दर दे दिया गया है। मैं उन तमाम सुझाव का आदर करते हुए, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम और हमारे मंत्री जी हर संभव प्रयास करते हैं कि इस देश के अन्दर औद्योगिक शान्ति बनी रहे। किसी भी प्रकार से न तो मजदूरों का शोषण हो और न हम चाहते हैं कि नियोजन कर सकें तथा न हम चाहते हैं कि राजनीतिक दल ही इसका उठा लाभ सकें। हमें मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण के बारे में एक मत मे, एक राय से देश का उत्पादन बढ़ाने में एक दूसरे के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करना चाहिए।

मैं आप सब का आभारी हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम जो कुछ भी सुविधायें मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के कल्याण के बारे में और सामाजिक सुरक्षा के बारे में दे रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है और आगे भी जो आप सुझाव देंगे, उनका हम स्वागत करेंगे और आप को विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार भी हो सके उस पर कार्यवाही करके श्रमिकों का अधिक से अधिक कल्याण हो, देश का उत्पादन बढ़े, देश आर्थिक रूप से सक्षम हो सके—यही हमारी और आप सब की कामना है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि माननीय श्रम मंत्री महोदय श्री भागवत झा आजाद एक बहुत ही सत्यनिष्ठ व्यक्ति है और वे काम करने वाले वर्ग की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन, महोदय, दुर्भाग्यवश इस देश के श्रमिक तथा काम करने वाले वर्ग की वास्तविक स्थिति बहुत ही दयनीय है।

सभापति महोदय : आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें यह प्रशंसा वापस लेनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : आज औद्योगिक तथा कृषि श्रमिक भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हम देखते हैं कि उन्हें हमेशा किसी न किसी तरह परेशान किया जाता है अथवा उनको किसी प्रकार की यंत्रणा शारीरिक अथवा मानसिक अथवा दोनों का ही शिकार होना पड़ता है। समस्त देश में इस प्रकार की बातें हो रही हैं। महोदय, आवश्यक सेवा बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इस सदन द्वारा बनाए गए थे। उस समय तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री महोदय ने सरकार की ओर से सदन को यह आश्वासन दिया था कि इन अधिनियमों

का श्रमिक वर्ग के खिलाफ प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन हम लगातार तथा बार-बार यह देख रहे हैं कि यदि कहीं पर कामगार वर्ग द्वारा कोई आन्दोलन किया जाता है अथवा यदि वे कोई आवाज उठा रहे हैं तो इन अधिनियमों को इन लोगों के खिलाफ प्रयोग में लाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। उनकी मांगें यथार्थ हैं। लेकिन सरकार ने उनकी हड़ताल को दबाने के लिए इन अधिनियमों का खुले रूप से प्रयोग किया। अनेक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, अनेक को निलम्बित कर दिया गया था और अनेक कर्मचारियों को कई तरह से परेशान किया गया था। यहां मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्हें इन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहना चाहिए कि वे कर्मचारियों की वास्तविक मांगों को दबाने के लिए इस विशेष युक्ति को न अपनाएं।

इसी प्रकार, हमें भारतीय रेल के मामले को लेना चाहिए। नियम 14 (2) के नाम से एक नियम है। मैं नहीं जानता कि यह नियम क्या है, यह एक तानाशाही किस्म का नियम क्या है। यह नियम केवल कर्मचारियों को दबाने, उन्हें परेशान करने, उन्हें यातना देने के लिए बनाया गया है और इस नियम के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों की सेबाओं को कोई कारण बताए बिना समाप्त किया जा सकता है। यह एक बहुत ही कठोर किस्म का कानून है जो रेलवे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाया गया है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : जब मैं रेल मंत्री था। मुझे भी इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ती थी। (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस नियम 14 (2) को समाप्त कराने का प्रयत्न करें क्योंकि यह केवल कर्मचारियों को परेशान करने के लिए बनाया गया है और इस विशेष किस्म के नियम के अन्तर्गत कर्मचारियों के साथ कभी भी न्याय नहीं किया जाता हैं।

अब हमें इस देश में बेरोजगारी के मामले को लेना चाहिए जो प्रतिदिन बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण नौजवानों के बीच नैराश्य की भावना है और इसका परिणाम यह है कि समाज में हिंसा बढ़ गई है। अधिकांश नौजवान नौकरियां न मिलने के कारण असंतुष्ट तथा निराश हो जाने से कुछ दूसरे हथकन्डे अपनाने का प्रयास करते हैं और इसलिए हम देख रहे हैं कि समाज में हिंसा बढ़ती जा रही है। जब तक बेरोजगारी की स्थिति को सुलझाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं तब तक हमारे लिए हमारे समाज में इस बढ़ती हुई हिंसा को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। महोदय, आजकल जो पढ़े-लिखे लोग बाहर जा रहे हैं वह भी इस बेरोजगारी का परिणाम है। हम इस सदन में बार-बार यह मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि सरकार को इस प्रकार विद्वान लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि लगभग 125 वैज्ञानिक अमरीका की राष्ट्रीयता स्वीकार करने जा रहे हैं। और वे इस देश को छोड़ रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करना नहीं चाहता और मैं यह नहीं कहता कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यह कहना चाहूंगा,

आखिर यह बेरोजगारी का परिणाम है। आपको बेरीजगारी के तात्पर्य को अवश्य समझना चाहिए। इसीलिए मैं यह विशेष उदाहरण दे रहा हूं।

अब हम एक इन्जीनियरी के विद्यार्थी के मामले को लेते हैं। सरकार एक इन्जीनियरी के विद्यार्थी को प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 50,000 खर्च करती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यदि इन्जीनियर इस देश के अन्दर अपने आपको बेरोजगार पाते हैं तब वे निराश हो जाते हैं और अन्ततोगत्वा वे इस देश को छोड़ने का प्रयास करेंगे।

इस प्रक्रिया में हम अपने देश के अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खो रहे हैं। गम्भीर बेरोजगारी के कारण हमारे कई युवकों का शोषण किया जाता है। मैं भारतीय रेल में नैमित्तिक मजदूरों का उदाहरण देना चाहता हूं। कुछेक नैमित्तिक मजदूर 15-20 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है। उन्हें अस्थायी रहने दिया जाता है और किसी भी समय उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एक मामला था। एक व्यक्ति, श्री डी सूजा भारतीय रेल में 20-25 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहा था लेकिन उसकी सेवाओं को बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकतीं तथा ऐसे कर्मचारियों के मामले में ऐसा नही किया जाना चाहिए, और उस कर्मचारी को सेवा पर वापस लिया जाए। संभवतया, उसे वापस ले लिया गया है, मुझे सही स्थिति की जानकारी नहीं है।

देश भर में अनेक लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं और हम इस प्रश्न को बार-बार उठाते आ रहे हैं। माननीय रेल मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि जो व्यक्ति कई वर्षों से अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे हैं उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाएगा। मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि भारतीय रेल में कर्मचारियों को इस तरह पीड़ित न किया जाए।

अब मैं कृषि मजदूरों के मामले को लेता हूं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं और अधिक नहीं बोलना चाहूंगा, मेरे माननीय मित्र, श्री रामविलास पासवान अपने भाषण में इस पर और प्रकाश डालेंगे। बिहार में जब मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग की तो छः मजदूर गोली से मारे गए। यदि वे अपनी मांग करते हैं तो उनकी ऐसी दशा की जाती है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : आप कितना देते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : हम तो ऐसी लेबर रखते ही नहीं और बोंडेड लेबर की हालत आप जानते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं ?

पुलिस बड़े भूमिपतियों की मिलीभगत से ऐसे अपराध कर रही है तथा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में पूर्णतः असमर्थ है। यह मात्र बिहार में ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी हो रहा है।

जहां तक औद्योगिक श्रम का प्रश्न है, उनकी स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन उन्हें भी उत्पी-

ड़ित किया जाता है । मैं बंगलौर के एक सरकारी उपक्रम के कर्मचारियों का उदाहरण दे सकता हूं जो अपनी मांगें उचित ढंग से पूरी न किए जाने पर आन्दोलन कर रहे थे तथा उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया गया था ।

अब मैं भविष्य निधि विभाग के कर्मचारियों के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । माननीय उप मंत्री ने भी उनके बारे में अभी मुझसे बात की है । एक केन्द्रीय न्यासी बोर्ड है । ऐसे सुझाब थे कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 5 में संशोधन किया जाए ताकि इस निकाय को अधिक स्वायत्त बनाया जा सके, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं । माननीय उप मंत्री ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है । मैं समझता हूं माननीय मंत्री जब चर्चा का उत्तर देंगें तो इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे । वास्तव में, उन्होंने कई चीजों की मांग की थी तथा उनकी कुछेक मांगें पूरी भी कर दी गई थीं । जैसा कि मैंने कहा, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड नामक एक निकाय है और एक फकीरचन्द समिति है । इन दोनों निकायों ने मतैक्य से कर्मचारियों के वेतन, बोनस, चिकित्सा एवं वाहन भत्ते आदि में वृद्धि करने की सिफारिश की थी । इस बोर्ड में एक संयुक्त सचिव, वित्त भी है । उसने केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और फकीरचन्द समिति की विभिन्न बैठकों में सभी मांगों को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में आता है तो वह एक भिन्न रुख अपनाता है तथा बोर्ड और समिति के सभी सुझाव और संकल्प पूर्णत: व्यर्थ हो जाते हैं । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मामले के इस पहलू पर गौर करें ।

अब नैशनल हेराल्ड के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा । उन्हें हर तरह से परेशान किया जाता है । मैंने पिछली संसद में भी इस प्रश्न को उठाया था । अगस्त से उन्हें किसी भी महीने अपना वेतन उचित ढंग से नहीं दिया गया है । आप इसकी जांच कर सकते हैं और इसे सही पाएंगे । बोनस का भुगतान भी उचित ढंग से नहीं किया जाता । कर्मचारियों को पिछले वर्ष के देय बोनस में से 50 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं किया गया था ।

(हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

नेशनल हेराल्ड पालेकर पंचाट को भी कार्यान्वित नहीं कर रहा है । वहां कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि अधिनियम और विनियमों व विधियों को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । कर्मचारियों के वेतन से काटे गए अंशदान को उचित ढंग से जमा नहीं कराया जा रहा है तथा ग्रेच्युटी का भुगतान भी ठीक नहीं किया जाता । अनेक कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं लेकिन अब भी उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है । यदि माननीय मंत्री इन सभी बातों की जांच करें तो उन्हें अनेक बातों का पता चलेगा । इसीलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह नेशनल हेराल्ड, जो कि निस्संदेह सत्ताधारी दल का पत्र है, के कर्मचारियों की इन सभी समस्याओं की जांच करें । इसीलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह सभी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करें तथा देशभर में कर्मचारी वर्ग की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करें ।

एक माननीय सदस्य : इंडियन एक्सप्रैस की क्या स्थिति है ?

श्री हरिकेश बहादुर : इंडियन एक्सप्रैस की स्थिति ठीक है । उसके बारे में आपको बोलना चाहिए ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी हमारे दोस्त हरिकेश बहादुर जी ने जो बात कहीं मैं पहले उनका समर्थन करता हूं।

मंत्री जी अभी बतला रहे थे और उन्होंने दो-तीन प्वाइंट्स के सम्बन्ध में सदन का ध्यान खींचा। एक उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के ई० एस० आई० के सम्बन्ध में बताया। जहां तक मुझको जानकारी है और जो आपकी रिपोर्ट के द्वारा मैंने हासिल की है कि आपके 421 सेन्टर्स में हास्पिटल्स हैं और उनमें आप 63.62 लाख कर्मचारियों की सेवा करते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स के यहां से 8.41 करोड़ रुपये और प्राइवेट अण्डरटेकिंग्स के यहां से 328.3 करोड़ रुपये आप कर्मचारियों से ले लेते हैं लेकिन जब मैनेजमेंट या एम्प्लायर द्वारा उस पैसे को जमा करने की बात आती है तो फिर वह पैसा जमा क्यों नहीं होता है ? 8.41 करोड़ रुपया और 328.3 करोड़ रुपया दोनों मिल कर कितना पैसा हो जाता है और इससे एम्प्लाइज को कितनी मेडिकल फेसिलिटीज मिल सकती हैं लेकिन उन फेसिलिटीज से एम्प्लाइज वंचित रह रहे हैं। मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या यह एक्ट का वायोलेशन है या नहीं ? अगर है तो सरकार इसके बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

दूसरे आपने एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड के सम्बन्ध में कहा। वह भी आपकी रिपोर्ट से जाहिर है कि 281.9 करोड़ रुपया एम्प्लायर्स की तरफ बकाया है। एक तरफ तो आप मजदूरों से और एम्प्लाइज से ले लेते हैं और जब उसे एम्प्लाइज को देने की बात है तो वह सारा का सारा मामला एम्प्लायर की पाकिट में होता है, उससे वह निकल नहीं पाता है।

कोर्ट के सम्बन्ध में, न्यायालय के सम्बन्ध में भी बताया गया। पांच-छः दिन पहले मैंने देखा कि दिल्ली में ही एक पार्टी के खाते में 4,460 केस लेबर कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। इनमें कुछ केसिज ऐसे हैं जो 9 साल से पेंडिंग हैं। रेड्डी साहब, आप जानते हैं कि अगर किसी लेबर कोर्ट में किसी का मामला पेंडिंग होता है तो वह नौकरी नहीं कर सकता है। अगर वह करेगा तो उसका केस खत्म हो जाएगा। इस तरह से एक मजदूर को इतने दिनों तक बेरोजगार और भूखा रखना कहां का न्याय है ? जैसी कि कहावत है कि जस्टिश डिलेड इज जस्टिश डिनाइड। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूगा कि जो जनरल कोर्ट्स हैं उनमें ऐसे केसिज का फैसला होने में काफी समय लगता है। जिस तरह से हमारी हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है क्या सरकार इसी लेवल की इंडस्ट्रियल कोर्ट्स या ट्रिब्युनल्स का निर्माण नहीं कर सकती जिससे कि पेंडिंग केसिज का जल्दी से जल्दी निबटारा हो सके। इसलिए मेरा आप से आग्रह है कि आप इस पर कदम उठाएं क्योंकि जैसा मैंने कहा जस्टिश डिलेड इज जस्टिश डिनाइड। फैसला जल्दी हो जाए अब चाहे वह उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो।

अभी मेरे साथी बेरोजगारी के सम्बन्ध में बोल रहे थे। यह आपकी 1981-82 की रिपोर्ट है। इस हिन्दी रिपोर्ट का पेज 55 आप देखें। इसमें जनवरी 81 से लेकर अक्टूबर 81 तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों के नाम दर्ज कराए हैं 49 लाख 76 हजार करीब लोगों ने और रोजगार मिला 4 लाख 11 हजार लोगों को। अगर यही रफ्तार रही, यही हालत रही तो देश की क्या स्थिति होगी ? आपने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-

होते 4 करोड़ लोग बेकार हो जाएंगे। क्या स्थिति होगी ? बेरोजगारों की फौज क्या करेगी, यह विचारणीय प्रश्न है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : युवा कांग्रेस में जायेगी।

श्री रामविलास पासवान : तब तक वह समाप्त हो जाएगी, बूढ़ी कांग्रेस बन जाएगी।

इसी प्रकार मैट्रिक से लेकर एम० ए० तक 90 लाख लोग हैं और बिना पढ़े-लिखे नौजवान 1 करोड़ 74 लाख 24 हजार बेरोजगार हैं। जनवरी से अक्तूबर तक आंकड़े दिए हैं। और यह जो सर्वेक्षण की कार्यवाही एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों के जरिए होती है और उसमें कितनी धांधली होती है यह किसी से छिपी नहीं है। वहां पर सीधा रुपए का खेल होता है। जिसका सोर्स नहीं होता, उसका पहले तो नाम ही दर्ज नहीं होता और दर्ज हो भी जाएगा तो जिंदगी-भर काल नहीं दिया जाता।

श्री मूलचन्द डागा : रुपए का खेल कहां नहीं है ?

श्री रामविलास पासवान : लेकिन आज लेबर मिनिस्ट्री पर चर्चा हो रही है, इसलिए उसी के बारे में कहना है।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति-जनजाति की चर्चा भी की गई है। आपने अनुसूचित जाति के 16.61 लाख लोगों के नाम दर्ज किए हैं और 1980 में 18.15 लाख हैं, अनुसूचित/जनजाति के 4 लाख हैं और 1980 में 4.76 लाख लोग हैं, लेकिन जब नियुक्ति का मामला आएगा तो उस समय कह दिया जाएगा कि उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका क्या होगा ?

कोई भी सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन हमने एक व्यवस्था की थी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने तो अव्यवस्था की थी।

श्री रामविलास पासवान : हम लोगों ने सरकार जिनको नौकरी नहीं दे सकती तो उनको काटेज इण्डस्ट्रीज में, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में लगाने की कोशिश की। लेकिन आपने जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार 50 लाख लोगों ने नाम दर्ज कराए और 4 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। इस प्रकार 46 लाख लोग बेरोजगार हुए। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्योंकि भले ही श्रम विभाग को कम महत्व दिया जाता हो, लेकिन यही एक विभाग है जो इस समस्या की रीढ़ है। इसलिए जब तक इस समस्या पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे और देश की जनता को बतलाएंगे नहीं कि बेरोजगारों के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, तब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी। एम्प्लायमेंट में इससे चौगुने नाम दर्ज होकर आ जायेंगे और जब इतने लोगों को काम नहीं मिलेगा तो यह बेरोजगारों की फौज किसी भी सरकार को चलने नहीं देगी। आज कानून-व्यवस्था की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, उसकी तह में भी एक सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी की समस्या ही है।

बांडेड लेबर के सम्बन्ध में यहां काफी चर्चा हुई। एक तरफ तो कहा जाता है कि बांडेड लेबर है ही नहीं और दूसरी तरफ रोज बांडेड लेबर निकल रहे हैं। अभी मैं मध्यप्रदेश गया था,

2 दिन पहले हरियाणा में गया था, वहां देख लीजिए जितना एग्रीकल्चरल लेबर है वह सब बिहार और यू० पी० से जा रहा है। उसको वहां बांडेड लेबर के रूप में बनाया जा रहा है। ऐसे हजारों करोड़ों लोगों का बांडेड लेबर का काम चल रहा है, क्या आपने कभी यह देखने की कोशिश की है कि जो मजदूर वहां काम करते हैं, क्या उनको कभी ओवरटाइम मिलता है, क्या उनसे काम करवाया जाता है, कितने किस्म का काम करवाया जाता है, कितने घंटे करवाया जाता है? क्या उस मजदूर की स्थिति बांडेड लेबर के समान नहीं है? उसके लिए कहीं कोई रहने-सोने के स्थान की व्यवस्था नहीं है। उसका इतना एक्सप्लायटेशन हो रहा है कि हद से ज्यादा, उसकी कोई सीमा नहीं है।

एक तो बांडेड लेबर का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, मंत्री महोदय ने कहा है कि वे चिंतित हैं। दूसरी जो अन-बांडेड लेबर पैदा हो रही है, जिससे लेबर का काम लिया जाता है, उसके सम्बन्ध में भी सरकार को सोचना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक और तरफ भी खींचना चाहूंगा। सागर में मध्यप्रदेश में मंत्री महोदय के बगल में संथाल परगना है जहां कि बीड़ी-मजदूरों की समस्या बहुत भयंकर है. वह अपने आप में एक काटेज इण्डस्ट्री है, छोटा उद्योग है। हजारों-लाखों लोग इस बीड़ी उद्योग मे लगे हुए हैं, लेकिन उनका किस तरह से शोषण हो रहा है इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात यह होती है कि उसको मजदूरी नहीं दी जाती है। दी भी जाएगी तो 3, 4 रुपए दी जाएगी। अभी मजदूरी बहुत जगहों में रुपये के बदले में सड़ा हुआ अनाज देकर दी जाती है, नतीजा क्या होता है कि टी० बी० के पेशेन्ट वह लोग हो जाते हैं।

मुझे कल ही पता लगा कि मजदूरों को जो पत्ता दिया जाता है, उसमें 1,000 बीड़ी बनाने में 12 घंटे लगते हैं। उसको खराब पत्ता दिया जाता है, लेकिन उससे बीड़ी बनेगी तो 1000 तक ही बनेगी। उसको पत्ता कम दिया जाता है और जर्दा भी कम दिया जाता है लेकिन उससे बीड़ी पूरी ली जाएगी। जब वह बनाकर लायेगा तो उसमें बीड़ी को छांटा जाएगा। उसकी छांट कौन करेगा, वह मालिकों का सरवरदार रहता है और उसको पहले से ही कह दिया जाता है कि 200 बीड़ी की छंटैय्या कर देनी है। इस तरह से 1000 में से 800 बीड़ी रह जाती है, 200 बीड़ी छांट दी जाती हैं। वह 200 भी उसको वापिस नहीं की जाती हैं मालिक अपने पास रख लेते हैं और उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारी 200 बीड़ी खराब हैं इसलिए इसका पैसा नहीं मिलेगा। काटने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि बीड़ी उद्योग में जहां लाखों गरीब लगे हुए हैं, इसका राष्ट्रीयकरण करने में सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार को निश्चित रूप से इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

बाम्बे टेक्सटाइल के सम्बन्ध में श्रीमती प्रमिला दंडवते जी बोलेंगी। वहां 4 करोड़ प्रति-दिन का घाटा जा रहा है, टेक्सटाइल बन्द है। उसके सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई नीति साफ नहीं बताई है। उसका पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ।

इण्डस्ट्रियल रिलेशन : उद्योग में इण्डस्ट्रियल रिलेशन विट्विन एम्पलायर एण्ड एम्पलाई, मैनेजमेंट और मजदूर के बीच में सम्बन्ध सुधरे हैं, ऐसा कहा गया है। आपके मजदूरों और मिल

के बीच में सम्बन्ध जब सुधरे हैं तो एसेन्शियल सर्विसेज एक्ट क्यों लाया गया ? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको क्यों परेशान किया जाता है ?

आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1980-81 में 2.20 करोड़ मैनडेज लास हुआ है। आपके यहां नेशनल पालिसी, वेज पालिसी नहीं है, आपने 1982-83 को उत्पादन का वर्ष डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन यह कैसे होगा ?

मेरी समझ में तो 1982-83 के बाद जो लेबर अनरेस्ट ईयर शुरू होने जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा मजदूर तबाह होगा, ज्यादा भयानक रूप से उग्र होगा और आपका उत्पादकता वर्ष का जो निर्णय है, वह समाप्त हो जायेगा ।

वेजेज बोर्ड में कौन लोग हैं ?

श्री धर्मवीर : आपने यही तय कर रखा है तो यही होगा ।

सभापति महोदय : रामविलास जी, अब आप समाप्त करें।

श्री रामविलास पासवान : मैं तो सोच रहा था कि आप घंटी बजायेंगे ।

सभापति महोदय : साधारणत: मैं नाम लेता हूं, जब समय बहुत हो जाता है ।

श्री रामविलास पासवान : मैं अभी समाप्त करता हूं ।

अभी हमारे साथी ने पालेकर एवार्ड के सम्बन्ध में कहा ।

पालेकर एवार्ड अभी तक पूर्ण रूपेण कहीं भी लागू नहीं हुआ है, व्यावहारिक रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है । नेशनल हैरल्ड और कई एजेन्सीज में वेतन चार-पांच महीने से बकाया है, बोनस तीन वर्ष से बकाया है । पालेकर ने अनुशंसा की थी कि जिला और डिविजन के स्तर के पत्रकारों को वेतन का एक-तिहाई मिलना चाहिए था । सरकार ने उसके सम्बन्ध में कोई नीति नहीं बनाई है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक बोलने की आजादी है, यूनियन बनाने की आजादी है : क्या उस आजादी को एसेंशल सर्विसिज (मेनटेंनेंस) एक्ट और नेशनल सिक्युरिटी एक्ट के तहत छीन नहीं लिया गया है ? मेरे पास पेपर की कटिंग है । सरकार द्वारा 16 एसेंशल सर्विसिज के नाम गिनाए गए हैं, लेकिन आखिर में यह जोड़ दिया गया है कि इसके अलावा जो भी लोक महत्व की सर्विसिज हों । इसका मतलब यह है कि सब सर्विसिज इसके अन्तर्गत आ जाती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों कानून सरकार पर, देश पर और संविधान पर सबसे बड़े कलंक हैं । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह इन कानूनों को वापस लेकर मजदूरों का जो अनरेस्ट ईयर आने वाला है, उसको वह रेस्ट दें ।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का विरोध करता हूं ।

श्री कुंवर राम(नवादा): सभापति महोदय, श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुए अभी कई माननीय सदस्यों ने मंत्रालय की त्रुटियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय और मंत्रालय को उससे अपने आपको चैतन्य करना चाहिए । इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सभी ने यह मान लिया

है कि यह उत्पादकता का वर्ष है और इसका सम्बन्ध सीधे श्रम से होता है। जब से प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने उत्पादकता वर्ष का आह्वान किया, तभी से सब के दिमाग में यह बात है कि यह वर्ष श्रमिकों से ही सम्बद्ध है और अगर इस देश को इसका फलाफल मिलना है, तो वह श्रमिकों के माध्यम से ही मिल सकता है, चाहे वे इण्डस्ट्री में काम करते हों और चाहे खेतों में।

मंत्रालय की रिपोर्ट में जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं, वे हैं औद्योगिक सम्बन्ध, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी का है, श्रम शिक्षा का है, श्रमिक कल्याण का है, बाल श्रम का है, श्रम-जीवी पत्रकार का है। कल-कारखाने का है, खेतों में काम करने वालों का है। लेकिन जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे कुछ क्षोभ भी होता है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये इन्होंने एक अच्छा खाका खींचा है। 33 वर्ष हुए आजाद हुए और जो संगठित मजदूर हैं उनके लिए एक अच्छा खाका तैयार किया है, उनके लिए व्यवस्था भी करते चले जा रहे हैं और उनकी बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। और इनके अनुदान मांगने का जो एक सिलसिला है और उस पर जो आपकी विवेचना है उसके आधार पर यह पता चलता है। लेकिन बहुत खेद लगता है कि श्रम मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कृषक मजदूरों के सम्बन्ध में, जो अभी तक प्रगति का सवाल उठाया है, प्रगति का जो दर्शन दिया है, उसको देखने से यह पता चलता है कि अभी भी लगता है कि पता नहीं 50 वर्ष और लगेंगे इस हुकूमत को खेतिहर मजदूरों की दशा को सुधारने में। अभी तक यह रास्ता तय नहीं कर सके हैं। केवल इतना ही फैसला कर सके हैं कि हर ब्लाक में आप एक आनरेरी आर्गेनाइजर देने जा रहे हैं। आनरेरी आर्गेनाइजर की बात इतने साल बाद आई है और अब देने जा रहे हैं···

सभापति महोदय : माननीय कुंवर राम जी समय बहुत कम है और मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, समय को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय : मैं नहीं जानता। मंत्री महोदय जानते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री महोदय को कोई एतराज नहीं है। इसलिए आधा घंटे का समय आप बढ़ा सकते हैं। सब पार्टियों के एक-एक सदस्य तो बोलेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मंत्री जी में बड़ी क्षमता है और आपकी भूमि के हैं।

सभापति महोदय : आप संक्षेप में कहिए।

श्री कुंवर राम : अगर मंत्रालय को, इतने बड़े सैटअप के दिमाग में यह बात नहीं आत हो कि खेतिहर मजदूरों के भविष्य को कैसे ठीक कर सकें, तो मैं एक सुझाव देता हूं, अपने एक्सपर्ट्स को आप बैठायें जो उस पर विचार करें। आज तक इनके बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स रास्ता नहीं निकाल सके, और 33 वर्ष में पहाड़ को खोदा चुहिया निकली वाली मसल चरितार्थ होती है। हर ब्लाक में एक आनरेरी आर्गेनाइजर को नियुक्त करने जा रहे हैं जो असंगठित मजदूरों को संगठित करेंगे। इस संदर्भ में मैं यह सुझाव दे रहा हूं, मजदूरों के हित के लिए थोड़ी-सी भूमिका में आप जायेंगे···

सभापति महोदय : मैंने शुरू में आप से कहा था, 10 मिनट आपके हो गए, उसके बाद और भी बोलने वाले हैं और मंत्री जी जवाब देने वाले हैं। कृपया आप संक्षेप में बोलें।

श्री कुंवर राम : आजादी मिली तो पंडित नेहरू ने नारा दिया औद्योगिक क्रान्ति का। जब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आये तो उन्होंने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया और जब श्रीमती इन्दिरा गांधी आयीं तो उन्होंने नारा दिया "गरीबी हटाओ और समाजवाद लाओ"। इस नारे ने कुछ लोगों को तकलीफ भी दी, तो 1977 में एक परिवर्तन आया, कुछ संघर्ष लोगों ने किया···कुछ बड़े-बड़े लोगों को राहत थी। हरितक्रांति का सवाल उठा, समाजवाद और गरीबी हटाओ की बात चली तो उससे प्रतिक्रियावादियों को बहुत तकलीफ होने लगी। उस परिवेश में जो लोगों को तकलीफ हुई, तो 1977 में लोगों ने संघर्ष छेड़ दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटा दिया। सभापति जी, आप घण्टी बजाते जा रहे हैं, आप थोड़ा रहम कीजिए।

सभापति महोदय : रहम की कोई कमी नहीं है। यहां पर जो बैठता है, वही असली कठिनाई को जानता है।

श्री कुंवर राम : अब मैं मजदूरों का सवाल रख रहा हूं। जितनी क्रांति इस मुल्क में आई, उससे उन गरीबों को कभी भी कोई लाभ नहीं मिला। हम 33 वर्ष की आजादी में उनको अभी तक संगठित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं। आप हर प्रखण्ड में दो पदाधिकारी रखिए—एक राजस्व के लिए और दूसरा विकास के लिए। विकास से और राजस्व से जो गांव में प्रभावित लोग हैं, उनको फायदा होता है, जो बीच के लोग होते हैं, उनको न तो राजस्व से फायदा होता है और न ही विकास से। उसकी झोपड़ी में आज भी एक ईंट नहीं लगी हुई है। जिसके पास साधन हैं, पैसा है, वही उसका उपयोग करता है। कितनी बड़ी क्रांति की बात की जाती है, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो गांव में रहने वाले थे, उनको विफल बनाने का प्रयास किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों के बीच में एक श्रम पदाधिकारी को देने की जरूरत है। वहीं सैटअप जो राजस्व में कर रखा है और आज वही विकास के लिए कर रखा है, अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे तो मुझे यह कहने की जरूरत नहीं थी कि आपके एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कभी भी इस चीज को नहीं दर्शाया है। जैसा मैंने कहा है, उसको करने से प्रशासन में पूरी शक्ति आयेगी और फिर प्रशासन चुस्त होगा। सभापति जी, आप बार-बार घण्टी बजाते जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। जब से माननीय मंत्री जी ने इस विभाग का कार्यभार संभाला है, तब से इसमें काफी सुधार लग रहा है। पहले ऐसा लगता था कि कोई इसका डिपार्टमेंट ही नहीं है। अब लगने लगा है कि कुछ-न-कुछ इसमें होने वाला है और मजदूरों के लिए सुधार होने वाला है।

इन्होंने अपने छोटे-से शासनकाल में जिस प्रकार का काम किया है, जिस प्रकार का सुधार लाने की कोशिश की है, जिस प्रकार के कानून और कायदे लेबर की समस्याओं को दूर करने के लिए इस पार्लियामेंट के सैशन में लाने जा रहे हैं, वे निश्चित तौर पर स्वागत योग्य हैं। सभापति

जी, कांग्रेस की सरकार जब से इस देश में आई है, उसने मजदूरों के हितों में बहुत-से कानून बनाए हैं। ये जितने इधर के बोलने वाले लोग हैं, ये शासक लोग हैं, शासन करने वाले हैं, इन्होंने कभी भी मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आप देखिये—लेबर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि वेस्ट बंगाल ने सब से ज्यादा 'मैन-डेज' लास्ट किये हैं। अगर किसी ने सबसे ज्यादा देश का नुकसान किया है तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया है। उस सरकार ने ता० 19 की हड़ताल में शरीक होकर इस प्रकार का नमूना पेश कर दिया जो दुनिया में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि उस जगह की सरकार ने हड़ताल कराई हो, लेकिन दुनिया में पहली मर्तबा वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया। इस लिये मैं कहना चाहता हूं—इस देश में भी इस प्रकार के लोग रहते हैं जो इस देश को बिगाड़ने के सिवाय, देश को कमजोर बनाने के सिवाय कोई दूसरा काम इस देश में नहीं कर सकते। इस प्रकार के लोगों से देश को सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना ये लोग देश की दशा को बिगाड़ने में कोई कोर-कसर नहीं रखेंगे।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा—आप ता० 19 की हड़ताल को देखिये—इन्टक के सिवाय और कौन-सी यूनियन थी जो हड़ताल में शामिल नहीं हुई ! ए० आई० टी० यू० सी०, सी०टू० या दूसरे जो भी संगठन हैं सबने इस बात की कोशिश की कि देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा जाय, देश की शासन व्यवस्था को बिगाड़ा जाय जिससे यहां कोई सरकार कायम न रह सके। इन लोगों की करनी से इस बात का अन्दाज लगता है कि ये लोग जिस देशभक्ति की बात करते हैं उसमें शको-शुब्हा पैदा होता है, क्या ये लोग वास्तव में इस देश की भक्ति में विश्वास करते हैं ? जब देश कमजोर होता है, देश का विघटन होता है, टुकड़े-टुकड़े होता है तो निश्चित तरीके से दुश्मन को अवसर मिलता है—देश की आजादी को बरबाद करने का, देश की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार की स्थिति ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिये मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि इन लोगों से सावधान और सतर्क रहिये। इन को ज्यादा प्रोत्साहन न दें। ये लोग डण्डे के बल पर कहते हैं कि वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिये, चुनाव होना चाहिये। चुनाव की बात ये क्यों कहते हैं ? इस लिये कि लाठी के जरिये, बन्दूक के जरिये, चाकू और छुरी के जरिये मजदूरों को डरा-धमकाकर उनके वोट प्राप्त करके उन पर काबू करना चाहते हैं···

(व्यवधान)···

कितने वर्षों से मजदूर उन संस्थाओं में विश्वास रखते चले आ रहे हैं, कितने वर्षों से चन्दा देते आ रहे हैं, कितने वर्षों से उस संस्था को पनपाने में अपना योगदान दिया है, उन संस्थाओं के सदस्यों से डण्डे के बल पर वोट प्राप्त करके रिकगनीशन ले जांय, यह प्रजातान्त्रिक तरीका नहीं है। गांधी जी का मुल्क अहिंसा की बात में विश्वास करता है और ये लोग उस व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंसक प्रवृत्ति को पैदा करना चाहते हैं। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि वेरीफिकेशन की जो हमारी सरकार की नीति है वह निश्चित तरीके से सही है, उसका हमें पुरजोर तरीके से समर्थन करना चाहिये। यदि हम उस चीज को कायम रखेंगे तो सारी चीजें, सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकेगी। ये मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट लोग जिस तरह की धारणा के जरिये इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश के उत्पादन को कम करना चाहते हैं, इस देश की आर्थिक

स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं, हमको और ज्यादा गरीब बनाना चाहते हैं, उसका मौका इनको नहीं मिलना चाहिये ।

हमारे श्रम मंत्री महोदय इस वर्ष सदन में 10-12 नये कानून ला रहे हैं—वे कानून हैं—

"दि इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इण्डस्ट्रीयल एम्पलायमेन्ट एक्ट, हास्पिटल एण्ड एजूकेशनल इंस्टीचूशंज एण्ड पेमेन्ट आफ ग्रेचुइटी एक्ट, इम्मिग्रेशन बिल, आयरन-ओर एण्ड लेबर वेलफेअर फण्ड बिल, मैंगनीज-ओर एण्ड लेबर वेलफेअर बिल, पेमेन्ट आफ वेजेज बिल, मिनिमम वेजेज अमेण्डमेन्ट बिल, लाइम-स्टोन, डोलोमाइट बिल, आदि ।"

इस प्रकार के कई कानून वे ला रहे हैं । इसमें मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक मेरा सुझाव ग्रेचुइटी के सम्बन्ध में है ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय इसका जवाब देने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह होगा कि आप सुझाव ही दें । और भी जो अन्य माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, वह भी सुझाव ही दें, तो अच्छा होगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय, मजदूरों से सम्बन्धित यहां पर बात नहीं करेंगे, तो फिर कहां जाऐंगे ? इसलिए आप हमें बोलने दीजिए ।

ग्रेचुइटी के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर खास-तौर से ध्यान दें । ग्रचुयेटी पहले 15 दिन की एक साल में मिलती थी । जो मजदूर 5 साल तक काम कर लेता था, उसको साल में 15 दिन की ग्रेचुइटी मिल जाती थी लेकिन अब कानून में परिवर्तन हो गया है । सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जो मजदूर साल में 240 दिन काम नहीं करेगा, उसको उस साल की ग्रेचुइटी नहीं दी जायेगी । इसके अलावा एक साल में 13 दिन की ग्रेचुइटी कर दी है। पहले 15 दिन की ग्रेचुइटी हर साल मिलती थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का फैसला हुआ है, जिसमें इसको घटाकर 13 दिन की ग्रेचुइटी कर दी । इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मजदूर को साल में 15 दिन की ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसको देखते हुए आप इस सम्बन्ध में कोई ऐसा माकूल कानून लाएं, जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो ।

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि डोलामाइट और लाइमस्टोन के मजदूरों के लिए एक वेलफेयर ऐक्ट यहां पर लागू है । इसी प्रकार की चीज सोप-स्टोन के बारे में होनी चाहिए । सोप-स्टोन भी वैसे ही पत्थरों में से निकलता है । उसमें भी उसी प्रकार के लेबर के कानून और कायदे लागू हैं और सेस भी आपने लगाया है लेकिन वेलफेयर एक्टिविटीज का फायदा उनको कुछ नहीं मिलता । इन्हीं पत्थरों में से वह निकलता है । इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि लाइमस्टोन और डोलामाइट के साथ सोप-स्टोन को भी आप जोड़ दें, जिससे उनके लिए भी वेलफेयर एक्टिविटीज हों और इसमें लगी लेबर को भी मजबूती मिल जाएं । अगर आपने यह कर दिया तो इससे बहुत बड़ा फायदा इन लोगों को मिलेगा । इस सम्बन्ध में भी आपको कुछ कदम उठाने चाहिए ।

एक बात की ओर और आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है पेमेन्ट आफ मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में। जो कांट्रेक्ट लेबर है, वह पेमेन्ट आफ मिनिमम वेजेज एक्ट के अतर्न्गत दावा नहीं कर सकता और इस तरह से उसको कुछ रिलीफ नहीं मिलता। जो रेगूलर मजदूर हैं, उनको पेमेन्ट आफ मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत फायदा मिलता है, पैनेल्टी भी मिलती है और सब तरह के फायदे मिलते हैं लेकिन कांट्रेक्ट लेबर के बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में आपको कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए, जिससे कांट्रेक्ट लेबर को इन सब बातों का फायदा मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और स्टेट लेविल पर जो आप के रीजनल लेबर कमिश्नरों के दफतर बने हुए हैं, वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है। वे मजदूरों के हिमायती न होकर जो पैसे वाले खानों के मालिक हैं, उनके पक्ष की ही बात करते हैं। वहां पर जो आपके अधिकारी हैं, वे मजदूरों के हितों की बात नहीं करते हैं। उनके सम्बन्ध में निश्चित तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे मजदूरों को लाभ पहुंचे। मैं माइका की बात करता हूं। वहां पर वे लोग पूंजीपतियों की मदद करते हैं। जब हम कहते हैं कि मजदूरों को पर्मानेन्ट बनाओ ताकि उनको फायदा पहुंचे, तो ये जो आदमी आपने वहां बैठा दिए हैं, ये पूंजीपतियों की मदद करते हैं। होता क्या है कि एक साल एक नाम, दूसरे साल दूसरा नाम और तीसरे साल तीसरा नाम रख दिया जाता है और इस तरह से वे कभी भी पर्मनेन्ट नहीं हो सकते। इस प्रकार के अधिकारी वहां पर बैठा दिए हैं, जो सारे-के-सारे गलत काम करते हैं। आपने वहां पर एक असिसटेंट लेबर कमिश्नर बैठा दिया है। एक एल० ई० ओ०, जिसको शायद लेबर इवैलुयेशन आफिसर बोलते हैं, बैठा दिया है। हमारे यहां भीलवाड़े का एक आर्बीट्रेशन का केस उसके सुपुर्द कर दिया। हमको वहां पर 7 रुपये सोप-स्टोन में मिलता था। उसने आर्बीट्रेशन में उसको 6 रुपये 65 पैसे कर दिया। जब 7 रुपये हमें मिल रहा था, तो हमारी लड़ाई ज्यादा के लिए चल रही थी लेकिन इसके बावजूद 6.65 रुपये आपने आफर किया, आपके डिपार्टमेंट ने आफर किया। यह एल० ई० ओ० जो है, उसके बजाय असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आपने बनाया और हमारी छाती पर उसको रखा ताकि हमारे मजदूरों का वह बराबर शोषण करता रहे। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है और मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : यह मामला बहुत गम्भीर है और इस मामले में मैं इनको सपोर्ट करता हूं।

दूसरा मेरा निवेदन एम्पलाइज स्टेट इश्योरेंस के सम्बन्ध में है। इसमें आपने बहुत प्रगति की है, बहुत काम किया है। मगर हमको इससे सन्तोष नहीं है, क्योंकि हमारे मजदूरों को अच्छी-अच्छी दवाइयां नहीं मिलती हैं। डाक्टर लोग उनको घटिया किस्म की दवाइयां देते हैं और उससे उनकी बीमारी दूर नहीं होती है। उनको उनके मुआवजे का भी पूरा पैसा नहीं मिलता है। भीलवाड़ा एक औद्योगिक केन्द्र है। वहां पर भी एक अस्पताल स्थापित होना चाहिए ताकि वहां के मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

हमारे यहां मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के ओनर सेठ सम्पतमल लोढ़ा हैं। उनकी तरफ ई० एस० आई० का साढ़े तीन लाख रुपया बकाया है। उस पैसे की वसूली के लिए कलेक्टर के पास

से डिग्री भेजी जाती है लेकिन आपके सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पूंजीपतियों से मिलीभगत होने के कारण पैसे की वसूली नहीं की जा रही है। इस तरह से वहां पर हालत खराब हो रही है। मैं आप से माँग करता हूं कि आप इस पैसे को वसूल करके मजदूरों को फायदा दीजिए।

प्रोविडेंट फंड के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा महकमा है। माननीय वित्त मंत्री महोदय एल० आई० सी० को पांच टुकड़ों में बांट रहे हैं लेकिन जो प्रोविडेंट फंड का इतना बड़ा महकमा है जिसमें कि सात हजार करोड़ रुपये जमा हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : सात नहीं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जितना भी जमा हो, उस पैसे की मजदूरों को दस-दस साल तक रसीद नहीं मिलती है। जब उसको इतने सालों तक रसीद नहीं मिलेगी तो वह कैसे शादी के लिए, बीमारी के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा ले सकेगा ? हमारे यहां जितनी भी मिलें या माइंस चलती हैं सभी में यह हालत है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के मालिकों की तरफ बीस लाख रुपया प्रोविडेट फंड का बकाया है। आपका डिपार्टमेंट उसे वसूल नहीं कर रहा है। वे बराबर हेराफेरी करते हैं। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर सेठ सम्पतमल लोढ़ा से पैसा आजतक वसूल नहीं हुआ है। मैं बराबर दो साल से इस पार्लियामेंट में कहता आ रहा हूं मगर इसके सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे लोगों के खिलाफ 406 और 409 में सीधा केस बनता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कुछ किया जाना चाहिए।

केजुअल लेबर के सम्बन्ध में मैं माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 180 दिन जिन मजदूरों ने काम कर लिया है उन मजदूरों को पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिएं।

हमारे यहां राजस्थान सरकार के नीचे पब्लिक सेक्टर में मजदूर काम करते हैं और वहां प्राइवेट सेक्टर में भी मजदूर काम करते हैं। आप सभी को देख लीजिए। राजस्थान सरकार का चाहे पी० डब्ल्यू० डी० डिपार्टमेंट हो, चाहे इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, इन सबमें करीब एक लाख मजदूर हैं। जब 1972 में कांग्रेस सरकार थी तो यह निर्णय किया गया था कि जिस मजदूर को दो साल से ज्यादा काम करते हो गए हैं उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। मगर जब 1980 में प्रेजीडेंट रूल आया तो उस डिसीजन को ताक पर रख दिया गया और इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इन डिपार्टमेंट्स में दस-दस साल से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। न उनको स्थायी किया गया है और न उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं दी गयी हैं। इसलिए आपका निश्चित फर्ज बनता है कि आप राजस्थान सरकार से कहें कि पी० डब्ल्यू० डी०, वाटर वर्क्स, बिजली विभाग और दूसरे विभागों में जिनमें कि केजुअल वर्कर्स हैं और जो दो साल से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए और उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : इस पर विचार-विमर्श और आगे बढ़े, इसके पूर्व मैं बहुत नम्रतापूर्वक

निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष की दृष्टि इस पर रहती है कि कितना समय है और कितने बोलने वाले हैं। अध्यक्ष अगर बार-बार समाप्त करने के लिए कहे और उसके निवेदन को अनसुना करते हुए बोलते चले जाएं तो कैसे काम चलेगा ? इस प्रकार से कार्यवाही चलाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि जो कोई भी इस आसन पर हो, जब तक आप माननीय सदस्यगण उसे सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, वह तब तक गाड़ी नहीं चला सकता। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : हरिकेश जी खड़े हुए हैं, इनका विशेष ध्यान रखना आप।

सभापति महोदय : आप भी ध्यान रखें। हां, श्री जटिया जी, आप 5 मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है। श्रम विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है और बहुत-से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे के लिए समय बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : समय बढ़ाएंगे तब भी किसी तरह से उसका प्रयास होना चाहिए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति जी, हम श्रम मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालयों का आधार है। मुझे यह कहते हुए बड़ा अचरज होता है कि सरकार के अन्दर श्रम मंत्रालय को उचित दर्जा नहीं दिया जाता। इसलिए मैं मांग करूंगा कि श्रम मंत्रालय की महत्ता को उचित रूप से आंका जाए।

आज देश भर में उत्पादन वर्ष की बात हो रही है। "श्रम एव जयते" "श्रमम् बिना न सिद्ध्यते" यह बातें कहेंगे, लेकिन श्रम का सम्मान ठीक से न हो सके, श्रम मंत्रालय को ठीक से दर्जा न मिल सके तो यह औचित्यपूर्ण बात नहीं होगी।

सभापति जी, श्रम विभाग का हमारे देश में निश्चित रूप से बहुत महत्व रहा है, श्रम की आधारभूत मान्यता मानने वाला हमारा देश रहा है। हमारे देश में विश्वकर्मा की पूजा होती है। इसलिए श्रम की महत्ता को जानना, श्रमिकों को न्यायोचित अधिकार देना हम सबका कर्तव्य है।

श्रम विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। आज सारे हिन्दुस्तान में संगठित और असंगठित मजदूर हैं। सरकारी महकमों में, संस्थानों में हजारों लोग काम करते हैं जो संगठित क्षेत्र में हैं और खेतिहर मजदूर, ईंट के भट्टों पर काम करने वाले मजदूर, बाल श्रमिक हैं ठेकेदारों के यहां काम करने वाले मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में हैं, उनको उचित हक नहीं दिया जाता। इसलिए मैं श्रम मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार की नीति समय-समय पर बदलती रहती है। सरकार की मान्यता के आधार पर यूनियनें चलती हैं। सरकार और श्रम विभाग द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उनके आधार पर समय-समय पर यूनियनों को वाजिब मान्यता मिले, ऐसी बात होनी चाहिए। जो यूनियनें सरकार का समर्थन करती हैं, जैसे इंटक, उनकी बात ज्यादा सुनी जाए, ऐसी बात सरकार के अन्दर नहीं होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में औद्योगिक अशांति पैदा होती है और ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जिनमें श्रम विभाग की मशीनरी ठीक से काम नहीं कर पाती। श्रम मंत्रालय के काम में अड़चनें

भी बहुत आती हैं। बहुत-से मंत्रालय इसके काम में हस्तक्षेप करते हैं और ठीक से काम नहीं करने देते।

बम्बई की कपड़ा मिलों की हड़ताल के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, परन्तु वस्तुस्थिति सरकार जानती है। सरकार को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि इस क्षेत्र में शायद इंटक को मैदानी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। जिन लोगों को मान्यता प्राप्त नहीं भी है उन सब लोगों को बुला करके उनके साथ बात करके उस उद्योग को चालू किया जा सके, इसकी कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए। उत्पादन वर्ष में उत्पादन जारी रह सके, यह आपको सोचना चाहिए और इसके आपको उपाय करने चाहिए।

उज्जैन में विनोद मिल बन्द पड़ी है। मिल मालिकों ने करोड़ों रुपये का गबन किया है, प्राविडेंट फंड मजदूरों का हज्म कर लिया है, करोड़ों रुपया उनको बिजली का देना बाकी है, पानी का पैसा उन्होंने नहीं दिया है। मजदूर आवाज उठाते हैं। उन पर दमन चक्र चलाया जाता है। इसके बारे में श्रम मंत्री जी से बार-बार निवेदन किया जा चुका है। मुझे लगता है कि श्रम मंत्रालय के पास कोई शक्ति नहीं है और उसका कोई जोर नहीं है, उसकी चलती नहीं है, उसमें कुछ ताकत नहीं है और उसकी बात कोई मानता नहीं है। मेरा सुझाव है कि श्रम मंत्री को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस विभाग को प्रधान मंत्री के अन्तर्गत कर दिया जाए। इससे इसका महत्व बढ़ जाएगा। इस मंत्रालय को महत्वपूर्ण मंत्रालय बनाया जाना चाहिए।

बोनस का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोनस देकर आप किसी पर कृपा नहीं करते हैं, यह आपकी अनुकम्पा का प्रतीक नहीं है। मजदूर का यह हक है। यह डैफर्ड वेज है। यह हक उसको मिलना चाहिए। सभी वर्कर्ज को बोनस मिलना चाहिए। जितने भी श्रम करने वाले हैं, मेहनतकश हैं उसको बोनस मिलना चाहिए। ईच वेज अर्नर शुड गेट बोनस।

रेल मंत्रालय, डाक तार आदि मंत्रालयों को आप लें। इन सब विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। कहीं-कहीं दो-दो यूनियनें हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। उनकी बात को सुना जाता है और जहां मानना हो, माना भी जाता है। लेकिन इनके अलावा रजिस्टर्ड यूनियनें भी हैं जिनकी बात को सुना ही नहीं जाता है। इतना ही नहीं कि सुना नहीं जाता बल्कि इस प्रकार के सर्क्युलर भी इशू किए जाते हैं कि उनकी बात को सुना न जाए। ऐसी अवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में कैसे शान्ति बनी रह सकती है, यह प्रश्न वाचक चिह्न बना हुआ है।

बिना किसी भेदभाव के, मतभेदों के रहते हुए श्रम मंत्रालय को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिये और श्रम मंत्री की शक्ति इसको करने के लिए पहुंचाई जानी चाहिए, उनमें क्षमता पैदा की जानी चाहिए कि वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।

माइका उद्योग को आप लें। उसमें दो लाख मजदूर काम करते हैं। चालीस करोड़ से ज्यादा की इस उद्योग से फारेन एक्सचेंज की कमाई होती है। इसमें काम करने वाले मजदूरों को पांच-छः रुपये से अधिक मजदूरी नहीं मिलती है। इस पर आप ध्यान दें। औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करते है, उनकी वर्किंग कंडीशंज के ऊपर आप ध्यान दें। प्रदूषित वायुमंडल में जो उनको

काम करना पड़ता है, उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। बिजली घरों की चिमनियों से राख निकलती है और उस राख के अन्दर मजदूरों का जीवन खाक हो जाता है। इस ओर आप ध्यान दें। मंदसौर में स्लेट-पेंसिल बनाने का काम चलता है। सिलीकोस नाम की बीमारी मजदूरों को इससे हो जाती है जो टी० बी० से भी अधिक भयंकर बीमारी है। उनके जीवन के लिए इससे खतरा पैदा होता है। मजदूरों के वैलफेयर पर आपको ध्यान देना चाहिए, उनके हितों की आपको ठीक प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। यह आपसे अपेक्षा की जाती है।

इस विभाग को मजबूत बनाया जाना चाहिए। जो यह मशीनरी है इसको समर्थ बनाया जाना चाहिए। निष्पक्ष रूप से यह काम कर सके, श्रमिकों और मेहनकशों के हित में काम कर सके, इस काबिल इसको बनाया जाना चाहिए, इस योग्य इसको बनाया जाना चाहिए। यही मेरा आप से निवेदन है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, बहुत कम समय में मैं अपने विचार आपकी सेवा में रखूंगी।

कांग्रेस आई के सत्ता में आए हुए 27 महीने हो गए। 27 महीने के जनता पार्टी के राज से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान रिपोर्ट न० 1 के पीछे जो एक ग्राफ दिया गया है उसकी ओर दिलाना चाहती हूं। यह वर्कर्ज एजुकेशन के बारे में है। यह ग्राफ बताता है कि किस प्रकार से काम जनता पार्टी के राज में हुआ था और किस प्रकार से कांग्रेस आई के राज में हुआ है। यह एजुकेशन 1977 में 150,000 वर्कर्ज को मिल रही थी। 1979 तक उनकी संख्या बढ़कर 290,000 हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि 140,000 और वर्कर्ज को एजूकेट करने की, उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई। अब आपके राज में क्या हुआ ? कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई। लाइन ऐसे ही सीधी चली जा रही है। जितना हो रहा था उतना ही आज आपके राज में हो रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की एजूकेशन के बारे में भी वही बात है। जनता पार्टी के राज्य में 1977 में, जो 38,000 टीचर्स की ट्रेनिंग का काम चल रहा था, वह 57,000 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 19,000 ज्यादा लोगों को, वर्कर्स को ट्रेनिंग का लाभ मिला और आपके राज्य में 57,000 से 61,000 हो गया, उसका मतलब कि 4,000। अब आप ही तय कीजिये।

जैसे आपके राज्य में कहा जाता है कि फारेन एक्सचेंज खत्म हो गई, लेकिन जनता पार्टी के राज्य में फारेन एक्सचेंज 2300 करोड़ रुपये से 5300 करोड़ रुपये हो गई, लेकिन आपकी दृष्टि में 5300 करोड़ कम है।

अभी हमारे पहले वक्ता भी कह चुके हैं कि हमारे आज के लेबर मंत्री जो आजाद साहब हैं, उनके बारे में यह आशा है कि वह बहुत काम कर सकेंगे, अगर उनको एक साल तक काम करने देंगे तो। क्योंकि पिछले 27 महीने में 5 मिनिस्टर बदल गये। मैं समझती हूं कि यह मिनिस्टर तो बदली के अन्दर हो गये हैं और इनको विदाउट नोटिस निकाल दिया जाता है। ये कुछ काम नहीं कर सकते हैं, जो आश्वासन यहां पर देते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले साल तिवारी जी ने जो कुछ यहां कहा था, उसकी जिम्मेदारी आज के मिनिस्टर पर कैसे रहेगी ? मेरे ख्याल में कम-से-कम एक साल आप बने रहे, और एक साल के बाद जब हम मिलेंगे तो आप अपनी मिनिस्ट्री के बारे में आपने क्या किया है, वह बता सकेंगे।

सभापति महोदय : आश्वासन तो सरकार की ओर से देते हैं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : सच्चे मायनों में श्रम मंत्रालय एक असंगत मंत्रालय बन गया है। दुर्भाग्य से, श्री भागवत झा आजाद एक असंगत विभाग का कार्यभार संभाले हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : यह इर्रेलेवेन्ट कैसे हो गया ?

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्योंकि इस प्रकार की हालत है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, यह हो गया। इसका कारण है कि यह दृष्टि है वर्कर की ओर देखने की।

एमर्जेन्सी के समय जो अधिकार थे, बोनस इम्पाउन्डर कर दिया, सी० डी० एस० लगा दिया, वर्कर्स के सारे स्ट्राइक के अधिकार निकाल दिये, उनके कलैक्टिव बार्गेनिंग के अधिकार निकाल दिये गये, जनता पार्टी के आने के बाद इमीडिएटली उनको बोनस वापिस दे दिया गया, सी० डी० एस० दे दिया और कलैक्टिव बार्गेनिंग को ओवलीगेटरी समझा गया। जब कलैक्टिव बार्गेनिंग करके एग्रीमेंट होता है, तो वर्कर्स को-आपरेशन से आप काम करना चाहते हैं ? वर्कर्स के लिये एसमा और एन० एस० ए० आपने रखा है। यह आपको तय करना है।

श्रम मंत्रालय में आप 95 परसैंट आफ लेबर फोर्स पर विचार करते हैं। 83 परसैंट आफ दी लेबर फोर्स अन-आर्गेनाइज्ड है, उसके लिए भी आपको बहुत कुछ कदम उठाने हैं।

मैं जानती हूं कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर करना है तो आपकी पहली ड्यूटी यह होनी चाहिये कि आप जो प्रोडक्टिविटी ईयर है, उसके लिए आप किसको इन्सैंटिव देना चाहते हैं, इन्डस्ट्रियलिस्ट को या वर्कर्स को देना चाहते हैं ?

मैं आपको यह इसलिए बताती हूं, मि० दंडवते इस समय यहां नहीं हैं, जब जनता पार्टी का राज्य आया था, तो 1974 में जो रेलवे मजदूरों को निकाला गया था, उन सबको वापिस ले लिया गया। उस समय बजट के समय 89 करोड़ का सरप्लस बताया गया था, लेकिन इन वर्कर्स के सहयोग से वह 126 करोड़ का सरप्लस हो गया। क्योंकि उस समय इस प्रकार की भावना बनी थी। वह जनता पार्टी के राज्य में बनाने की कोशिश हो रही थी।

30 साल में हमारे आजाद देश में अन-आर्गेनाइज्ड रूरल सेक्टर के लिए कुछ नहीं हुआ है। जनता पार्टी के राज्य में पहली मीटिंग हो गई ट्राइपार्टेट, उसकी वजह से रूरल डैवलपमेंट में लेबर के बारे में कुछ कदम उठाये गये। स्पेशल कान्फ्रेंस हो गई, एक पर्मानेन्ट बाडी बन गई जिसकी वजह से रूरल वर्कर्स के लिए एक ठोस कदम उठाने की कोशिश हो गई। आप आगे चल-कर कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि लेबर मिनिस्ट्री ने कौन-से डिस्प्यूट में अपने कुछ काम किये हैं ?

27 महीने में जब कभी सवाल उठा तो स्टीफन साहब ने अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल हल करने की कोशिश की, लेबर मिनिस्टर नहीं थे, क्योंकि वह जगह पर बैठते नहीं हैं। उनको यहां से वहां, वहां से यहां भगा देते हैं। बेचारे लेबर मिनिस्टर क्या करें ?

एक माननीय सदस्य : वह बेचारे हो गये ?

श्रीमती प्रमिला दंडवते : लेकिन जनता पार्टी के राज्य में लेबर मिनिस्टर ने खुद डिस्प्यूट्स

में काम किया और मैं आपको बताती हूं कि स्टील, कोल वगैरह में मजदूरों को 105 से 110 रुपये प्रति महीना ज्यादा तनख्वाह देने की व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र में पी० डी० एफ० के शासन काल में बम्बई के टेक्सटाइल मजदूरों की तनख्वाह स्ट्राइक किए बगैर 65 रुपये तक बढ़ गई थी। आज बम्बई में स्ट्राइक चल रही है। अगर सरकार इंडस्ट्रियल रिलेशन्ज में सुधार करना चाहती है, तो उसे यूनियन की रेकगनीशन की माडेलेटीज को बदलना पड़ेगा और सीक्रेट बैलट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि सरकार आर० एम० एम० एस० पर निर्भर करेगी, तो वह श्रमिकों के असन्तोष को कम नहीं कर सकती। सरकार कहती है कि पहले स्ट्राइक को वापस लो; तब हम बातचीत करेंगे। इससे यह समस्या हल नहीं हो सकती।

एक जमाना था कि महाराष्ट्र और बम्बई में टैक्सटाइल मजदूर होना एक प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। आज हालत यह है कि टैक्सटाइल मजदूरों के मुकाबले में अन्य मजदूरों की तनख्वाहें और सुविधाएं बढ़ गई हैं। टैक्सटाइल मजदूरों की रेकगनाइज्ड यूनियन आर० एम० एम० एस० है, जो कि इन्टक की यूनियन है। कहा जाता है कि मिल-मालिक सिर्फ रेकगनाइज्ड यूनियन के साथ बात करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि मोदीनगर में स्ट्राइक हुई। वहां हिन्द मजदूर सभा के 14,000 सदस्य थे और इन्टक के 55 सदस्य थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री कहते थे कि इन्टक के साथ बात करनी चाहिए। वह स्ट्राइक 104 दिन तक चली। आखिर में प्रधान मंत्री ने संदेश भेजा और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इन्टरवीन करना पड़ा।

आज बम्बई में सब टैक्सटाइल मजदूर स्ट्राइक पर हैं। उन्हें काम पर जाने से रोकना नहीं पड़ता है। मेरे एक सवाल के जवाब में बताया गया कि 28 मिलें चालू हो गई हैं, 70,000 मजदूर वापस काम पर आ गए हैं, स्ट्राइक फिजल आउट होने वाली है। लेकिन जब महाराष्ट्र के लेजिस्लेटर्ज वहां पर गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत थोड़े-थोड़े लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर नहीं हैं। आज भी वहां पर चार करोड़ रुपये रोजाना का घाटा हो रहा है। इस स्ट्राइक में कोई भी मजदूर मिल के दरवाजे पर नहीं जाता है, क्योंकि वे सब अपने गांवों में चले गए हैं। वहां पर शान्ति है, ला एण्ड आर्डर सिचुएशन नहीं बिगड़ी है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि टैक्सटाइल मजदूरों की स्ट्राइक को उन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, उन लोगों के हितों की रक्षा करना उनका काम है, उन्हें इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिए। मंत्री महोदय आज ही ऐलान करें कि सब यूनियनों के साथ बातचीत की जाएगी और आरबिट्रेशन के लिए कार्यवाही की जाएगी। मैं किसी यूनियन में काम नहीं करती हूं, लेकिन बम्बई के मजदूरों ने आर० एम० एम० एस० के अध्यक्ष, श्री होसिंग, को परास्त करके मुझे चुन कर यहां भेजा।

जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, इस रिपोर्ट में उनके बारे में एक पन्ना भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक पैराग्राफ है। 96 परसेंट स्त्रियां अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में हैं। सरकार को उनके बारे में कुछ करना चाहिए। आने वाले साल में स्त्रियों के बारे में केवल एक पैराग्राफ लिखने के बजाए पूरी किताब लिखी जाए कि उनकी क्या अवस्था है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या ईक्वल रीम्युनरेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं, मेटर्निटी बेनिफिट्स और क्रेश की व्यवस्था की गई है या नहीं, ये सब डीटेल्ज दी जाए। आर्गनाइज्ड सेक्टर से महिलाओं को निकाला जा रहा है। मेरा सुझाव है कि एक बिल लाकर प्रत्येक इंडस्ट्री में मिल-ओनर और इम्पलाइज पर नामि-

नल सेस लगा दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट तथा सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसमें कांट्रीब्यूट करें। इस प्रकार मेटर्निटी बेनिफिट्स और क्रेश आदि की व्यवस्था एक सोशल रेसपांसिबिलिटी, समाज की जिम्मेदारी, समझी जाएगी। इससे फेमिली प्लानिंग के कार्यक्रम को भी लाभ हो सकता है।

बांडिड लेबर का जहां तक सम्बन्ध है, मैं गांधी पीस फाउंडेशन का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इस सरकार को उससे एलर्जी है। लेकिन उस संस्था ने बांडिड लेबर के बारे में एक सरवे किया है। सरकार भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने बांडिड लेबर हैं। लेकिन माइग्रेन्ट लेबर और बांडिड लेबर में फर्क बहुत कम है। माइग्रेन्ट लेबर की हालत हरियाणा में मैं खुद देख कर आई हूं। पता नहीं वे माइग्रेन्ट लेबर हैं या बांडिड लेबर हैं। जनता पार्टी के राज्य में 1979 में पहली बार इस बारे में कानून बना। वह अक्तूबर, 1980 में गजेट किया गया। सरकार ने उसके बारे में अभी तक क्या किया है ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अगर आप उस पर कार्यवाही करते तो आज हो हरियाणा में स्किल वर्कर्स, कांट्रेक्ट वर्कर्स और एशियाड में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी हालत सुधारने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं वह मुझे लगता है कि श्रम मंत्रालय के लिए शोभाजनक नहीं हैं। हमारे मंत्री महोदय कुछ ठोस कदम उठायें। महिलाएं मांग कर रही हैं कि नेशनल कमीशन आन वीमेन होनी चाहिए। महिला सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति महिलाओं की जरूरतों को पूरा नहीं करेगी। कमेटी बनाने से उनके सवाल हल नहीं होंगे। मेरा निवेदन है कि हमारी जो मांग है कि देश में रोजगार उपलब्ध किया जाय, हैल्थ, एमप्लायमेंट के बारे में जो मांग हैं इस मांग को आप मान लें।

अन्त में एक बात फिर कहूंगी कि बम्बई के टैक्सटाइल्स वर्कर्स का सवाल हल करने के लिए आप उसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें। आपको जल्दी कुछ स्टैप्स लेने चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो 19 तारीख को स्ट्राइक नहीं होगी। नहीं तो उसी से सारी हवा बिगड़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी आपकी खतरे में पड़ जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके दल को दिया गया समय तीन मिनट है।

श्री आर० पी० यादव (मधेपुरा) : क्या मैं बिना बोले ही बैठ सकता हूं ? मैं कुछ और समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपकी जानकारी के लिए है। आप पांच मिनट ले सकते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है और उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने "श्रम एव जयते" का नारा दिया है। ठीक ही है, जब तक श्रम मजदूर किसी मुल्क का सन्तुष्ट नहीं होगा तब तक उत्पादकता नहीं बढ़ सकती। लेकिन क्या इस मुल्क का मजदूर सन्तुष्ट है ? यह देखना चाहिए। इसका जवाब मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि कतई नहीं। मजदूर को दो भागों में बांट सकते हैं। एक संगठित और दूसरा असंगठित। संगठित मजदूर वह हैं जो कल-कारखानों में काम करते हैं और असंगठित मजदूर वह

जो खेतों में, ईंट के भट्टों में काम करते हैं या वाइल्ड लेबर है। संगठित मजदूर के लिए आपने देखा ज्यादा दिन नहीं हुए सरकार की तरफ से जो काला कानून लाया गया, जो उनके संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाई गई हड़ताल करने पर। दूसरी तरफ असंगठित मजदूर की हालत देखें, खासकर के ग्रामीण मजदूरों की हालत बहुत खराब है। हमारे यहां आज से 25 वर्ष पहले जो दिन भर की मजदूरी में तीन किलो प्रतिदिन अनाज दिया जाता था वह आज भी कायम है। इतनी महंगाई बढ़ गई उसके बाद भी वही रेट है। कानून में संशोधन हुए होंगे मिनिमम वेजेज के बारे में, लेकिन उसका इमप्लीमेंटेशन कोई नहीं देखता है। देश के विभिन्न प्रदेशों में लैंड सीलिंग ऐक्ट लागू है, लेकिन वास्तव में कहां लागू हो रहे हैं इसको श्रम मंत्रालय को देखना चाहिए कि वास्तव में लैंड सीलिंग ऐक्ट लागू हुआ कि नहीं।

हमारे प्रदेश में बटाईदार का कानून है। बटाईदार को तीन चौथाई मिलना चाहिए और मालिक को एक चौथाई मिलना चाहिए। जब कि हकीकत में बटाईदार को आधा भी नहीं मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कहने के लिए पूंजीवादी मुल्क अमरीका है वहां पर बटाईदार को 6 बटे 7 हिस्सा मिलता है और मालिक को 1 बटे 7 मिलता है। तो हम कहने के लिए तो सोशलिस्ट समाज हैं क्या हम उसकी भी बराबरी कर पाए हैं? इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

हड़ताल और तालाबन्दी से देश की काफी क्षति होती है। यदि आप आंकड़े देखें जो कि सरकारी हैं तो 1980 में 18.93 मिलियन मैन डेज का लास हुआ और 1981 में 22.56 मिलियन मैन डैज का लास हुआ। तो यह बढ़ोत्तरी क्यों है? यह आपके ही आंकड़े हैं। एक तरफ "श्रम एव जयते" का नारा देते हैं और दूसरी तरफ इनके हिसाब से मैन डेज लास आप देख सकते हैं। बदकिस्मती से यहां यह सरकार हड़ताल की भाषा समझती है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती कि मजदूरों की वाजिब मांगों पर उनकी हड़ताल हो जाने से पहले ही विचार किया जाए और जो वाजिब हों, उनको मान लिया जाए। मैं समझता हूं इससे देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस सन्दर्भ में एक-दो बातें मैं कहना चाहता हूं। आज जो देश की स्थिति है, मजदूरों की, मैं समझता हूं कि 1975-76 की स्थिति है, यह बात ठीक है। मजदूर चाहकर भी अपनी बात नहीं कह सकते हैं; मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि तूफान आने से पहले ही मंत्री जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस मुल्क का मजदूर जिस तरह से 1976 में जागा था, कहीं ऐसा न हो कि फिर जाग जाए और उस आग में आप भी झुलस जायें। मंत्री जी बहुत सक्षम हैं और बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, वे इस ओर ध्यान देंगे और इसको दूर कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कैज्यूअल लेबर के बारे में कहना चाहता हूं, जिसकी हालत बहुत ही बदत्तर है। रेल मजदूरों के साथ काम करने और उनको देखने का सौभाग्य मिला है। बहुत-से लोग तो 10-10, 12-12 साल तक लगातार काम करते हैं, लेकिन फिर भी कैज्यूअल है। जब कि कैज्यूअल लेबर 180 दिन से ज्यादा काम नहीं करता है। इस सम्बन्ध में एक नहीं अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जहां पर लाखों मजदूर कैज्यूअल लेबर हैं। इस पर मंत्री जी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि वे अपने वायदे पर कायम रह सकें और लोगों को आपकी सरकार में विश्वास हो।

नारा "श्रम एव जयते" का दिया जाता है, लेकिन वास्तव में इसको "श्रम एव क्षयते" होना चाहिए। श्रम की बात नहीं होती है, बल्कि उनको हर जगह तबाह किया जाता है, परेशान किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, नौकरी से निकाला जाता है। अभी भी हजारों लोग निकले हुए हैं, नौकरी से। लेकिन उनके मुंह में आवाज नहीं है, इनके डिफरेंट कानूनों के चलते, इनके सामने वे आ नहीं सकते हैं।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है, जो कि देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसा कि इनकी रिपोर्ट में बताया गया है, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। रोजगार दफ्तर में अन-एम्प्लायमेंट की संख्या अक्टूबर 1980 तक 159.53 लाख थी, 1981 अक्टूबर तक 174.24 लाख हो गई। इस प्रकार सालाना बढ़ोतरी 9.2 प्रतिशत हुई। यदि यही रफ्तार चलती रही और खास कर पढ़े-लिखे बेरोजगार रहें तो एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। जो उनके लिए और देश के लिए भी खतरनाक है। इसलिए आवश्यक है कि मंत्री महोदय इस पर विशेष रूप से ध्यान दें।

सभापति महोदय, आज की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की भी जरूरत है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो शिक्षा अंग्रेजों के जमाने से चल रही है, वह आज भी चल रही है, मैट्रीक्यूलेशन यदि कोई पढ़ लेता है, तो वह अपने हाथ से काम नहीं करना चाहता है। इस सिस्टम की ओर भी ध्यान देना होगा, जिसको कि आज तक नहीं बदला जा सका है। उन लोगों को नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन के काम में योगदान होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं और चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करके वे देखें कि यहां के लोग यहां के नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन के काम में अपना योगदान दे सकें।

एक दो-शब्द मैं इम्प्लाइज प्रोवीडेंट फण्ड के बारे में कहना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां के बारे में एक बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, बिहार में एम्प्लाइज प्रोवीडेन्ट फण्ड का कवरेज जानकर नहीं किया जाता है। खास कर "टिस्को", "टेलको" में कान्ट्रेक्ट लेबर को आज तक कोड नम्बर नहीं दिया गया है। डीसैन्ट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोविडेन्ट फण्ड के दफ्तर खोले जाएं। हम मांग करेंगे कि बिहार के विभिन्न भागों में जैसे जमशेदपुर का मैंने उल्लेख किया, भागलपुर की बात कही, वहां इस तरह के दफ्तर खोले जाएं ताकि वहां के मजदूरों को भी कवर किया जा सके।

अब मैं दो-तीन बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। 35 वर्षों से आज तक न सरकार की कोई नेशनल वेज पालिसी बन पाई है और न नेशनल लेबर पालिसी बन पाई है। इस उत्पादकता वर्ष में हमें इस तरह की कोई नेशनल वेज पालिसी तथा नेशनल लेबर पालिसी बनानी चाहिए।

पालेकर एवार्ड मेण्डेटरी है, लेकिन अभी तक उसको सब जगह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ तुरन्त ध्यान दे।

अन्त में मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं आग्रह करूंगा कि जिन बिन्दुओं की मैंने अपने

भाषण में चर्चा की है वे अपने उत्तर में उनके सम्बन्ध में बतलायेंगे तथा उनकी पूर्ति की ओर ध्यान देंगे।

श्री कमलनाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए, चूंकि आपकी समय की तलवार कच्चे धागे में लटकती रहती है, इसलिए जल्दी में कुछ बातें कहना चाहता हूं। सदन में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, जनतन्त्र है, और हम सरकार के पक्ष के लोग भी विरोधियों पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में हम लोग जो चुनकर आये है उनमें 100 में से 80 देहाती क्षेत्रों से चुनकर आये हैं और हममें से जो लोग डिस-आर्गेनाइज्ड सैक्टर की बात करते हैं, खेतिहर मजदूर, बन्धुआ मजदूर, क्वेरी मजदूर ये सब मजदूर देहाती क्षेत्र के मजदूर होते हैं, सब देहात के लोग होते हैं। अगर क्राप-शेअरर (बटाईदारों) को भी एग्रीकल्चर लेबरर मान लें, जोकि मानना चाहिये, तो हिन्दुस्तान में 30 करोड़ मजदूरों की आबादी गांवों में रहती है और इन 30 करोड़ मजदूरों के प्रतिनिधि इस सदन में 80 प्रतिशत हैं। 85 प्रतिशत संसद सदस्य उन चुनाव क्षेत्रों से हैं जिनमें ये असंगठित मजदूर रहते हैं।

हम सरकारी पक्ष पर आरोप लगा सकते हैं, विरोधी पक्ष पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमको, आपको, इतिहास से डरना चाहिये, इतिहास किसी को माफ नहीं करेगा कि हिन्दुस्तान की संसद में 35 वर्षों तक गांवों के गरीबों के प्रतिनिधियों ने, जो यहां 100 में 80 बैठे हुए थे, शहर में काम करने वालों के लिए दर्जनों कानून बनाये, फैक्टरीज एक्ट, स्टैण्डिग आर्डर्ज एक्ट, प्रोविडेन्ट फण्ड एक्ट, एक्सीडेन्ट्स एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, लेकिन भारत का इतिहास साक्षी है कि गांव में चिलचिलाती धूप में, गरजती हुई वर्षा में, हड्डियों को सुखा देने वाले जाड़े में, काम करने वाले मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। इस सदन में हरिजन और आदिवासियों के लिए इतने आंसू बहाये जाते हैं कि यह सदन डूब जाए, माइनारिटीज और पिछड़ी-जातियों का रात-दिन उल्लेख किया जाता है—ये चार वे वर्ग हैं जिनके लिये 99.9 प्रतिशत सदस्य, सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों, आंसू बहाता है। लेकिन इन 35 वर्षों में छोड़ दो प्रोवीडेंट फंड, छोड़ दो बोनस, छोड़ दो एक्सीडेंट के लिए पी० एफ०, इन बड़ी-बड़ी बातों को छोड़ दो, मजदूरों को चार पैसे की इन्ट्राक्योनोल और सल्फागोलाइडीन टेबलट भी नहीं मिलती। सेक्यूरिटी आफ सर्विस, एक्सीडेंट के लिए पी० एफ० और तरह-तरह की बातों को छोड़ो। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जभी जागो, तभी सवेरा है। अब यह सिर्फ सरकार की रैस्पोंसीबिलिटी नहीं है, विरोधी पार्टियों की ही रेस्पोंसीबिलिटी नहीं है, यह हम सबों की रेस्पोंसीबिलिटी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक टाइम-बाऊंड प्रोग्राम के मुताबिक हम आर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों के लिए सोचें और मिलकर कुछ करें चाहे वे मार्कसिस्ट के चेले हों और चाहे लेनिन के चेले हों। लेनिन और मार्क्स ने केवल सर्वहारा का सपना देखा था। सर्वहारा कौन है? वही सर्वहारा, जिसके लिए जो गांधी जी का चेला था, उसने गांधी जी से पूछा कि किसके लिए यह योजना है। उन्होंने कहा है कि नेहरू जी से कहो कि आपकी योजना लास्ट मैन के लिए हो। इसी से हम आपकी योजना को समझेंगे लेकिन बोलो, 35 वर्षों में लास्ट मैन के लिए आपने क्या किया? अभी श्रीमती दण्डवते जी बोल रही थीं आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए। जरूर, उसके लिए कुछ होना

चाहिए लेकिन आर्गेनाइज्ड सैक्टर में एक चपरासी भी एयरकंडीशन्ड रूम में बैठता है और उसको 700 रुपए मिलते हैं और डिसआर्गेनाइज्ड जो खेतिहर मजदूर है, उसको साल में 150 दिन से कम काम मिलता है और वह भी 100 रुपये से ज्यादा का नहीं। इसके लिए पहले कुछ करना चाहिए। यहां स्टोर्मी पेट्रल से जोर-जोर से बोलने वाले लोग किसके लिए बोलते हैं ? अब लेबर में भीं दो सेक्टर हैं। इसलिए इसके बारे में आप भी सोचिये। मैं आपको ही एक्यूज नहीं करता, मैं अपने को भी एक्यूज करता हूं। मैं आपके माध्यम से भारतवर्ष की तमाम पार्टियों से, भारतवर्ष के तमाम यूनियनिस्टों से और सरकार से कहना चाहता हूं कि मजदूर आन्दोलन को दो भागों में बांटें और एक टाइम बाऊण्ड प्रोग्राम के मुताबिक यह तय करें कि डिसआर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोगों को जब तक हम मिनिमम मजदूरी और मानवोचित सहूलियतें नहीं दे देते, तब तक आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोग कुछ ढारस रखें, भाई-भाई के लिए सोचें और जो आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोग हैं, उनके लिए मेरी मांग है कि जब हम अपने को समाजवादी कहते हैं, हम सोशलिस्ट हैं, सोशलिज्म हमारे कांस्टीट्यूशन में है तो आर्गेनाइज्ड सैक्टर के मजदूरों की तरफ से यह पहल होनी चाहिए कि उद्योगों में हमारी साझीदारी एक टाइम-बाऊण्ड प्रोग्राम के मुताबिक करो और 10 वर्षों में उद्योगों में मजदूर ही मालिक बन जाएं। यह सोशलिज्म का आइडियल है। आप 4 रुपयों के लिए मत लड़ो, 2 रुपयों के लिए मत लड़ो, बोनस के लिये मत लड़ो, आप इस बात के लिए लड़ो कि हिन्दुस्तान में जो मींस आफ प्रोडक्शन हैं, उन पर लेबर का स्वामित्व हो। गवर्नमेंट को यह सजेस्ट करो, प्रबन्ध में केवल साझीदारी ही नहीं, हम यह दान नहीं मांगते हैं, मजदूर भीख नहीं मांगता है, मजदूर अपना हक मांगता है लेकिन आप यह मांग नहीं कर सकते। लेनिन ने अपने मजदूरों को बेल्ट टाइट करने के लिए सिखाया था, आप नहीं सिखा सकते। रूस अपने मजदूरों को नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए बेल्ट टाइट···करने के लिए सिखा सकता था लेकिन आप यह नहीं सिखा सकते क्योंकि आपके ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ओवरटोन पालिटिक्स है।··· (व्यवधान)···मेरी भी हो सकती है।

मैं यह नहीं कहता कि मैं स्वतन्त्र हूं। लेकिन आपके ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ओवरटोन है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लेबर को मूव करो, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व की ओर, और डिसआर्गेनाइज्ड सैक्टर के लेबर को मूव करो, एक मानवीय जीवन की ओर। यह दो प्वाइंट का प्रोग्राम होना चाहिए।

तीसरा प्वाइंट जो मैं मीट करना चाहता हूं वह यह है कि आज अनएम्पलायमेंट की बात होती है और अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम बहुत एक्यूट हो रही है लेकिन जिस ढंग से उस प्राब्लम को हम हल करने की कोशिश करते हैं, वह सोशलिज्म की जड़ों को काट देगा। इस देश को दरिद्र बना देगा, इस देश को भिखमंगा बना देगा। आज सरकारी क्षेत्र में लोग काम खोजते हैं। क्यों ? सरकारी क्षेत्र में बिना काम किये हुए तीस तारीख को पैसा मिल जाता है। उनमें क्या भरती होती है ? चपरासी की, किरानी की, असिस्टेंट की, आफिसर की। पुलिस में और सी० आर० पी० में जो भरती होती है वह आल नान-प्रोड्युसिंग भरती होती है। उत्पादन करने वालों की कोई नौकरी इनमें नहीं है। सुपरवाइजर स्टाफ, क्लेरिकल स्टाफ सोशलिस्ट सोसायटी नहीं ला सकता है। अगर एक आदमी काम करने वाला हो और सात आदमी सुपरवाइजरी करने वाले

हों, एक आदमी काम करने वाला हो, पांच आदमी उसकी रिपोर्ट लिखने वाले हों, तो इससे एम्पलाएमेंट की प्राब्लम जो हल करना चाहते हैं वह नहीं होगी। सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लेरिकल स्टाफ की भरती कर लेना एम्प्लाएमेंट नहीं है। प्रोडक्शन ओरियेन्टेड एम्प्लाएमेंट होना चाहिए नहीं तो इस देश में कोई पार्टी सोशलिज्म नहीं ला सकती, कोई पार्टी गांधीज्म नहीं ला सकती। इस देश में पूंजीवादी तानाशाहीज्म चलेगी। जितने लोग क्लर्क, चपरासी नान प्रोड्युसिंग वर्क पर लगे हुए हैं, इसको बदला जाए।

आज मुझे खुशी है कि लेबर डिपार्टमेंट में जो दो-दो नये मंत्री लगे हुए हैं वे क्रांतिकारी विचारों के हैं। वे केवल कानून में नहीं बल्कि सिद्धांत में विश्वास करते हैं और एक नया रास्ता देने में लगे हुए हैं। जब तक इस देश की लीडरशिप श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी शक्तिशाली और प्रोग्रेसिव नेता के हाथ में है तब तक इस देश में कोई कमजोरी नहीं आयेगी। अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व सफल नहीं होगा तो आपका भी नहीं हो सकता। दिस इज द टाइम जबकि हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए।

एक बात मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रदेश, बिहार से आता हूं वह बहुत ही गरीब सूबा है। उत्तरप्रदेश के पूर्वी हिस्से बिहार, उड़ीसा, असम और मध्यप्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक से अधिक मजदूर गरीबी के चलते पश्चिमी भारत में काम करने के लिए जाते हैं। जैसा कि कुछ मित्रों ने भी कहा, उनकी दशा बन्धुआ मजदूरों से भी बदतर है। इसलिए आपका जो 1979 का कानून है वह ना काफी है। इसमें आप सुधार लाइये और उन राज्यों को बाध्य कीजिए कि वे बाहर से आने वाले मजदूरों का अपने यहां रजिस्ट्रेशन करें और उनकी देखभाल करने के लिए उनके राज्य के प्रतिनिधि को उस राज्य में रहने की इजाजत हो। उस प्रतिनिधि को उन मजदूरों की दशा देखने और उनकी हालत में सुधार लाने का अधिकार दिया जाए ताकि जो उन पर जुल्म होता है वह न हो सके।

आपने चूंकि घंटी बजा दी है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, हालांकि कहने को मुझे और भी कहना है। मैं अनुशासन में रहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं और इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : माननीय सभापति जी, मैं अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहती हूं।

दुनिया के किसी भी देश में जहां क्रांति हुई, जहा सामाजिक परिवर्तन हुआ उसमें उस देश के कामगार मजदूरों और किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। कोई भी प्रश्न हो, चाहे स्वतंत्रता के लिए विदेशी ताकतों से लड़ने का प्रश्न हो, स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रश्न हो, चाहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रश्न हो सब में मजदूरों और किसानों का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र किसानों और मजदूरों की उपेक्षा करके अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता।

आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा मैं मानती हूं। इसीलिए इस महत्वपूर्ण विभाग के तीन हिस्से हो गए हैं। एक है एम्प्लायमेंट। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की जो आज की पालिसी है, कार्यपद्धति है वह ठीक

नहीं है और जो आंकड़े दिए गए हैं, उनके बारे में मैं बाद में बोलूंगी। तीन हिस्सों में पहला एंप्लायमेंट और दूसरा कामगारों की कार्यकुशलता बढ़ाने के बारे में प्लानिंग में कुछ दिया गया है और तीसरा हिस्सा कामगार कल्याण योजनाएं हैं, इसके बारे में भी प्लानिंग में विचार हुआ है।

पहला महत्वपूर्ण भाग एम्प्लायमेंट है, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जो नाम दर्ज करने वाला लाइव रजिस्टर होता है, उसके मुताबिक नाम दर्ज कराने वालों की संख्या 174.24 लाख 1980-81 में है, इस प्रकार 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये बात सच है। लेकिन जिस देश की आबादी 680 मिलियन हो, उसमें एम्प्लायमेंट एकसचेंजों की इतनी कम सुविधा है, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों की संख्या बढ़ानी होगी और इसकी कार्य-प्रणाली जो सदोष है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। देहाती और आदिवासी इलाकों में इस बात का उचित प्रचार-प्रसार होना चाहिए कि कहां नाम दर्ज होते हैं, कहां काम मिलता है।

लेबर स्किल के बारे में यहां पर और भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि खेतीहर मजदूरों का इसमें समावेश क्यों नहीं किया गया। मैं इस बात का समर्थन करती हूं और सारा सदन इस बात का समर्थन करता है। राष्ट्रीय कानून है वह संगठित और असंगठित कामगार मजदूरों के दोनों क्षेत्रों में लागू होना चाहिए। असंगठित क्षेत्रों में भी श्रमिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए।

आज हम उत्पादकता वर्ष मना रहे हैं और आंकड़े बतलाते हैं कि इस बार हमारा कृषि का उत्पादन इतना होगा। क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने समय बाद तक खेती में काम करने वाले मजदूरों की लेबर स्किल के बारे में हम विचार नहीं करेंगे? इस बारे में भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस वर्ष तो नहीं, लेकिन अगले वर्ष की प्लानिंग में इनका समावेश भी करना चाहिए।

मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 में लागू किया गया था। 34 साल हो गए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हुआ है। इसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कामगारों के लिए यह-यह कार्य किया जा रहा है, इंश्योरेंस आदि कल्याण की स्कीम है, लेकिन जिनके बारे में इसमें विचार नहीं किया गया है, उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हैण्डलूम उद्योग में बहुत मजदूर काम करते हैं, इनके लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए। इनको भी सहूलियतें देनी चाहिए। आज की स्थिति यह है कि उनको कानूनी राहत देने की बात तो अलग है, लेकिन इस उद्योग में उपयोग में आने वाला धागा भी वहां नहीं मिलता है। इसी वजह से कई हथकरघे बंद पड़े हैं। इस वजह से कई कोओपरेटिव सोसाइटीज तक काम नहीं कर रही है, हैंडलूम का काम करने वाले जो बुनकर हैं, वे बेकार हैं। उनके बारे में सोचा जाना चाहिए।

बीड़ी मजदूर समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके वास्ते आपने वैलफेयर के प्रावधान भी कर रखे हैं और भी उनके बारे में आप सोच रहे हैं। कई जगहों पर उनकी हालत आज भी ठीक नहीं है। उनके वास्ते राष्ट्रीय स्तर पर कोई कामगार कानून नहीं बनाया गया है। महाराष्ट्र में

दूसरे प्रांतों से बीड़ी मजदूरों के लिए काफी सुरक्षा के नियम लागू किये हैं। इस वास्ते महाराष्ट्र के कई कारखानेदार आंध्र में या कर्नाटक में जाकर बस गए हैं और उन्होंने वहां इन कारखानों को स्थापित कर लिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि महाराष्ट्र के कामगार बेकार हो गए हैं। बीड़ी मजदूरों की बेकारी कई प्रान्तों में और कई जिलों में बढ़ती चली जा रही है। हजारों की संख्या में बीड़ी मजदूर इस कारण से बेकार हो गए हैं। जिन हालात में बीड़ी कारखानों में मजदूर जाकर काम करते हैं, उनको आप देखें। वह एक छोटी-सी जगह होती है जहां बैठकर उनको काम करना पड़ता है। क्षय रोग से सबसे ज्यादा ग्रस्त बीड़ी मजदूर होते हैं। शासन को इनके बारे में सोचना चाहिए, उनको राहत पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए और कामगार उनको समझा जाना चाहिये।

हमारी बहन ने महिलाओं के बारे में जो बात कही है वह सच है। महिलाओं के लिए अलग से एक सैल बनना चाहिये ऐसी मैं मांग करती हूं। आर्थिक निर्भरता जब तक महिलाओं को नहीं मिलती है, आर्थिक तौर पर जब तक वे अपनी पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता है। कारखानों में या दूसरी जगहों पर जब वे काम करने के लिए जाती हैं तब उनके चरित्र, उनके शील, उनके व्यक्तित्व की रक्षा करने की आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आधी से अधिक उनकी देश में आबादी है। आप उत्पादन वर्ष मनाने जा रहे, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। उसमें आधी ताकत को खोना ठीक नहीं होगा। महिलाओं के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा है। बहुत दुर्लक्षित उनको आपने किया है ऐसा करके। यह बड़े खेद की बात है। सबसे कनिष्ठ काम महिलाओं को करना पड़ता है फिर चाहे खेती का हो या भंगी समाज में काम करने वाली महिलाएं हों या सर्विस करने वाली हों या हस्पताल में काम करने वाली नर्स हों। सेवा के काम में उनको लगाया जाता है। निकृष्ट काम उनसे लिया जाता है। उनपर दोहरा भार होता है। घरबार को भी उनको सम्भालना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मजदूरों से अभिप्राय, पुरुष और महिला, दोनों है।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, यही तो मैं भी कहना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पुरुष-मजदूर अथवा महिला-मजदूर नहीं कहते। कहावत है कि "विश्व के मजदूरो, एक हो जाओ !"

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : समान वेतन उनको मिलना चाहिए। समान वेतन से आपको इस काम को शुरू करना चाहिए। खेतों में काम करती हों, कारखानों में फिर चाहे वे बड़े हों या छोटे उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। उनको तनख्वाह कम दी जाती है और काम उनसे ज्यादा लिया जाता है। जहां पर समान वेतन देने का कानून बना हुआ है, वहां पर उस पर सख्ती से अमल भी होना चाहिए।

बाल कामगारों की समस्याओं को हल करने की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मैंने एक बार सवाल उठाया था कि पन्द्रह साल से कम जो बाल कामगार काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट आपने बनाया है। उसका इम्प्लेमेंटेशन होता है या नहीं इसको भी आपको देखना चाहिये। अगर आप टोटल एबालिशन आफ चाइल्ड लेबर इस

देश में करना चाहते हैं तो यह ना-मुम्किन है। ऐसा करना उनको भुखों मारना होगा। इस पर अमल भी नहीं हो सकता है। खदानों से लेकर होटल बाय तक जो लड़के काम करते हैं, कानूनी तौर पर तनख्वाहों की आपको उनके लिए व्यवस्था करनी होगी। ऐसा आपको चाइल्ड लेबर एक्ट को पावरफुल बनाकर करना चाहिए।

हम बोलते हैं कि बच्चों के हाथ में हमारा भविष्य है, उनकी शिक्षा और संस्कृति का विकास हम करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि प्लानिंग कमीशन की स्कीम के मुताबिक चाइल्ड लेबर सैल के लिए सिर्फ 4 लाख रुपये रखे हैं। मेरा कहना है कि रखें या न रखें, इसका कोई फायदा नहीं है। इतनी कम राशि है। जितनी प्राब्लम चाइल्ड लेबर की है, उसके अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है। उसी प्राब्लम के बारे में मैं पूछना चाहती हूं कि 1979 में बाल मजदूरों के सम्बन्ध में एक कमेटी बैठी थी, जिसने बाल श्रमिकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें 22 सिफारिशें शासन ने मंजूर की हैं, लेकिन उनका क्या हुआ ? उन पर कुछ कार्यवाही हुई या नहीं हुई, इसके बारे में हमारे मंत्री महोदय अपने जवाब में कुछ बतायेंगे, ऐसी आशा मैं व्यक्त करती हूं।

प्रमिला जी ने कहा कि रिपोर्ट के पीछे जो आंकड़े दिये हैं तो जनता राज्य में ट्रेनिंग काफी अच्छी हुई थी। हम तो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस उपेक्षित बस्ती में झांक रहे हैं, सब मिलकर कामगार वर्ग के लिए देश के भविष्य के लिए सोचना चाहिये, तो किसके जमाने में क्या हुआ था, क्या राजनीति चल रही थी, इस प्राब्लम को हम राजनीतिक प्राब्लम नहीं बनाना चाहते। लेकिन एक बात बड़े विश्वास से मैं बताना चाहती हूं कि एमर्जेन्सी के समय में उत्पादन भी बढ़ा था, डिसिप्लिन भी आया था, और यूनियन में राजनीति नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार भी कम हुआ था। यह फायदे हमारी एमर्जेन्सी में रहे और आज तो सिर्फ हम इन कामगारों की बात करते हैं कि इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। जिस विभाग में, क्षेत्र में वह काम करते हैं, उसकी ट्रेनिंग तो उनको मिलनी ही चाहिए। उसके साथ-साथ जो बेकार कामगर युवक हैं, उनको काम दिलाने के लिए भी हमारे 20-सूत्री कार्यक्रम का सबसे बड़ा टारगैट वही है। इसी दृष्टि से हमें लेबर प्राब्लम की तरफ देखना चाहिए।

आखिर में मैं मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन में भारत को परमानैन्ट रिप्रैजेन्टेशन देना चाहिए क्योंकि हमारे यहां लेबर की संख्या बहुत ज्यादा है। इससे हमारे देश की समस्याओं का यू० एन० ओ० में पूरी तरह से संशोधन होकर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता हमारे देश को अगली प्लानिंग के लिए यू० एन० ओ० से मिलनी चाहिये। इसके लिये हमारे कार्य-दक्ष श्रम मंत्री कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे, इतनी उम्मीद रखते हुए मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री महेन्द्र प्रसाद : (जहानाबाद) उपाध्यक्ष महोदय, सभी राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, एक शब्द में, उत्पादन है ; राष्ट्रीय बुराइयों के अन्य कारण अथवा कारणों को थोड़े-से प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन उस प्रयत्न की नींव भी उत्पादन से प्राप्त शक्ति पर आधारित होगी। अतः, सभी समस्याओं के समाधान की कुंजी उत्पादन है। निराशा और उदासी के

इस अन्धकार में सौभाग्य से, प्रधान मंत्री द्वारा चालू वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित किए जाने से एक आशा की किरण आई है। यह एक खुशी की बात है कि सरकार ने उत्पादन के महत्व को समझा है। हाल ही के कुछ प्रयासों तथा भारत सरकार की नीति घोषणा, जिसमें उद्योग मंत्री द्वारा कुछ दिन पहले उत्पादन को बढ़ाने के विचार से उद्योग को ऋण सम्बन्धी ढीलें देने के बारे में की गई घोषणा भी शामिल है, इस बात को दर्शाती है कि सरकार चालू वर्ष को उत्पादकता वर्ष के रूप में बदलने में कितनी गंभीर है। लेकिन यदि कुछेक महत्वपूर्ण उपाय तत्काल न किए गए तो सरकार को सफलता नहीं मिलेगी। सरकार उत्पादन चाहती है, और यह ठीक भी है। लेकिन वे कौन-से साधन हैं जो उत्पादन में सहायक होते हैं ? भूमि, भवन, बिजली तथा प्रबन्ध आदि के अतिरिक्त दो अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन पूंजी और श्रम हैं जिनके बिना उत्पादन असंभव है। उत्पादन में श्रम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चालू वर्ष, अर्थात उत्पादकता वर्ष को सफल बनाने के लिए श्रम की क्या भूमिका होगी ? श्रम यूनियनों के माध्यम से संगठित है, जो कि होना ही चाहिए। यद्यपि परम्परागत सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ है, तथापि ट्रेड यूनियनें विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जैसे कुली संघ (एसोसिएशन आफ जर्नीमेन), जिनका कुलियों से मजदूर के रूप में परिवर्तन होकर बाद में मिला-जुला रूप यूनियन बना। यह मध्ययुगीन योरोप की दस्तकार-गिल्ड का प्रत्यक्ष उद्गम है। यूरोप के मध्ययुगीन इतिहास, दस्तकार-गिल्ड के इतिहास और 14वीं, 15वी तथा 16वीं शताब्दी के इतिहास को देखते हुए जब कुली संघ पनपे थे तथा बाद में कुलियों का मजदूरों के रूप में परिवर्तन हो जाने पर यूनियनों के रूप में परिवर्तित हो गए थे, यह पता चलता है कि ये संघ शोषणकर्ताओं के विरुद्ध शोषितों के हितों की सुरक्षा के लिए एक जरूरत के रूप में बने थे। यह एक प्राकृतिक विकास था तथा इन संघों का नेतृत्व, इन संघों के प्रत्यक्ष संघटकों के हाथ में था और बाहरी नेतृत्व का उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। ट्रेड यूनियन आन्दोलन औद्योगिक क्रांति का परिणाम है, जो इंगलैंड में 1760 से लगभग 1830 तक हुई थी तथा अन्य देशों में बाद की विभिन्न तारीखों को हुई थी और जिसने, फैक्टरी प्रणाली को जन्म देकर, व्यापारी पूंजीवाद को औद्योगिक पूंजीवाद में बदल दिया। फैक्टरी प्रणाली ने उत्पादन को अत्यधिक बढ़ा दिया तथा नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच भारी आर्थिक असमानता पैदा कर उद्योगपतियों के लिए अत्यधिक खुशहाली और अमीरी ला दी। इस प्रणाली से नियोजकों द्वारा शोषण से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कष्ट पहुंचाया गया। यूनियनों ने नियोजकों द्वारा मजदूरों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष के माध्यम से मजदूरों के कष्टों के निवारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी वर्षों के दौरान यूनियनें मजदूरों की एकता थीं जो शोषणकर्ताओं के विरुद्ध संघर्ष करती थीं। यहां यह तथ्य स्मरणीय है कि नेतृत्व हमेशा यूनिट के संबंधित मजदूरों के ही हाथ में रहा तथा बाहर से नेतृत्व कभी नहीं लिया गया था। नियोजकों के विरुद्ध मजदूरों का संघर्ष एक मात्र मजदूरों के हित के लिए ही था। समय बीतने पर, तथा विश्व में हुए विभिन्न परिवर्तनों तथा सामाजिक, राजनैतिक और वैचारिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप विभिन्न शक्तियों ने यूनियन और मजदूर आन्दोलनों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कभी-कभी, विभिन्न चरणों में किसी यूनिट विशेष में कार्य न कर रहे व्यक्तियों ने उस यूनिट की यूनियन के निर्णयों और कार्यचालन को प्रभावित करना शुरू कर दिया; नेतृत्व भी इन व्यक्तियों के हाथ में चला गया।

इस समय इन यूनियनों में जो लोग आए तथा नेतृत्व प्रदान किया वे मानवीय तथा लोको-

पकारी दृष्टिकोण से आए थे ; उन्होंने मजदूरों की दयनीय दशा देखी थी ; और वे दुखी मजदूरों की सहायता करना चाहते थे। इन लोगों का कोई व्यक्तिगत हित नहीं था ? उनकी नीयत साफ थी। परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं के आने से विशेष विचारधारा वाले राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्त्ता इन यूनियनों में आए और उहोंने नेतृत्व संभाला और राजनीतिक उद्देश्यों से मजदूरों की सहायता करना तथा उन्हें संगठित करना शुरू कर दिया, लेकिन बहरहाल उनका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं था। यह प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरू होने से विशेषकर स्पष्ट हो गई। बाद में राजनीतिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया और मजदूरों की सेवा भावना गौण हो गई ; मजदूरों और यूनियनों को भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। बाहर से जो लोग यूनियन का नेतृत्व सम्भालने आए। उन्होंने सत्ता हथियाने की कोशिश की और उद्योग-पतियों को प्रभावित करने के लिए यूनियनों का इस्तेमाल किया गया। यह सब तभी शुरू हुआ जब बाहर के लोग मजदूरों की यूनियनों में आए।

भारत में ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में जो वर्तमान प्रवृत्ति शुरू हुई है वह बहुत खतरनाक है। अधिकतर यूनियनों के नेता ऐसे लोग हैं जिनके व्यक्तिगत या राजनीतिक उद्देश्य हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज विरोधी हैं तथा जिनके उद्देश्य केवल व्यक्तिगत हैं। कितनी ही बार राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए हड़तालें करवायी जाती हैं, मजदूरों को इस्तेमाल किया जाता है, और मजदूरों का कोई लाभ नहीं होता तथा राष्ट्रीय हित को भी ताक पर रख दिया जाता है। 1974 की रेलवे हड़ताल और इस वर्ष 19 जनवरी को 'भारत बन्द' कुछ ऐसे अनगिनत उदाहरणों में से हैं जब राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूनियनों तथा मजदूरों को माध्यम बनाया और मजदूरों तथा राष्ट्रीय हित की कतई पर-वाह नहीं की। इससे उत्पादन रुक गया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ऐसी क्षति पहुंची जो पूरी नहीं हो सकती।

राजनीतिक दलों द्वारा यूनियनों और मजदूरों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से भी अधिक खतरनाक बात समाज विरोधी तत्वों तथा अपराधी लोगों द्वारा यूनियनों तथा मजदूरों का इस्तेमाल किया जाना है। ऐसे तत्व न तो मजदूरों के मित्र होते है न उद्योगपतियों के और न ही वे राष्ट्र का हित चाहने वाले होते हैं; बल्कि वे मजदूरों तथा राष्ट्र के दुश्मन हैं। वे यूनियनों तथा मजदूरों को अपने व्यक्तिगत व नीच उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समाज-विरोधी गुंडा तत्व यूनियनें बना लेते हैं, उनके नेता बन जाते हैं, मजदूरों तथा उद्योगपतियों दोनों को आतंकित करते हैं और हड़ताल करवा कर और कई बार तो शारीरिक बल का इस्तेमाल करके, मजदूरों तथा उद्योगपतियों की हत्याएं करके, उदाहरणार्थ बम्बई के उद्योगपति श्री गोदरेज की हत्या करने का घातक प्रयास किया गया था, उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ऐंठते हैं। ऐसे लोगों के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन एक अच्छा व्यवसाय बन गया है। वे पैसा कमाने के लिए यूनियनों में आकर उन पर कब्जा कर लेते हैं। कई बार उद्योगपति भी उन्हें रिश्वत देकर मजदूरों की हड़तालें तुड़वाने का काम लेते हैं चाहे ये हड़तालें न्यायसंगत और उचित मांगों पर आधारित हों। यूनियनों के ऐसे नेताओं का एकमात्र उद्देश्य शक्ति के बल पर धन बटो-रना होता है जिससे उद्योगपतियों और मजदूरों दोनों का अहित होता है, उत्पादन कम हो जाता

है और फलतः राष्ट्र की हानि होती है। कुछ यूनियन नेताओं ने तो इतना धन बटोरा है कि उनके पास करोड़ों रुपया हो गया है। इतना उनके पास कहां से आता है? यह उद्योगपतियों से मिली रिश्वत और मजदूरों में आतंक फैलाकर उनसे ऐंठा गया धन होता है। ऐसे नेता जानबूझकर ऐसी मांगें रखते हैं जिन्हें उद्योगपति मानने को तैयार नहीं होते और वे इन नेताओं को भारी रकम देकर चुप करते हैं। यह यूनियनवाद नहीं है बल्कि गुंडागर्दी है। बम्बई और बिहार के उद्योग क्षेत्र में तथा अन्य स्थानों पर कई बार ऐसा हुआ है कि ब्लैकमैल करके धन एकत्र करने के लिए हड़तालें करवाई गई हैं। ऐसे मामलों में मजदूर पिसता है, उत्पादन गिर जाता है और राष्ट्रीय हानि होती है।

श्रीमान, मैं यूनियन के नेताओं द्वारा मजदूरों के शोषण का एक उदाहरण दे रहा हूं। एक दिन मैं पटना हवाई अड्डे पर दिल्ली के लिए विमान की प्रतीक्षा कर रहा था। यह उड़ान रांची होकर कलकत्ता से आया था। इसमें रांची से एक यूनियन नेता भी आए थे। पटना हवाई अड्डे पर कुल लोगों ने उस नेता से रांची से पटना विमान से आने का स्रोत जानना चाहा। उन्होंने तुरत उत्तर दिया, मुझे तो हमेशा गरीब मजदूर हवाई जहाज से यात्रा कराते हैं। यह सुनकर सब दंग रह गए और उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। यूनियन नेता बहुत शान से टैक्सी में बैठकर चले गए। सुनने वालों ने बाद में उन्हें भला-बुरा कहना शुरू किया, और गरीबों का खून चूसने वाला बताया। वह नेता रेल में आराम से यात्रा कर सकते थे। रात भर में रांची से पटना पहुंच जाते। एक और उदाहरण सुनिए, एक यूनियन नेता प्रति वर्ष अपने गांव में कृषि के लिए जमीन खरीद लेता था। कुछ वर्ष बाद उसने जमीन खरीदना बन्द कर दिया। लोगों ने इसका कारण पूछा तो उसके परिवार के लोगों ने बताया कि अब वे यूनियन के नेता नहीं रहे हैं। ऐसे उदाहरण बहुत हैं। यूनियनों के नेताओं द्वारा शराब तथा ऐश्वर्य पर तथा उस कार्य पर जिसे यहां कहना उचित नहीं होगा धन लुटाने की कहानियां सब जानते हैं। यह सब खर्च करने के लिए धन उद्योगपतियों से मिला है और यदि नहीं मिला तो अनुचित हड़तालें करवाई जाती हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन गिर जाता है और राष्ट्रीय हानि होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अंतिम मुद्दे पर आइए। आपकी पार्टी के और सदस्यों को भी बोलना है।

श्री महेन्द्र प्रसाद : श्रीमन्, यदि सरकार इस वर्ष को वास्तव में उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाना चाहती है तो उसे हड़तालें बन्द करनी होंगी, जो ऊपर उल्लिखित तत्वों द्वारा धन की लालच में करवाई जाती हैं। जो लोग मजदूर नहीं हैं उन्हें यूनियन की गतिविधियों में और उनका नेतृत्व करने का अधिकार कानूनन नहीं होना चाहिए। वे दिन चले गए, जब मजदूर अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं थे और उन्हें बाहरी लोगों के संरक्षण, मार्गदर्शन और नेतृत्व की आवश्यकता होती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे और भी सदस्यों को बुलाना है। कृपया समाप्त कीजिए।

आज का मजदूर जाग उठा है, वह अपने अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में जानता है और वह स्वयं न्याय प्राप्त कर सकता है। यदि उन्हीं पर छोड़ दिया जाए तो वे अपना कार्य तथा

देश के प्रति अपने दायित्व को भलीभांति निभायेंगे जिससे दोनों का हित होगा। भारत में संगठित मजदूर आंदोलन के स्थापक श्री एन० एम० लाखडे, 1880 में एक कारखाने में मजदूर थे। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि मजदूरों के अलावा कोई व्यक्ति यूनियन में हिस्सा न ले और स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके नेता न बनें। इससे अनगिनत अनुचित हड़तालें नहीं होंगी और उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी। गरीबों का खून चूसने वाले ये लोग यूनियनों में नहीं रहने चाहिएं। श्रीमान्, क्या आपने ऐसे उद्योगपतियों, समाचार-पत्रों के मालिकों, मंत्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के बारे में नहीं सुना जो यूनियनों की बागडोर संभाले हुए हैं ? मैं भी 12000 अधिकारियों के फेडरेशन का प्रेजीडेंट हूं हालांकि मैं अधिकारी नहीं हूं। क्या यह अजीब नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप तो मजदूरों का शोषण नहीं करते।

श्री महेन्द्र प्रसाद : श्रीमान्, मैं जानता हूं कि मेरे इस सुझाव से दोनों तरफ के मेरे मित्रों को ठेस पहुंचेगी। लेकिन मेरा सुझाव राष्ट्रीय हित में है, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है।

श्रीमान्, मैं सभा का ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ट्रेड यूनियन और मजदूरों की स्थिति के एक और पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पोलैंड में जो कुछ हुआ है उससे आंखें खुल जानी चाहिएं। पोलैंड एक कम्युनिस्ट देश है और वहां सर्वहारा की तानाशाह सरकार है। मजदूर तबका सर्वहारा वर्ग में आता है, और कम्युनिस्ट देश की सरकार, उनकी विचारधारा के अनुसार, मजदूरों की पक्षधर होती है। लेकिन पोलैंड की सरकार को भी यहां के मजदूरों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी और मजदूर यूनियनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा उनके साथ सख्ती से पेश आया गया। एक कम्युनिस्ट देश में ऐसा होना आश्चर्यजनक है। पोलैंड में ऐसा क्यों हुआ ? यद्यपि पोलैंड हमारा मित्र देश है और हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीय हित, मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के हित सहित सभी हितों से ऊपर हैं। पोलैंड में सरकार ने महसूस किया कि वहां ट्रेड यूनियनें तथा मजदूर राष्ट्र के अहित में कार्य कर रहे हैं इसलिए उन्होंने यूनियनों और मजदूरों को शक्ति से दबा दिया। व्यक्तिगत रूप में मैं इस रवैये का समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय हित सभी अन्य हितों से सर्वोपरि है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। श्री चित्त बसु। क्योंकि इन्होंने बहुत समय ले लिया है और समाप्त भी नहीं कर रहे हैं। ये मुझे देख भी नहीं रहे हैं।

श्री महेन्द्र प्रसाद : मैं समाप्त कर रहा हूं।

यही बात भारत पर लागू होनी चाहिए। यदि देश की प्रगति करनी है तो उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। और बिना कड़ी मेहनत के उत्पादन बढ़ाना असंभव है। उत्पादन में मजदूर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मजदूरों को राष्ट्रीय हित में मेहनत से काम करना चाहिए। लेकिन भारत में मजदूरों के क्षेत्र में कुछ और ही हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : समाप्त करिए।

श्री महेन्द्र प्रसाद : मजदूर मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं। अधिकतर ट्रेड यूनियनें, जिनके

अधीन मजदूर हैं, ब्लैकमैल का काम करती हैं न कि मजदूर के दुःख दूर करने का। कई बार इसलिए भी हड़ताल होती है कि प्रबन्धक कड़ी मेहनत चाहते हैं।

श्रीमान्, मैं एक स्थानीय उदाहरण दे रहा हूं, जिससे श्रमिकों के व्यवहार, रवैये और काम से अलगाव का पता चलता है। हम सभी सदस्यों का वास्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और बागबानी के मजदूरों से पड़ता है। संसद सदस्य जिन बंगलों में रहते हैं उनमें हरेक में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सेवाओं की आवश्यकता होती है। सब जानते हैं कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूर कितना काम करते हैं जिसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। हाल ही में मुझे बहुत दुखद अनुभव हुआ। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रमिक, कुछ को छोड़कर, सुबह 11 बजे काम पर आते हैं और दोपहर बाद 3 बजे काम छोड़कर चले जाते हैं और इस दौरान कम से कम 1 घंटे का मध्यावकाश करते हैं, और बहुत लोग तो दो घंटों का भी अवकाश रखते हैं जबकि काम करने के घंटे सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक है। हमारे माली कितने घंटे कार्य करते हैं। क्या अधिकारी और मंत्रीगण को इसमें सुधार करने की हिम्मत है ? यदि वे इसकी कोशिश करते हैं तो हड़तालें हो जायेंगी और उन्हें गालियां मिलेंगी। वे अपने पदों को भी छोड़ सकते हैं। यदि इस प्रकार की घटनाएं संसद सदस्यों के बंगलों में घट सकती हैं तो अन्य स्थानों पर क्या होगा इसे भगवान ही जानता है। और सरकारी कार्यालयों में क्या हो रहा है। सरकारी कर्मचारी कितना समय सरकारी काम के लिए देते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिए। मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं।

श्री महेन्द्र प्रसाद : ऐसे बहुत-से मामले हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी को अपनी कुर्सी पर बिठाने तथा अपना कार्य कराने के लिए कुछ देना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी अपनी सीटों पर सरकारी समय में नहीं बैठते हैं।

दुर्भाग्यवश श्रमबल का दृष्टिकोण राष्ट्रीयहित की ओर नहीं है। सरकार को इसके लिये आगे आकर शक्ति दिखानी चाहिए तथा श्रमबल को नियंत्रित तथा अनुशासित करना चाहिए। उत्पादन तथा समृद्धि के लिये कठिन परिश्रम अत्यन्त आवश्यक है। कोई भी देश श्रमबल के सहयोग के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। इस उत्पादकता वर्ष में उत्पादन बढ़ाने, श्रमबल से कठिन परिश्रम सुनिश्चित करने के लिये पूर्वोपायों की व्यवस्था करने हेतु सरकार से अपील करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी बाहरी दलों को मजदूर यूनियनों में न आने देने की दृष्टि से उन पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाए ताकि यूनियन के नेता मजदूरों का शोषण न करने पायें। देश में ऐसा करने की आवश्यकता है। मातृभूमि ऐसा करने के लिये पुकार रही है। धन्यवाद।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमन्, लगाई गई समय सीमा से मैं अवगत हूं।

जिस प्रतिवेदन पर आज हमें विचार करना है उसमें यह स्वीकार किया गया है कि पहले की अपेक्षा अब नष्ट हुए मानवदिवसों में वृद्धि हुई है। तथा प्रतिवेदन में उन प्रमुख कारणों का भी उल्लेख किया गया है जिनके कारण मानव दिवसों की बरबादी हुई है। उन कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है :

"हड़तालों तथा तालाबंदियों के प्रमुख कारण "मजदूरी तथा भत्ते" "कार्मिक तथा छंटनी" और "अनुशासनहीनता एवं हिंसा" थे।"

श्रीमान, हमारे देश में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये सरकार जो भी नीति बनाना चाहती है उससे मजदूरी के प्रश्न को स्वभाविक रूप से महत्व मिला है।

औद्योगिक सम्बन्ध सम्बन्धी नीतियां बनाने से पहले श्रममंत्री महोदय को श्रम अथवा हमारे देश के वर्तमान श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित कुछ मौलिक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला मुद्दा यह है कि वास्तविक मजदूरी में स्थायी तथा निरंतर कमी होती आ रही है। चूंकि मुझे इस विषय को विस्तारपूर्वक वर्णन करने का समय नहीं मिला है। अत: मैं स्वाभाविक रूप से केवल "इंडियन लेबरईयरबुक, 1978" के एक विशेष पैरा को ही रखूंगा। जो इस समय मेरे पास उपलब्ध है। इसमें यह कहा गया है :

"वर्ष 1972 तथा 1975 के मध्य 400 रुपये मासिक से कम कमाने वाले फैक्ट्री मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में 34.95 प्रतिशत की कमी हुई है। इस अवधि में उनकी नकद मजदूरी में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

"शायद यह स्पष्ट है कि नकद मजदूरी की दर में वृद्धि के लिये इस वर्ष में हुई मूल्य वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है।"

यह एक निर्णायक प्रश्न है। निर्णायक प्रश्न यह है कि वास्तविक मजदूरी निरंतर घटती रही है और इसलिये प्रमुख नीति इस बात को ध्यान में रखकर बनायी जानी चाहिए कि देश के श्रमिक वर्ग की वास्तविक मजदूरी को बचाने के लिये उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमन्, आप भी यह जानते है कि आजकल एक नया नारा दिया गया है, वह नारा यह है कि मजदूरों को उत्पादकता से जोड़ा जाना है। श्रीमन्, वास्तविकता यह है कि इस प्रश्न में गड़बड़ी पैदा नहीं करनी है। लेकिन जिस प्रश्न को मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि उनको इस तथ्य के बारे में यह जानकारी है या नहीं कि उत्पादकता के सूचकांक और मजदूरी के बीच अन्तर रहा है। इस संबंध में मैं केवल इस वर्ष के 15 मार्च के फाइनैंशियल एक्सप्रैस में की गई कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने मजदूरी तथा उत्पादकता के सूचकांकों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन को दिखाने के लिये कुछ आंकड़े भी दिये हैं। यदि हम इनकी तुलना करते हैं तो मजदूरी सूचकांक हमेशा उत्पादकता सूचकांक से कम रहता है।

यदि आप इसका विश्लेषण करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उत्पादकता अथवा मजदूरी से सम्बन्धित आंकड़ों को देखने से यह पता लगता है कि वास्तविक उत्पादकता का सूचकांक···

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तविकता यह है कि मैंने सुबह यह घोषणा की थी कि मंत्री महोदय लगभग 16.30 बजे अथवा 17.00 बजे उत्तर देंगे। लेकिन चूंकि दोनों पक्षों के बहुत-से वक्ताओं ने इस महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है अब मैं इसे सभा के ऊपर छोड़ता हूं कि हमें और कितने समय तक बैठना चाहिए।

पांच वक्ता और हैं। इनमें से तीन वक्ता इस पक्ष के और दो वक्ता उस पक्ष के हैं। हम आज

चर्चा को पूरा करेंगे और मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे। हमें कितने समय तक बैठना चाहिए। हमें कुछ समय निर्धारित कर लेना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यगण : आधा घंटा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा का समय 18-30 बजे तक बढ़ाते हैं।

श्री चित्त बसु : जैसा कि मैं यह प्रश्न कर रहा था कि उत्पादकता सूचकांक और मजदूरी सूचकांक में अन्तर रहा है।

श्री ए० के० राय : यदि मंत्री महोदय को कल उत्तर देना है तो वाद-विवाद भी कल ही आरम्भ किया जाए। यदि सभी सदस्य आज बोलना चाहें तो मंत्री महोदय को भी आज ही बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे आप मेरे ऊपर छोड़िए। सभा की सहमति ले ली गई है।

श्री ए० के० राय : चूकि आपने यह घोषणा की है कि मंत्री महोदय कल बोलेंगे, सदस्यगण सभा छोड़कर चले जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमति के अनुसार चलने की प्रार्थना करता हूं।

श्री ए० के० राय : तब हम कोरम के लिए दबाव देंगे। हम 9 वजे तक बैठने को तैयार हैं। मंत्री महोदय को भी आज ही बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस बात की घोषणा की है कि चर्चा आज पूरी होगी। वाद-विवाद भी समय से पहले ही समाप्त हो गया है। श्री राय, हमने पहले ही सभा की सहमति लेली है। मेरे विचार से आप उस समय यहां नहीं थे।

श्री ए० के० राय : मैं यहीं था। मैं आपको सभा की इस सहमति के परिणामों को बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिए, तथा आप सबके हितों को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। सचाई यह है कि अब आपका नाम तीसरे नम्बर पर है। और मैं आपको जल्दी ही बुलाने वाला हूं।

श्री चित्त बसु : मैं यह प्रश्न पूछ रहा था कि उत्पादकता सूचकांक और मजदूरी सूचकांक के मध्य अन्तर रहा है। जब तक इन दोनों सूचकांकों को बराबर नहीं किया जाता है, इन्हें बराबर नहीं लाया जाता है, तब तक मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ना वह उपाय होगा जो श्रमिक वर्ग का विरोधी होगा। प्रथम और प्रारम्भिक विचार यह होना चाहिए कि उत्पादकता सूचकांक और मजदूरी सूचकांक में समानता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले यह कहा है कि इन वर्षों में उत्पादकता सूचकांक मजदूरी सूचकांक से ज्यादा रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि मजदूरों को उत्पादकता के अनुसार मजदूरी नहीं दी गयी है। अतः यदि मुझे उचित भाषा का प्रयोग करने की अनुमति दी जाये तो उनकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने उत्पादकता सूचकांक और मजदूरी सूचकांक के मध्य अन्तर विषय पर विचार किया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि मजदूरी हमेशा उत्पादन तथा उत्पादकता से कम रही है। इस

लिये मेरा प्रश्न यह है कि सरकार को यह देखने के लिए एक नीति बनानी चाहिए कि उत्पादकता सूचकांक और मजदूरी सूचकांक के मध्य के अन्तर की प्रति पूर्ति कर दी गई है। एक बार प्रति-पूर्ति करने पर उत्पादकता को दोबारा मजदूरी से जोड़ने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है तथा वह श्रमिक वर्ग के हित के विपरीत नहीं हो सकता है।

मैं केवल यह दिखाने लिए एक उदाहरण दूंगा कि मजदूरों को उनकी मजदूरी के कानूनी लाभ के लिए किस प्रकार वंचित कर दिया गया है। एक अनुमान के अनुसार जबकि 1960-78 की अवधि में उत्पादकता का प्रति व्यक्ति मूल्य 50.3 प्रतिशत बढ़ा है वार्षिक मजदूरी में केवल 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखायी गयी है।

श्रीमन्, कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है। उत्पादन मूल्य में 50.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। केवल मजदूरी की औसत वृद्धि केवल 2.3 प्रतिशत हुई है। क्या यह न्याय है ? क्या यह वैध है ? इससे पता लगता है कि श्रमिक वर्ष का किस प्रकार शोषण किया गया है।

फिर मूल्य और मजदूरी का प्रश्न। संक्षेप में मेरा यह कहना है कि मंत्री महोदय इन सब बातों को समझते हैं। मैं मजदूरी तथा मूल्य के सम्बन्ध में आज की स्थिति की वास्तविकता का केवल उल्लेख करना चाहता हूं। मजदूरी का सम्बन्ध मूल्य से है न कि मूल्य का सम्बन्ध मजदूरी से। इस स्थिति में मजदूरी को बचाना एक जटिल प्रश्न बन जाता है और सरकार ने श्रमिक वर्ग की मजदूरी को बचाने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किये हैं। श्रीमन्, इसलिए आज श्रमिक वर्ग न मजदूरी बढ़ाने बल्कि वर्तमान मजदूरी के परिरक्षण की भयंकर लड़ाई में फंस गया है।

अब मुद्रा स्फीति का प्रश्न उठता है। मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं। एक यह गलत भावना पैदा की गयी है कि मजदूरी बढ़ाने से और मुद्रा स्फीति होगी। इसलिए केवल मजदूरी··· तथा मजदूरी घटाना ही रामबाण तथा जंतर है। मैं आर्थिक कारणों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं यह निवेदन करता हूं कि भारत में आज मुद्रा स्फीति मूल्य के कारण है न कि मजदूरी के कारण। मेरा विचार है कि आप यह समझते हैं। आज की परिस्थितियों में मुद्रा स्फीति मूल्य के कारण है न कि मजदूरी के। (**व्यवधान**) मेरा विचार है कि वह समझ गये हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने अभिप्राय को समझते हैं।

श्री चित्त बसु : मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे बखूबी समझता हूं। इसे मैं बिना सोचे-समझे नहीं कहता हूं (**व्यवधान**) जैसाकि वह मेरी बात में व्यवधान डाल रहे थे मैं केवल यह कह रहा था, आप इसे समझते हैं। आजकल मुद्रा-स्फीति मजदूरी के कारण नहीं है यह वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के कारण है। यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नवम्बर 1981 के बुलेटिन में यह कहा गया है :

> "कुल विनिर्माण लागत में कच्चे माल की लागत 51.5 प्रतिशत थी और जबकि पारिश्रमिक 40.2 प्रतिशत था। और अभी-अभी यह घटकर 40 प्रतिशत हो गया है।"

अतः विनिर्माण लागत की वृद्धि मजदूरी की अपेक्षा अन्य कारणों से अधिक है। इसलिये विनिर्माण लागत से मजदूरी को निकालना अथवा मजदूरी को रोकना ही इसका हल नहीं है। यह

एक उपाय है जिसे सरकार ने केवल मजदूरों को सजा देने के लिए किया है और इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि इससे उत्पादकता वर्ष को सफल बनाने में सहायता नहीं मिलेगी। क्योंकि इस निरंतर शोषण से मजदूरों को हमेशा घाटा होता रहा है। यह शोषण बिना किसी कार्य के केवल निरंतर ही नहीं हुआ है बल्कि इसमें और वृद्धि हुई है और शोषण में वृद्धि के कारण पूंजीपति और धनवान हो गए हैं। मैं इस सम्बन्ध में केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं।

"भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार :

> "वर्ष 1978-79 के दौरान 5 लाख या इससे अधिक की अधिकृत पूंजी वाली मध्य दर्जे की तथा बड़ी चुनी हुई 1720 गैर वित्तीय तथा गैर सरकारी सार्वजनिक लि० कम्पनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन की विशेषता थी—वृद्धि की समान, जैसे उत्पादन लागत लाभ, परिसम्पत्तियों के बनने, स्टाक बनने तथा पूंजी-निर्माण की वृद्धि की प्रवृत्ति।"

इसलिये मजदूर गरीब हो गये और पूंजीपति और धनवान हो गये और उससे धन जमा हो गया है।

इस संदर्भ में सरकार यह जानती है कि हमारे देश के श्रमिक वर्ग की ओर से मजदूरी की वर्तमान दर तथा प्रजातांत्रिक अधिकारों को बनाये रखने के लिए भयंकर लड़ाई होगी। हमारे देश के श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा न्यायसंगत श्रमिक यूनियन आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने आवश्यक सेवा अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के रूप में अपने हथियारों को अपनाया है। 16 उद्योगों के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अभी-अभी की अधिसूचना हमारे देश में श्रमिक आन्दोलन के लिये वास्तव में एक महान तथा गम्भीर चुनौती बन गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि ऐसा उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अन्तर्गत किया गया है।

श्री चित्त बसु : यह ऐसा ही है। चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है।

मैं एक राजनीतिक तथा अर्थशास्त्रीय साप्ताहिक पत्र की एक टिप्पणी से एक विशेष पैरा को ही पढ़ूंगा। इसमें यह कहा गया है :

> केवल आशंका जो सरकार को श्रमिक वर्ग अथवा उनके नेतृत्व के उन व्यक्तियों को जो हड़तालों में भाग लेते हैं अथवा जो दूसरे व्यक्तियों को हड़तालों में भाग लेने के लिए उत्तेजित करते हैं, उन्हें बिना किसी जांच के बंद करने का अधिकार देती है। वास्तविकता यह है कि सोमवार को जारी की गई अधिसूचना का अन्तिम मुद्दा वस्तुतः श्रमिक वर्ग को संगठित करने से सम्बन्धित किसी भी गतिविधि से सम्बन्धित व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को अन्य उपबन्धों तथा अन्य आवश्यक कागजी कार्य की सहायता से सम्भवतः अनिश्चित समय के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बन्द करने को सम्भव बनाता है।"

एक यह समस्या पैदा हो गई है कि आवश्यक सेवा अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना से सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को न्यायसंगत श्रमिक यूनियन संघर्ष में जाने से रोका जा सकता है। यह कुछ नहीं है बल्कि यह श्रमिक वर्ग को उस मूल अधिकार से रोकना है जो उन्हें बहुत संघर्ष करने के बाद प्राप्त हुआ है।

अन्त में यह सुझाव दिया गया है कि एक अनिवार्य मध्यस्थ होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं। अनिवार्य मध्यस्थता की स्थिति में सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। इस सभा में कुछ माननीय सदस्यों ने यह दिखावा किया है कि असंगठित श्रम की मांग संगठित श्रम की मांग के प्रतिकूल है। मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में असंगठित श्रम तथा संगठित श्रम की मांगों के मध्य कोई विरोध नहीं है। वास्तविकता यह है कि आजकल संगठित मजदूर वर्ग आन्दोलन असंगठित श्रम को संगठित करने के लिए अग्रणी हो गया है : 19 नवम्बर के आन्दोलन ने यह सिद्ध कर दिया था कि आज सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग एकजुट है तथा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक भी एकजुट हो गए हैं। अतः सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और उनके सम्बन्ध में इस प्रकार से नीतियां तैयार करनी चाहिए कि औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार आ सके और यह सुधार श्रमिक वर्ग के इच्छुक सहयोग तथा सहमति से ही हो और उससे ऐसी स्थिति न आनी चाहिए जहां श्रमिक वर्ग के पास फिर संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प न रहे। यदि आप यह चाहते हैं कि श्रमिक वर्ग फिर अपनी संघर्ष करने की स्थिति में पहुचे, तो हम संघर्ष करने के लिये तैयार हैं और हम फिर सरकार की सभी दमनकारी तथा आक्रामक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मेरे मित्र श्री चित्त बसु ने, जो इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, एक चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल में बरबाद हुए जन-दिवसों के आंकड़े पहले ही देश में सबसे ज्यादा हैं। वह उनकी देश भक्ति है। वह उनका प्रजातंत्र है। दूसरा नम्बर तमिलनाडु का है। यह दुर्भाग्य है कि तमिलनाडु जैसे जागरूक राज्य में इस प्रकार जन-दिवस बरबाद होते हैं।

प्रति वर्ष हम गल्फ देशों से करोड़ों रुपये की कीमत का तेल आयात कर रहे हैं। यहां माननीय श्रम मंत्री महोदय को सबसे अच्छा अवसर मिला है। वह इसे पहले ही कर रहे हैं। हमें कम-से-कम गल्फ देशों को श्रमिक भेजने से 5000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

हम लगभग 2500 करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदय को जो सुझाव दिया है वह यह है कि सरकार को गल्फ देशों में अधिकारियों का एक दल रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए भेजना चाहिए तथा श्रम मंत्रालय वहां अच्छे करारों, अच्छे ठेकाओं, अच्छी रहन-सहन की स्थितियों के सम्बन्ध में सभी सावधानियां बरत रहा है का पता लगाने के लिए भेजना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : श्रम मंत्रालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से वहां अधिकारियों के एक दल को भेजने की प्रार्थना करूंगा। वित्त मंत्रालय अथवा इस मंत्रालय अथवा उस मंत्रालय को इसका विरोध नहीं करना चाहिए।

श्रम मंत्रालय को कुछ अधिकारी भेजने चाहिए। इस पर कोई ज्यादा खर्च नहीं होगा।

मंत्री महोदय ने यह बहुत अच्छा मुद्दा रखा है।

" जांच प्रक्रिया के अन्तर्गत लिये गए मामले

दीर्घकालीन मुकदमेबाजी तथा सम्बन्धित पार्टियों द्वारा किये गये व्यय की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक जांच प्रक्रिया विकसित की थी।"

श्रम तथा नियोक्ता असमान प्रश्न हैं। इसलिये यदि कोई मामले उच्च न्यायालय में ले जाये जा रहे हैं, तो इनमें सम्बन्धित मंत्रालयों की सलाह ले लेनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वही नियम निजी क्षेत्र के लिए भी क्यों नहीं लागू होना चाहिए जिससे निर्धन व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों में नहीं घसीटा जाये तथा वहां जाने में उन्हें बहुत-सी असुविधाएं तथा परेशानियां न हों।

हमारे श्रमिकों की उत्पादकता अन्य देशों की अपेक्षा कम है। इसका एक साधारण कारण यह है कि भारत में श्रमिकों की रहन-सहन की स्थिति अच्छी नहीं हैं।

मैं इस विचार का समर्थन नहीं करता कि भारत में श्रमिकों को अधिक धन दिया जाए।

लेकिन मैं इस विचार का समर्थन करता हूं कि भारत में श्रमिकों को अच्छी तरह रहने के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह हमारे देश में श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिये अपना पूरा ध्यान दें।

उत्पादकता को बढ़ाने, श्रमिकों के उद्योगों के प्रबन्ध में शामिल होने के उद्देश्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए। नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि यदि इन दो पहलुओं पर ठीक प्रकार से ध्यान दिया जाये तो हमारे देश में हमारे श्रमिक भी काफी सम्पत्ति पैदा कर सकते हैं।

वास्तव में, खेत मजदूर ही इस देश की संपत्ति हैं, सोना नहीं।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : जो व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नहीं हैं श्रम मंत्रालय उनके प्रति अधिक चिंतित प्रतीत नहीं होता।

संविधान के अन्तर्गत सरकार में श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी व्यक्तियों को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाना हैं।

श्रमिक संघों के कार्यकलापों की चर्चा करने में बहुत अधिक समय व शक्ति व्यर्थ की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों असंगठित व्यक्तियों के लिए श्रमिक कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार की विशेष जिम्मेदारी है।

दिन-प्रतिदिन बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बेरीजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को समस्या की जड़ पर प्रहार करना चाहिए। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान देना ही होगा।

मेरा सुझाव है कि श्रम मंत्रालय ऐसी कोई प्रक्रिया की खोज करे जिसके माध्यम से विभिन्न व्यवसायों और हुनर का प्रशिक्षण देकर मंत्रालय इन व्यक्तियों का ध्यान रख सके।

मुझे मालूम है कि श्रम मंत्रालय जहां रोजगार कार्यालय हैं वहां व्यावसायिक मार्गदर्शन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देता है सारे देश में ऐसे व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्रों की संख्या केवल 263 है। इसका अर्थ यह है कि सरकार लोगों को केवल 263 स्थानों या रोजगार कार्यालयों में स्थित केन्द्रों में ही प्रशिक्षण दे रही है।

मेरा सुझाव है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र खण्ड स्तर पर स्थापित किए जायें। फिर सरकार को मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों मे वहीं पर युवा व्यक्तियों को शामिल करने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहिए। प्रशिक्षित व्यवसाय मास्टरों के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए, जिन्हें मिडिल स्कूल में भेजा जा सके, जहां वे स्कूलों में युवा व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकें।

इसी तरह, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र सभी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए और मैं सुझाव दूंगा कि ऐसा प्रशिक्षण पंचायत स्तर पर दिया जाना चाहिए। तभी हम इन लोगों की, जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है, अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने में सहायता कर सकते हैं।

प्रवासी मजदूरों और बन्धुआ मजदूरों की भी समस्या है। सरकार ने इस क्षेत्र में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यदि आप निष्पत्ति बजट रिपोर्ट पढ़ें, आप पायेंगे कि इन्होंने कहीं-कहीं उनके कल्याण के लिए धन का प्रावधान किया है लेकिन यह केवल ऊपरी उपचार है; मेरे अनुसार, उन्होंने समस्या की गहराई को और इन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के विस्तार को नहीं समझा है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। जनता शासन के दौरान, उन्होंने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के लिए एक कानून अधिनियमित किया था। लेकिन यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जायें तो आप पायेंगे कि वहां कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है। उस कानून के अन्तर्गत, उपायुक्त या सम्बन्धित प्राधिकारियों को उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ही होता है। लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मेरे जिले में मैंने पाया कि प्रत्येक दिन हजारों व्यक्ति हरियाणा, पंजाब, आदि दूसरे क्षेत्रों को जा रहे हैं और वहां जाकर बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। हमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों से केवल आश्वासन ही सुनने को मिलते हैं; उन्हें हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं; हममें से कुछ यहां भाषण करते हैं। बस यही सब किया जा रहा है। सरकार वास्तव में समस्या की जड़ तक नहीं पहुंची है। मैं इस तथ्य के प्रति माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि मंत्री जी बिहार के हैं और वह समस्या को जानते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं मैंने उन्हें देखा है। उनके मंत्रालय में और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसा कैसे है कि आप अपने मंत्रालय में ही इन लोगों को रोजगार देने योग्य नहीं हैं? यह एक गम्भीर मामला है। जहां कहीं भी आरक्षित रिक्तियां हैं और जो अनुसूचित जाति और और अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध हैं, उन्होंने वहां इन लोगों का ध्यान नहीं रखा है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए कुछ 'कोचिंग सेंटर' हैं। लेकिन ये केन्द्र इन्होंने कहां प्रारम्भ किए हैं? केवल बड़े शहरों में; रांची के अलावा,

इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र नहीं खोले हैं। यदि ये वास्तव में इस मामले में गंभीर हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे समाज के कमजोर वर्ग की सहायता करना चाहते हैं तो इन्हें आदिवासी क्षेत्रों के मध्य और अधिक 'कोचिंग सेंटर' खोलने चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है।

इसी तरह, कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए, ऐसी सभी संस्थाएं दिल्ली, कानपुर, मद्रास, बंगलौर तथा कलकत्ता जैसी जगहों पर ही स्थित हैं। आप इन संस्थाओं को ऐसी जगहों पर क्यों नहीं ले जाते जहां वे ऐसे समुदायों वाले क्षेत्रों के लोगों की अधिक सेवा कर सकें?

मैं कहूंगा कि श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत सारे प्रशासन को अपने को वर्तमान स्थिति के अनुसार पुर्नगठित कर लेना चाहिए, उसे नयी दिशा देनी चाहिए। आर्थिक व सामाजिक समस्यायें अधिक से अधिक जटिल होती जा रही हैं और पुराने, परम्परागत, जर्जर तरीके, अच्छा परिणाम नहीं दे सकते। मेरा सुझाव है कि श्रम मंत्रालय को पुनर्गठित किया जाए तथा उसे नया रूप दिया जाए एवं प्रशासन को पुनस्संगठित करें।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि श्रम मंत्रालय को एक ऐसे व्यक्ति के प्रभार के अन्तर्गत रखा गया है जिसका स्तर बहुत कम है। ऐसा मैं और अन्य लोग महसूस करते हैं। श्रम मंत्रालय राज्य मंत्री के अन्तर्गत है, हालांकि यह स्वतंत्र प्रभार के अन्तर्गत है। सरकार इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। वास्तव में मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री के स्तर को बढ़ाया जाए और उसे केबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाए। मेरा सुझाव है कि यदि संभव हो तो श्रम मंत्रालय व उद्योग मंत्रालय को एक-दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए और उसे एक मंत्री के अन्तर्गत रखा जाए जिससे समन्वय का कार्य अच्छी तरह हो सके।

जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि इस तरह श्रम मंत्री को प्रतिष्ठा प्रदान की जा सकें जिससे लोग समझ सकें और जो व्यक्ति इन मामलों को चला रहे हैं वे महसूस कर सकें कि उन्हें जो दर्जा प्राप्त है, उनकी प्रतिष्ठा है तथा उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके कहने का अर्थ है कि क्योंकि उद्योग मंत्री केबिनेट स्तर का है अतः श्रम मंत्री भी केबिनट स्तर का होना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मेरे माननीय मित्र कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में काफी ऊंची स्थिति में है। राज्य मंत्री का केबिनट मंत्री का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एन० ई० होरो : महोदय, मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस मुद्दे पर विचार करें।

(समाप्त)

श्री ए० के० राय : श्रमिकों के विपरीत श्रम मंत्रालय कोई उत्पादन नहीं करता। यह फाइलें बनाता है। अब उन्हें भी ठीक से बनाना बंद कर दिया गया है। एक बात और मैंने पाई है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा श्रम मंत्रालय के सभी कानूनों का सबसे बड़ा अपराधी ऊर्जा और कोयला मंत्रालय है। मैं अन्य मंत्रालय भी बताऊंगा लेकिन उस मंत्रालय के व्यक्ति यहां

मौजूद रहें। वर्तमान पद्धति की पूंजीवादी सरकार तथा शोषण वादी ढांचे में श्रम मंत्रालय की भूमिका 'शॉक एबजॉबर' की तरह की है। झटकों से समाज की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त न होने देने की है तथा समाज में अन्तर्निहित असामंजस्य के कारण उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ बल और प्रतिष्ठा की आवश्यकता है।

तभी कई सदस्यों ने सुझाव दिया है कि श्रम मंत्रालय का नेतृत्व किसी केबिनट स्तर के मंत्री द्वारा किया जाए। हमारे एक पुराने और आदरणीय सदस्य की अपनी अलग टिप्पणियां हैं। लेकिन मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय का नेतृत्व जगजीवन राम, वी० वी० गिरि, खांडूभाई देसाई, जी० एल० नन्दा, जयसुखलाल हाथी तथा अन्त में डी० संज़ीवैया जैसे बहुत वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया गया है। केवल पिछले दस वर्षों से ही इस मंत्रालय में राज्य मंत्री और उप-मंत्री हैं। मैं अपने सहयोगी से सहमत हूं कि वर्तमान राज्य मंत्री का स्तर बढ़ाकर केबिनट मंत्री का कर दिया जाए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उपमंत्री का स्तर भी बढ़ाकर राज्य मंत्री का कर दिया जाए।

मैं यह कहूंगा कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो हमारी सरकार के पास आवश्यक सेवाएं अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे निरोधात्मक कानूनों के होते हुए भी 1980 में 1981 की बजाय कम श्रम दिवसों की हानि हुई थी और 1982 में क्या होगा, यह कोई नहीं कह सकता। मैं कोई अत्यधिक मौलिक या अन्य किसी प्रकार के सुझाव देना नहीं चाहता। मैं जानता हूं वे ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनका अनुभव श्रम-जगत में कार्य करते हुए होता है।

सबसे पहले मैं स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे एक माननीय सयहोगी ने कहा कि उन्होंने एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया है तथा इस स्क्रीनिंग समिति का विस्तार गैर-सरकारी उद्यमों तक किया जाना चाहिए। महोदय, यदि हम कोई आपत्ति उठाते हैं, तो वे श्रम मंत्रालय आती है। श्रम मंत्रालय में 1700 विवाद पड़े हैं और उन्होंने 1200 मामले अस्वीकार कर दिए हैं तथा शेष 500 विवादों को न्याय निर्णय के लिए भेज दिया है। जिन विवादों को उन्होंने अस्वीकार किया है, उनके मामले में न्यायालय में नहीं जाया जा सकता क्योंकि यह मंत्रालय की स्वेच्छा पर निर्भर है। मंत्रालय की कार्यपालिका अपनी न्यायिक हैसियत से मामलों का निर्णय करती है तथा मामलों को अस्वीकार कर देती है जिनके विरुद्ध हमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मैं यह कहूंगा कि आपको इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। आपको उन मामलों में उदार होना चाहिए। केवल विवादों को मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, न्यायालय में जाने की आज्ञा दीजिए। कर्मचारियों को न्यायालय में अपना मामला निपटाने दीजिए। आप बीच में क्यों पड़ते हैं? वह मेरा पहला प्रश्न है। कम से कम 75 प्रतिशत मामलों को न्याय निर्णय के लिए जाने दीजिए और वे उनमें से 25 प्रतिशत मामले अस्वीकार कर सकते हैं। वे 75 प्रतिशत मामलों की बजाय केवल 25 प्रतिशत मामले ही वहां भेजते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सभी कार्य-प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, श्रमिक को केन्द्रीय श्रम ट्रिब्यूनल, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, से फैसला मिलता है। जब उन्हें फैसला मिल जाता है, तो श्रम विभाग को उस फैसले की क्रियान्विति सुनिश्चित करनी चाहिए।

ऐसा नहीं हो रहा है। वे केवल उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयों में ही नहीं जा रहे अपितु मुकदमों को लम्बे अर्से तक लटकाए रखते हैं जो मजदूर वर्ग की सहन-क्षमता से परे हो जाते हैं। यहां तक कि जब याचिकाएं उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी जाती हैं, तब भी श्रम मंत्रालय द्वारा इन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटुर) : क्यों ?

श्री ए० के० राय : मैं आपको वही बता रहा हूं। इस सभा में 24-2-82 को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 677 के उत्तर में, श्रम मंत्री ने मुझे यह सूचना दी थी कि 31-12-81 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा सेन्ट्रल लेबर ट्रिब्यूनल के 323 फैसले कार्यान्वित नहीं किए गए थे। यह उनके मंत्रालय का ही विभाग है। 4 मामलों में उन्होंने अपील की; 19 मामलों में मंत्रालय ने फौजदारी न्यायालय में मुकदमे दायर कर दिये हैं। स्वयं मंत्रालय के विरुद्ध मुकदमा दायर है जैसे कि वह स्वयं अपराधी हो। आप निश्चय ही प्रबन्ध-संचालक को तीन महीने के लिए जेल भेज सकते हैं। यह मैं जानता हूं। आपको केन्द्रीय मंत्री को भी पकड़ना चाहिए। आखिर सभी श्रमिकों ने न्यायालय में जाने से पहले सभी कानूनों और नियमों का पालन किया है। जब मजदूरों को फैसला मिल जाता है और जब आपकी याचिकाएं न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दी जाती हैं, तो कोई एक मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों को अपराधी मानकर मुकदमा क्यों दायर करता है ? जब मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देंगे, तब उन्हें इन सभी बातों का जवाब देना चाहिए। अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। पिछले वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, उन्होंने कहा था कि कृषि मजदूरों को वेतन के लिए उन्हें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने श्रम राज्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। उनमें से कुछ इसे अमल में ला रहे हैं और कुछ इसे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। हम मात्र निरीक्षण प्राधिकरण हैं। हम इसमें अधिक कुछ नहीं कर सकते। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के लिए, उन कृषि-मजदूरों, तथा ठेका मजदूरों को श्रम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में लाना संभव है, जो कि आमतौर पर हरिजन तथा आदिवासी परिवारों से आते हैं ? जब खानें राज्य सरकारों या निजी उद्योगपतियों के हाथ में हुआ करती थीं तब केन्द्रीय श्रम मंत्रालय खान मजदूरों को अपने क्षेत्राधिकार में रखा करता था। वे सब समाज के निर्धनतम वर्ग से आते हैं तथा उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। यही कारण था कि हमेशा ही केन्द्रीय सरकार खनिकों को अपने नियन्त्रण में रखती है ताकि जब और जैसे ही आवश्यकता पड़े वे उनके विषय में नियम लागू कर सकें और मुकदमे दायर कर सकें। मेरा यह सुझाव है कि कृषि मजदूरों तथा ठेका मजदूरों को सीधे ही केन्द्रीय श्रम विभाग के अधीन लाया जाना चाहिए। मेरा अन्तिम प्रश्न यह है ठेका श्रमिक उत्पादन तथा विनियमन अधिनियम की धारा 10 में मजदूरों को ठेके पर रोजगार देने पर निषेध लगाया गया है। मैं उसे समझता हूं। लेकिन उनके साथ जो हो रहा है वह यह है। ठेका श्रमिक पद्धति को समाप्त करने के नाम पर वे श्रमिकों को काम से निकाल रहे हैं तथा उसके स्थान पर बाहर से आधुनिक मशीनें मंगा रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो जैसा कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था जब लोगों ने मशीनों से नफरत करो आन्दोलन चलाया था, भारत में भी ऐसा आन्दोलन शुरू हो जायेगा। वे यह महसूस करने लगेंगे कि मशीनें उनसे उनकी आजीविका छीन रही हैं। मशीनों से बेरोजगारी बढ़ रही है तथा कानून में

कमी के नाम से वह आश्रय ले रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय को यह परिपत्र जारी करना चाहिए कि ठेका श्रमिक उत्पादन तथा विनियमन कानून का उद्देश्य बेरोजगारी बढ़ाना नहीं है वरन् रोजगार देना है और इसे देखते हुए किसी उस व्यक्ति को नौकरी से हटाया नहीं जाना चाहिए, जो स्थायी किस्म की नौकरी में है।

महोदय, मैं एक अपील करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि इन सभी बाधाओं और त्रुटियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए तथा सदन में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए तथा किसी भी भावी विधान में हुसैनबाई के मामले में न्यायाधीश कृष्णा अय्यर द्वारा दिए गए इस फैसले को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मैं उन शब्दों को उद्धृत करता हूं :

> "तीसरे विश्व के न्यायशास्त्र की औद्योगिक शाखा की शक्ति का स्रोत सामाजिक न्याय है, जिसकी घोषणा संविधान की प्रस्तावना में की गई है। अटलांटिक उदारवाद से परे भारतीय न्याय ही कानून का नियम है जो जीवन संबंधी नियमों में सहायक है। निर्धनता तथा खुशहाली की स्थिति में आजीविका ही जीवन है, और आजीविका का अर्थ है—वेतन सहित श्रम। कानून विषम सामाजिक वास्तविकताओं से, न कि उत्कृष्ट कानूनी ताने-बाने और न ही आर्थिक प्रतियोगिता से और जटिल संरक्षण सिद्धांतों से उस दशा में निर्मित होता है जब कमजोर श्रमिक वर्ग को अपनी आजीविका के लिए काम की मदद की आवश्यकता होती है।"

श्री पीयूष तिरकी(अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रोग्रे, सिंहभूमि जिला, बिहार में मजदूर पशु सरीखा जीवन बिता रहे हैं। वहां पर एस्बेस्टस बनाने के कारखाने हैं। उन कारखानों के जो मालिक हैं वे मजदूरों के स्वास्थ्य की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिणामस्वरूप मजदूरों को भयानक रोग होते जा रहे हैं। न तो उनके काम करने के समय की कोई पाबन्दी है और न ही उनके ठीक रहन-सहन की कोई उचित व्यवस्था की गई है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अधिकतर मजदूर ट्राइबल्स हैं। शायद इसीलिए सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया है। मैं विशेष रुप से मंत्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं।

ईस्टर्न इंडिया में चाय-बागानों की बहुतायत है। सरकार को तमाम किस्म के टैक्सों के द्वारा 80 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ 600 करोड़ का फारेन एक्सचेंज प्राप्त हो रहा है इसके बावजूद, हालांकि सेन्चुरी बीत गई है, अभी तक भी लेबर मिनिस्ट्री का ध्यान वहां पर काम करने वाले मजदूरों की ओर नहीं गया है। वहां पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव है कि जहां-जहां भी यह इण्डस्ट्रीज हैं (वहां पर सभी प्रान्तों के विभिन्न भाषा-भाषी रहते हैं), ऐसे हर इण्डस्ट्रियल एरिया में जहां पर 5-7 लाख मजदूर हों, वहां पर सेन्ट्रल-स्कूल टाइप के स्कूल स्थापित किए जायें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह अच्छा नहीं होगा। मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही बेकारी की समस्या भी बढ़ रही है। मेरा यह भी सुझाव है कि चाय बागानों के आस-

-पास दूसरी इण्डस्ट्रीज खोलकर अतिरिक्त एम्पलायमेन्ट देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मंदसौर, मध्य प्रदेश में पेंसिल बनाने के कारखाने हैं जिनमें बहुत सारे बच्चों को एम्पलाय किया गया है। इस सम्बन्ध में मैंने एक बार क्वैश्चन भी किया था लेकिन आजतक भी वहां स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। वहां हर एक बच्चे को 12 घंटे काम करने के बाद केवल दो रुपए दिए जाते हैं। ऐसी बुरी दशा में बच्चे पेंसिल के टुकड़े खाकर अपनी भूख का निवारण करते हैं। ऐसा करने से उनकी आयु बहुत कम हो जाती है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि 40 वर्ष से अधिक की आयु तक कोई नहीं पहुंच पाता, ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष की उम्र रह गई है। यह बात मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में मैंने बताई है। मंत्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

आज जितने लेबर लाज हैं उनको जो चलाने वाले हैं वहीं सबसे ज्यादा उनको तोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर बिहार के चीफ मिनिस्टर का जो फार्म है वहां लेबर से 14 घंटे काम लेने के बाद 2 रुपये दिये जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस ओर ध्यान दें और जहां इस तरह से नियम को तोड़ा जाय वहां उस लैंड को सरकार अपने कब्जे में लेकर लैण्ड-लैस लेबरर्स में वितरित कर दे।

एफ० आई० सी० सी० आई० का सुझाव है कि ट्रेड यूनीयनिज्म पर पाबन्दी लगाई जाय। उन्होंने यह मांग सरकार के पास भेजी है। सरकार को चाहिए कि वह इस मांग को बिल-कुल रद्द कर दे।

"एसमा" इसलिये बनाया गया है कि मजदूरों पर ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जाय। लेकिन मंत्री जी जानते हैं कि जब घर में बहुत ज्यादा सख्ती होती है, तब कोई भी काम नहीं होता है। केवल प्रेम और सौहार्द से ही काम लिया जा सकता है। यदि आप डण्डे और बन्दूक से काम लेना चाहेंगे तो विद्रोह होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि "एसमा" जो कि आज के समय में बिल-कुल बेकार है उसको हटा देना चाहिए।

आज जितने कल-कारखाने या खानें बन्द पड़ी हैं उनके लिए उनके मालिक ही दोषी हैं। मालिक सोचते हैं कि मजदूर मजबूर होकर यहीं आयेंगे। मालिक देश के किसी भी कानून को नहीं मानते हैं इसलिए जो दोषी मालिक हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। अगर वे लाक-आउट या क्लोजर करते हैं तो उसको रोकने के लिए कोई ऐसा कानून बनायें जिस के अन्तर्गत उनको सख्त से सख्त सजा दी जा सके और वे मजदूरों की रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ न कर सकें···

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष जी, अभी इन्होंने बिहार के चीफ मनिस्टिर के फार्म का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहां 2 रुपया मजदूरी दी जाती है। मैं इनको चेलेन्ज करता हूं—सरासर गलत बात है, बेसलेस बात करते हैं। हम इनको चेलेन्ज करते हैं। ये हमारे साथ वहां चलें। वह मेरी कांस्टीचूएन्सी में है। मैं उस कांस्टीचूएन्सी को रिप्रेजेन्ट करता हूं। इनको मेरा चेलेन्ज स्वीकार करना चाहिये। अगर गलत हो तो हम रिजाइन करेंगे, अन्यथा ये रिजाइन कर दें।

श्री चित्त बसु : मैं उनकी बात सुन रहा था। संडे वीकली में बिहार के मुख्यमंत्री के फार्म में लगे हुए कृषि मजदूरों को न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने संबंधी एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से आए हैं।

श्री चित्त बसु : उन्हें न्यायालय जाने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अब अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहिए। उनको आवंटित समय पूरा हो चुका है।

श्री पीयूष तिरकी : उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों को हर कल-कारखाने में मुनाफे का हकदार बनाना चाहिये।

विभिन्न उन्नतिशील कारखानों में लगे मजदूरों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिये। ऐसा देखने में आता है कि कारखाने शुरू कर दिये जाते हैं परन्तु मजदूरों के रहने, पीने के पानी, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था नहीं होती है। मेरा सुझाव है कि जब तक ऐसी व्यवस्था न हों, काम को शुरू नहीं करना चाहिये। मजदूरों का भी दूसरों के मुकाबले समान अधिकार होता है। इसलिए उनके रहने की व्यवस्था होने के बाद उनसे काम लेना चाहिए।

प्रत्येक कल-कारखाने तथा खानों के मालिकों के ऊपर मजदूरों के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, स्वास्थ्य तथा घर की जिम्मेदारी डाली जाय। उनको इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए बाध्य किया जाय।

प्रशासन मजदूरों का विरोध न करके उनकी रक्षा करे। अभी ऐसा हो रहा है—हम अपने देश में उत्पादन-वर्ष मना रहे हैं और कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जाय। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जितनी सम्पत्ति इन मजदूरों के हाथों से पैदा होती है वह तभी बढ़ेगी जब वे मन से काम करेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि पुलिस का डर दिखा कर या पुलिस द्वारा डरा-धमका कर काम न लिया जाय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, देहात में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके पास खाने के लिए नहीं था। पास में एफ० सी० आई० का गोदाम था जिसमें चावल का भण्डार था। वे लोग वहां गए और कहा कि हम लोग भूखे हैं। पुलिस ने उनसे कहा कि हम ड्यूटी पर हैं, हम सब लोग भी मजदूर हैं और आपकी कठिनाई को समझते हैं, लेकिन यह बन्दूक सरकार की है और यह गोलियां तुम्हारे लिए हैं। इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। ऐसी हालत चल रही है। लेबर मिनिस्टर अगर पुलिस या सी० आर० पी० लगा कर, गोलियां चला कर या अरेस्ट करके उनको दबाना चाहेंगे, तो यह नहीं चलेगा। लेकिन उनकी कठिनाई को समझ कर उनकी दिक्कतों को दूर करेंगे तो हम भी आपके साथ हैं, आपकी सहायता करेंगे। इसमें आर्गेनाइज्ड या डिस-आर्गेनाइज्ड सभी मजदूर आपकी मदद करेंगे तथा इसी में देश का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, आपका राज्य चलेगा, अन्यथा राज्य नहीं चल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री वाद-विवाद का उत्तर कल देंगे।

8.47 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 अप्रैल, 1982/18 चैत्र, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मित्तल प्रिण्टर्स K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032